सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2023–24

nidm

समुत्थानशील भारत, आपदा मुक्त भारत

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार)

/NIDMMHAINDIA /NIDMMHAINDIA /NIDMMHAINDIA /NIDMMHAINDIA /NIDMINDIA

वार्षिक रिपोर्ट
2023-24

nidm

समुत्थानशील भारत - आपदा मुक्त भारत

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार)

वार्षिक रिपोर्ट एनआईडीएम 2023–24

कॉपीराइट © 2024, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, दिल्ली

प्रकाशक

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार),

प्लॉट नंबर 15, पॉकेट–3, ब्लॉक–बी, सेक्टर–29, रोहिणी, दिल्ली–110042

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम)

दृष्टिकोण

''भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन पर प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक प्रमुख संस्थान बनना और क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी संस्थानों में से एक के रूप में पहचान स्थापित करना। सभी स्तरों पर आपदा निवारण और तैयारी की संस्कृति को विकसित करना और उसे बढ़ावा देकर आपदा-मुक्त भारत निर्माण की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना''

(18 अप्रैल 2007 को आयोजित संस्थान (निकाय) की पहली बैठक से ली गई पंक्तियां)

विषय सूची

		पेज संख्या
अध्याय 1	सिंहावलोकन	1
अध्याय 2	संगठनात्मक व्यवस्था	7
अध्याय 3	प्रशिक्षण कार्यक्रम	17
अध्याय 4	परियोजनाएँ	27
अध्याय 5	ज्ञान प्रबंधन और जागरुकता गतिविधियाँ	41
अध्याय 6	सम्मेलन / कार्यशाला / सेमिनार / आमने-सामने प्रशिक्षण कार्यक्रम	57
अध्याय 7	अन्य पहलकदमियाँ	147
अध्याय 8	वित्त और लेखा	165
अध्याय 9	अनुलग्नक	193

nidm
Resilient India - Disaster Free India

राजेन्द्र रत्नू, भा. प्र. से.
कार्यकारी निदेशक

Rajendra Ratnoo, IAS
Executive Director

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
National Institute of Disaster Management
(गृह मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Home Affairs, Govt. of India
प्लॉट नं. 15, ब्लॉक बी, पॉकेट 3,
सेक्टर 29, रोहिणी, दिल्ली - 110042
Plot No. 15, Block B, Pocket 3,
Sector 29, Rohini, Delhi-110042

कार्यकारी निदेशक के लेखन पटल से

हमें वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। जब हम अपनी उपलब्धियों और आगे की राह पर विचार करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और प्रधानमंत्री के 10 सूत्री एजेंडे के तहत बढ़ती गतिविधियों से परिलक्षित होती है।

जैसे ही हम एक और वर्ष की सफलता, विकास, और सीख पर विचार करते हैं तो हमें गर्व होता है कि हमने विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों के माध्यम से संगठनों, क्षेत्रों और समुदायों को सशक्त बनाया है। हम अपने सभी प्रयासों में उत्कृष्टता, नवाचार और निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह वार्षिक रिपोर्ट हमारे द्वारा प्राप्त प्रमुख उपलब्धियों और मील के पत्थरों को उजागर करती है, साथ ही भविष्य के लिए हमारा रोडमैप भी प्रस्तुत करती है।

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण आपदाओं की आवृत्ति में निरंतर वृद्धि का रुझान, और उनकी सीमा पार पहुंच हमें यह याद दिलाती है कि प्रत्येक सरकारी संगठन, उद्योग, समुदाय, परिवार और व्यक्ति को रोकथाम और समुत्थानशीलता निर्माण के प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। एनआईडीएम में, हम संगठनों और व्यक्तियों को तेजी से बदलती दुनिया में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से सुसज्जित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस वर्ष के दौरान, हमारे कार्यक्रमों ने सरकार, मंत्रालयों, विभागों, उद्योगों, विश्वविद्यालयों से लेकर पंचायतों तक, विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 16,356 प्रतिभागियों को लाभान्वित किया है। हमारा मिशन व्यावहारिक और क्षेत्र-प्रासंगिक क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को प्रदान करना है, जो पेशेवर एवं संकाय विकास दोनों को बढ़ावा देते हैं।

इस वर्ष, हमने नए कार्यक्रम, पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू किए, जिनका उद्देश्य विभिन्न हितधारकों को सशक्त बनाना और डिजिटल कौशल, नेतृत्व आदि जैसे क्षेत्रों को छूना था, जिससे विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों को आकर्षित किया गया और हमारी पहुंच व प्रभाव में वृद्धि हुई। हमने मौजूदा साझेदारियों को मजबूत किया और नए सहयोग स्थापित किए हैं, जिससे हमारे आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) प्रयासों की गुणवत्ता और दायरे में वृद्धि हुई है।

एनआईडीएम द्वारा शुरू की गई पहलों ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण और समुत्थानशीलता में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इस प्रगति को जून 2023 में आए चक्रवात बिपरजॉय के दौरान प्रभावी प्रतिक्रिया के रूप में महत्वपूर्ण सफलता के तौर पर रेखांकित किया गया, जिसे एनआईडीएम ने 'चक्रवात बिपरजॉय: गुजरात में शून्य क्षति की विजयगाथा' के रूप में प्रलेखित किया। यह उपलब्धि एक सुरक्षित और आपदा-प्रतिरोधी राष्ट्र के निर्माण के लिए आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया रणनीतियों को सुदृढ़ करने में मार्गदर्शक बनी है।

एनआईडीएम ने गुणवत्तापूर्ण जनादेश देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है जो संगठनों और व्यक्तियों दोनों के विकास का समर्थन करता है। हमारे समर्पित कर्मचारी, मूल्यवान भागीदार और हमारे प्रतिभागियों की अटूट प्रतिबद्धता हमारी सफलता के लिए आवश्यक रही है। हम व्यक्तियों को उनके पेशेवर लक्ष्यों को प्राप्त करने और सकारात्मक रूप से योगदान देने और आपदाओं के प्रति समुत्थानशील राष्ट्र बनाने में मदद करने के अपने दृष्टिकोण पर केंद्रित हैं।

माननीय प्रधानमंत्री के आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) पर दस सूत्री एजेंडे के बिंदु 6 के अनुसार आपदा संबंधित मुद्दों पर काम करने के लिए विश्वविद्यालयों का एक नेटवर्क विकसित करने के उद्देश्य से भारत के विश्वविद्यालयों और संस्थानों का नेटवर्क (आईयूआईएनडीआरआर-एनआईडीएम) ने उच्च शिक्षा में डीआरआर को मुख्यधारा में लाने में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 में उन कई उपलब्धियों का उल्लेख है जिन पर हमें गर्व है। इनमें से एक प्रमुख उपलब्धि 13 अक्टूबर 2023 को 'आपदा समुत्थानशीलता के लिए असमानता से सशक्तिकरण' विषय पर अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस का सफल आयोजन था। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और हितधारकों की उपस्थिति ने इसे और भी महत्वपूर्ण बना दिया।

मुझे 24-26 जुलाई 2023 को चेन्नई में आयोजित तीसरी जी20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह बैठक में एनआईडीएम की सक्रिय भागीदारी पर प्रकाश डालते हुए खुशी हो रही है। इस आयोजन ने आपदा जोखिम प्रबंधन में चरणबद्ध परिवर्तनों से एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण की ओर जाने की आवश्यकता को प्रमुख रूप से उजागर किया, जो स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक फैला हुआ है। इस आयोजन ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों को सक्रिय रूप से संबोधित करने की आवश्यकता और आपदा प्रतिरोधी एवं बुनियादी ढांचे के शासन को सुदृढ़ करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सहमति को उजागर किया, जिसमें विशेष रूप से ग्लोबल साउथ पर ध्यान केंद्रित किया गया।

वार्षिक रिपोर्ट में एनआईडीएम द्वारा शुरू की गई गतिविधियों और कार्यक्रमों की झलक दिखाई गई है, जिन्हें संस्थान द्वारा किए गए कार्यों की नई अंतर्दृष्टि के साथ बढ़ावा देने और समाज के विभिन्न वर्गों तक ले जाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। हमारा लक्ष्य आपदा की रोकथाम और तैयारियों के लिए सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण करके एक आपदा प्रतिरोधी भारत बनाना है। मैं इस प्रयास का समर्थन करने और गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अन्य सरकारी विभागों और शिक्षाविदों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।

आनेवाले वर्ष की ओर देखते हुए, हमारा लक्ष्य अपनी डिजिटल पेशकश को विस्तारित करना है, जिसमें ऑनलाइन और हाइब्रिड कार्यक्रम शामिल हैं, ताकि हम दूरस्थ शिक्षार्थियों की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकें, हमारे प्रशिक्षण मॉड्यूल्स को हितधारकों की नवीनतम प्रवृत्तियों और आवश्यकताओं के साथ संरेखित कर सकें, और उन्नत शिक्षण तकनीकों, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और वर्चुअल रियलिटी में निवेश कर सकें, ताकि हम स्थिर और अत्याधुनिक प्रशिक्षण अनुभव प्रदान कर सकें, साथ ही समुदाय तक अपनी पहुँच बढ़ाकर यह सुनिश्चित कर सकें कि हमारे कार्यक्रम विभिन्न दर्शकों के लिए सुलभ हों। विभिन्न हितधारकों के सक्रिय भागीदारी, सहयोग और समर्थन के साथ, हमें यकीन है कि हम सभी के लिए एक सुरक्षित और अधिक समुत्थानशील भविष्य बनाने में सक्षम होंगे। साथ मिलकर, आइए हम एक सुरक्षित और समुत्थानशील भारत के निर्माण की दिशा में काम करते रहें, जहाँ किसी भी आपदा का सामना करते हुए एकता और सहानुभूति की भावना सर्वोपरि हो।

(राजेन्द्र रत्नू)

गतिविधियों की समीक्षा

इस साल, 55 वेबिनार आयोजित किए गए और उनमें 7101 प्रतिभागी शामिल हुए। इसके बाद, 09 तीन दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे, जिनमें 1987 प्रतिभागी शामिल हुए। 117 आमने–सामने प्रशिक्षण कार्यक्रम और 39 वर्कशॉप आयोजित किए गए, जिनमें 9255 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। 2023–24 में, 29 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कवर किया गया। 2023–24 में एनआईडीएम द्वारा कुल मिलाकर 20 प्रकाशन प्रकाशित किए गए। एनआईडीएम द्वारा पिछले कुछ सालों में विभिन्न गतिविधियों से जुड़ी वृद्धि का संक्षिप्त ब्योरा ग्राफिक्स के माध्यम से नीचे दर्शाई गई है–

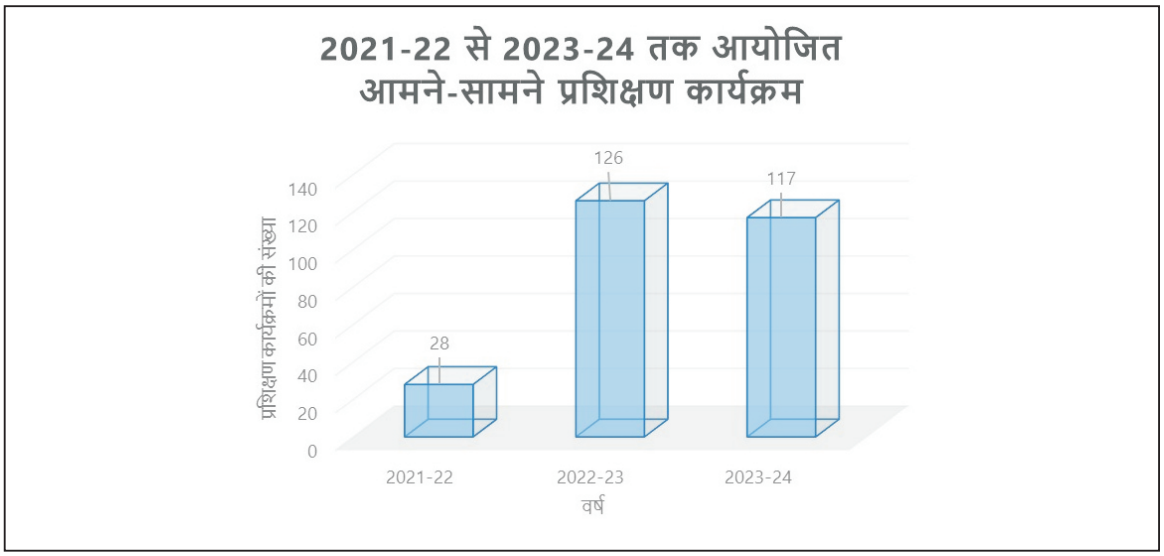

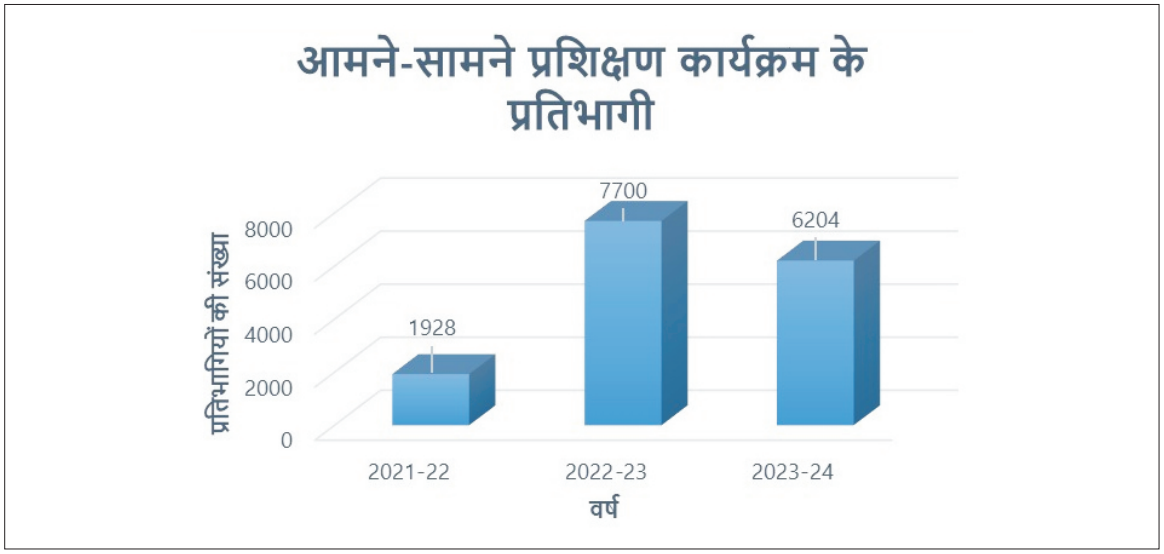

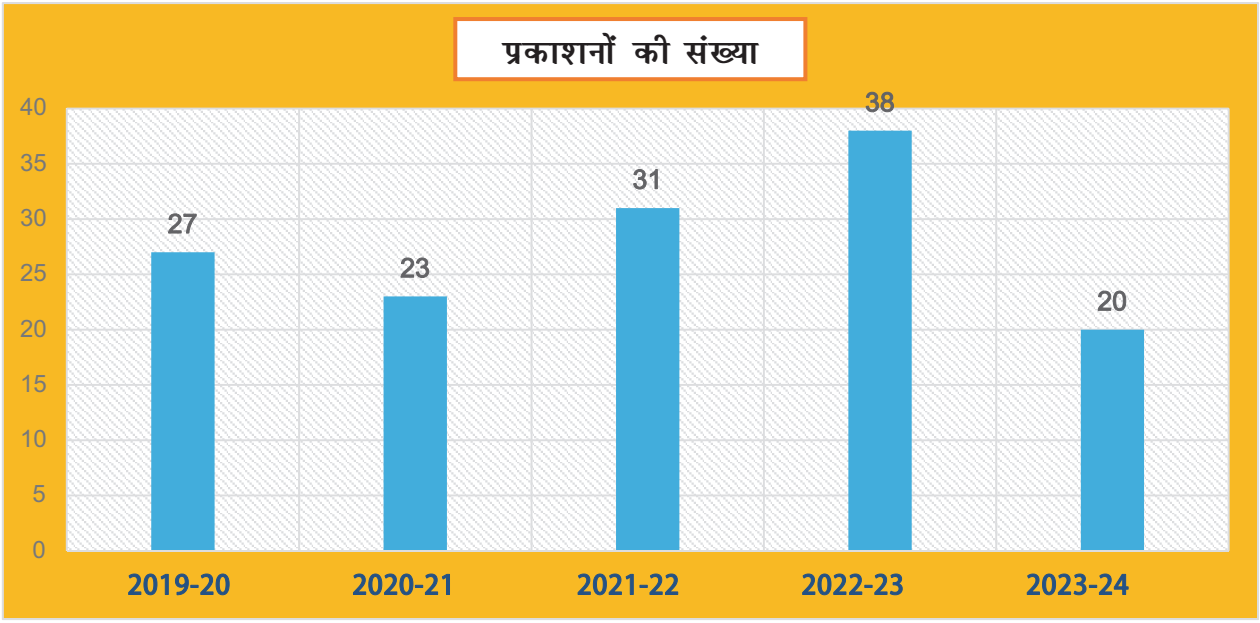

नोट: (आईक्यूएसी/आईआईक्यू सभी प्रकाशनों की निगरानी कर रहा है और गुणवत्ता मूल्यांकन के कारण प्रकाशनों की संख्या कम कर दी गई है।)

अध्याय 1
सिंहावलोकन

सिंहावलोकन

1.1 संस्थान के बारे में

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन 30.10.2006[1] को गठित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) को आपदा प्रबंधन नीतियों, निवारक तंत्र और शमन उपायों[2] के संबंध में आपदा प्रबंधन प्रलेखीकरण और राष्ट्रीय स्तर का सूचना आधार तैयार करने के क्षेत्र में योजना बनाने और प्रशिक्षण एवं अनुसंधान को प्रोत्साहन देने का दायित्व सौंपा गया है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र से 16 अक्टूबर, 2003 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के रूप में पुनः अधिकारिक नामकरण के बाद से एनआईडीएम सभी स्तरों पर आपदा नियंत्रण और इसके लिए तैयार रहने की संस्कृति का विकास करके तथा इसे बढ़ावा देकर एक आपदा जागरुक भारत तैयार करने के अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर है।

1.2 प्रबंधन संरचना

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान नियम, 2006 के अनुसार, संस्थान के 2 निकाय हैं, नामतः, संस्थान और शासी निकाय । संस्थान में 42 सदस्य होते हैं, जिनमें भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न नोडल मंत्रालयों/विभागों के सचिव, मौजूदा राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक, अनुसंधान एवं तकनीकी संगठनों के अध्यक्ष साथ ही प्रमुख वैज्ञानिक एवं डीआरआर विशेषज्ञ शामिल हैं। माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री संस्थान के अध्यक्ष हैं। एनआईडीएम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित व्यापक नीतियों और दिशा-निर्देशों के अधीन कार्य करता रहा है।

संस्थान की शासी परिषद् में 14 सदस्य हैं जिसके अध्यक्ष राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं और गृह सचिव उपाध्यक्ष हैं। चूंकि एनडीएमए के उपाध्यक्ष[3] का पद खाली है इसलिए गृह सचिव संस्थान के शासी परिषद् के अध्यक्ष हैं। चूंकि एनडीएमए के उपाध्यक्ष का पद रिक्त है ऐसी स्थिति में गृह सचिव एनआईडीएम के शासी परिषद् के अध्यक्ष का कार्य देख रहे है। संस्थान के दैनिक प्रशासन का संचालन कार्यकारी निदेशक द्वारा किया जाता है।

संस्थान के निम्नलिखित शैक्षणिक विभाग हैं:-

- सुशासन एवं समावेशी डीआरआर प्रभाग (जीआईडीआरआर)
- आपदा प्रतिक्रिया एवं रिकवरी प्रभाग (डीआरआरडी)
- भौगोलिक-मौसम संबंधी जोखिम प्रबंधन प्रभाग (जीएमआरडी)
- आपदा समुत्थानशील संरचना प्रभाग (आरआईडी)
- सीबीआरएन और साइबर जोखिम प्रबंधन प्रभाग (सीआरएमडी)
- पर्यावरणीय आपदा जोखिम प्रबंधन प्रभाग (ईसीडीआरएम)

---

[1]एनआईडीएम का गठन 30.10.2006 से एस.ओ. 1862(ई) द्वारा किया गया है।
[2]आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, धारा 42(8)
[3]एनआईडीएम नियम, 2006 की धारा 6

इसके अलावा, संस्थान के 21 केंद्र और 7 कार्यात्मक समन्वय प्रकोष्ठ हैं।

1.3 मिशन

- नीति निर्माण[4] में सहायता देकर सरकार के लिए एक विचारक मंडल के रूप में कार्य करना;
- निम्नलिखित द्वारा आपदाओं के दुष्परिणामों और प्रभावों को कम करने में सहायता देना;
  - » प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सेवाओं की योजना बनाना एवं उन्हें बढ़ावा देना;
  - » अनुसंधान, प्रलेखीकरण और राष्ट्रीय स्तर का सूचना आधार तैयार करना;
  - » आपदा के लिए प्रभावी ढंग से तैयारी करने और राहत के लिए पद्धति विकास और सुविज्ञता को प्रोत्साहित करना;
  - » जागरूकता को बढ़ावा देना और सभी हितधारकों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि करना;
  - » सभी संबंधितों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए सांस्थानिक तंत्र का सुदृढ़ीकरण;
  - » नेटवर्किंग और सूचना, अनुभव और सुविज्ञता के आदान-प्रदान को सुगम बनाना।

1.4 कार्य

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन संस्थान को निम्न कार्य[5] सौंपे गए हैं:-

- आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना, अनुसंधान और प्रलेखन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना;
- आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं को समाहित करते हुए एक व्यापक मानव संसाधन विकास योजना का निर्माण और कार्यान्वयन;
- राष्ट्रीय स्तर की नीति तैयार करने में सहायता प्रदान करना;
- विभिन्न हितधारकों के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों के विकास के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थानों को आवश्यक सहायता प्रदान करना;
- राज्य स्तरीय नीतियों, रणनीतियों, आपदा प्रबंधन ढांचे के निर्माण और क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक अन्य सहायता के रूप में राज्य सरकार और राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता प्रदान करना;
- शैक्षणिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित आपदा प्रबंधन के लिए शैक्षणिक सामग्रियों का विकास;
- कॉलेज या स्कूल के शिक्षकों और छात्रों, तकनीकी कर्मियों और बहु-जोखिम न्यूनीकरण, तैयारियों और प्रतिक्रिया उपायों से जुड़े अन्य लोगों सहित हितधारकों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना;
- उपरोक्त उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए देश के भीतर और बाहर अध्ययन पाठ्यक्रम, सम्मेलनों, व्याख्यानों, सेमिनारों को आयोजित करना और सुगम बनाना;

---

[4]प्रबंधन समिति की पहली बैठक की कार्यसूची

[5]आपदा प्रबंधन अधिनियम, धारा 42(9)

- पत्रिकाओं, शोध पत्रों और पुस्तकों के प्रकाशन के लिए सहायता प्रदान करना और पुस्तकालयों की स्थापना और रख–रखाव आदि;
- उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहायक तथा प्रासंगिक अन्य सभी विधि सम्मत कार्य करना;
- केंद्र सरकार द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों का निष्पादन;

1.5 प्रमुख क्षेत्र

1.5.1 प्रशिक्षण

1. **आमने–सामने प्रशिक्षण:** एनआईडीएम सरकारी कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए व्यापक विषयों और क्षेत्रों को कवर करते हुए विभिन्न विषयों पर परिसर में और परिसर के बाहर दोनों जगह प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है।
2. **वेब आधारित ऑनलाइन प्रशिक्षण:** यह संस्थान आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न विशेष विषयों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। उपयोगकर्ता रजिस्टर करके ऑनलाइन अध्ययन पोर्टल का प्रयोग कर सकते हैं।
3. **स्व–अध्ययन पाठ्यक्रम:** संस्थान ने वेब आधारित स्व–अध्ययन पाठ्यक्रम शुरू किए हैं जिसके लिए, कोई भी, किसी भी समय लॉग–ऑन कर सकता है और इन पाठ्यक्रमों के अध्ययन से सीख सकता है।
4. **कार्यशाला, सेमिनार, परामर्श:** संस्थान आपदा प्रबंधन के विभिन्न विषयों पर कार्यशाला, सेमिनार, सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस का आयोजन करता है।

वर्तमान में, एनआईडीएम आइगोट पोर्टल के लिए तीन पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है:

1. डॉ. सुषमा गुलेरिया द्वारा ''भारत में आपदा प्रबंधन अवधारणाएँ और पहल'': यह पाठ्यक्रम प्राकृतिक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न प्रकार के खतरों को कवर करता है। यह आपदाओं को परिभाषित करता है, आपदा प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालता है और भारत में संस्थागत ढाँचों की व्याख्या करता है, जिसमें एनडीएमए, एमएचए और स्थानीय प्राधिकरण शामिल हैं, जैसा कि 2005 के डीएम अधिनियम द्वारा निर्देशित है।
2. श्री मनजीत सिंह ढिल्लों द्वारा ''बाढ़ जोखिम प्रबंधन और शमन'': यह मॉड्यूल भारत में बाढ़ प्रबंधन का अवलोकन प्रदान करता है, बाढ़ के कारणों और प्रभावों को संबोधित करता है। यह बाढ़ जोखिम प्रबंधन और शमन रणनीतियों पर अधिक विस्तृत चर्चा के लिए मंच तैयार करता है।
3. ''क्या करें और क्या न करें'': यह मॉड्यूल बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात, सुनामी और जंगल की आग सहित विभिन्न आपदाओं के लिए व्यावहारिक सुरक्षा सलाह प्रदान करता है। इसमें आपातकालीन स्थितियों के दौरान व्यक्तिगत सुरक्षा बढ़ाने के लिए सुरक्षित कदम उठाने जैसे कि आश्रय की तलाश करना और निकासी आदेशों का पालन करना आदि की रूपरेखा दी गई है।

1.5.2 अनुसंधान और प्रलेखीकरण

एनआईडीएम देश में होने वाली प्रमुख आपदाओं का दस्तावेजीकरण करता है ताकि इसके प्रबंधन के बारे में सबक सीखा जा सके और मॉड्यूल और सिमुलेशन अभ्यास विकसित करने के लिए संसाधन सामग्री के रूप में केस स्टडी का उपयोग किया जा

सके। एनआईडीएम ने डीआरआर के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए एनआईडीएम डॉक्टरल फेलोशिप कार्यक्रम, अनुसंधान परियोजना, सर्वश्रेष्ठ थीसिस रैंकिंग सहित राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण अनुसंधान सुविधा भी शुरू की।

1.5.3 नीति अध्ययन और सहायता

ज्ञान और अनुसंधान आधारित संस्थान होने के नाते, आईडीएम राष्ट्रीय स्तर के दिशा–निर्देशों, नीतियों और योजनाओं आदि की तैयारी में गृह मंत्रालय, एनडीएमए और अन्य हितधारकों को सहायता प्रदान करता है। एनआईडीएम राज्य सरकारों और राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को राज्य स्तरीय नीतियों, रणनीतियों, आपदा प्रबंधन ढांचे के निर्माण में सहायता प्रदान करता है और हितधारकों की क्षमता निर्माण के लिए उनके (राज्य सरकारों या राज्य प्रशिक्षण संस्थानों) द्वारा अपेक्षित अन्य सहायता प्रदान करता है। संस्थान केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को भी सहायता प्रदान करता है।

1.5.4 ज्ञान एकीकरण

एनआईडीएम नेटवर्किंग, प्रशिक्षण, शोध, प्रलेखीकरण आदि के लिए कार्यक्रम आधारित गतिविधियों पर कई राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ संस्थानों के साथ सहयोग द्वारा ज्ञान एकीकरण करता है।

*****

अध्याय 2
संगठनात्मक व्यवस्था

संगठनात्मक व्यवस्था

केंद्रीय गृह मंत्री इस संस्थान के अध्यक्ष हैं, और कार्यकारी निदेशक इसके सदस्य सचिव हैं। संस्थान में 42 सदस्य हैं, जिनमें भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न नोडल मंत्रालयों एवं विभागों के सचिव और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक, अनुसंधान और तकनीकी संस्थानों के अध्यक्षों के अलावा प्रसिद्ध विद्वान, वैज्ञानिक और व्यवसायी शामिल हैं। (9.1 अनुलग्नक–I: संस्थान के सदस्यों की सूची)

संस्थान की एक शासी परिषद् है, जिसके अध्यक्ष राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं और केंद्रीय गृह सचिव संस्थान के शासी परिषद् के उपाध्यक्ष हैं। (9.2 अनुलग्नक– II: संस्थान के शासी परिषद् के सदस्यों की सूची)

संस्थान के छः प्रभाग और 21 विशेष केंद्र हैं जिनकी सहायता के लिए 7 कार्यात्मक समन्वय प्रकोष्ठ हैं। (चित्र 2.1)

2.1. संगठनात्मक ढांचा

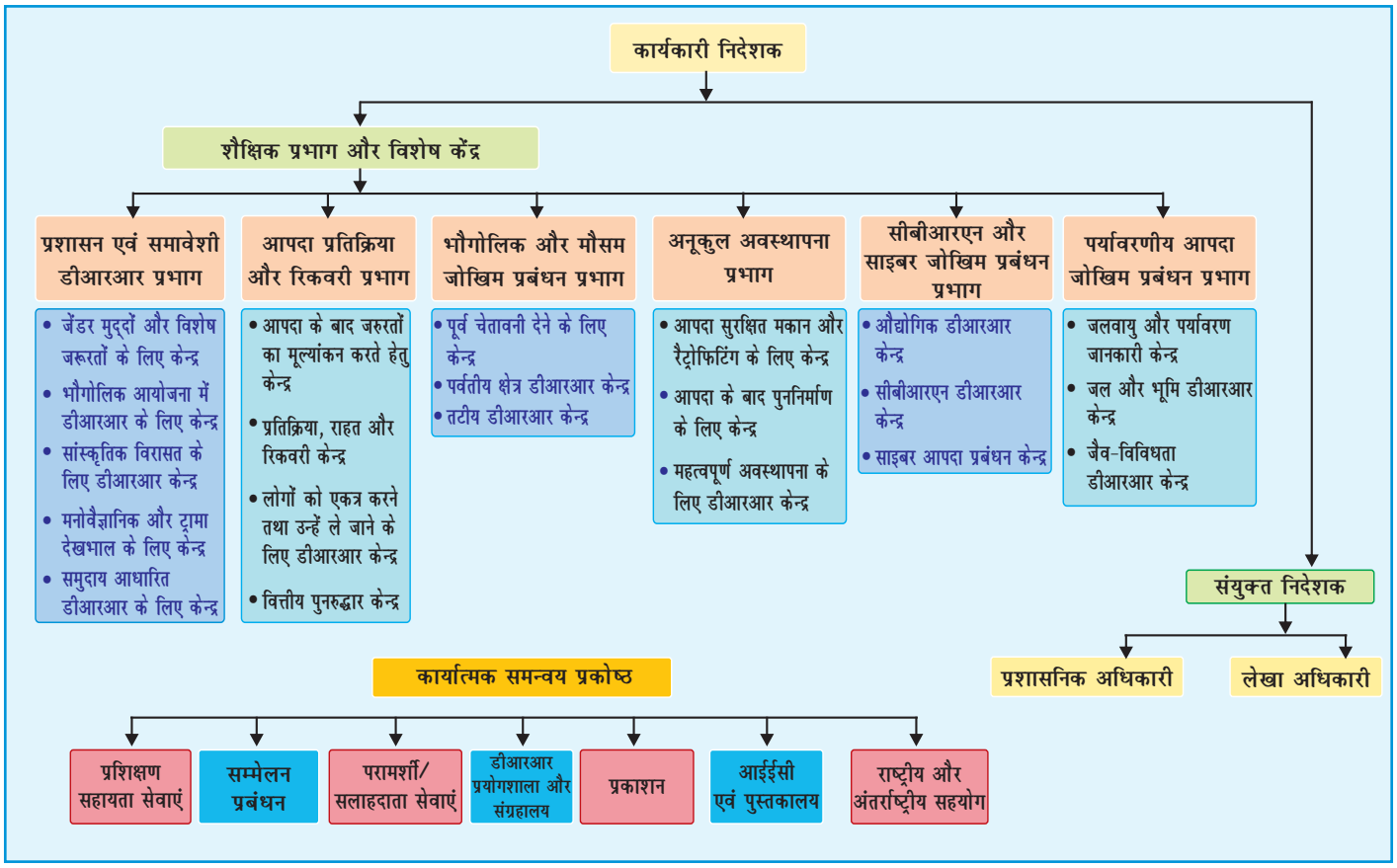

चित्र 2.1 एनआईडीएम की नियोजित शैक्षणिक और कार्यात्मक संरचना

तालिका 2.1: एनआईडीएम के कार्यकारी अधिकारी

क) कार्यकारी निदेशक

क्र.सं.	नाम	अवधि
1.	श्री, राजेन्द्र रत्नू, आईएएस	कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम (10.02.2023 से आज तक)

ख) संयुक्त निदेशक

क्र.सं.	नाम	अवधि
3.	श्री सुरेन्द्र ठाकुर	संयुक्त निदेशक, एनआईडीएम, दिल्ली
4.	श्री पी. एस. रेड्डी	संयुक्त निदेशक एनआईडीएम, (दक्षिणी परिसर)

तालिका 2.2: प्रभागवार एनआईडीएम की संकाय सूची

1. सुशासन और समावेशी डीआरआर प्रभाग (जीआईडीआरआर)		
डॉ. संतोष कुमार		प्रोफेसर एवं प्रमुख (30.04.2023 को सेवानिवृत)
डॉ. अजिन्दर वालिया		ऐसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख (11.05.2023 से प्रभावी)
प्रभाग के साथ संबद्ध केंद्र		केंद्र के प्रभारी संकाय सदस्य
i.	लैंगिक मुद्दों और विशेष आवश्यकताओं के लिए केंद्र (जीआईएन)	डॉ. अजिन्दर वालिया, ऐसोसिएट प्रोफेसर
ii.	भौगोलिक आयोजना में डीआरआर के लिए केंद्र (जीपीएल)	—
iii.	सांस्कृतिक विरासत केंद्र (सीएचआर)	—
iv.	मनोसामाजिक तथा अभिघात देखरेख केंद्र (पीटीसी)	डॉ. अजिन्दर वालिया, ऐसोसिएट प्रोफेसर
v.	समुदाय आधारित डीआरआर केंद्र (सीबीडीआरआर)	—
2. आपदा प्रतिक्रिया और रिकवरी प्रभाग (डीआरएंडआर)		
डॉ. संतोष कुमार डॉ. अजिन्दर वालिया		प्रोफेसर एवं प्रमुख (30.04.2023 को सेवानिवृत) ऐसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख (11.05.2023 से प्रभावी)

प्रभाग के साथ संबद्ध केंद्र		केंद्र के प्रभारी संकाय सदस्य
i.	आपदा पश्चात् आवश्यकता मूल्यांकन केंद्र (पीडीएनए)	डॉ. संतोष कुमार प्रोफेसर एवं प्रमुख (30.04.2023 को सेवानिवृत)
ii.	प्रतिक्रिया, राहत एवं रिकवरी केंद्र (आरआरआर)	श्री शेखर चतुर्वेदी, सहायक प्रोफेसर
iii.	जल समूहन एवं परिवहन डीआरआर केंद्र (एमसीटी)	श्री शेखर चतुर्वेदी, सहायक प्रोफेसर
iv.	वित्तीय पुनरुद्धार केंद्र (एफआर)	---
3. भू-मौसम संबंधी जोखिम प्रबंधन प्रभाग (जीएमआरडी)		
डॉ. सूर्य प्रकाश		प्रोफेसर एवं प्रमुख
प्रभाग के साथ संबद्ध केंद्र		केंद्र के प्रभारी संकाय सदस्य
i.	पूर्व चेतावनी संचार केंद्र (ईडब्लयूसी)	---
ii.	पर्वतीय क्षेत्र डीआरआर केंद्र (एचएडीआरआर)	---
iii.	तटीय डीआरआर केंद्र (सीडीआरआर)	---
4. समुत्थानशील अवसंरचना प्रभाग (आरआईएफडी)		
डॉ. चंदन घोष डॉ. आमिर अली खान		प्रोफेसर एवं प्रमुख (31.12.2023 को सेवानिवृत) एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख (07.02.2024 से प्रभावी)
प्रभाग के साथ संबद्ध केंद्र		डॉ. आमिर अली खान
i.	आपदा सुरक्षित मकान और रेट्रोफिटिंग केंद्र (डीएसएचआर)	---
ii.	आपदा पश्चात् पुनर्निर्माण केंद्र (पीडीआर)	---
iii.	महत्वपूर्ण अवसंरचना डीआरआर केंद्र (सीआईडी)	डॉ. आमिर अली खान, एसोसिएट प्रोफेसर
5. सीबीआरएन एवं साइबर जोखिम प्रबंधन प्रभाग (सीआरएमडी)		
डॉ. सूर्य प्रकाश (09.07.2021 से आज तक) प्रभाग के साथ संबद्ध केंद्र		प्रोफेसर एवं प्रमुख केंद्र के प्रभारी संकाय सदस्य
i.	औद्योगिक डीआरआर केंद्र (आईएनडी)	---
ii.	सीबीआरएन डीआरआर केंद्र (सीबीआरएन)	---
iii.	साइबर आपदा प्रबंधन केंद्र (सीवाईडी)	---

6. पर्यावरणीय आपदा जोखिम प्रबंधन प्रभाग (ईआरएमडी)		
डॉ. अनिल कुमार गुप्ता		प्रोफेसर एवं प्रमुख
प्रभाग के साथ संबद्ध केंद्र		केंद्र के प्रभारी संकाय सदस्य
i.	जलवायु अनुकूलन और पर्यावरण केंद्र (सीआरई)	डॉ. सुषमा गुलेरिया, सहायक प्रोफेसर
ii.	जल एवं भूमि डीआरआर केंद्र (डब्ल्यूएलडी)	डॉ. सुषमा गुलेरिया, सहायक प्रोफेसर
iii.	वन एवं जैव-विविधता डीआरआर केंद्र (एफबीडी)	---
7. कार्यात्मक समन्वय प्रकोष्ठ		
i.	प्रशिक्षण सहायता सेवाएँ (टीसीएस)	i. सुश्री रीतु सूद, प्रशासनिक अधिकारी
ii.	सम्मेलन प्रबंधन (सीएफएम)	
iii.	परामर्शी/सलाहकार सेवाएँ (सीएएस)	i. डॉ. अनिल कुमार गुप्ता, प्रोफेसर एवं प्रमुख ii. श्री शेखर चतुर्वेदी, सहायक प्रोफेसर iii. सुश्री रीतु सूद, प्रशासनिक अधिकारी
iv.	डीआरआर प्रयोगशाला एवं संग्रहालय (डीएलएम)	i. डॉ. चन्दन घोष, प्रोफेसर, (सेवानिवृत 31.12.2023) ii. डॉ. आमिर अली खान, एसोसिएट प्रोफेसर iii. सुश्री रीतु सूद, प्रशासनिक अधिकारी
v.	प्रकाशन (पीयूबी)	i. श्री संतोष कुमार तिवारी, पुस्तकालयाध्यक्ष
vi.	आईईसी एवं पुस्तकालय (आईईएल)	i. श्री संतोष कुमार तिवारी, पुस्तकालयाध्यक्ष ii. सुश्री जया, पुस्तकालय परिचारक
vii.	राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (एनआईसी)	i. संतोष कुमार प्रोफेसर एवं प्रमुख, सेवानिवृत 30.04.2023 ii. डॉ. अनिल कुमार गुप्ता, प्रोफेसर एवं प्रमुख iii. डॉ. सुषमा गुलेरिया, सहायक प्रोफेसर

2.2 सामान्य प्रशासन

संस्थान के कार्यकारी निदेशक संस्थान के प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं और शासी निकाय के निर्देश और मार्गदर्शन के अधीन कार्य करते हैं। कार्यकारी निदेशक की सहायता के लिए संयुक्त निदेशक, लेखा अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी हैं। संस्थान के प्रशासन में मुख्यतया समन्वय, सांविधिक बैठकों का आयोजन, स्थापना और कार्मिक प्रबंधन, सुरक्षा, परिसर सहायता सेवाएं और कर्मचारियों का कल्याण शामिल है। यह कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए आवश्यक अवस्थापना और प्रबंधकीय सहायता प्रदान करके संस्थान के शोध, प्रशिक्षण और परामर्शी कार्यों में मदद करता है। एनआईडीएम के कर्मचारियों की सूची **तालिका 2.3** में दी गई है।

तालिका 2.3: एनआईडीएम के कर्मचारी

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	सुश्री रीतू सूद	प्रशासनिक अधिकारी
2.	श्री एस.एस. बिष्ट	लेखा अधिकारी
3.	श्री हेमंत कुमार	कंप्यूटर प्रोग्रामर
4.	श्री संतोष कुमार तिवारी	पुस्तकालयाध्यक्ष
5.	श्री अविनाश कुमार पाण्डेय	निजी सचिव
6.	श्री जे.एन. झा	कनिष्ठ अभियन्ता
7.	सुश्री अमृता गुप्ता	वैयक्तिक सहायक
8.	सुश्री संतोष मिश्रा	प्रशिक्षण सहायक
9.	सुश्री गीता शर्मा	प्रशिक्षण सहायक
10.	सुश्री मेघा कोहली	प्रशिक्षण सहायक
11.	श्री राजीव कुमार	प्रशिक्षण सहायक
12.	श्री अमर सिंह	मशीन ऑपरेटर
13.	सुश्री जया	पुस्तकालय परिचारक
14.	श्री लक्ष्मण सिंह	मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)
15.	श्री पंकज कुमार	मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)

2.3 यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पीओएसएच)

सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल सुनिश्चित करना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यौन उत्पीड़न रोकथाम (पीओएसएच) समिति और दिशा-निर्देश इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्टाफ सदस्यों, प्रबंधकों और बाहरी विशेषज्ञों सहित विविध पृष्ठभूमि से समर्पित व्यक्तियों से मिलकर बनी पीओएसएच समिति यह सुनिश्चित करती है कि रिपोर्ट की गई घटनाओं की गहन जांच की जाए और गोपनीयता, समानता और व्यवहार कुशलता के मूल्यों को बनाए रखते हुए तुरंत उनका समाधान किया जाए।

एनआईडीएम की पीओएसएच नीति यौन उत्पीड़न को रोकने और समानता को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है। यह यौन उत्पीड़न को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है, कर्मचारियों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को रेखांकित करती है, रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं स्थापित करती हैं, और अपराधियों के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई निर्दिष्ट करती है। नियमित जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से, एनआईडीएम अपने कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न के मामलों की पहचान करने और उन्हें प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करता है।

इसके अलावा, एनआईडीएम कार्यस्थल पर आचरण, सहमति और उत्पीड़न के मुद्दों पर कार्यशालाओं, सेमिनारों और प्रशिक्षण सत्रों जैसी शैक्षणिक पहलों के माध्यम से रोकथाम पर जोर देता है। खुले संवाद और परस्पर सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा

देकर, एनआईडीएम का उद्देश्य एक ऐसा वातावरण बनाना है, जहाँ हर व्यक्ति मूल्यवान, सुरक्षित और प्रतिशोध के डर के बिना उत्पीड़न की रिपोर्ट करने के लिए सशक्त महसूस करे।

यौन उत्पीड़न के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति और सशक्त सहयोग प्रणाली के साथ, एनआईडीएम का प्रयास है कि वह एक ऐसा कार्यस्थल विकसित करे जहाँ प्रत्येक व्यक्ति भय या भेदभाव से मुक्त होकर अपनी पूरी क्षमता के साथ उन्नति कर सके।

2.4 हिंदी का प्रगामी प्रयोग

एनआईडीएम का हिन्दी प्रकोष्ठ कार्यालय के दैनिक कार्यों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को सुगम बनाने के लिए पूर्णतया सक्रिय है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, चालू वर्ष में चार हिन्दी प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 140 अधिकारियों और कर्मचारियों ने आधिकारिक कामकाज की अनिवार्यताओं के अनुसार भाग लिया। एनआईडीएम की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट निर्धारित नियमों के अनुसार नियमित रूप से गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग को भेजी जाती है।

कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है, जो कार्यालय में राजभाषा नियमों/अधिनियमों आदि के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए त्रैमासिक बैठक नियमित रूप से करती है। चालू वर्ष के दौरान इस समिति की चार बैठकें हो चुकी हैं।

संस्थान ने 1 से 14 सितंबर, 2023 तक 'हिंदी पखवाड़ा' का आयोजन किया, जिसमें निबंध लेखन, टिप्पण लेखन, पत्र लेखन, श्रुतलेख, और हिन्दी भाषण जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई। इन आयोजनों में लगभग 30 अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त, संस्थान ने राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुसार राजभाषा नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए चेक प्वांइंटस स्थापित की हैं।

गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में गृह मंत्रालय को भेजी गईं। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान हिन्दी प्रकोष्ठ सरकारी प्रेस विज्ञप्तियों, भाषणों, आईडीआरएन पुस्तिकाओं, प्रशिक्षण मॉड्यूल, आपदा प्रबंधन के विभिन्न विषयों पर पुस्तकों और सरकारी कामकाज की नियमित मदों के अनुवाद में सक्रिय रूप से संलग्न रहा है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
हिन्दी पखवाड़े 2023 के अवसर पर

हिन्दी पखवाड़े 2023 के अवसर पर
06 सितंबर 2023, सुबह 11:00 बजे, एनआईडीएम परिसर में
मुख्य अतिथि का हार्दिक अभिनंदन
श्री निरंजन कुमार

*****

अध्याय 3
प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षण कार्यक्रम

आपदा प्रबंधन में संलग्न पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण पर जोर देना संस्थान के प्रमुख प्रयासों में से एक रहा है। इस प्रयास के रूप में, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में विभिन्न क्षमता निर्माण मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) द्वारा नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की विधि के आधार पर कार्यक्रम को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है:

i. आमने–सामने प्रशिक्षण

ii. वेबिनार/ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

iii. स्व–अध्ययन

iv. विमर्श/कार्यशालाएं आदि

एनआईडीएम, कार्यक्रमों के संचालन की निरंतरता बनाए रखने और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 द्वारा सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन के लिए, अपने कार्यों में ऑनलाइन मोड में कार्यक्रमों के संचालन की पद्धति को जोड़ा है। इन कार्यक्रमों को वेबिनार और ई–प्रशिक्षण कार्यक्रम कहा गया है। संस्थान ने नवंबर 2021 से वेबिनार और ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ–साथ अपने आमने–सामने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को फिर से आरंभ कर दिया है।

एनआईडीएम आपदा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है, एनआईडीएम सरकारी अधिकारियों, नागरिक समाज से जुड़े संगठनों (आपदा प्रबंधन पेशेवरों), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, शिक्षाविदों तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों (सरकारी विभागों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय स्वंय सेवी संगठनों) को प्रशिक्षण प्रदान करता है ।

3.1 उद्देश्य

एनआईडीएम का प्राथमिक उद्देश्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) को मुख्य धारा में लाने के लिए नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के विषय में आवश्यक कौशल प्रदान करना है। आपदा प्रबंधन कर्मियों और अन्य पेशेवरों, जो आपदा और विकास गतिविधियों में लगे हुए हैं, को केंद्रीकृत और उपयुक्त प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए, एनआईडीएम के प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ तैयार किए गए हैं:

- प्रभावी कार्यक्रम नियोजन और कार्यान्वयन के लिए जागरुकता पैदा करना, कौशल में सुधार करना और विकास प्राधिकारियों के ज्ञान को समृद्ध करना;
- सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में आपदा प्रबंधन क्षेत्र में उभरती जरूरतों के प्रति केंद्र, राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के विकास विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को संवेदनशील बनाना;
- परिचय दौरों, मामलों के अध्ययन और विकासात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से विकास कर्मियों के दृष्टिकोण में बदलाव लाना ।

3.2 प्रशिक्षण कार्यक्रम

एनआईडीएम द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उपलब्ध कराने की विधि, लक्षित समूह एवं विषय-वस्तु के आधार पर वर्गीकृत की गई है।

3.2.1 वेबिनार/ऑनलाइन प्रशिक्षण/आमने-सामने कार्यक्रम

संस्थान अपने परिसर अथवा राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई)/राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में आमने-सामने प्रशिक्षण पद्धति के माध्यम से व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करता है। आपदा प्रबंधन के लगभग सभी पहलुओं को शैक्षणिक प्रभागों के विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कवर किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, 55 वेबिनार आयोजित किए गए और जिनमें 7101 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, 09 तीन दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें 1987 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। 117 आमने-सामने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 6204 प्रतिभागी शामिल हुए।

तालिका 3.1: वर्ष 2023–24 के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

वेबिनार		ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम		आमने-सामने कार्यक्रम	
कुल वेबिनार की संख्या	कुल प्रतिभागियों की संख्या	कुल ऑनलाइन कार्यक्रम	कुल प्रतिभागियों की संख्या	कुल कार्यक्रमों की संख्या	कुल प्रतिभागियों की संख्या
55	7101	09	1987	117	6204

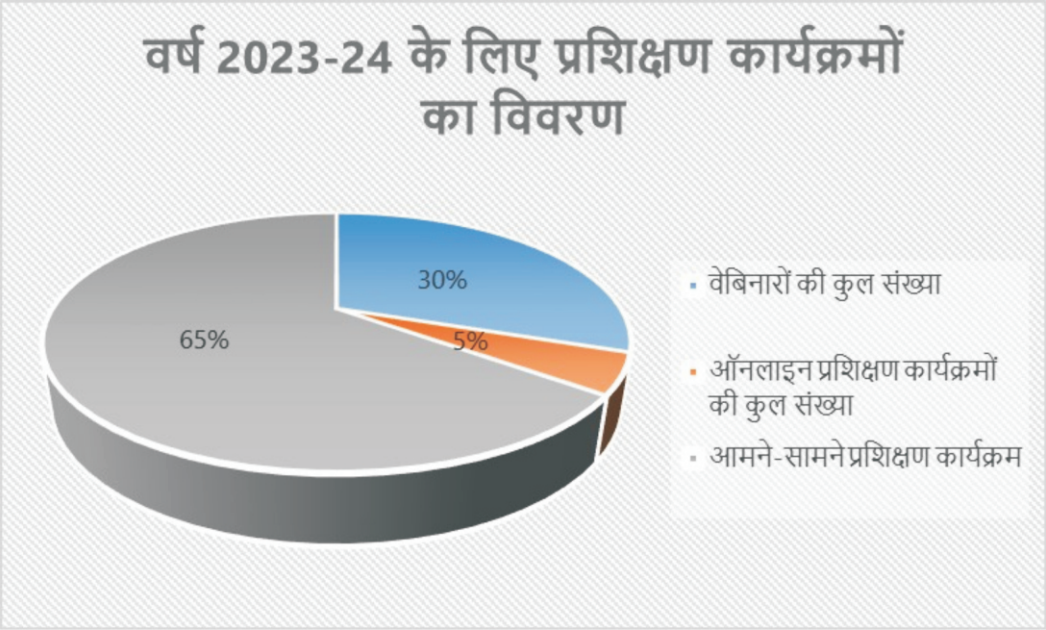

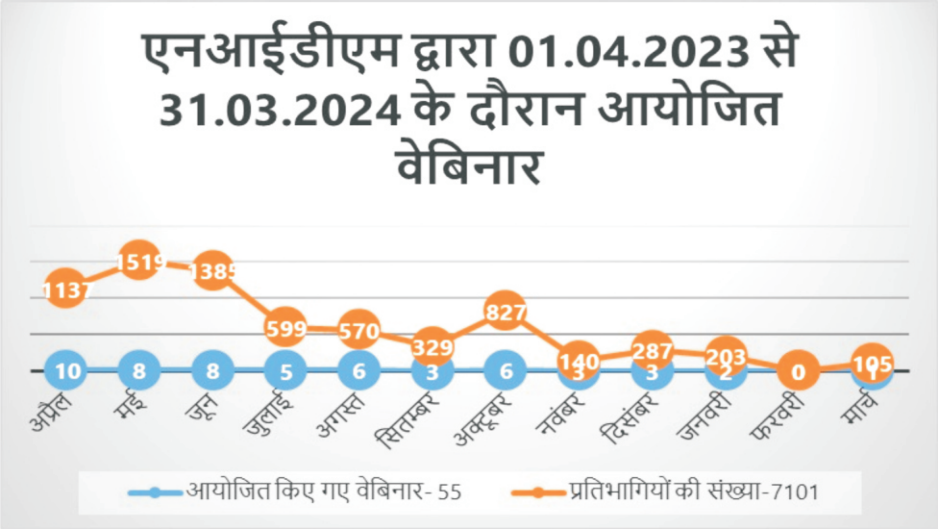

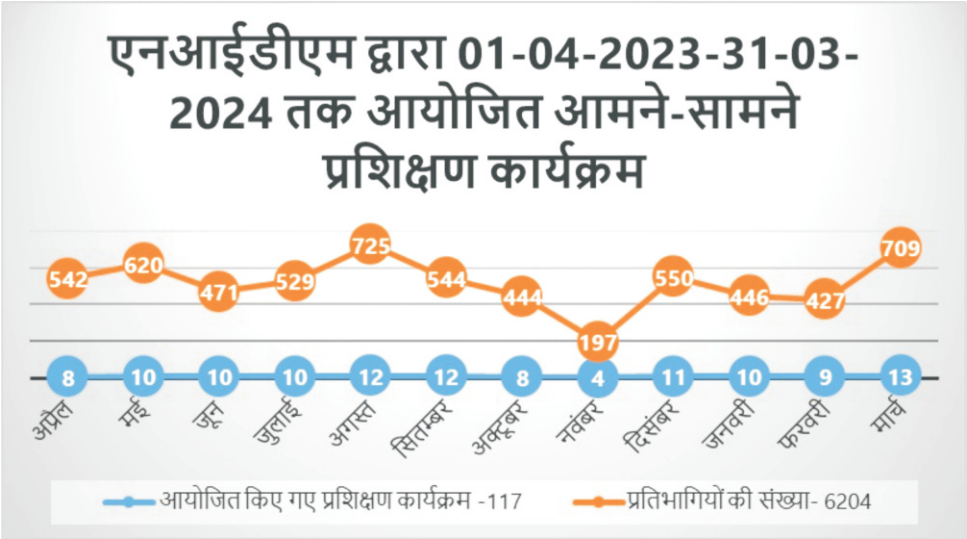

3.3 प्रशिक्षण विधि

उपलब्ध कराये जा रहे विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और साथ ही कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रशिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्रशिक्षण विधियों में शामिल हैं:

- व्याख्यान सह–विचार–विमर्श
- केस स्टडी प्रस्तुतीकरण
- कार्य का अभ्यास

- सामूहिक वाद-विवाद/अभ्यास
- पैनल चर्चा
- अनुकरण एवं भूमिका निर्वहन
- टेबल टॉप अभ्यास

3.4 प्रतिभागियों का विवरण

चूंकि एनआईडीएम प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आपदा प्रबंधन में लगे विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को शामिल किया गया है अतः प्रशिक्षुओं की प्रोफाइल को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है;

- सरकारी कर्मचारी (केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर के अधिकारी);
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू);
- शिक्षाविद् (शोधकर्ता, वैज्ञानिक, स्कूल शिक्षक एवं विश्वविद्यालय संकाय);
- ज्ञान भागीदार संस्थान;
- अंतर्राष्ट्रीय भागीदार (सरकारी विभाग, यूएन एजेंसियां,आईएनजीओ);
- अवसंरचना व्यवसायिक (इंजीनियर, वास्तुकार, निर्माण एजेंसियां आदि);
- नागरिक समाज संगठन (आपदा प्रबंधन व्यवसायिक)

3.5 ई-लर्निंग

3.5.1 ऑनलाइन पाठ्यक्रम

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विभिन्न विषयों पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। इसका उद्देश्य यह है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्रों में सभी हितधारकों के बीच विश्लेषणात्मक कौशल और पेशेवर दक्षता को बढ़ावा देकर सभी स्तरों पर जागरूकता और तैयारी के स्तर को बेहतर किया जा सके। ई-लर्निंग कार्यक्रम एक अद्वितीय क्षमता निर्माण पहल है, जो मूडल (MOODLE)- आधारित वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके पारस्परिक संवाद के माध्यम से ज्ञान अर्जित करने में सहायक है। विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रम, प्रतिभागियों को एक सामान्य चर्चा मंच पर अपने मत, विचार एवं जानकारी वैश्विक स्तर पर साझा करने में सक्षम बनाते हैं। यह कार्यक्रम प्रख्यात विषय विशेषज्ञों के साथ ऑनलाइन बातचीत करने और पेशेवरों के मार्गदर्शन में पाठ्यक्रम/विषयों के विभिन्न पहलुओं को सीखने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। संबंधित पाठ्यक्रमों में शामिल होने वाले प्रतिभागियों के ज्ञान स्तर को 'पाठ्यक्रम कार्यों के मूल्यांकन' और 'पाठ्यक्रम परियोजना के समापन' जैसे निर्धारित मापदंडों के आधार पर आंका जाता है, जिसके बाद उन्हें सफल घोषित किया जाता है और एनआईडीएम द्वारा जारी ''पाठ्यक्रम पूर्णता प्रमाणपत्र'' से सम्मानित किया जाता है।

कुल मिलाकर, एक समर्पित पोर्टल http://elearning.nidm.gov.in के माध्यम से 10 ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनमें से ''व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन ढांचा'' बुनियादी पाठ्यक्रम है, जो आपदा प्रबंधन की मूलभूत अवधारणाओं

और अनुप्रयोगों पर जानकारी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित 9 ''विषयगत पाठ्यक्रम'' भी प्रतिभागियों को उपलब्ध कराए जाते हैं–

I. समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन (सीबीडीआरएम);

II. भूकंप जोखिम न्यूनीकरण (ईआरआर);

III. जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम (सीसीडीआर);

IV. क्षति एवं पुनर्निर्माण की आवश्यकता का आकलन (डीआरएनए);

V. आपदा रिकवरी एवं पुनर्निर्माण के लैंगिक पहलू (जीएडीआरआर);

VI. जोखिम संवेदनशील भूमि उपयोग योजना (आरएसएलयूपी);

VII. जोखिम पहचान, आकलन और विश्लेषण (आरए);

VIII. सुरक्षित शहर (एससी);

IX. आपदाओं के आर्थिक प्रभावों के प्रबंधन के लिए वित्तीय रणनीतियाँ (एफए)

व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क (बेसिक) पाठ्यक्रम की अवधि छह सप्ताह (1.5 महीने) है, और विषयगत पाठ्यक्रमों के लिए, यह चार सप्ताह (एक महीना) है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम पोर्टल पर 13/05/2024 तक विजिटर्स की संख्या 1,08,358 है। पाठ्यक्रम सामग्री पंजीकृत प्रतिभागियों के लिए उनके संबंधित पाठ्यक्रम प्लेटफार्म पर आसानी से उपलब्ध हैं, जिसे ऑफ लाइन संदर्भ के लिए भी डाउनलोड किया जा सकता है।

शैक्षणिक वर्ष 2023–24 में, नीचे दी गई तालिका में बताए अनुसार कुल 18 ऑनलाइन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 353 प्रतिभागियों ने अपने संबंधित पाठ्यक्रमों में भाग लिया।

क्रमांक	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम संख्या
1.	व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन ढांचा	4
2.	समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन	1
3.	भूकंप जोखिम न्यूनीकरण	1
4.	जलवायु परिवर्तन एवं आपदा जोखिम प्रबंधन	1
5.	क्षति और पुनर्निर्माण की आवश्यकता का आकलन	2
6.	आपदा रिकवरी और पुनर्निर्माण के लैंगिक पहलू	2
7.	जोखिम संवेदनशील भूमि उपयोग योजना	2
8.	जोखिम पहचान, आकलन और विश्लेषण	2
9.	सुरक्षित शहर	1
10.	आपदाओं के आर्थिक प्रभावों के प्रबंधन के लिए वित्तीय रणनीतियाँ	2
	कुल	**18**

कोविड काल के पश्चात, आपदा संबंधी ज्ञान प्रदान करने के लिए एनआईडीएम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने हेतु ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को और विकसित करने का प्रयास कर रहा है।

3.5.2 स्व अध्ययन कार्यक्रम

एनआईडीएम का स्व–अध्ययन कार्यक्रम (एसएसपी) ई–लर्निंग की एक स्व–गतिशील प्रणाली है जिसमें सभी संबंधित हितधारकों को बिना किसी समय और स्थान की सीमा के आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को अपनी गति से सीखने के लिए प्रोत्साहन और सुविधा प्रदान की जाती है। उपयोगकर्ता बिना किसी मानवीय सहायता के प्रस्तावित विषयों पर स्वत: ज्ञान प्राप्त करने के लिए पोर्टल https://ssp.nidm.gov.in/ में लॉग इन कर सकते हैं। एनआईडीएम का स्व–अध्ययन कार्यक्रम विभिन्न हितधारकों के ज्ञान को बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी साबित हुआ है।

एनआईडीएम द्वारा स्व–अध्ययन पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित 10 स्व अध्ययन मॉड्यूल पेश किए जा रहे हैं:

क्रमांक	स्व अध्ययन मॉडयूल
1.	आपदा प्रबंधन की मूल बातें
2.	समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन
3.	नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के लिए एक मार्गदर्शिका
4.	बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन का परिचय
5.	चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन का परिचय
6.	आपदा स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन का अवलोकल
7.	व्यापक भूस्खलन जोखिम प्रबंधन
8.	स्कूल सुरक्षा
9.	भूकंप जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन का परिचय
10.	औद्योगिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन का परिचय

3.6 इंटर्नशिप कार्यक्रम

हर वर्ष, एनआईडीएम को शैक्षणिक/शोध/प्रशिक्षण संस्थानों के छात्रों/शोधकर्ताओं से, विशेषकर गर्मी के महीने में, इंटर्नशिप के लिए अनुरोध प्राप्त होते हैं। इंटर्नशिप के उद्देश्य हैं:–

- संबंधित विषय में स्नातक/स्नातकोत्तर करने वाले इच्छुक व पात्र उम्मीदवारों को समग्र आपदा प्रबंधन प्रणाली और इसके विभिन्न पहलुओं की जानकारी देना ।
- विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के छात्रों को आपदा प्रबंधन प्रक्रिया, प्रशिक्षण और शोध में व्यवहारिक अनुभव लेने में मदद करना।

- छात्रों को उनके कौशल के परीक्षण के लिए नवाचार और नए विचारों तथा तकनीकों को शामिल करने का पर्याप्त अवसर देना।
- औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के माध्यम से विभिन्न विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, व्यवसायिक संस्थानों को एनआईडीएम और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों की जानकारी देना।
- एनआईडीएम में इंटर्नशिप प्रक्रिया को इस उद्देश्य के लिए तैयार और स्वीकृत नीति के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया है। इंटर्नशिप के लिए आवेदन खुले विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं, जिसके बाद बहुस्तरीय चयन प्रक्रिया का पालन किया जाता है।
- कार्योन्मुख अनुसंधान कार्य करने के लिए पूरे भारत के संस्थानों और विश्वविद्यालयों के विभिन्न विषयों से प्रशिक्षुओं का चयन किया जाता है।
- वर्ष 2023–24 में कुल 23 इंटर्न नियमित इंटर्नशिप (गैर–भुगतान) कार्यक्रम में शामिल हुए।

*****

अध्याय 4
परियोजनाएं

परियोजनाएं

4.1 राष्ट्रीय पर्यावरण वन और जलवायु आपदा प्रबंधन योजना (एनईएफसी–डीएमपी)

एनआईडीएम आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 के तहत वैधानिक अधिदेश का उपयोग करके पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने में सहयोग कर रहा है।

परियोजना के मुख्य उद्देश्य:

क) मंत्रालय और उसके विभागों/प्रतिष्ठानों के तहत बुनियादी ढांचे, परिसंपत्तियों, संपत्ति और संसाधनों की आपदाओं और चरम घटनाओं से सुरक्षा सुनिश्चित करना,

ख) यह सुनिश्चित करना कि गतिविधियां (जिसमें भौतिक विकास और प्रणालीबद्ध अभ्यास/संचालन आदि शामिल हैं) आपदा के लिए खतरों, जोखिमों, और कमजोरियों को बढ़ावा न दें।

ग) यह सुनिश्चित करना कि मंत्रालय/क्षेत्र के तहत संचालित गतिविधियां/कार्यक्रम और योजना आपदाओं और चरम घटनाओं के जोखिम के प्रति समुत्थानशीलता बढ़ाएं, और

घ) यह सुनिश्चित करना कि मंत्रालय और संबद्ध क्षेत्र और घटक सभी स्तरों पर किसी भी आपदा या आपात स्थिति से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार हैं।

परियोजना में शामिल गतिविधियाँ:

- खतरा जोखिम संवेदनशीलता क्षमता विश्लेटाण (एचआरवीसीए) कार्यशालाओं का आयोजन;
- क्षेत्रीय परामर्श कार्यशालाओं का आयोजन;
- कार्य समूह की बैठकों का आयोजन;
- साझा/प्रसार कार्यशाला (आधा दिन);
- क्षमता निर्माण कार्यशाला (2 दिन); तथा
- प्रशिक्षण मैनुअल और विषयगत पेपर तैयार करना।

अब तक प्रदेय:

- एनईएफसी–डीएमपी अंतिम रूप से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सौंप दिया गया है।

वित्त पोषण एजेंसी: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार

4.2 आयुष मंत्रालय, भारत सरकार का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (आयुष–डीएमपी)

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार का आयुष–डीएमपी प्रोजेक्ट एक महत्वपूर्ण पहल है जिसे एनआईडीएम अपने ईआरएमडी के माध्यम से लागू कर रहा है।

परियोजना के मुख्य उद्देश्य

यह परियोजना आयुष मंत्रालय की आपदा तैयारियों को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है, और एनआईडीएम इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

परियोजना की प्रस्तुतियाँ:

- आयुष मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना: यह योजना भारत में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, और होम्योपैथी चिकित्सा प्रणालियों के लिए आपदा तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्निर्माण के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करेगी।
- आयुष–डीएमपी के प्रयोजन में मदद करने वाले प्रशिक्षण मैनुअल: प्रशिक्षण मैनुअल आपदा के स्थिति में आयुष–डीएमपी को कैसे लागू किया जाए, इस पर मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इसमें भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ, प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल, और आपदा प्रबंधन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी शामिल होगी।

ये उपलब्धियां आयुष मंत्रालय की आपदा तैयारियों को बेहतर बनाने तथा संकट के समय इन चिकित्सा प्रणालियों पर निर्भर लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने में सहायक होंगी।

परियोजना के तहत 01.04.2023 और 31.03.2024 के बीच की गतिविधियाँ

परियोजना के तहत 26 अप्रैल, 2023 को आयुष मंत्रालय के विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक स्थिति समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें आयुष–आपदा प्रबंधन योजना (आयुष–डीएमीपी) के मसौदे की समीक्षा की गई।

वित्तपोषण एजेंसी: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार

4.3 आपदा और स्वास्थ्य केंद्र (सीडीएच), आपदा संबंधी स्वास्थ्य मुद्दों पर उत्कृष्ट केंद्र

आपदा एवं स्वास्थ्य केंद्र (सीडीएच) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) में स्थापित एक उत्कृष्टता केंद्र है जो आपदा से संबंधित मानव स्वास्थ्य मुद्दों पर केंद्रित है। इसने जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपदाओं से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति भारत की तैयारियों और समुत्थानशीलता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

सीडीएच ने सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्रियों की एक श्रृंखला भी विकसित की है जिसमें पोस्टर, वीडियो, जीआईएफ, और वे वीडियो शामिल हैं जो, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, अस्पताल के मजबूत बुनियादी ढांचेऔर आपदा तैयारी जैसे विषयों को कवर करते हैं।

प्रोजेक्ट की प्रस्तुतियाँ:

सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री जिसमें आपदा जोखिम में कमी, अस्पताल के बुनियादी ढांचे की मजबूती और आपदा तैयारी जैसे प्रमुख आपदा-संबंधी मुद्दों पर पोस्टर, वीडियो, जीआईएफ और वीडियो शामिल हैं।

विषयगत पत्र जो इस बारे में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि भारत में अस्पताल किस प्रकार आपदाओं के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं और उनका सामना कर सकते हैं, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपदाओं के लिए, जिसका शीर्षक है 'आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रति अस्पताल अवसंरचना की मजबूती'।

01/04/2023 से 31/03/2024 तक की प्रस्तुतियाँ:

21 अप्रैल, 2023 को ''हीट वेव्स-स्थानीय कार्रवाई: स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा'' शीर्षक से एक जागरूकता वेबिनार आयोजित किया गया। वेबिनार का उद्देश्य प्रतिभागियों को हीट वेव्स से उत्पन्न खतरों और जोखिमों के बारे में शिक्षित करना और उनके प्रभाव को कम करने की रणनीतियों पर चर्चा करना था।

बीपीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर वीमेन, खानपुर कलां, सोनीपत में सामुदायिक चिकित्सा विभाग के सहयोग से 27 अक्टूबर, 2023 को एक संयुक्त एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का शीर्षक था ''आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए स्वास्थ्य प्रणाली की प्रतिरोधकता को मजबूत करना'', जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणालियों की समुत्थानशीलता बढ़ाना था। इसका उद्देश्य चिकित्सा पेशेवरों को प्रभावी आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए व्यापक रणनीतियों से सुसज्जित करना था।

16 जनवरी, 2024 को ''सर्दी से बचाव: ठंड के मौसम में व्यक्तिगत सुरक्षा रणनीतियाँ'' शीर्षक से एक विशेष जन जागरूकता वेबिनार आयोजित किया गया। वेबिनार का उद्देश्य शीतलहर से स्वास्थ्य का बचाव सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी व्यक्तिगत सुरक्षा रणनीतियों पर लोगों को शिक्षित करना था।

30 जनवरी 2024 को ''व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षा और आपातकालीन तैयारी'' पर ओरिएंटेशन कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में अपने कर्मचारियों की भलाई को प्राथमिकता देने और लगातार विकसित हो रहे परिदृश्य में उभरती स्वास्थ्य चुनौतियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने की क्षमता बढ़ाने के लिए एनआईडीएम की प्रतिबद्धता को दर्शाया गया।

वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल के सामुदायिक चिकित्सा विभाग द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के सहयोग से 21–23 फरवरी, 2024 तक ''जनस्वास्थ्य आपातकालीन प्रबंधन और आपदा तैयारी: महामारी विज्ञान, प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली समुत्थानशीलता'' शीर्षक से एक संयुक्त तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रतिभागियों को जनस्वास्थ्य आपात स्थितियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और स्वास्थ्य प्रणाली की प्रतिरोधकता को बढ़ाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करना था।

4.4 राष्ट्रीय रसायन और पेट्रो रसायन आपदा प्रबंधन योजना (एनसीपीसी–डीएमपी)

रासायनिक और पेट्रोरसायन उद्योगों के तेजी से विकास के कारण हाल के वर्षों में रासायनिक और पेट्रोरसायन खतरों की आवृत्ति और गंभीरता में वृद्धि हुई है। आपदाओं और मौसम की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए भारत के रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र की समुत्थानशीलता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एनआईडीएम अपने ईसीडीआरएम प्रभाग के माध्यम से रसायन और पेट्रोरसायन विभाग (डीसीपीसी), रसायन और उर्वरक मंत्रालय (एमसीएंडएफ), भारत सरकर के लिए 'राष्ट्रीय रसायन और पेट्रोरसायन आपदा प्रबंधन योजना (एनसीपीसी–डीएमपी) की तैयारी में सहायता कर रहा है।'

परियोजना के मुख्य उद्देश्य:

क) आपदाओं और चरमघटनाओं से विभागों/प्रतिष्ठानों के तहत बुनियादी ढांचे, परिसंपत्तियों, संपत्ति और संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना,

ख) यह सुनिश्चित करना कि गतिविधियाँ (भौतिक विकास और व्यवस्थितप्रथाओं/संचालनसहित) आपदाओं के जोखिमों और कमजोरियों को न बढ़ाएँ,

ग) ऐसा सुनिश्चित करना कि गतिविधियाँ/कार्यक्रम और योजनाएं आपदा और व्यापक विनाश के खतरे के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा दें, और

घ) ऐसा सुनिश्चित करना कि विभाग और संबंधित क्षेत्र और तत्व सभी स्तरों पर किसी भी आपदा या आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हों।

अद्यतन गतिविधियाँ

- 29 अगस्त 2022 को एनडीएमए के समक्ष एनसीपीसी–डीएमपी के अंतिम मसौदे पर एक प्रस्तुति दी गई।
- एनडीएमए की टिप्पणियों के अनुसार डीएमपी के मसौदे को संशोधित किया गया और अंतिम अनुमोदन प्राप्त करने के लिए 12 जनवरी 2023 को एनडीएमए के समक्ष योजना पुन: प्रस्तुत की गई।

वित्त पोषण एजेंसी: रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग (डीसीपीसी), रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार।

4.5 बहु–जोखिम पर्यावरण में समुत्थानशीलता और सतत् विकास के लिए जलवायु अनुकूल योजना (सीएपी–आरईएस)

इस परियोजना का उद्देश्य विशेष रूप से भारतीय हिमालय क्षेत्र (उत्तर–पूर्व का विशेष संदर्भ), तटीय क्षेत्र और मध्य–पश्चिमी क्षेत्रों में संबंधित संस्थानों और प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा व्यापक उपयोग के लिए ज्ञान और प्रशिक्षण सहायता प्रणाली सहित क्षमता निर्माण को विकसित करना और कार्यान्वित करना है। परियोजना के 5 प्रमुख विषय हैं: (ए) हरित विकास और आपदा जोखिम

में कमी; (बी) समुत्थानशील कृषि; (सी) समुत्थानशील स्वास्थ्यय (डी) आपदा राहत और रिकवरी के दौरान जलवायु रोधन; और (ई) आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए पर्यावरण नीति।

परियोजना के मुख्य उद्देश्य:

i. आपदा समुत्थानशीलता के लिए चरम घटनाओं और जलवायु जोखिम प्रबंधन के संबंध में वैज्ञानिक नीति–नियोजन–अभ्यास इंटरफेस का विश्लेषण करना।

ii. ज्ञान एवं क्षमता अंतराल का आकलन करना

iii. ज्ञान संग्रह के रूप में केस स्टडीज और सर्वोत्तम प्रथाओं का दस्तावेजीकरण और संकलन करना

iv. कमियों और चुनौतियों को दूर करने के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन को जलवायु क्रियाकलापों के साथ या इसके विपरीत, ज्ञान साझा करने वाले मंचों, नीति संक्षेपों, पत्रिकाओं एवं लेखों के माध्यम से नीतियों का विश्लेषण एवं प्रयोग का समर्थन और प्रचार करना

v. क्षमता अंतराल विश्लेषण और ज्ञान आधारित संग्रह के परिणाम का उपयोग करके प्रशिक्षण रणनीति और डिजाइन, प्रशिक्षण मॉड्यूल, निर्देश मैनुअल, संदर्भ पठन सहित प्रशिक्षण क्षमता निर्माण के लिए टूलकिट विकसित करना, और

vi. महत्वपूर्ण व्यक्तियों, जैसे नीति निर्माताओं, प्रशिक्षकों और शोधकर्ताओं की ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण की क्षमता को विशेष तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ाना।

अद्यतन गतिविधियाँ

- **प्रकाशित पुस्तक:**

(i) जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय प्रभाव: अतीत, वर्तमान एवं भविष्य का

परिप्रेक्ष्य

- **प्रकाशित पुस्तक अध्याय:**

(i) पर्यावरण एवं स्थिरता रणनीतियों के लिए सार्वजनिक नीति: वैश्विक और राष्ट्रीय परिदृश्य (ii) भारत की स्वास्थ्य अनुकूलन योजना: आपदा संबंधी नुकसान और क्षति को कम करने के रणनीतिक उपायय (iii) ''क्षेत्रीय योजना के माध्यम से जलवायु संबंधी जोखिमों का समाधान: राष्ट्रीय कृषि आपदा प्रबंधन योजना (एनएडीएमपी) का एक अध्ययन; (iv) जल–मौसम संबंधी चरम घटनाएँ और आपदाएँ: एकीकृत जोखिम, निवारण एवं स्थिरता; (v) राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु वित्त: आवश्यकताएँ, प्रेरक तत्व एवं स्रोत; और (vi) भारत में नीतियों और योजनाओं के माध्यम से जलवायु–स्मार्टकृषि को बढ़ावा: सामयिक एवं रणनीतिक अवलोकन

- **आयोजित की गई सम्मेलन/कार्यशालाएं:**

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अनुकूलन, लचीलापन और स्थिरता ज्ञान नेटवर्क पर उच्च स्तरीय परामर्श कार्यशाला 18 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) भारत सरकार के सहयोग से आयोजित की गई थी।

- **प्रकाशित पेपर**

(i) भारत में नीतियों और योजनाओं के माध्यम से जलवायु-स्मार्ट कृषि को प्रोत्साहन: सामयिक और रणनीतिक अवलोकन; (ii) भारतीय शहरों में अत्यधिक वर्षा पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव: अस्थायी विश्लेषण (iii) वायुमंडलीय प्रक्रियाओं और घटनाओं में चरम सीमाओं का परिचय: मूल्यांकन, प्रभाव और शमन

वित्तीय एजेंसी: भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी)

नोट: यह परियोजना अगस्त 2023 में पूर्ण हुई ।

4.6. एनआईडीएम-यूनिसेफ: डीआरआर और टूलकिट (आईईसी) तैयारी के लिए सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार प्रशिक्षण पैकेज

व्यवहार परिवर्तन को लंबे समय से आपदा तैयारी और विकास हस्तक्षेपों के केंद्रीय उद्देश्य के रूप में मान्यता दी गई है।जब व्यक्ति और समुदाय अपने निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में आपदा तैयारी और जोखिम न्यूनीकरण प्रथाओं को अपनाते हैं, तो उनकी समुत्थानशीलता बढ़ जाती है। इससे उन्हें बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने, लगातार कमजोरियों को कम करने और सुरक्षा में सुधार करने में मदद मिलती है। इसमें सहयोग करने के लिए, एनआईडीएम और यूनिसेफ ने सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार (एसबीसीसी) में सरकारी अधिकारियों और प्रमुख हितधारकों की क्षमताओं और कौशल को बढ़ाने के लिए भागीदारी की है ताकि आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) के सामाजिक और व्यवहारिक आयामों को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सके।

इस साझेदारी का समग्र उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर सेवा प्रदाताओं को सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन के महत्व और मूल सिद्धांतों को समझने के लिए सशक्त बनाना है। इसका लक्ष्य उन्हें यह क्षमता प्रदान करना है कि वे आपदा जोखिम प्रबंधन के सभी पहलुओं, जिसमें रोकथाम, शमन, तैयारी, संकट प्रतिक्रिया, और पुनर्प्राप्ति शामिल हैं, के साथ सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार (एसबीसीसी) को एकीकृत कर सकें।

31.03.2024 तक मुख्य प्रस्तुतियां:

- एक डीआरआर संचार टूलकिट विकसित की गई है, जिसमें चक्रवात, बाढ़, भूकंप और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट जैसी विभिन्न आपात स्थितियों के लिए महत्वपूर्ण व्यवहार संदेश शामिल हैं। यह टूलकिट स्वास्थ्य, पोषण, धुलाई (जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य), शिक्षा और बाल संरक्षण सहित आवश्यक क्षेत्रों को कवर करती है। इसका पायलट परीक्षण दो राज्यों, उत्तर प्रदेश और असम में उनके संबंधित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के सहयोग से किया गया है।
- आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में तैयारियों के लिए क्रिएटिव तैयार किए जाएंगे और उन्हें प्रासंगिक बनाया जाएगा।

प्रमुख भागीदार: संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (यूनिसेफ)

4.7 एनआईडीएम-विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) परियोजना ''आपात स्थितियों में खाद्य और पोषण की आवश्यकताएं: भारत में आपातकालीन राहत, प्रतिक्रिया और तैयारी रणनीतियों में एकीकरण''

एनआईडीएम और डब्ल्यूएफपी ने प्राकृतिक आपदाओं और खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के बीच अंतर्संबंधों के महत्व को पहचाना

और सहमति व्यक्त की कि एनआईडीएम और डब्ल्यूएफपी ''आपात स्थितियों, तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए खाद्य और पोषण रणनीतियों'' के लिए दिशा–निर्देश और प्रशिक्षण पैकेज विकसित करने के लिए सहयोग करेंगे और भारत की आपदा प्रबंधन प्रतिक्रिया में खाद्य और पोषण सुरक्षा एजेंडे को मुख्यधारा में लाने के लिए सिफारिशों को आगे बढ़ाएंगे।

यह तीन चरणों में पूरा किया जाएगा, पहले चरण में अंतराल विश्लेषण और दिशा–निर्देशों और पाठ्यक्रम का विकास किया जाएगा, जबकि अंतिम चरण में संचालन की दिशा में कार्य किया जाएगा और दक्षिण–दक्षिण सहयोग के अवसरों का पता लगाया जाएगा। ये तीन चरण भारत में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं, मानकों और ढांचों के संदर्भ में वर्तमान रणनीतियों में अंतराल की पहचान करने, दिशा–निर्देश विकसित करने और भारत में क्षमता वृद्धि में योगदान देने और दक्षिण–दक्षिण सहयोग के तहत क्षेत्र में संभावित पैमाने को बढ़ाने के उद्देश्य से होंगे।

चरणों का वर्णन नीचे दिया गया है:

चरण I: भारत के ईपीआर पैकेज में खाद्य और पोषण रणनीतियों के एकीकरण के लिए राष्ट्रीय दिशा–निर्देशों और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का विकास।

चरण II: आपात स्थितियों में खाद्य और पोषण आवश्यकताओं के लिए क्षमता सुदृढ़ीकरण और प्रशिक्षण का समर्थन करना।

चरण III: अन्य देशों के लाभ के लिए आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया में खाद्य और पोषण पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के परामर्श का आयोजन।

4.8 आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए सतत् शहरी विकास में शहरों को सक्षम बनाना

एनआईडीएम और जीआईजेड ने सतत् शहरी विकास स्मार्ट सिटीज–II (एसयूडीएससी–II) परियोजना के तहत ''सतत् शहरी विकास के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पर शहरों को सक्षम बनाने'' पर एक परियोजना को लागू करने के लिए अनुदान समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसकी समय अवधि मार्च 2023 से अगस्त 2024 तक है।

परियोजना के मुख्य उद्देश्य:

- शहर नियोजन प्रक्रिया में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्यधारा में लाना।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ढाँचों (जैसे, सेंडाई ढाँचा) के आधार पर जलवायु प्रेरित आपदाओं (जैसे, बाढ़, चक्रवात, आग, आदि) के प्रति शहरों को समुत्थानशील बनाने के लिए एक रोड मैप/दिशानिर्देश तैयार करना।
- सहकर्मी नेटवर्क और ज्ञान विनिमय मंचों के माध्यम से ज्ञान विनिमय और अनुसंधान को सुविधाजनक बनाना और सहयोग करना।

परियोजना के अंतर्गत की गई गतिविधियाँ:

1. ''विकास योजनाओं में डीआरआर और सीसीए उपायों को मुख्यधारा में लाने के लिए नीति समर्थन'' पर अध्ययन।

- कोयंबटूर शहर के आपदा प्रतिरोधी शहरी विकास के लिए डीआरआर और सीसीए उपायों को शामिल करने के लिए मौजूदा नीतियों/दिशा–निर्देशों में कमियों की पहचान करना।

- आपदा प्रतिरोधी शहरों के विकास के लिए शहरी/शहर नियोजन में डीआरआर और सीसीए उपायों को मुख्यधारा में लाने के लिए चरणबद्ध मार्गदर्शिका विकसित करना।

2. ''बाढ़ जोखिम आकलन ढांचे का विकास और शहरों को प्रतिरोधात्मक बनाने के लिए रोडमैप'' पर अध्ययन।

- मणिकोंडा और गुवाहाटी, दो शहरों के लिए बाढ़ जोखिम आकलन ढांचा विकसित करना।
- शहरों को सुदृढ़ बनाने के लिए रोडमैप विकसित करना।

3. ज्ञान प्रबंधन

- ''आपदा के बाद की स्थितियों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन'' पर प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना
- नए विकसित मॉड्यूल (गतिविधियाँ 1 और 2) पर प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना।
- सिफारिशों के समावेशन के लिए रणनीतियों और निर्मित ज्ञान के संस्थागतकरण को सुगम बनाने पर एक परिणाम दस्तावेज
- अध्ययनों के आधार पर शैक्षिक सामग्री/ज्ञान उत्पादों का प्रकाशन
- राष्ट्रीय/राज्य/जिला/शहरी स्तर के हितधारकों के साथ प्रैक्टिशनर्स के समुदायों का समावेश (सीओपी)

रणनीतियों पर एक दस्तावेज तैयार करना

- अध्ययनों के आधार पर शैक्षणिक सामग्री/ज्ञान संसाधन का प्रकाशन
- राष्ट्रीय/राज्य/जिला/शहर स्तर के हितधारकों के साथ चिकित्सकों का समुदाय (सीओपी)।

4. क्षमता निर्माण

- आपदा के बाद की स्थितियों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर प्रशिक्षण आयोजित करना।
- संबंधित हितधारकों (कम से कम 2) के लिए नए विकसित मॉड्यूल (गतिविधियाँ 1 और 2) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

31/03/2024 तक की प्रस्तुतियां:

- ''शहरों को सुदृढ़ बनाने के लिए बाढ़ जोखिम आकलन ढांचा और कार्ययोजना के विकास'' पर अध्ययन का कार्य परामर्श संगठन को सौंपा गया है।
- ''आपदा के बाद की स्थितियों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन'' पर प्रशिक्षण मॉड्यूल पर आरंभिक रिपोर्ट जीआईजेड, भारत को प्रस्तुत की गई है।
- ''विकास योजना में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (सीसीए) उपायों को मुख्यधारा में लाने के लिए नीति समर्थन'' पर अध्ययन के लिए एक निविदा प्रक्रिया की गई है।

वित्तपोषण एजेंसी: डॉयचे गेसेलशाफ्ट फर इंटरनेशनल जुसामेनारबीट (जीआईजेड) जीएमबीएच

4.9 बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (सीसीडीआरआर), एनआईडीएम

सीसीडीआरआर केंद्र के बारे में

भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा विधिवत् अनुमोदित एनआईडीएम के बाल केंद्रित डीआरआर केंद्र को एनआईडीएम और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से बढ़ावा दिया गया है। यह केन्द्र वर्तमान में बाल रक्षा भारत (विश्व स्तर पर सेव द चिल्ड्रन के रूप में जाना जाता है) और चाइल्ड राइट्स एंड यू (क्राई) द्वारा समर्थित है। यह केंद्र कार्यशील है और एनआईडीएम दक्षिण परिसर में स्थित है। केंद्र का विशेष ध्यान बच्चों के लिए बहु-खतरा संवेदनशीलता/पहचान करने और ऐसे खतरों से बच्चों को बचाने के लिए जीरों टॉलरेंस की दिशा में हितधारकों की क्षमताओं को विकसित करने पर है। सीसीडीआरआर केंद्र राज्यों को उनके अधिकारियों को जोखिम सूचित प्रोग्रामिंग, जीवन चक्र तक पहुंच, स्कूल सुरक्षा, बाल अधिकार, बाल जोखिम प्रभाव आकलन के बारे में प्रशिक्षण देकर उनकी क्षमता निर्माण में सहायता कर रहा है और तद्नुसार बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्यधारा में लाने के लिए उनके नीति ढांचे को विकसित कर रहा है। सीसीडीआरआर केंद्र ने युवा और किशोरों के मुद्दों को शामिल करके अपने संचालन के क्षेत्र का विस्तार भी किया है।

4.9.1 सीसीडीआरआर केंद्र का उद्देश्य

राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर संस्थानों की क्षमता में वृद्धि करना है, ताकि बच्चों पर जलवायु परिवर्तन सहित आपदाओं के प्रभाव को रोकने, तैयारी करने और कम करने के लिए वर्तमान कार्यक्रमों और योजनाओं को समायोजित किया जा सके।

4.9.2 सीसीडीआरआर केन्द्र की गतिविधियां

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, अनुसंधान, नीति वकालत, परामर्श, नेटवर्किंग, भागीदारी, संसाधन जुटाना और नीति समर्थन बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण केंद्र के प्रमुख घटक हैं।

इसका मुख्य ध्यान देश में आपात स्थितियों और आपदा स्थितियों के लिए बच्चों और महिलाओं से संबंधित क्षेत्रीय मुद्दों (यानी आवश्यकता आकलन, योजना, निगरानी और मूल्यांकन, स्वास्थ्य, पोषण, अधिकार और संरक्षण, शिक्षाय जल, स्वच्छता और सफाई; लैंगिक समानता और सशक्तिकरण, विकलांगता समावेशिता, प्रारंभिक बचपन विकास, किशोरों और युवाओं की भागीदारी आदि) को मुख्यधारा में लाने पर है। सीसीडीआरआर केंद्र की गतिविधियों को बच्चों के लिए परिणामोन्मुख मौलिक प्रतिबद्धताओं (सीसीसी) को सामने लाने के लिए डिजाइन किया गया है।

प्रशिक्षण/कार्यशालाएं/वेबिनार

सीसीडीआरआर केंद्र ने प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम, वेबिनार, एक दिवसीय नीति कार्यशालाओं और तीन दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित 51 क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

निम्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए:

कार्यक्रम के प्रकार	कार्यक्रम की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	प्राप्त हुई रुचि की अभिव्यक्ति	विशेषज्ञों की संख्या
सीसीडीआरआर पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	11	521	616	41
डीआरएम और सीसीए में युवाओं और किशोरों को शामिल करने पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	6	346	440	22
आपदाओं और आपात स्थितियों में बाल संरक्षण और बाल अधिकारों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	9	505	584	39
गर्मी की लहरों (लू) में युवाओं के कार्य पर प्रशिक्षण कार्यक्रम: संवेदनशीलताओं को कम करना, क्षमताओं को बढ़ाना और सुदृढ़ता का निर्माण।	2	113	119	4
एनसीसी अधिकारियों के लिए पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम	1	48	54	6
एकदिवसीय नीतिगत कार्यशाला	6	329	379	53
वेबिनार	10	1558	1766	30
तीन दिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रम	6	2087	2435	31
कुल योग	**51**	**5507**	**6393**	**226**

प्रतिभागियों की संख्या

कार्यक्रम के प्रकार	कार्यक्रम की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	प्राप्त हुई रुचि की अभिव्यक्ति	विशेषज्ञों की संख्या
आमने–सामने प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	29	1533	1813	112
वेबिनार	10	1558	1766	30
एक दिवसीय नीति कार्यशाला	6	329	379	53
3 दिन का ऑनलाइन प्रशिक्षण	6	2087	2610	31
कुल	**51**	**5507**	**6568**	**226**

प्रशिक्षण में मील का पत्थर

- आपदाओं और आपात स्थितियों में बाल संरक्षण और बाल अधिकारों पर नया पाठ्यक्रम शुरू किया गया
- गर्मी की लहरों (लू) में युवाओं के कार्य पर प्रशिक्षण कार्यक्रम: संवेदनशीलताओं को कम करना, क्षमताओं को बढ़ाना और सुदृढ़ता का निर्माण करने पर नया पाठ्यक्रम पेश किया गया।
- एनआईडीएम दक्षिण परिसर में पहली बार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- एनआईडीएम दक्षिण परिसर में महिला अधिकारियों के लिए पहली बार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

फंडिंग एजेंसी: बाल रक्षा भारत (जिसे वैश्विक स्तर पर सेव द चिल्ड्रन के नाम से जाना जाता है) और चाइल्ड राइट्स एंड यू (सीआरवाई)।

प्रभाव:

सीसीडीआरआर को जोखिम में बच्चों के प्रति जीरों टॉलरेंस के दृष्टिकोण और मिशन के साथ उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। सीसीडीआरआर कार्यक्रमों के प्रभाव के रूप में, कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने स्कूल सुरक्षा सप्ताह मनाना शुरू कर दिया है। सीसीडीआरआर प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अपने बजट और डीओपीटी बजट के साथ आयोजित किए गए।

*****

अध्याय 5
ज्ञान प्रबंधन और जागरुकता गतिविधियाँ

ज्ञान प्रबंधन और जागरूकता गतिविधियाँ

5.1 भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन)

आईडीआरएन की शुरुआत गृह मंत्रालय द्वारा भारत सरकार–यूएनडीपी आपदा जोखिम प्रबंधन (डीआरएम) कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2003 में की गई थी। आईडीआरएन के राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) को वर्ष 2008 से आईडीआरएन की निगरानी और रख–रखाव का दायित्व सौंपा है। आइडीआरएन एक महत्वपूर्ण उपकरण है क्योंकि यह उपकरण, मानव संसाधन और महत्वपूर्ण आपूर्ति के संबंध में आवश्यक सूचना उपलब्ध कराता है, जो जिला स्तर पर संबद्ध विभागों और एजेंसियों के पास उपलब्ध है।

आईडीआरएन पोर्टल को https://idrn.nidm.gov.in पर स्थानांतरित कर दिया गया है और जून 2020 से इसे नए डिजाइन और संवादात्मक रूप के साथ पुनर्निर्मित किया गया है। नया आईडीआरएन वेब पोर्टल नवीनतम वेब तकनीकों और प्लेटफॉर्म स्वतंत्रता, जैसी सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है, जो समझने में आसान है। यह संवादात्मक, उपयोगकर्ताओं के अनुकूल, सुरक्षित और धीमे इंटरनेट कनेक्शन पर भी कार्य निष्पादन जैसी विशेषताओं से सुसज्जित है।

एनआईसी की भूमिका

आईडीआरएन की निगरानी और रखरखाव वर्तमान में एनआईडीएम द्वारा केंद्रीयकृत रूप से की जाती है। एनआईडीएम की भूमिका उपयोगकर्ता प्रशासक, विकास और तकनीकी रखरखाव, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता तक सीमित है। एनआईडीएम डेटा संग्रह या अद्यतनीकरण में शामिल नहीं है।

आई.डी.आर.एन कैसे कार्य करता है

राज्य प्राधिकारियों की भूमिका– राज्य राहत विभाग/आपदा प्रबंधन/एसडीएमए आईडीआरएन में आंकड़ों को अद्यतन करने के लिए डीएम/डीसी के साथ समन्वय करते हैं।

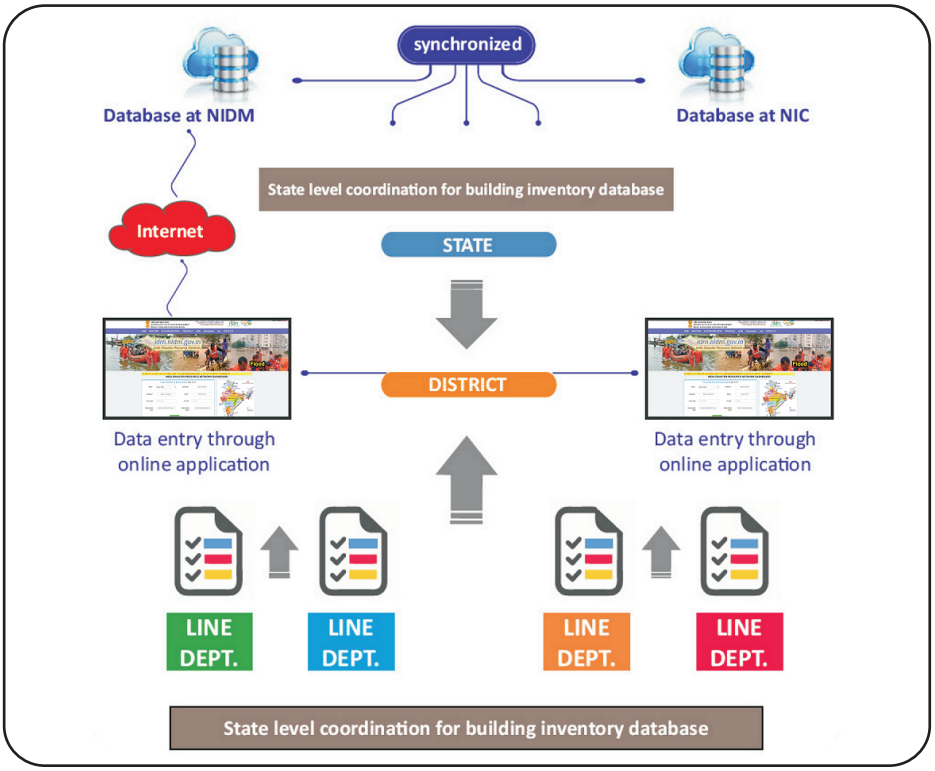

जिला प्राधिकारियों की भूमिका–

जिला स्तर पर आंकड़ों के संग्रह और उन्हें अद्यतन रूप देने के कार्य को सुगम बनाने के लिए जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट प्राधिकृत अधिकारी होते हैं। आंकड़ों के संग्रह का प्रारूप सभी सम्बद्ध विभागों और एजेंसियों को जिला प्रशासन द्वारा भेजना होता है और एक या दो सप्ताह में उसे एकत्र करना होता है। जिला सूचना विज्ञान अधिकारियों द्वारा तकनीकी सेवाओं का उपयोग करते हुए जिला स्तर पर आंकड़ों की प्रविष्टियां की जानी चाहिए ।

आईडीआरएन पोर्टल का उपयोग–

सभी उपलब्ध संसाधनों की अद्यतन जानकारी समय पर प्राप्त करने के लिए कोई भी, किसी भी आपात स्थिति के दौरान आईडीआरएन पोर्टल का उपयोग कर सकता है, जो किसी भी आपात स्थिति के दौरान जानमाल की क्षति और संपत्ति तथा अन्य बुनियादी ढांचे की क्षति को कम करने में अत्यंत सहायक होगा। आईडीआरएन पर संसाधन मदों की सूची देखने के लिए उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड की आवश्यकता नहीं है।

राज्य एवं जिला स्तरीय आईडीआरएन उपयोगकर्ता

राज्य स्तरीय उपयोगकर्ता– आईडीआरएन पोर्टल पर कुल 36 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पंजीकृत हैं

जिला स्तरीय उपयोगकर्ता– आईडीआरएन पोर्टल पर कुल 769 जिले पंजीकृत हैं

श्रेणियों की कुल संख्या– 36

वस्तुओं की कुल संख्या– 367

पिछले 6 वर्षों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दर्ज/अद्यतन किये गये आंकड़ों की संख्या

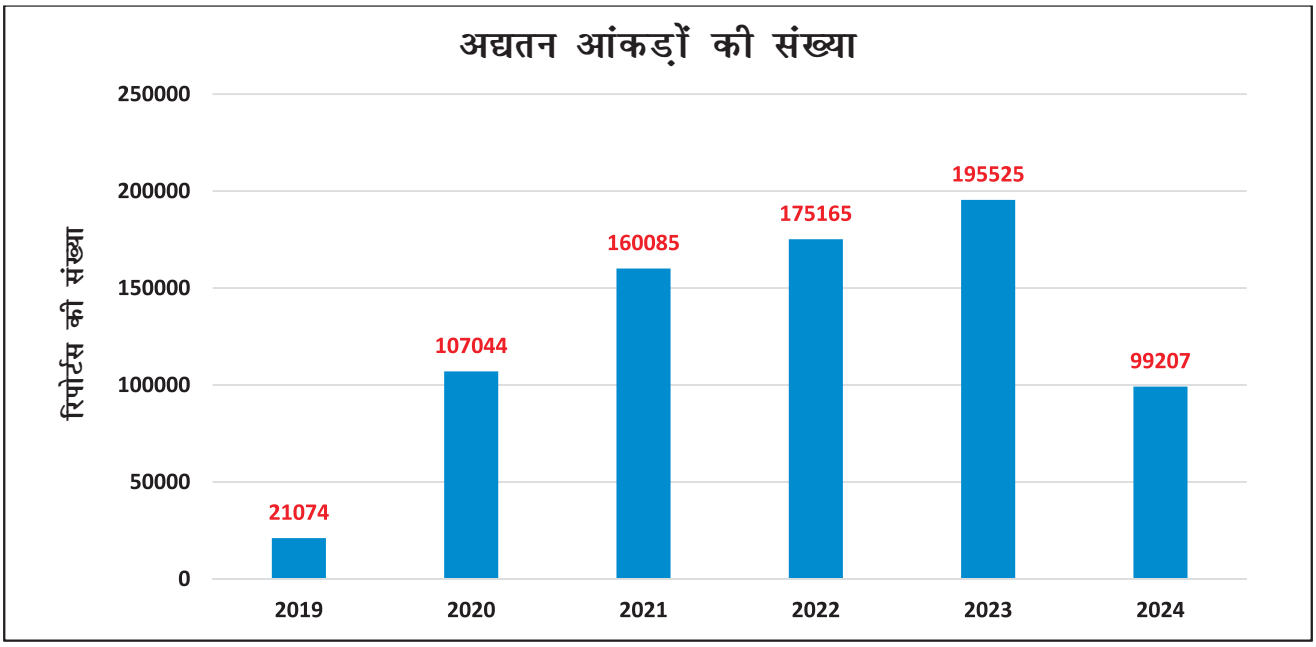

31 मार्च, 2024 तक के अद्यतन आंकड़े

जन संपर्क प्रयास

- राज्यों और जिलों से डेटा संग्रहण और नियमित अद्यतन की स्थिति में सहूलियत प्रदान करने के लिए त्रैमासिक पत्र राज्य के मुख्य सचिवों/राहत आयुक्तों और जिला अधिकारियों को भेजे जा रहे हैं।
- एनआईडीएम की आईडीआरएन टीम सातों दिन कार्यरत रहती है ताकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके।
- एनआईडीएम मासिक आधार पर एमएचए 2047 विजन दस्तावेज में आईडीआरएन डेटा की वर्तमान स्थिति को अद्यतन कर रहा है।
- माननीय गृह मंत्री द्वारा दृष्टि–2024 कार्य योजना एवं कार्यक्रम (2019–2024) की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को प्रेषित किए गए, जिसके तहत यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि आपदा के समय निजी संस्थानों / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) के स्थानीय संसाधनों को भी सक्रिय किया जाए। एनडीएमए, एनआईडीएम और गृह मंत्रालय द्वारा नियमित प्रयास किए जा रहे हैं ताकि आपातकालीन/आपदा स्थितियों में पीएसयू और निजी उद्योगों के स्थानीय संसाधनों को सक्रिय किया जा सके।

आईडीआरएन एपीआई

- एनआईडीएम ने एक नई आईडीआरएन एपीआई सेवा विकसित की है जो आपदाओं के दौरान आईडीआरएन डेटाबेस

को ऑनलाइन/ऑफलाइन मोड में एक्सेस करने के लिए उपयोगी एपीआई सेवाओं का समर्थन करेगी। इसका URL http://idrnapi.nidm.gov.in/swagger/ui/index पर उपलब्ध है।

- केरल ने राज्य में आईआरएस अधिकारियों के लिए बहु-खतरे प्रबंधन के लिए एक प्रशासनिक स्तर का ऐप तैयार किया है। यह ऐप सुनिश्चित करने के लिए है कि केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (केएसडीएमए) आईडीआरएन प्रारूप में एक ही मास्टर दस्तावेज रखे और यह सुनिश्चित करे कि सभी आईआरएस सूचीबद्ध अधिकारियों को एक ही जानकारी उपलब्ध हो।
- **नोट:** आईडीआरएन एपीआई, आईडीआरएन डेटाबेस से इनवेंटरी स्रोत मदों का अद्यतन डेटा उनके स्थानीय सर्वर पर उपलब्ध कराने में सहायता करता है। आईडीआरएन एपीआई जो राज्य/संघ शासित प्रदेशों के लिए आपदा प्रबंधन हेतु अपने स्वयं के संसाधन/सूची डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए उपलब्ध है। केरल, बिहार, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश राज्य पहले ही अपना स्वयं का विकास करने के लिए आईडीआरएन एपीआई का उपयोग कर चुके हैं।

5.2 एनआईडीएम प्रशिक्षु डाटाबेस

एनआईडीएम ने अधिकारियों और अन्य हितधारकों के लिए आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वेबिनार और ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आपदा तैयारी के लिए इन प्रशिक्षुओं का पता लगाने में सरकारों/हितधारकों की मदद करने के लिए इन प्रशिक्षणों, प्रशिक्षुओं और प्रतिभागियों का पूरा डेटाबेस ऑनलाइन उपलब्ध है। यह जानकारी एनआईडीएम की बेवसाइट URL: http://nidm.gov.in/trainee.asp पर भी 2009 से उपलब्ध है।

5.3 आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भारतीय विश्वविद्यालय और संस्थान नेटवर्क (आईयूआईएनडीआरआर-एनआईडीएम) की स्थापना एवं उद्देश्य

आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर माननीय प्रधानमंत्री के दस सूत्रीय एजेंडा 6 के अनुसरण में, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भारत के विश्वविद्यालयों और संस्थानों का नेटवर्क (आईयूआईएनडीआरआर-एनआईडीएम) की स्थापना 2021 में एनआईडीएम द्वारा की गई है। यह नेटवर्क जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (सीसीए), आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क (2015-2030) और सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) जैसी वैश्विक पहलों के साथ संरेखित है। वर्तमान में, आईयूआईएनडीआरआर- एनआईडीएम के देश भर में 290 से अधिक सदस्य हैं, जिनमें आईआईटी, आईआईएम, एनआईडी और आईआईआरएस जैसी प्रतिष्ठित संस्थान शामिल हैं।

मुख्य प्राप्य में शामिल हैं:

1. राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण अनुसंधान सुविधा के शुभारंभ में 3 प्रमुख घटक शामिल हैं:
   क. एनआईडीएम डॉक्टरेट फेलोशिप,
   ख. शोध अध्ययन/परियोजना, और
   ग. सर्वश्रेष्ठ थीसिस रैंकिंग

2. डीआरआर पर माननीय प्रधानमंत्री के 10–सूत्री एजेंडे के एजेंडा 3 के आधार पर आपदा जोखिम प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका पर सर्वोत्तम प्रथाओं के संग्रह का विमोचन
3. आईयूआईएनडीआरआर–एनआईडीएम के 5 सम्मानित सदस्यों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू)
4. यूजीसी ने आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए यूजीसी–नेट परीक्षा में आपदा प्रबंधन विषय को एकीकृत करने के आईयूआईएनडीआरआर–एनआईडीएम के प्रस्ताव को स्वीकार किया
5. कुल 4 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 2 राष्ट्रीय कार्यशालाएँ/सेमिनार, 2 राष्ट्रीय एफडीपी, 1 क्षेत्रीय और 4 राज्य स्तरीय एफडीपी का आयोजन किया गया। वर्ष के दौरान लगभग 1300 शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षित और जागरूक किया गया।
6. आईयूआईएनडीआरआर–एनआईडीएम के भविष्य के रोड मैप पर चर्चा करने के लिए 20 अक्टूबर, 2023 को आईयूआईएनडीआरआर–एनआईडीएम की दूसरी कार्यकारी समिति का आयोजन किया गया।

31/03/2024 तक की प्रस्तुतियां

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन

आईयूआईएनडीआरआर–एनआईडीएम ने 08 मार्च, 2024 को डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में 'DRR में महिला नेतृत्व' थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और शिक्षाविदों के प्रतिष्ठित सदस्यों ने इस अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के विशेष अवसर पर, आईयूआईएनडीआरआर–एनआईडीएम ने अपनी 3 पहलों का शुभारंभ किया, अर्थात

1. राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण अनुसंधान सुविधा
2. आपदा जोखिम प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका पर सर्वोत्तम प्रथाओं का संग्रह
3. राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर डीआरआर में विशेषज्ञों का मानचित्रण करने के लिए ज्ञान वर्टिकल

राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण अनुसंधान सुविधा

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में अनुसंधान को मजबूत और बढ़ावा देने के लिए, आईयूआईएनडीआरआर–एनआईडीएम ने राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण अनुसंधान सुविधा की स्थापना की है। यह केंद्र राज्य और जिला स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित प्रश्नों का समाधान नवीन अनुसंधान समाधानों के माध्यम से करेगा।

इस अनुसंधान केंद्र के तीन प्रमुख घटक हैं:

क) आपदा अध्ययन पर एनआईडीएम डॉक्टोरल फेलोशिप कार्यक्रम,

ख) आपदा प्रबंधन पर अनुसंधान परियोजना/अध्ययन: नवाचार और कार्य अनुसंधान, और

ग) सर्वश्रेष्ठ थीसिस रैंकिंग।

आपदा जोखिम प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका के सर्वोत्तम प्रथाओं का संग्रह

डीआरआर पर माननीय प्रधानमंत्री के 10 सूत्री एजेंडे के एजेंडा 3 के अनुसरण में, आईयूआईएनडीआरआर-एनआईडीएम ने डीआरआर के क्षेत्र में उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा किए गए प्रयासों को उजागर करने और मान्यता देने के लिए पूरे भारत में आपदा जोखिम प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका पर सर्वोत्तम प्रथाओं के एक संग्रह का अनावरण किया गया।

नॉलेज वर्टिकल पोर्टल

आईयूआईएनडीआरआर-एनआईडीएम ने देश भर में डीआरआर में विशेषज्ञों का एक समूह बनाने और मैप करने के लिए नॉलेज वर्टिकल पोर्टल लॉन्च किया, जिससे विभिन्न विषयों में सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य शिक्षाविदों और चिकित्सकों के बीच की खाई को पाटना है।

यूजीसी-नेट परीक्षा में आपदा प्रबंधन विषय का एकीकरण

उच्च शिक्षा संस्थानों में आपदा प्रबंधन को मुख्यधारा में लाने के लिए, आईयूआईएनडीआरआर-एनआईडीएम ने यूजीसी-नेट परीक्षा में आपदा प्रबंधन को शामिल करने का प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के समक्ष रखा। इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिल गई है।

समझौता ज्ञापन (एमओयू)

वित्त वर्ष 2023–24 में कई संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से सहयोग किया गया है। इनमें शामिल हैं:

1. कर्पगम एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन कोयंबटूर (10 जनवरी, 2024)
2. द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टेरी) (25 नवंबर, 2023)
3. इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स (आईसीई) (25 नवंबर, 2023)
4. आईआईएम बोधगया (13 अक्टूबर, 2023)
5. गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (04 अक्टूबर, 2023)

दूसरी कार्यकारी समिति (ईसी) की बैठक

आईयूआईएनडीआरआर–एनआईडीएम की दूसरी कार्यकारी समिति (ईसी) की बैठक 20 अक्टूबर, 2023 को इंडिया हैबिटेट सेंटर, दिल्ली में आयोजित की गई। कार्यकारी समिति ने ज्ञान कार्यक्षेत्र, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सभी तकनीकी विश्वविद्यालयों और संस्थानों में डीआरआर को एकीकृत करने के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार के विस्तार और सहयोगात्मक दृष्टिकोण की सिफारिश की।

अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय सम्मेलन

S.No.	Conference	Collaborating universities / institutes	No. of Participants
1.	Three days international Conference on Youth Empowerment for Epidemic and Natural Disaster Management 21-23 February, 2024	University of Madras, Chennai	150
2.	An international conference on "Safety Health Analytics-Driven Governance for Sustainable Development (SHADG 2024)" 29-30 January, 2024	IIT Kharagpur	241
3.	International Conference on Control Mission of Environment And Disaster Management: Role of Govt. & Non-Govt. Organizations (Icemedm-2023) 23-24 December, 2023	Dr. Br. Ambedkar Univ. Agra and Indian Academic of Science and Technology Society (IAST)	147
4.	Executive Workshop on Disaster Management in India "Business Continuity Cost Efficiency" 19-20 December, 2023	The Institution of Civil Engineers (India)	150
5.	Sensitization Programme on Disaster and Climate Change 16 May, 2023	University of Delhi	150
6.	A National Workshop on Preparedness and Resilience for Disaster Management and Health Emergency Scenarios (Empowering Future Healthcare Professionals: Classroom to Crisis) 27 September, 2023	PGIMER, Chandigarh & Society for Critical Care Nursing (SCCN)® PGIMER, Chandigarh, India	185
	Total		1023

राष्ट्रीय क्षेत्रीय एवं राज्य स्तरीय एफडीपी

S.no.	Type/Level of FDP	Total No. of FDPs	Total No. of Participants
1.	National	2	125
2.	Regional	1	60
3.	State	4	205
	Total	7	390

सूचना प्रसार

5.3.1 पुस्तकालय:

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का पुस्तकालय अपने संकाय/कर्मचारियों, भारत और विदेशों के शोधार्थियों, एनआईडीएम द्वारा आयोजित विभिन्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण/डिप्लोमा कार्यक्रमों के प्रतिभागियों और अन्य अतिथि संकाय और उपयोगकर्ता की सूचना प्राप्त करने सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन और शिक्षण केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है।

यह सबसे अच्छे संदर्भ पुस्तकालय और सूचना केंद्रों में से एक है, जिसमें आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में पुस्तकों, जिल्दबंद जर्नल्स, सरकारी रिपोर्टों, केस स्टडी और प्रकाशनों का विशाल भंडार है। संस्थान के पुस्तकालय के लिए ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग (ओपीएसी) लिंक इंट्रा एनआईडीएम पर उपलब्ध है।

एनआईडीएम पुस्तकालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का उल्लेख नीचे किया गया है:–

- पुस्तकों और जर्नल्स और अन्य पठन सामग्री का अधिग्रहण
- संदर्भ और संप्रेषण कार्य
- परिसंचरण कार्य
- पुस्तकालय स्वचालन

5.3.2 दस्तावेजीकरण और प्रकाशन

सूचना को एक संसाधन के रूप में माना जाता है, जो संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान देता है। एक परिसंपत्ति के रूप में सूचना के मूल्य को इसके प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से सर्वोच्च स्तर तक लाया जाता है। प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श गतिविधियों को समर्थन देने के लिए आपदा प्रबंधन और विकास संबंधी जानकारी को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए निरंतर ठोस प्रयास करना एनआईडीएम के अधिदेशों में से एक है।

सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री

संस्थान को आपदा प्रबंधन और संबंधित पहलुओं पर सूचना प्रसारित करने का अधिदेश प्राप्त है। अधिदेश को पूरा करने में, संस्थान नियमित रूप से एक त्रैमासिक समाचार पत्रिका (टाइडिंग्स) और विभिन्न प्रकाशन प्रकाशित करता है। विभिन्न आपदाओं और उनके प्रबंधन के बारे में जानकारी और जागरूकता पैदा करने के लिए, एनआईडीएम नियमित रूप से विभिन्न जागरूकता पैदा करने वाले संदेशों के साथ आईईसी सामग्री प्रकाशित करता है जिसे विभिन्न वेबिनार और ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में रखा जाता है। ये उपकरण एनआईडीएम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और इन्हें http://nidm.gov.in./iec.asp पर देखा जा सकता है। एनआईडीएम द्वारा विकसित आईईसी सामग्री का आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न हितधारकों द्वारा एनआईडीएम को समुचित श्रेय देते हुए स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जा सकता है और व्यापक प्रसार के लिए विभिन्न भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान एनआईडीएम द्वारा मुद्रित प्रकाशनों का विवरण नीचे सूचीबद्ध है:

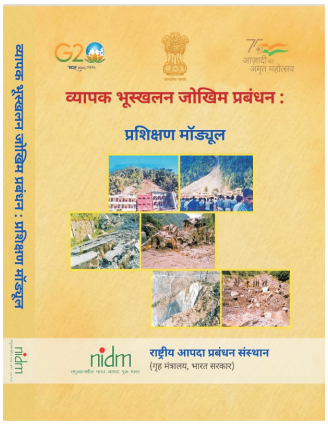

प्रकाशन

प्रशिक्षण मॉड्यूल

i. व्यापक भूस्खलन जोखिम प्रबंधन: प्रशिक्षण मॉड्यूल

भारत ने कई भयावह भूस्खलन आपदाओं का सामना किया है, जिन्होंने सामाजिक–आर्थिक विकास और वृद्धि में बाधा उत्पन्न की है, साथ ही जीवन, आजीविका, पर्यावरण, संरचनाओं और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँचाया है। समय–समय पर होने वाले भूस्खलनों ने आपदाओं के

प्रति सुरक्षा संस्कृति विकसित करने की हमारी क्षमताओं पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। यह मॉड्यूल बहु–आपदा जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण के साथ तैयार किया गया है और इसमें सभी हितधारकों के लिए भूस्खलनों के प्रति सुरक्षा संस्कृति विकसित करने के सभी पहलुओं को संक्षेप में समग्र रूप से चर्चा की गई है।

ii. ज्ञान और शिक्षा के माध्यम से सुरक्षा की संस्कृति के निर्माण पर शिक्षकों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) मॉड्यूल

सुरक्षा की संस्कृति पर इस मॉड्यूल ने शैक्षणिक संस्थानों, शिक्षकों और छात्रों के लिए प्राकृतिक और मानव निर्मित खतरों और उसके बाद की आपदाओं से प्रभावित बच्चों की बहुआयामी जरूरतों को संबोधित करने के लिए मार्गदर्शक नोट्स प्रदान किए। यह छात्रों के बीच सुरक्षा उपायों के बारे में जानने के लिए सशक्तीकरण की सुविधा प्रदान कर सकता है, इस प्रकार आपात स्थितियों के दौरान उनके लचीलेपन का निर्माण कर सकता है। इसके अलावा, यह शैक्षणिक संस्थानों, शिक्षकों, आपातकालीन अधिकारियों और अन्य हितधारकों की मदद करने में महत्वपूर्ण होगा जो सुरक्षा पर जोर देने के साथ स्कूलों के सुचारू संचालन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं और उन्हें बच्चों के सीखने के लिए स्कूलों को एक सुरक्षित स्थान बनाने के उपायों को शामिल करने में सुविधा प्रदान करेंगे।

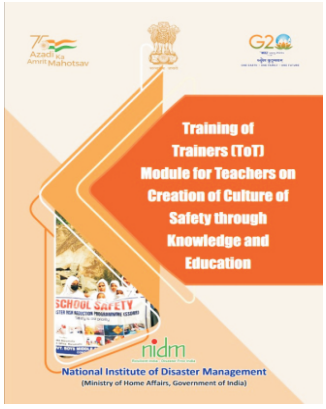

iii. घटना प्रतिक्रिया प्रणाली पर प्रशिक्षण मॉड्यूल: बुनियादी और मध्यवर्ती

एनआईडीएम ने आईआरएस के सात मॉड्यूल विकसित किए हैं और इस क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं। यह मॉड्यूल आईआरएस के बुनियादी और मध्यवर्ती पाठ्यक्रम पर मौजूदा मॉड्यूल का संशोधित संस्करण है। यह प्रतिभागियों को आईआरएस के सिद्धांतों, विशेषताओं, सुविधाओं और जमीनी स्तर पर संचालन के बारे में संवेदनशील बनाता है। यह मौजूदा प्रतिक्रिया पद्धति पर आईआरएस द्वारा प्रदान किए जा सकने वाले मूल्य संवर्धन के बारे में भी चर्चा करता है। इसके अलावा, यह मॉड्यूल सिद्धांत के साथ–साथ अभ्यास का मिश्रण है जो न केवल सुविधाकर्ता को प्रदान किए गए ज्ञान और कौशल पर प्रतिक्रिया प्रदान करता है बल्कि प्रतिभागियों को व्यावहारिक शिक्षा भी देता है। यह प्रशासकों, पुलिस, अन्य लाइन विभागों के लिए आपदाओं का प्रभावी और कुशलतापूर्वक जवाब देने में फायदेमंद होगा।

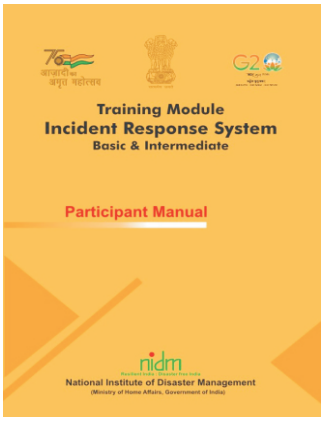

केस स्टडी

i. कश्मीर बाढ़ 2014 रिकवरी से समुत्थानशीलता

पूरे उत्तर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बाढ़ एक आवर्ती घटना रही है, खासकर कश्मीर घाटी में। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर की जल विज्ञान संबंधी स्थितियों ने इस क्षेत्र को प्राचीन काल से बाढ़ के प्रति संवेदनशील बना दिया है। कश्मीर घाटी में सितंबर, 2014 की बाढ़ सौ साल की अवधि में देखी गई सबसे खराब बाढ़ थी।

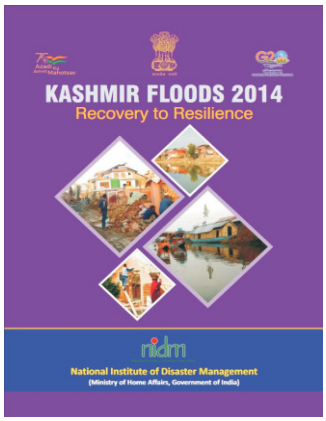

यह दस्तावेज ''कश्मीर बाढ़ 2014– रिकवरी से लेकर समुत्थानशीलता'' केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर में बाढ़ के बाद 2014 की रिकवरी की व्यापक समीक्षा प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। अध्ययन कश्मीर बाढ़, 2014 के संदर्भ को प्रलेखित करने और समुत्थानशीलता बहाली की दिशा में संक्रमण को सामने लाने पर जोर देता है। यह दस्तावेज बाढ़ के बाद, पहले से ही उठाए गए या समुत्थानशील बनाने के मार्ग में उठाए जा सकने वाले टिकाऊ दीर्घकालिक उपायों को प्रदान करने पर केंद्रित है। अध्ययन शहरी और सामाजिक प्रक्रियाओं का भी मूल्यांकन करता है, जिन्होंने श्रीनगर में बाढ़ के प्रभावों को बढ़ाने में योगदान दिया। अध्ययन केवल केन्द्रशासित प्रदेश के कश्मीर डिवीजन में हुई विनाशकारी घटना तक ही सीमित था और डेटा संग्रह ज्यादातर लेखक के फील्ड विजिट और ऑनलाइन और ऑफलाइन स्रोतों के माध्यम से माध्यमिक डेटा स्रोतों पर आधारित है। रिपोर्ट को तीन भागों में विभाजित किया गया है, यानी आपदा पूर्व संदर्भ, आपदा परिदृश्य और आपदा के बाद का संदर्भ। आपदा पूर्व संदर्भ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की समग्र रूपरेखा को रेखांकित करता है। आपदा परिदृश्य ने विनाशकारी घटना और उसके तत्काल प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं का दस्तावेजीकरण किया। अंत में, आपदा के बाद का संदर्भ आपदा के बाद की रिकवरी, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यक्रमों को सामने लाता है जो विभिन्न हितधारकों द्वारा किए गए थे और समुत्थानशील पुनर्प्राप्ति के लिए बेहतर निर्माण पर जोर देते थे। दस्तावेज ने दीर्घकालिक उपायों का भी सुझाव दिया है जिन्हें समुत्थानशील बनाने के लिए लिया जाना चाहिए। यह उम्मीद की जाती है कि यह कार्य अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को बाढ़ की तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्वास प्रयासों की योजना बनाने में बिल्डिंग बैक बेटर के सिद्धांत का पालन करके एक सुव्यवस्थित तरीके से मदद करेगा।

ii. मध्य प्रदेश के करमा बांध में रिसाव, टूट–फूट और आपदा प्रबंधन पर दस्तावेज

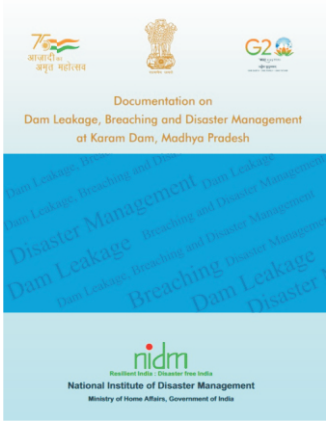

एनआईडीएम द्वारा उपलब्ध कराए गए व्यापक दस्तावेज ने आपदा की भयावहता और आसपास के क्षेत्रों पर इसके प्रभाव को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके कारणों, समय–सीमा और परिणामों सहित टूट–फूट की घटना के सावधानीपूर्वक विश्लेषण ने बहुमूल्य अंतदृष्टि प्रदान की है जो राज्य को भविष्य में आपदा की घटनाओं की रोकथाम और शमन के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करने में सहायता करेगी। इसके अलावा, इस रिपोर्ट में बांध टूटने के जवाब में विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए सराहनीय बचाव और राहत प्रयासों पर भी प्रकाश डाला गया है, जो संकट के समय में सहयोगी कार्रवाई के महत्व पर प्रकाश डालता है। करमा बांध में रिसाव, टूट–फूट और आपदा प्रबंधन पर यह दस्तावेज मध्य प्रदेश में करमा बांध टूटने के दौरान आपदा प्रबंधन अवधारणाओं और प्रतिक्रिया तंत्र, दृष्टिकोण और सरकार द्वारा की गई पहलों के बारे में जानने में बहुत मददगार साबित होगा।

iii. बहु–खतरनाक आपदा जोखिम और समुत्थानशीलता: शहर के स्तर पर आपदा समुत्थानशील सुधारने के लिए व्यावहारिक शिक्षा और चरण–दर–चरण मार्गदर्शिका

यह केस स्टडी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर के सहयोग से विकसित की गई थी, जिसमें एक शहर के लिए आपदा जोखिम और समुत्थानशीलता के स्तर को मापा गया था। यह अध्ययन भारत के चार शहरों अर्थात गुवाहाटी, जयपुर, श्रीनगर

और विशाखापत्तनम के लिए एक पायलट के रूप में आयोजित किया गया है, जो भू-भौतिकीय विशेषताओं की एक विविध श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

यह अध्ययन बहुत व्यापक है और सात रिपोर्टों के रूप में है, अर्थात एक तकनीकी रिपोर्ट जिसमें सभी चार शहरों के लिए जोखिम और समुत्थानशील स्कोरकार्ड का विकास शामिल है, चार शहर-विशिष्ट तकनीकी रिपोर्ट, भारतीय शहरों की आपदा समुत्थानशीलता सुधारने के लिए एक चरण-दर-चरण आपदा प्रबंधन मार्गदर्शिका और एक मेयर की पुस्तिका, जिसने शहरी स्थानीय निकायों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों की योजना बनाने और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायता की।

iv. आपदा जोखिम प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका पर सर्वोत्तम प्रथाओं का संग्रह

यह संग्रह हमारे देश को आपदाओं के प्रति लचीला बनाने और महिलाओं के लिए सुरक्षित, अनुकूल और आशाजनक वातावरण स्थापित करने की आवश्यकता को बढ़ावा देकर लैंगिक समानता को मजबूत करने के हमारे राष्ट्र के संकल्प की दिशा में एक छोटा कदम है। इस प्रकाशन में आपदा जोखिम प्रबंधन और जोखिम शासन प्रयासों में महिलाओं की भूमिका को इकट्ठा करने, तलाशने और उस पर जोर देने और आपदा जोखिम प्रबंधन में उनकी भूमिका को सीमित करने वाली बाधाओं को उजागर करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा, इस प्रकाशन में उच्च शिक्षा द्वारा की गई पहलों और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उनकी उल्लेखनीय सफलता की कहानी को शामिल किया गया है। इस पहल का उद्देश्य माननीय प्रधान मंत्री के एजेंडा 3 पर अच्छी प्रथाओं/पहलों को मान्यता देना है, जिन्हें प्रमुख सरकारी विभागों सहित विविध हितधारकों के लिए एक मंच प्रदान करके दोहराया और बढ़ाया जा सकता है।

कार्यवाही

i. सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन (पीएचईडीएम) टियर–III क्षमता वृद्धि के कार्यान्वयन के लिए 2–दिवसीय हितधारक परामर्श कार्यशाला की कार्यवाही

यह रिपोर्ट हितधारकों के एक विविध समूह के ज्ञान, अंतदृष्टि और सहयोगी प्रयासों को समाहित करती है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन में टियर–III क्षमता को बढ़ाने के महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक साथ आए थे। इसके अलावा, इस रिपोर्ट ने टियर–III क्षमता में चुनौतियों और अंतराल की पहचान को स्पष्ट किया, सुधार के अवसरों की खोज की और कार्रवाई योग्य सिफारिशें तैयार की। इसमें सभी हितधारकों के लिए टियर–III क्षमता को बढ़ाने में उनके भविष्य के कार्यों, नीतियों और निवेशों का मार्गदर्शन करने के लिए एक रोडमैप भी शामिल था।

एनआईडीएम जर्नल डिजास्टर एंड डेवलपमेंट

ii. डिजास्टर एंड डेवलपमेंट वॉल्यूम 12 अंक 01 जनवरी से जून 2023

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान 'डिजास्टर एंड डेवलपमेंट' नामक एक द्विवार्षिक पत्रिका प्रकाशित करता है। पत्रिका का वर्तमान अंक (जनवरी–जून 2023, वॉल्यूम 12, नंबर 1) भू–खतरों और सैद्धांतिक विचारों की विस्तृत श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करते हुए आपदा जोखिम न्यूनीकरण और समुत्थानशीलता पर केस स्टडी की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है। सामूहिक रूप से, इस अंक में शिक्षाविदों, चिकित्सकों और नीति निर्माताओं के दृष्टिकोण, प्रत्यक्ष अनुभवों और शोध निष्कर्षों के एक व्यापक स्पेक्ट्रम को को एक साथ प्रस्तुत किया गया है। यह अंक पाठकों के लिए प्राकृतिक आपदाओं, संबंद्ध जोखिमों और तैयारियों, रोकथाम और शमन विधियों के बारे में उनके ज्ञान को बेहतर बनाने में उपयोगी होगा।

वार्षिक रिपोर्ट हिन्दी (2022–23)

एनआईडीएम की वर्ष 2022–23 की वार्षिक रिपोर्ट अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट में संस्थान की दृष्टि, मिशन, मैंडेट, संरचना, कार्य और प्रमुख उपलब्धियों का विवरण दिया गया है। रिपोर्ट को आठ अध्यायों में विभाजित किया गया है, जैसे: अवलोकन, संगठनात्मक संरचना, प्रशिक्षण कार्यक्रम, परियोजनाएं, ज्ञान प्रबंधन और जागरूकता गतिविधियाँ, कार्यशालाएँ/सम्मेलन/संगोष्ठियाँ, और आउटरीच गतिविधियाँ। इसके अलावा, वित्त और लेखा अध्याय में ऑडिट की गई रिपोर्ट और बजट प्रदान किया गया है। उपलब्धियों को नक्शों, चार्टों और चित्रों के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जिससे भौगोलिक, प्रकारात्मक और समय–सम्बंधी रुझानों को दर्शाया जा सके।

रिपोर्ट में पाँच परिशिष्ट शामिल हैं, जिनमें एनआईडीएम और ऑफ–कैंपस आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची, संस्थान की शासी निकाय के सदस्यों की सूची आदि का विवरण है।

न्यूजलेटर टाइडिंग्स

एनआईडीएम का न्यूजलेटर 'टाइडिंग्स' एक त्रैमासिक प्रकाशन है। इसमें नियमित रूप से आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों और कार्यशालाओं की सिफारिशों को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी देने के साथ-साथ, न्यूजलेटर में संकाय विकास, सफलता की कहानियाँ, दौरों और प्रतिनिधिमंडलों की खबरें आदि भी शामिल की जाती हैं।

*****

अध्याय 6

सम्मेलन / कार्यशाला / सेमिनार / आमने–सामने प्रशिक्षण कार्यक्रम

सम्मेलन/कार्यशाला/सेमिनार (दिल्ली परिसर)

1. जन स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन (पीएचईडीएम)–टियर III प्रशिक्षण कार्यान्वयन के लिए 24–25 अप्रैल 2023 को सलाहकार हितधारक कार्यशाला का आयोजन

भारत सरकार के गृह मंत्रालय (एमएचए) के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) द्वारा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीटीई जीएचएस), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) भारत सरकार (भारत सरकार) के संयोजन में हितधारक परामर्शदात्री कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसने सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन (पीएचईडीएम) में टियर–III क्षमता में वृद्धि को लागू करने की योजना बनाई है। इसके अतिरिक्त, यू.एस. केंद्र रोग नियंत्रण और रोकथाम (सीडीसी) का भारत में क्षेत्रीय कार्यालय ने इस पहल में सहयोग किया। इसका उद्देश्य भारत में जन स्वास्थ्य आपात स्थितियों और आपदाओं से निपटने के लिए तैयारियों और प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करना है।

2. उन्नत शहरी सुदृढ़ता के लिए शहरी नियोजन में ऊर्जा दक्षता पर 26–27 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन

विजयवाड़ा में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, रोहिणी परिसर, दिल्ली के बीच एक सहयोगात्मक कार्यक्रम के रूप में 'ऊर्जा दक्षता योजना के माध्यम से शहरी सुदृढ़ता को बढ़ावा' विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में कुल छह तकनीकी सत्र आयोजित किये गये। इन सत्रों में 91 लेखकों के योगदान को प्रदर्शित किया गया जिन्होंने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। सम्मेलन में एसपीए दिल्ली के वास्तुकला विभाग, आईआईटी रुड़की के वास्तुकला और योजना विभाग, एनआईटी हमीरपुर, वेस्ट इंग्लैंड विश्वविद्यालय (ब्रिस्टल, यूके) लिली विश्वविद्यालय (फ्रांस) मेलबर्न स्कूल ऑफ मेलबर्न में वास्तुकला भवन और योजना संकाय, एनटीएनयू (नॉर्वे) एएसटीआई श्रृंखला सहित विभिन्न संस्थानों के संसाधन व्यक्तियों को शामिल किया गया

3. आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के निर्माण पर 29 अप्रैल 2023 को कार्यशाला का आयोजन

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के तत्वावधान में शिवाजी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार की मदद से आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के निर्माण' पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य बुनियादी ढांचे की योजना में आपदा जोखिम में कमी और समुत्थानशीलता को शामिल करने के विशेष महत्व के बारे में

विश्वविद्यालय प्रशासकों और हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाना था। इसने विश्वविद्यालयों के भीतर सुदृढ़ बुनियादी ढांचे के अनुरूप आपदा प्रबंधन योजनाओं के लिए एक ढांचा तैयार किया, जिससे विकास योजना और कार्यान्वयन में उनकी क्षमता बढ़ गई। कार्यशाला आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे की अवधारणाओं को समझने, इस संदर्भ में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और विशेष रूप से विश्वविद्यालयों के अनुरूप आपदा जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन को संबोधित करने पर केंद्रित थी।

4. साइबर आपदा के खिलाफ समुत्थानशीलता के निर्माण पर 02 मई 2023 को कार्यशाला का आयोजन

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के रोहिणी परिसर में साइबर संकट से निपटने के विषय एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। माननीय गृह मंत्री की पहल पर इस तरह के विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से प्रत्येक विभाग और मंत्रालय को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करना है। इसी के तहत एनआईडीएम ने साइबर जागरूकता पर कार्यशाला आयोजित की, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए साझा किए गए साइबर सुरक्षा दिशा–निर्देशों की जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम के संरक्षक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यकारी निदेशक श्री राजेंद्र रत्नू (आईएएस) एवं सत्र की अध्यक्षता साइबर डीआरआर के प्रमुख प्रोफेसर सूर्य प्रकाश ने की। संस्थान के कार्यकारी निदेशक ने भारत में साइबर संकट की बढ़ती चिंता पर प्रकाश डाला क्योंकि देश तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को डिजिटल बना रहा है।

इस कार्यशाला का उद्देश्य साइबर सुरक्षा के मामले में व्यक्तियों और संगठनों को तैयार रहने और सक्रिय रहने के महत्व के बारे में शिक्षित करना था। कार्यशाला के दौरान, एनआईडीएम के कर्मचारियों और संकाय सदस्यों ने विभिन्न प्रकार की साइबर आपदाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और यह जाना कि हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को यह कैसे प्रभावित कर सकती है। उपस्थित लोगों ने साइबर आपदाओं से बचने के उपायों के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और ज्ञान प्राप्त किए।

5. वनाग्नि के शमन, तैयारी एवं प्रतिक्रिया की वर्तमान स्थिति पर 10 मई 2023 को एक विचार–मंथन कार्यशाला का आयोजन

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, रोहिणी परिसर में जंगल की आग: शमन, तैयारी और प्रतिक्रिया की वर्तमान स्थिति पर एक विचार–मंथन कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला मुख्य रूप से तैयारी उपायों और प्रभावी प्रतिक्रिया रणनीतियों की समझ बढ़ाने पर केंद्रित थी। प्रतिभागियों ने जंगल की आग से संबंधित नवीनतम घटनाओं पर विचार–विमर्श एवं ज्ञान का आदान–प्रदान किया और इस गंभीर मुद्दे के समाधान के लिए कार्रवाई योग्य कदम उठाए जाने पर जोर दिया। कार्यशाला ने वनाग्नि की घटनाओं के प्रबंधन के लिए एक अधिक समन्वित और कुशल दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हुए तत्काल प्रतिक्रिया के लिए व्यापक रणनीतियों के निर्माण की सुविधा प्रदान की।

6. आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन पर 16 मई 2023 को संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन

दिल्ली विश्वविद्यालय ने आईयूआईएनडीआरआर–एनआईडीएम गृह मंत्रालय और भारत सरकार के सहयोग से आपदा और जलवायु परिवर्तन पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यक्रम युवा संकायों और वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत उपयोगी था, जिन्होंने जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान और प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं से परिचित होने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, जैसे भूवैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों, इंजीनियरों आदि के साथ विचार–विमर्श किया। इसका उद्देश्य यह स्पष्ट करना था कि जोखिम, संकट, आपदा और विकास क्षेत्रों को कवर करने के लिए युवा छात्रों (शोधकर्ताओं), शिक्षकों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के विभिन्न संकाय सदस्यों, इंजीनियरिंग संस्थानों और विभागों के लाभ के लिए आपदा और जलवायु परिवर्तन एक–दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं।

7. आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए युवा'' पर कार्यशाला, 17 मई 2023, दिल्ली

''आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए युवा'' पर कार्यशाला का आयोजन आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना केंद्र (सीडीआरआई), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के सहयोग से किया गया। इस वाई20 (युवा 20) कार्यक्रम के तहत, ब्राजील के 40 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 17 मई 2023 को भारत–ब्राजील जी20 ट्रोइका कार्यक्रम के अंतर्गत सीडीआरआई का दौरा किया। कार्यशाला में प्रमुख वक्ताओं के रूप में लेगाडो की संस्थापक सुश्री डेनिएला डी रोगाटिस, एनआईडीएम की सहायक प्रोफेसर डॉ. सुषमा गुलरिया, और एनडीएमए, भारत सरकार की निदेशक (जी20) आईपीएस मृणालिनी श्रीवास्तव शामिल थीं। मृणालिनी श्रीवास्तव ने प्राकृतिक और मानवजनित आपदाओं से होने वाले नुकसान और विनाश को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने सरकारी, गैर–सरकारी संगठनों और जन भागीदारी के माध्यम से निरंतर और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।

8. आपदा प्रबंधन पर 18 मई 2023 को कार्यशाला का आयोजन

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी (आरएकेएनपीए) में आपदा प्रबंधन पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। यह कार्यक्रम विशेष रूप से डाक सेवा के अधिकारियों के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण और

समुत्थानशीलता के संबंध में ज्ञान के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने, साझा करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया।

इसके अलावा, कार्यशाला का उद्देश्य समुदाय की क्षमताओं को बढ़ाना था। सेमिनार का मुख्य लक्ष्य प्रतिभागियों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और सतत् विकास से संबंधित महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समझौतों और घोषणाओं की समझ प्रदान करना था। कार्यशाला में लगभग 29 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

9. पंजाब में जोखिम एवं खतरे: आपदा जोखिम न्यूनीकरण की दिशा में बढ़ते कदम पर 15–16 जून 2023 को कार्यशाला का आयोजन

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (एमजीएसआईपीए) के सहयोग से एमजीएसआईपीए, चंडीगढ़ में पंजाब में जोखिम एवं खतरे: आपदा जोखिम न्यूनीकरण की दिशा में बढ़ते कदम पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पंजाब के विभिन्न विभागों के 70 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला आपदा जोखिम न्यूनीकरण के दो पहलुओं पर केंद्रित थीय भूकंप, बाढ़, आग और स्वास्थ्य आपात स्थितियों के प्रति पंजाब राज्य की संवेदनशीलता के प्रति प्रतिभागियों को जागरुक करना और दूसरा, ऐसे खतरों के जोखिम को कम करने के लिए किए जाने वाले उपायों से उन्हें अवगत कराना।

10. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एनडीएमआईएस) पर 24–25 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में कार्यशाला।

दिल्ली सचिवालय में दिल्ली सरकार के अधिकारियों के लिए 'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली' पर एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें श्री सुशील सिंह आईएएस, डॉ. गरिमा अग्रवाल, एनआईडीएम, श्री विक्रम गुर्जर, एमएचए, श्री पवन अरोड़ा, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) जैसे गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। कार्यशाला का एजेंडा आपदा प्रबंधन के संबंध में एनडीएमआईएस घटकों यानी एसएफडीआरआर और आपदा जोखिम प्रबंधन निधि का उपयोग करने में संबंधित अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिभागियों के बीच व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना था। डेटा प्रस्तुत करने के दौरान प्रतिभागियों के सामने आने वाले मुद्दों और चुनौतियों का भी समाधान किया गया। इस कार्यशाला में लगभग 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

11. जलवायु परिवर्तन एवं पर्वत पर अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन का 19–20 सितंबर 2023 को लद्दाख में आयोजन

हीडलबर्ग जर्मनी विश्वविद्यालय, लद्दाख विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, जीबी पंत संस्थान, वाडिया संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (सीएजेडआरआई) और विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के सहयोग से जलवायु परिवर्तन एवं पर्वत विषय पर लद्दाख में एक अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल ने

सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का एजेंडा हिमालय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और क्षेत्र में आपदाओं की घटना पर चर्चा करना था। इस सम्मेलन में कुल 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

12. यौन उत्पीड़न रोकथाम जागरूकता पर 25 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में कार्यशाला

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने 25 सितंबर 2023 को 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पीओएसएच)' पर एक संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में एक प्रतिष्ठित वक्ता के रूप में सुप्रीम कोर्ट की वकील सुमित्रा चौधरी को आमंत्रित किया गया था। उनके मूल्यवान दृष्टिकोण और विशेषज्ञता ने कार्यक्रम में बहुमूल्य योगदान दिया। कार्यशाला एक महत्वपूर्ण पहल थी जो सभी के लिए एक सुरक्षित, सम्मानपूर्ण, और समावेशी कार्यस्थल बनाने के लिए डिजाइन की गई थी। इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने और सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता और ज्ञान प्रदान करना था।

13. आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य आपातकालीन परिदृश्यों के लिए तैयारी और सुदृढ़ता पर 27 सितंबर 2023 को चंडीगढ़ में राष्ट्रीय कार्यशाला (भविष्य के स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों का सशक्तिकरण: कक्षा से संकट तक)

आईयूआईएनडीआरआर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़ के सहयोग से आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य आपातकालीन परिदृश्य (भविष्य के स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों का सशक्तिकरण: कक्षा से संकट तक) के लिए तैयारी और सुदृढ़ता पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस सहयोगात्मक प्रयास का उद्देश्य विशेषज्ञों और पेशेवरों को आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य आपातकालीन तैयारियों पर ज्ञान और अंतर्दृष्टि का आदान-प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करना था। कार्यशाला को प्रतिभागियों को आपदाओं का प्रभावी और कुशलतापूर्वक प्रबंधन और प्रतिक्रिया करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। इंडिया नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के अध्यक्ष, डॉ. टी दिलीप कुमार कार्यशाला के मुख्य अतिथि और प्रतिष्ठित वक्ता/पैनलिस्ट के तौर पर डब्ल्यूएचओ (भारत), निदेशक, पीजीआईएमईआर, चिकित्सा अधीक्षक-सह-प्रमुख, अस्पताल प्रशासन विभाग, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़, स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक, केन्द्रशासित प्रदेश चंडीगढ़, निदेशक प्रिंसिपल, मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़, निदेशक एमएनएस (प्रशासन) आईएचक्यू, नई दिल्ली, अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक, पीजीआईएमईआर, न्यूरोसर्जरी विभाग, पीजीआईएमईआर और देश भर के लगभग 162 चिकित्सा पेशेवरों ने कार्यशाला के दौरान भाग लिया।

14. आपदा समुत्थानशीलता के लिए असमानता से सशक्तिकरण पर 13 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में कार्यशाला का आयोजन

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) ने 'आपदा समुत्थानशीलता के लिए असमानता से सशक्तिकरण' विषय पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दिन को गहन अंतदृष्टि और प्रेरणादायक चर्चाओं के लिए चिह्नित किया गया था, जिसमें प्रतिष्ठित वक्ताओं और पैनलिस्टों की एक श्रृंखला थी, जिन्होंने आपदा जोखिम शमन, लैंगिक समानता, समावेशन और समुत्थानशीलता सहित महत्वपूर्ण विषयों पर अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त के।

इस कार्यक्रम ने आपदा जोखिम कम करने के प्रयासों में समावेशिता, सुदृढ़ता और सामुदायिक सशक्तिकरण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विशेषज्ञता, अनुभवों और अंतर्दृष्टि की समृद्ध टेपेस्ट्री का प्रदर्शन किया। इसने सार्थक संवाद और प्रेरणा के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया, जिससे आपदा जोखिम प्रबंधन में जटिल चुनौतियों और अवसरों की गहरी समझ को बढ़ावा मिला।

15. आपदा तैयारी एवं प्रतिक्रिया के लिए स्वास्थ्य प्रणाली समुत्थानशीलता के सशक्तिकरण पर 27 अक्टूबर 2023 को सोनीपत, हरियाणा में कार्यशाला का आयोजन

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने बीपीएस सरकारी महिला मेडिकल कॉलेज की प्रतिष्ठित सामुदायिक चिकित्सा विभाग, खानपुर कलां, सोनीपत के साथ साझेदारी की। इसके तहत एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 'आपदा की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए स्वास्थ्य प्रणाली की प्रतिरोधात्मक क्षमता को मजबूत करने' पर ध्यान केंद्रित किया गया। सामुदायिक चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर एवं प्रमुख डॉ. एस.के. झा ने गर्मजोशी से स्वागत के साथ कार्यशाला की शुरुआत की, जिससे विषयगत सत्रों की एक श्रृंखला की शुरुआत हुई। प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता, डॉ. जुगल किशोर, डॉ. सीमा रानी और सुश्री आतिशा सूद सहित प्रतिष्ठित वक्ताओं ने चिकित्सा अधिकारियों की भूमिकाओं, आपदा तैयारियों और अस्पताल आपदा प्रबंधन योजनाओं पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम का समापन सामुदायिक चिकित्सा विभाग में प्रोफेसर डॉ. बबीता रानी द्वारा कुशलतापूर्वक संचालित एक जीवंत खुली चर्चा के साथ हुआ, जिसके बाद व्यापक धन्यवाद प्रस्ताव दिया गया।

16. उच्च–स्तरीय गोलमेज परामर्श नवाचार के माध्यम से जलवायु कार्रवाई और समुत्थानशीलता को आगे बढ़ाता है: आईपीआरएस में तेजी विषय पर 03 नवंबर 2023 को दिल्ली में कार्यशाला का आयोजन

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने होटल द ललित, नई दिल्ली में ''जलवायु कार्रवाई और लचीलेपन में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना: आईपीआर में तेजी लाने'' पर एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय परामर्श का आयोजन किया। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की मौजूदगी वाले इस कार्यक्रम में नवप्रवर्तकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और जलवायु संबंधी नवाचारों के तेजी से व्यावसायीकरण के लिए रणनीति तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। भाग लेने वाली एजेंसियों में नीति आयोग, डीपीआईआईटी, यूनिसेफ इंडिया और अन्य शामिल थे। कार्यक्रम का उद्घाटन श्री द्वारा किया गया। राजेश कुमार सिंह, आईएएस (सचिव, डीपीआईआईटी) और श्री कृष्ण वत्स (सदस्य, एनडीएमए), बैठक का संचालन श्री राजेंद्र रत्नू, आईएएस, कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम और प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता, प्रमुख, ईसीडीआरएम, एनआईडीएम ने किया। ब्रेकआउट सत्रों ने वर्तमान चुनौतियों पर प्रकाश डाला, जिससे विविध समूह प्रस्तुतियाँ हुई। खुली चर्चा में जलवायु संबंधी पेटेंट में तेजी लाने के लिए रणनीतियों की खोज की गई। बैठक प्रभावशाली समापन टिप्पणियों के साथ संपन्न हुई, जो आगे बढ़ने के लिए सहयोगात्मक मार्ग का संकेत देती है। प्रतिभागियों को नवाचार के माध्यम से जलवायु लचीलेपन को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासों की उत्सुकता से उम्मीद है।

17. जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 06–07 नवंबर 2023 को नैनीताल, उत्तराखंड में कार्यशाला का आयोजन।

इस कार्यशाला ने जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित पहाड़ी क्षेत्रों में सामने आने वाली चुनौतियों की ओर सफलतापूर्वक ध्यान आकर्षित किया। शहरी क्षेत्रों में, मुख्य रूप से स्थायी जनसंख्या और वाहनों की संख्या में तेज वृद्धि के कारण कई कठिनाइयाँ स्पष्ट हैं। इस वृद्धि ने न केवल मौजूदा बुनियादी ढांचे पर दबाव डाला, बल्कि पर्यावरणीय गिरावट में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अतिरिक्त, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जल चक्र में व्यवधानों का जल स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे उनकी उपलब्धता और गुणवत्ता दोनों प्रभावित हो रही हैं। कार्यशाला में सामुदायिक भागीदारी पर जोर दिया गया, जिसमें आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया में स्थानीय सहभागिता को विशेष रूप से महत्व दिया गया।

18. आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 08 नवंबर 2023 को हापुड़, उत्तर प्रदेश में कार्यशाला का आयोजन

इस कार्यशाला ने मेरठ मंडल में आपातकालीन सहायता कार्यों और आपदा तैयारियों में शामिल सरकारी अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य किया। कार्यशाला का आयोजन डीडीएमए के सहयोग से किया

गया था। सहयोग और ज्ञान–साझाकरण को बढ़ावा देते हुए, कार्यशाला ने भूकंप, बाढ़ और औद्योगिक आग जैसे प्रचलित खतरों से उत्पन्न चुनौतियों को संबोधित किया। प्रतिभागियों ने मेरठ के छह जिलों में व्यक्तिगत और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने से जुड़े लाभों की व्यापक समझ हासिल की।

19. रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी (आरएकेएनपीए) के सहयोग से आपदा प्रबंधन पर 09 नवंबर 2023 को गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश कार्यशाला का आयोजन

इस कार्यशाला ने बताया कि आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए एक समग्र और सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक फील्डवर्क का अनुभव दोनों को एकीकृत किया जाता है। आपदा स्थलों पर एक्सपोजर दौरों ने प्रतिभागियों को समस्याओं की पहचान करने और समाधान तैयार करने में प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रशिक्षकों को विकसित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण आवश्यक है जो अपने अनुभवों को जमीनी स्तर पर प्रसारित कर सकें, समुदायों के भीतर क्षमता का निर्माण कर सकें। अल्पसंख्यक या सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित आबादी की संवेदनशीलता को पहचानना महत्वपूर्ण है, यह सुनिश्चित करना कि संकट के समय कोई भी पीछे न छूट जाए। मनोवैज्ञानिक प्रभावों को संबोधित करना आपदा प्रबंधन के पूरे स्पेक्ट्रम में, तैयारी से लेकर पुनर्प्राप्ति तक, अभिन्न अंग है।

20. ''आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा'' पर कार्यशाला, 28 नवंबर 2024, उत्तराखंड

एनआईडीएम के जीएमआर डिवीजन ने एनआरएससी इसरो के सहयोग से ''आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी'' पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में आपदा जोखिम प्रबंधन रणनीतियों को सुदृढ़ करने में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जिसमें उपग्रह चित्र, रिमोट सेंसिंग डेटा और भू–स्थानिक जानकारी शामिल है, के महत्वपूर्ण योगदान पर बल दिया गया। यह एकीकरण तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनः प्राप्ति के प्रयासों को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। विशेष रूप से, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विभिन्न आपदाओं के लिए समय पर चेतावनी प्रदान कर सक्रिय सामुदायिक गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए अनुकूलित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले निर्णय समर्थन प्रणालियों का अन्वेषण आपदाओं के दौरान वास्तविक समय की जानकारी और क्रियाशील जानकारी प्रदान करता है, जिससे इसके व्यापक कार्यान्वयन

की आवश्यकता स्पष्ट होती है। सफल मामलों के अध्ययन से आपदा जोखिम को कम करने में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण प्रभाव पर जोर दिया गया, जिससे इसे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय ढांचे में शामिल करने के लिए नीति निर्माण की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। चर्चा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नवीनतम तकनीकी प्रगति पर भी ध्यान केंद्रित किया गया, ताकि आपदा प्रबंधन प्रक्रिया अनुकूल और अत्याधुनिक नवाचारों का लाभ उठाकर वैश्विक समुत्थानशीलता को और बेहतर बना सके।

21. वन अग्नि प्रबंधन पर राष्ट्रीय सहयोगात्मक योजना के तहत आईसीएफआरई–एफआरआई में परामर्श 29 नवंबर 2023 को देहरादून में कार्यशाला का आयोजन

भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई)–वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, और भारत सरकार) ने एफआरआई बोर्ड रूम में भौतिक मोड में 'वन अग्नि प्रबंधन पर राष्ट्रीय सहयोगात्मक योजना (एनसीएस)' पर परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया था। कार्यशाला में डेटाबेस प्रबंधन और ज्ञान प्रसार के लिए राष्ट्रीय वेब पोर्टल के विकास, वन अग्नि ज्ञान नेटवर्क के विकास, मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के विकास, वन अग्नि संवेदनशीलता पर भविष्य के जलवायु परिवर्तन परिदृश्य के प्रभाव का अध्ययन और आग प्रभावित क्षेत्रों में आग के बाद बहाली और पुनर्वास रणनीति पर चर्चा की गई।

22. आपदा जोखिम प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर 4–5 दिसंबर 2023 को एनआईडीएम, रोहिणी, दिल्ली में कार्यशाला का आयोजन

एनआईडीएम के जीएमआर डिवीजन ने एनआरएससी–इसरो के सहयोग से ''आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी'' पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए रणनीतियों को मजबूत करने में उपग्रह इमेजरी, रिमोट सेंसिंग डेटा और भू–स्थानिक जानकारी सहित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया। यह एकीकरण तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति प्रयासों को बढ़ाने के लिए आवश्यक है।

उल्लेखनीय रूप से, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विभिन्न आपदाओं के लिए अनुकूलित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो सक्रिय सामुदायिक लामबंदी के लिए समय पर अलर्ट प्रदान करती है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने वाली निर्णय समर्थन प्रणालियों की खोज आपदाओं के दौरान वास्तविक समय की जानकारी और कार्रवाई योग्य अंतदृष्टि प्रदान करती है, जो व्यापक कार्यान्वयन की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। सफल केस स्टडी आपदा जोखिम को कम करने पर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण प्रभाव को रेखांकित करती है, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय रूपरेखाओं में इसके एकीकरण का समर्थन करने के लिए नीति निर्माण के महत्व को रेखांकित करती है। चर्चाएँ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नवीनतम तकनीकी प्रगति

पर भी केंद्रित हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपदा प्रबंधन प्रक्रियाएँ अनुकूल बनी रहें और बेहतर वैश्विक समुत्थानशीलता के लिए अत्याधुनिक नवाचारों का लाभ उठाएँ।

23. आपदा रोकथाम, शमन और जोखिम न्यूनीकरण में अग्निशमन सेवाओं को सशक्त बनाने पर 06 दिसंबर 2023 को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) ने राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय (एनएफएससी), नागपुर के सहयोग से 6 दिसंबर, 2023 को दिल्ली के एनआईडीएम, रोहिणी परिसर में अग्निशमन सेवाओं को सशक्त बनाने पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला की मेजबानी की। श्री ताज हसन, भा.पु.से. की अध्यक्षता और श्री राजेंद्र रत्नू, भा.प्र.से. की सह-अध्यक्षता में कार्यशाला का उद्देश्य अग्निशमन सेवाओं के लिए आपदा रोकथाम, शमन और जोखिम न्यूनीकरण में महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करना था। श्री आर एम क्षीरसागर, निदेशक एनएफएससी, नागपुर और डॉ. गरिमा अग्रवाल, वरिष्ठ सलाहकार, एनआईडीएम ने कार्यक्रम का आयोजन किया।

यह कार्यक्रम अग्नि सुरक्षा और आपदा जोखिम न्यूनीकरण में क्षमता निर्माण के लिए एनआईडीएम और एनएफएससी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद पहली पहल थी। कार्यशाला का प्राथमिक फोकस नए प्रशिक्षण क्षेत्रों की पहचान करना, विशेष प्रशिक्षण डोमेन को प्राथमिकता देना और प्रासंगिक पाठ्यक्रम विकसित करना था। चर्चा में एक व्यापक राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण रणनीति तैयार करने पर चर्चा की जाएगी, जिसमें विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में आपदा निवारण और अग्नि सुरक्षा पर जोर दिया जाएगा।

24. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम सप्ताह पर कार्यशाला: संवेदनशीलता पर 07 दिसंबर 2023 को एनआईडीएम, रोहिणी में आयोजित की गई

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 को कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित और संरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए 09 दिसंबर 2013 को अधिसूचित किया गया था। यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत महिलाओं के समानता के मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ जीने के अधिकार और अभ्यास और पेशे या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार को करने के अधिकार को बरकरार रखता है, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत यौन उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित कार्य वातावरण का अधिकार शामिल है। इस संबंध में, 09 दिसंबर 2023 तक चलने वाले सप्ताह को ''कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम सप्ताह'' के रूप में मनाया गया। इस संबंध में 07 दिसंबर 2023 को एनआईडीएम पीओएसएच समिति द्वारा एक संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान, एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक ने एनआईडीएम को सभी महिला कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित कार्यस्थल बनाने की आवश्यकता को दोहराया और उन्हें इस विषय पर स्वस्थ चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि सभी महिला कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण कार्यालय में उनके उत्पादकता में तेजी लाने में मदद कर सकता है और इसे अन्य सभी कार्यालयों की तरह एनआईडीएम द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कार्यशाला के दौरान, पीओएसएच समिति की सदस्य, डॉ. सुषमा गुलेरिया ने एनआईडीएम की पीओएसएच नीति के बारे में

कर्मचारियों को संवेदनशील बनाया, इसके कुछ महत्वपूर्ण खंडों पर प्रकाश डाला। जैसे कि, एनआईडीएम के सभी कर्मचारियों से कार्यस्थल पर नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है और नीति के तहत परिभाषाओं को समझाया। उन्होंने पीओएसएच नीति के दायरे के बारे में भी बात की और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के दायरे में आने वाले विभिन्न अपराधों के बारे में विस्तार से बताया। सत्र के बाद प्रतिभागियों के प्रश्नों का समाधान किया गया तथा संस्थान को कार्य के लिए सुरक्षित स्थान बनाने के लिए एनआईडीएम के विभिन्न कर्मचारियों से व्यावहारिक एवं मूल्यवान सुझाव लिए गए।

25. जुलाई 2023 की घटना पर विशेष जोर देते हुए दिल्ली में यमुना शहरी बाढ़ पर हितधारकों की 12 दिसंबर 2023 को दिल्ली में परामर्श कार्यशाला का आयोजन

भू-मौसम विज्ञान जोखिम प्रबंधन प्रभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के बाढ़ निगरानी प्रकोष्ठ द्वारा जुलाई 2023 की घटना पर ध्यान केंद्रित करते हुए दिल्ली में यमुना शहरी बाढ़ पर परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य अनुभवों का प्रसार करना और दिल्ली में शहरी बाढ़ के बारे में हितधारकों, प्रशासन और संबंधित विभागों के सभी मुद्दों और चिंताओं को सामने लाना, भविष्य में दिल्ली में बाढ़ के लिए अधिक समन्वित प्रतिक्रिया के लिए, भविष्य की रूपरेखा तैयार करना और दिल्ली में बाढ़ शमन के लिए एक कार्य योजना पर सहमत होना था। इस अवसर की अध्यक्षता श्री राजेंद्र रत्नू, आईएएस, कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) ने की और इस अवसर पर उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, भू-मौसम विज्ञान जोखिम प्रबंधन प्रभाग के प्रमुख, एनआईडीएमय श्री राजेंद्र कुमार, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट प्रीत विहार, नई दिल्ली, श्री सुरेंद्र ठाकुर, संयुक्त निदेशक, एनआईडीएम, डॉ. गरिमा अग्रवाल, और श्री मनजीत सिंह ढिल्लों, वरिष्ठ सलाहकार एनआईडीएम शामिल थे। विभिन्न हितधारकों जैसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), दिल्ली के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग (आईएंडएफसीडी), आईएंडएफसीडीय यूपी, आईएंडएफसीडी हरियाणा, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए), एमसीडी, डीडीए, एनसीटी दिल्ली के स्वास्थ्य और राजस्व विभाग, दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी), राष्ट्रीय आपदा राहत बल (एनडीआरएफ), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), बीएसईएस, डीयूएसआईबी, बोट क्लब और सीएटीएस एम्बुलेंस के लगभग 80 प्रतिनिधियों और प्रतिभागियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया।

26. भारत में आपदा प्रबंधन पर कार्यशाला: व्यापार निरंतरता और लागत प्रभावशीलता, जो भारतीय विश्वविद्यालयों और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संस्थानों के नेटवर्क – राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (यूएनडीआरआर) जीईटीआई, और सिविल इंजीनियर्स संस्थान (भारत) द्वारा सह-आयोजित था। यह कार्यशाला 19-20 दिसंबर 2023 को डॉ. बी.आर. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, दिल्ली में आयोजित की गई।

भारतीय विश्वविद्यालयों और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संस्थानों के नेटवर्क – राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने सिविल

इंजीनियर्स संस्थान भारत (आईईसी) और यूएनडीआरआर–जीईटीआई के सहयोग से, 19–20 दिसंबर, 2023 को नई दिल्ली में डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में ''व्यापार निरंतरता लागत दक्षता'' शीर्षक से दो दिवसीय कार्यकारी कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया। उद्घाटन सत्र में प्रोफेसर संतोष कुमार, वरिष्ठ सलाहकार और निदेशक, भारतीय विश्वविद्यालयों और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संस्थानों के नेटवर्क – राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया और यूएनडीआरआर–जीईटीआई, कोरिया गणराज्य के डॉ. संजय भाटिया द्वारा कार्यशाला का अवलोकन किया गया। आईसीई (आई) के अध्यक्ष डॉ. एस.एल. स्वामी ने सुरक्षित भविष्य बनाने, मजबूत राष्ट्र निर्माण और व्यवसायों के लिए जोखिम प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला। श्री राजेंद्र रत्नू, आईएएस, ईडी, एनआईडीएम ने अपने अनुभवों से प्रेरक किस्से साझा किए। पहले दिन लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह (सेवानिवृत्त), श्री सुधेंदु ज्योति सिन्हा, श्री अल्फ इवर ब्लिकबर्ग और डॉ. संजय भाटिया के सत्र शामिल थे, जिसमें सार्वजनिक–निजी सहयोग, वैश्विक आपदा रुझान, व्यवसाय आपदा जोखिम प्रबंधन और व्यवसाय निरंतरता योजना जैसे विषयों को शामिल किया गया। ब्रिगेडियर (डॉ.) बीके खन्ना ने व्यापार निरंतरता और व्यवसाय पुनर्प्राप्ति योजना के महत्वपूर्ण तत्वों पर चर्चा की और आईआईटी दिल्ली के प्रो. भट्टाचार्जी ने सुदृढ़ बुनियादी ढांचे और जीवन चक्र लागत विचारों पर प्रकाश डाला। दूसरे दिन श्री अल्फ इवर ब्लिकबर्ग द्वारा व्यवसाय और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रतिच्छेदन पर चर्चा और डॉ. प्रीति सोनी द्वारा भारत में आपदा प्रबंधन पर अंतर्दृष्टि, उसके बाद समूह चर्चाएँ हुईं। समापन सत्र में लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह (सेवानिवृत्त) द्वारा एक प्रेरक संबोधन और प्रोफेसर संतोष कुमार द्वारा विचार व्यक्त किए गए, साथ ही प्रतिभागियों के सार्थक योगदान के लिए डॉ. प्रीति सोनी द्वारा आभार व्यक्त किया गया।

27. पर्यावरण और आपदा प्रबंधन के नियंत्रण मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन: सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका (आईसीसीएमईडीएम–2023), 23 और 24 दिसंबर 2024, उत्तर प्रदेश

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन और मेजबानी जूलॉजी विभाग, पालीवाल पीजी कॉलेज शिकोहाबाद, आईयूआईएनडीआरआर एनआईडीएम, दिल्ली, एनएसएस सेल, डॉ. बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, और इंडियन एकेडमिक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी (आईएएसटी) द्वारा पालीवाल कॉलेज कैंपस शिकोहाबाद में किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रो. संतोष कुमार, निदेशक, आईयूआईएनडीआरआर ने की। डॉ. प्रीति सोनी, वरिष्ठ कार्यक्रम सलाहकार, आईयूआईएनडीआरआर–एनआईडीएम ने सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य देश की आपदा सहनशीलता को बढ़ाना और जीवन और संपत्ति की हानि को कम करना था, जिसमें जलवायु परिवर्तन और आपदा, जैव विविधता और आपदाएं, मानवजनित आपदाएं, परमाणु आपदा प्रबंधन, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन परत का संरक्षण जैसे उपविषयों पर चर्चा की गई।

28. जन स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन (पीएचईडीएम) पर 16 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र में कार्यशाला का आयोजन

परामर्श कार्यशाला का उद्देश्य जन स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन (पीएचईडीएम) में ज्ञान आदान-प्रदान के माध्यम से मेंटर-मेंटे संबंध को मजबूत करना था। इसमें परामर्श तकनीकों और वयस्क शिक्षा के सिद्धांतों पर चर्चाएं शामिल थीं, साथ ही प्रभावी मेंटर के गुण जैसे ज्ञान और सहानुभूति पर जोर दिया गया। पीएचईडीएम टियर प्प्प् प्रशिक्षण सत्रों ने मेंटर और मेंटी के बीच पारस्परिक निर्भरता को रेखांकित किया, जिसमें दोनों पक्षों के कर्तव्यों पर विशेष ध्यान दिया गया। सत्र के समापन में शोध पत्र प्रकाशित करने और जानकारी को दर्ज करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, साथ ही विशेष गुणों वाले व्यक्तियों की परामर्श प्रक्रिया में भागीदारी की अनिवार्यता को भी रेखांकित किया गया। सामान्य रूप से, यह रेखांकित किया गया कि मेंटर और मेंटी के बीच संबंध एक मजबूत कार्यबल का निर्माण करता है, जो आपात स्थितियों का सामना कर सकता है और समुदाय की भलाई की रक्षा कर सकता है।

29. आपदा समुत्थानशीलता और सांस्कृतिक विरासत पर 17–18 जनवरी 2024 को राजस्थान में कार्यशाला का आयोजन

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम), गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर (आईआईटी जोधपुर, राजस्थान), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) और मेहरानगढ़ संग्रहालय ट्रस्ट के सहयोग से 17–18 जनवरी 2024 को आपदा समुत्थानशीलता और सांस्कृतिक विरासत पर कार्यशाला आयोजित करने के लिए एक सहयोगात्मक प्रयास किया। यह कार्यक्रम जोधपुर के मेहरानगढ़ संग्रहालय ट्रस्ट के चोकेलाओ महल प्रांगण में हुआ।

कार्यशाला में देश में सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और आपदा जोखिमों को कम करने के लिए समर्पित प्रतिष्ठित हस्तियों, शिक्षाविदों, चिकित्सकों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों और विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया। उद्घाटन सत्र की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई, जो ज्ञान और बुद्धि के आह्वान का प्रतीक थी। एनआईडीएम के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. संतोष कुमार ने गर्मजोशी से स्वागत भाषण दिया।

एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक, श्री राजेंद्र रत्नू, आईएएस, ने संदर्भ प्रस्तुत करते हुए सांस्कृतिक धरोहर के संदर्भ में आपदा समुत्थानशीलता के महत्व पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम के माननीय अतिथि, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के सदस्य एवं सचिव, श्री कमल किशोर ने आपदा प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका पर अपने विचार साझा किए।

एक विशिष्ट व्यक्तित्व, महाराजा गज सिंह, विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए उद्घाटन भाषण दिया, जिसमें ऐतिहासिक दृष्टिकोण और आधुनिक चुनौतियों का समन्वय किया गया।

उद्घाटन सत्र का समापन आईआईटी जोधपुर के निदेशक प्रो. शांतनु चौधरी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिन्होंने सभी प्रतिभागियों और आयोजकों को उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर ने प्रतिभागियों को सार्थक संवादों में शामिल होने और हमारे समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा और समुत्थानशीलता में योगदान देने के लिए सहयोग को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान किया।

30. सतत् विकास के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और विश्लेषण-संचालित शासन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (एसएचएडीजी-24) का 29-30 जनवरी 2024 को आयोजन

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर द्वारा आईयूआईएनडीआरआर के सहयोग से एक हाइब्रिड अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी शामिल हुए और अकादमिक भागीदार के रूप में शामिल हुए, जिनमें मैरी के ओ' कॉनर प्रोसेस सेफ्टी सेंटर (टीईईएस), ट्रिप सेंटर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास, अमेरिकन एक्सप्रेस डेटा एनालिटिक्स, रिस्क एंड टेक्नोलॉजी (डीएआरटी), लुलिया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और यूरोपीय विश्वविद्यालय साइप्रस शामिल हैं। सम्मेलन के मुख्य अतिथि आईआईटी खड़गपुर के निदेशक प्रोफेसर वीरेंद्र तिवारी थे। सम्माननीय अतिथि टाटा स्टील लिमिटेड के सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्थिरता के उपाध्यक्ष श्री राजीव मंगल थे। सम्मेलन ने उद्योग भागीदारों- अडानी समूह, टाटा स्टील और सेल को वर्तमान परिदृश्य के दौरान सुरक्षा तंत्र के लिए अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं और जरूरतों के साथ आने के लिए एक मंच प्रदान किया। प्रारंभिक वार्ता आईयूआईएनडीआरआर-एनआईडीएम के वरिष्ठ सलाहकार एवं प्रमुख प्रोफेसर संतोष कुमार ने दी। सम्मेलन के दौरान लगभग 200 ऑफलाइन और 350 ऑनलाइन प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

31. व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षा और आपातकालीन तैयारी अभिविन्यास पर 30 जनवरी 2024 को दिल्ली में कार्यशाला का आयोजन

व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षा और आपातकालीन तैयारी पर एक कार्यशाला ने स्वास्थ्य आपात स्थितियों और आपदाओं का सामना करने में तत्परता बढ़ाने के लिए बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। यह कार्यक्रम प्रतिभागियों के लिए स्वास्थ्य आपात स्थितियों का जवाब देने के लिए आवश्यक व्यावहारिक कौशल और ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। चर्चाओं ने जोखिमों को कम करने और प्रभावी प्रतिक्रिया रणनीतियों को सुनिश्चित करने में सक्रिय उपायों और सामूहिक कार्रवाई के महत्व को रेखांकित किया। इंटरैक्टिव सत्रों और व्यावहारिक प्रदर्शनों

के माध्यम से, उपस्थित लोगों ने सीपीआर (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) प्रशिक्षण, जलवायु परिवर्तन से संबंधित स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वास्थ्य आपातकालीन तैयारी के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त की। कार्यशाला ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने और सभी की सुरक्षा और भलाई में योगदान देने के लिए व्यक्तियों को आवश्यक उपकरणों से लैस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

32. जलवायु एवं आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सड़क क्षेत्र पर 06 फरवरी 2024, को नई दिल्ली में कार्यशाला का आयोजन

'जलवायु एवं आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सड़क क्षेत्र' पर एक कार्यशाला नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत गर्मजोशी से स्वागत के साथ हुई और इसमें हाई सीएपी के कार्यक्रम निदेशक प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता द्वारा एक व्यापक प्रस्तुति दी गई, जिसके बाद एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक श्री राजेंद्र रत्नू और भारत सरकार के एमओआरटीएच के संयुक्त सचिव श्री कमलेश चतुर्वेदी ने ज्ञानवर्धक बिंदुओं पर प्रकाश डाला। प्रतिभागियों ने अवसंरचना में जलवायु और आपदा प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए विचारों और रणनीतियों का आदान-प्रदान किया। कार्यशाला का समापन एनआईडीएम के संयुक्त निदेशक द्वारा दिए गए समापन भाषण के साथ हुआ, जिसमें जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के प्रभावों को कम करने के लिए सुदृढ़ अवसंरचना के निर्माण में सहयोगी प्रयासों के महत्व को बताया गया जयपुर, श्रीनगर, विशाखापत्तनम और गुवाहाटी में मेयर्स हैंडबुक, तकनीकी रिपोर्ट और चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका सहित आपदा जोखिम और प्रतिरोध स्तर को मापा गया है। शोध रिपोर्टों में भारत के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा जोखिम और समुत्थानशीलता स्तर का आकलन और चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका में शहर के स्तर पर आपदा सुदृढ़ता सुधारने के लिए आवश्यक कदम शामिल हैं। इस कार्यशाला को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर, मध्य प्रदेश द्वारा आपदा जोखिमों के प्रति शहरोंध्शहरी स्थानीय निकायों के समग्र सुदृढ़ता स्तर में सुधार करने के लिए आयोजित किया गया था।

33. उधमपुर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल लिंक (यूएसबीआरएल) परियोजना के लिए आपदा प्रबंधन योजना पर 19 फरवरी 2024 को परामर्श कार्यशाला का दिल्ली में आयोजन

उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (यूएसबीआरएल) परियोजना के लिए आपदा प्रबंधन योजना पर एक परामर्श कार्यशाला का आयोजन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में किया गया, जो भारत के रेलवे बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ, विशेषकर लगातार बढ़ती और गंभीर आपदाओं के संदर्भ में। इस कार्यशाला की अध्यक्षता

एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक श्री राजेंद्र रत्नू, आईएएस, और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) के वरिष्ठ प्रोफेसर तथा सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रो. वी.के. शर्मा ने की।

इस चर्चा में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, आपदा समुत्थानशील बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (सीडीआरआई), भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), और रक्षा भू-सूचना अनुसंधान स्थापना (डीजीआरई) सहित विभिन्न संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों और वैज्ञानिकों को एक साथ लाया गया, ताकि इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय रेल लिंक और अन्य आगामी बुनियादी ढांचे के आपदा प्रबंधन पर विचार-विमर्श और सहयोग किया जा सके। एसटीएस ग्लोबल ने इस असाधारण कार्य का जिम्मा संभाला, जिसमें भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे नदी पुल शामिल है, और एक सुदृढ़ आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण किया।

34. महामारी और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के लिए युवा सशक्तिकरण पर 21–23 फरवरी 2024 को तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन

आईयूआईएनडीआरआर-एनआईडीएम ने श्री राजेंद्र रत्नू, आईएएस, कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम के संरक्षण और प्रो. संतोष कुमार (वरिष्ठ सलाहकार, एनआईडीएम और आईयूआईएनडीआरआर-एनआईडीएम, निदेशक) के मार्गदर्शन में मद्रास केंद्रीय विश्वविद्यालय, चेन्नई, तमिलनाडु के सहयोग से महामारी और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के लिए युवा सशक्तिकरण पर तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का उद्घाटन तमिलनाडु सरकार के माननीय स्कूली शिक्षा मंत्री श्री अंबिल महेश पोय्यामोझी ने किया। सम्मेलन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के 300 से अधिक प्रतिनिधियों और प्रतिभागियों ने भाग लिया। उद्घाटन सत्र को श्री अंबिल महेश पोय्यामोझी सहित विभिन्न प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों ने संबोधित किया। अंबिल महेश पोय्यामोझी, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री, तमिलनाडु सरकार, प्रो. एस सूर्य प्रकाश, कुलपति, द नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भोपाल, डॉ. जी.एस. चौहान, संयुक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्रो. एन चंद्रशेखर, कुलपति, मनोनमनियम सुंदरनार यूनिवर्सिटी, तिरुलेनवेली, श्री के हेराल्ड ड्रेजर, टीआईईएमएस अध्यक्ष, इंटरनेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट सोसाइटी, नॉर्वे इस सम्मेलन में शामिल हुए। डॉ. प्रीति सोनी, वरिष्ठ कार्यक्रम सलाहकार, आईयूआईएनडीआरआर-एनआईडीएम ने डीआरआर के लिए युवा सशक्तिकरण और डीआरआर में एनआईडीएम की भूमिका पर मुख्य भाषण दिया। कार्यक्रम में शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं के बीच ज्ञान साझा करने या युवा सशक्तिकरण और आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्यधारा में लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। सम्मेलन के दौरान एनडीआरएफ टीम द्वारा आपदा प्रतिक्रिया के लिए जागरूकता सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 1000 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

35. राष्ट्रीय वार्षिक प्रशिक्षण सम्मेलन (एनएटीसी) 26 फरवरी 2024 को दिल्ली में आयोजन

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) ने अपने रोहिणी परिसर में राष्ट्रीय वार्षिक प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत एक गर्मजोशी भरे स्वागत के साथ हुई, जिसके बाद एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक, श्री राजेंद्र रत्नू, आईएएस, ने विस्तृत कार्यक्रम अवलोकन प्रस्तुत किया। इस सम्मेलन में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय सदस्य श्री पी. एन. राय की प्रतिष्ठित उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया और उनकी अंतर्दृष्टि ने चर्चाओं में महत्वपूर्ण जोड़ा। इसके अलावा, एनडीएमए के सदस्य एवं विभागाध्यक्ष श्री कमल किशोर ने एक प्रेरणादायक उद्घाटन भाषण दिया, जिसने प्रतिभागियों पर गहरा प्रभाव छोड़ा।

एनआईडीएम ने सभी हितधारकों को एनएटीसी– 2024 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, जिसका उद्देश्य इन हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक रणनीति तैयार करना था। इस वर्ष एनएटीसी के हिस्से के रूप में, एनआईडीएम ने प्रशिक्षण आवश्यकताओं के विश्लेषण के साथ-साथ अन्य क्षमता निर्माण/वृद्धि गतिविधियों की आवश्यकताओं के लिए एक प्रारूप तैयार करने का प्रयास किया। प्रतिभागियों को चार समूहों में विभाजित किया गया-मंत्रालय एवं संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, एसडीएमए और आरसी प्रतिनिधि, एटीआई और विश्वविद्यालय-ताकि वे एनआईडीएम के साथ सहयोगी गतिविधियों की प्राथमिकताओं पर चर्चा कर सकें।

इन समूहों की चर्चा और उसके बाद प्रस्तुतियों के परिणामों ने एनआईडीएम को अपने वार्षिक गतिविधि कैलेंडर को इस प्रकार तैयार करने में मदद की, जिसमें प्रशिक्षण सहित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में प्रयास किए जा सकें।

36. जन स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन (पीएचईडीएम) पर उच्च स्तरीय शासन और नेतृत्व शिखर सम्मेलन का 29 फरवरी 2024 को दिल्ली में आयोजन

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने यू.एस. रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों के सहयोग से सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन (पीएचईडीएम) पर एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया। नीति आयोग के माननीय सदस्य, प्रोफेसर (डॉ.) विनोद पॉल ने उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की।

शिखर सम्मेलन ने अवसरों को कुशलतापूर्वक पहचान कर, शासन को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धताओं को सुरक्षित करके और श्वेत पत्र और रोडमैप (2024–2030) तैयार करने में सर्वसम्मति को बढ़ावा देकर अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया, जिसमें पीएचईडीएम के लिए एक सुदृढ़ संस्कृति पर जोर दिया गया।

37. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण अनुसंधान सुविधा का शुभारंभ और सर्वोत्तम प्रथाओं के संकलन का 8 मार्च 2024 को दिल्ली में विमोचन

भारत के आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विश्वविद्यालयों और संस्थानों का नेटवर्क–राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (आईयूआईएनडी आरआर–एनआईडीएम) ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया, जहाँ इसने आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) में महिलाओं के अमूल्य योगदान का जश्न मनाया। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित किया गया था, जहाँ राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण अनुसंधान सुविधा का शुभारंभ किया गया।

हमारे सम्मानित अतिथियों और गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलन समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम में कई प्रतिष्ठित वक्ताओं और गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया, जैसे कि श्री राजेंद्र रत्नू, आईएएस, ईडी, एनआईडीएम, डॉ. पंकज मित्तल, महासचिव एआईयू, श्री संजीव कुमार जिंदल, गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, श्री कमल किशोर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के सदस्य सचिव, श्री राजेंद्र सिंह, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, डॉ. अलका अग्रवाल, मेवाड़ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की निदेशक और प्रो. संतोष कुमार, वरिष्ठ सलाहकार, एनआईडीएम, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। श्री रविंदर कुमार सिन्हा, कुलपति, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय भी इस महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित रहे।

इसके अलावा, इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया गया, जो एक अग्रणी पहल है जिसका उद्देश्य आपदा समुत्थानशीलता में ज्ञान और अनुसंधान को आगे बढ़ाना है। इसके अलावा, नॉलेज वर्टिकल का शुभारंभ भी किया गया, जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण में अंतर्दृष्टि और सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रचारित करने के लिए समर्पित मंच के रूप में कार्य करता है।

इस दिन ने महिलाओं की आपदा प्रबंधन में भूमिका पर एजेंडा 3: सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के संकलन के विमोचन का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी स्थापित किया। इसमें लिंग समावेशी आपदा लचीलापन को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों को प्रदर्शित किया गया।

इस दिन आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर माननीय प्रधानमंत्री के दस सूत्री एजेंडा के एजेंडा 3: आपदा जोखिम प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका पर सर्वोत्तम प्रथाओं का संग्रह जारी किया गया, जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इसने लैंगिक–समावेशी आपदा समुत्थानशीलता को बढ़ावा देने की रणनीतियों को प्रदर्शित किया

सम्मेलन/कार्यशाला/सेमिनार (दक्षिणी परिसर)

1. आपदाओं और आपातकाल में स्वास्थ्य, पोषण और (डब्ल्यूएएसएच) के एकीकरण पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय नीति कैफे, 15 दिसंबर 2023

एक दिवसीय राज्य स्तरीय नीति कैफे का आयोजन श्री राजेंद्र रत्नू (भा. प्र.से.), कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम, श्री सुदर्शन सुची, सीईओ, बाल रक्षा भारत के संरक्षण में और प्रो. संतोष कुमार, वरिष्ठ सलाहकार एवं परियोजना निदेशक, सीसीडीआरआर, एनआईडीएम के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में किया गया। इस कार्यक्रम का संयोजन डॉ. कुमार राका, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, सीसीडीआरआर, एनआईडीएम और श्री मिंटू देबनाथ– कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई और मानवीय सहायता प्रमुख, बाल रक्षा भारत द्वारा किया गया और इसमें श्री रंजन कुमार, सलाहकार, सीसीडीआरआर, श्री नितिन शर्मा, प्रशिक्षण समन्वयक, एसपीएसडीएमए और श्री नवीन शुक्ला, सहायक प्रबंधक–परियोजना, बाल रक्षा भारत ने समन्वय किया। विभिन्न विभागों से कुल 70 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जागरूकता बढ़ाने, सरकार और समुदायों की क्षमता सुदृढ़ करने पर था, जिसमें प्रमुख तैयारियों जैसे– प्राथमिक चिकित्सा, खोज और बचाव, दूरस्थ क्षेत्रों के लिए एयर एम्बुलेंस की आवश्यकता, विभिन्न विभागों और स्तरों पर विभिन्न हितधारकों के बीच अंतर–विभागीय सहयोग और संयुक्त विभागीय योजनाओं पर जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त, एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन का एक अध्याय शामिल करने, स्कूलों में शिक्षकों को प्रथम प्रतिवादी के रूप में प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। प्रतिभागियों को यह बताया गया कि एनआईडीएम ने 200+ विश्वविद्यालयों का एक समूह बनाया है और उच्च शिक्षा स्तर पर पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए विश्वविद्यालयों के साथ काम कर रहा है। एनआईडीएम ने राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स को आपदाओं और आपात स्थितियों में काम करने का प्रशिक्षण देने का आश्वासन भी दिया।

2. सीसीडीआरआर (पूर्वी राज्यों) पर एक दिवसीय क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला, 22 दिसंबर 2023

बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (सीसीडीआरआर) पर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण केंद्र (सीसीडीआरआर), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर–एनईआरसी), असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और बाल रक्षा भारत (बीआरबी) द्वारा 22 दिसंबर 2023 को एनआईआरडी एवं पंचायती राज, गुवाहाटी, असम में संयुक्त रूप से किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य बच्चों, युवाओं, समुदाय के सदस्यों, सरकारी अधिकारियों और नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) जैसे संबंधित हितधारकों के बीच

सीसीडीआरआर के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यशाला में डॉ. कुमार राका, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, सीसीडीआरआर–एनआईडीएम और संतनु चक्रवर्ती, निदेशक, कार्यक्रम समर्थन, बाल रक्षा भारत ने भाग लिया।

3. आपदाओं और आपात स्थितियों में शिक्षा और बाल संरक्षण पर कार्यशाला का 02 फरवरी 2024 को उत्तराखंड में आयोजन

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उत्तराखंड और डॉ. रघुनंदन सिंह टोलिया, उत्तराखंड प्रशासन अकादमी, बाल रक्षा भारत (जिसे सेव द चिल्ड्रन के नाम से भी जाना जाता है) के साथ मिलकर डॉ. आर.एस. टोलिया, उत्तराखंड प्रशासन संस्थान (एटीआई), नैनीताल, उत्तराखंड में 'आपदाओं और आपात स्थितियों में शिक्षा और बाल संरक्षण' पर एक दिवसीय नीति कार्यशाला का आयोजन किया है। कार्यशाला में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि किसी भी आपदा के समय, बच्चों, महिलाओं और उनके समुदायों को इससे उबरने और फिर से उभरने के लिए समग्र समर्थन की आवश्यकता होती है। बच्चे ऐसी आपदाओं से सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं। आपातकाल के दौरान बाल संरक्षण और हर बच्चे की सीखने की निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। कार्यशाला का संचालन श्री राजेंद्र रत्नू आईएएस, ईडी, एनआईडीएम ने किया, उसके बाद प्रोफेसर संतोष कुमार, वरिष्ठ सलाहकार, एनआईडीएम, डॉ. रंजीत सिन्हा, सचिव, यूएसडीएमए और श्री. सुदर्शन सुचि, सीईओ, बाल रक्षा भारत (बीआरबी)। अन्य वक्ताओं में डॉ. कुमार राका, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, सीसीडीआरआर, एनआईडीएम, श्री बी.बी. गडनायक, यूएसडीएमए, श्री मोहित चौधरी (डब्ल्यूसीडी), श्री शांतनु चक्रवर्ती (बीआरबी), श्री अनिल ध्यानी (शिक्षा), डॉ. शाहीन अंसारी, सीआरवाई (बाल अधिकार और यू) और सुश्री पल्लवी कुलश्रेष्ठ (ड्रीम ए ड्रीम फाउंडेशन) शामिल थे।

4. बाल–केन्द्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर क्षेत्रीय स्तरीय परामर्श कार्यशाला (मध्य राज्य) का 09 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश में आयोजन

बाल रक्षा भारत के सहयोग से एनआईडीएम दक्षिण परिसर में उत्तरी क्षेत्र के लिए बाल–केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (सीसीडीआरआर) पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। डॉ. कुमार राका, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, सीसीडीआरआर, एनआईडीएम ने सीसीडीआरआर पर आगे की चर्चा शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीसीडीआरआर टीम ने श्री राजेंद्र रत्नू, आईएएस, ईडी, एनआईडीएम और प्रो. संतोष कुमार (वरिष्ठ सलाहकार, एनआईडीएम) को उनके नेतृत्व के लिए आभार व्यक्त किया। श्री डी.सी. राणा (विशेष सचिव, एचपीएसडीएमए), श्री जगन्नाथ पति (निदेशक, सीएआरए), कर्नल पीएस रेड्डी (जेडी, एनआईडीएम, साउथ कैंपस) और श्री शांतनु चक्रवर्ती (निदेशक, बीआरबी) को उनके मूल्य संवर्धन और योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। अन्य वक्ताओं में प्रो. तन्नू मलिक (एनसीईआरटी), श्री अभिजीत निर्मल (बीआरबी), डॉ. सुरेश ठाकुर (एचपीएसडीएमए), डॉ. अजंता गोस्वामी (आईआईटी रुड़की), श्री रमीज अहमद (शैक्षणिक अधिकारी) और सुश्री डॉल्फी रमन (डीआरआर सलाहकार) शामिल थे। इस कार्यक्रम में नवीन रणनीतियों की खोज की गई और एक गतिशील शिक्षण वातावरण को बढ़ावा दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप राज्यों के लिए मसौदा नीति सिफारिशें तैयार की गईं।

5. सीसीडीआरआर (दक्षिणी राज्यों) पर एक दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला, 16 फरवरी 2024, आंध्र प्रदेश

बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (सीसीडीआरआर) पर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण केंद्र (सीसीडीआरआर), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम), राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश और बाल रक्षा भारत द्वारा 16 फरवरी 2024 को एनआईडीएम (दक्षिण परिसर), विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में संयुक्त रूप से किया

गया। सीसीडीआरआर– एनआईडीएम के वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी डॉ. कुमार राका ने बच्चों के समक्ष आने वाली विभिन्न कमजोरियों और जोखिमों तथा स्वास्थ्य, पोषण, संरक्षण और शिक्षा जैसी क्षेत्रीय प्रतिक्रिया आवश्यकताओं को समझने के महत्व का एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत किया ताकि आपदाओं और आपात स्थितियों से उत्पन्न बहुआयामी चुनौतियों का समाधान किया जा सके। कर्नल पी.एस.रेड्डी, संयुक्त निदेशक, एनआईडीएम ने कार्यशाला के महत्व और आपदाओं और आपात स्थितियों के क्षेत्र में सीसीडीआरआर की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। बाल रक्षा भारत के निदेशक, कार्यक्रम समर्थन, श्री सांतनु चक्रवर्ती ने अपने विशेष संबोधन में, माननीय प्रधानमंत्री की सभी को मिलकर विकसित राष्ट्र–विकसित भारत के सपने को साकार करने की आह्वान के जवाब में, बच्चों पर केंद्रित और समग्र दृष्टिकोण अपनाने के महत्व पर जोर दिया।

आमने-सामने प्रशिक्षण कार्यक्रम (दिल्ली परिसर)

1. शहरों में शहरी आपदा समुत्थानशीलता और जलवायु जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, मध्य प्रदेश, 17–19 अप्रैल 2023

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में मौजूद दक्षता और शहरी परिवेश में उनके परस्पर जुड़ाव को समझना।

ख) जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के बीच जटिल संबंधों को समझना। यह स्वीकार करना कि शहरी क्षेत्रों को आपदा समुत्थानशीलता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने की दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो दोनों ही संयुक्त राष्ट्र के एसडीजी की प्राप्ति में बाधा डाल सकते हैं।

ग) समुत्थानशील विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय संदर्भों में एसडीजी को अनुकूलित करने की संभावनाओं को इंगित करने की क्षमता मौजूद है।

घ) भविष्य में सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए साथी प्रतिभागियों के साथ संबंध और सहकारी प्रयासों की स्थापना को प्राप्त करना।

च) भवन संहिताओं के निर्माण, विवेकपूर्ण भूमि उपयोग नियोजन और बुनियादी ढांचे में निवेश सहित सक्रिय उपायों का कार्यान्वयन आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के खिलाफ शहरों को प्रभावी ढंग से मजबूत करता है।

2. भूकंप और शहरी एवं औद्योगिक आग पर ध्यान केंद्रित करते हुए दिल्ली की आपदा प्रबंधन योजनाओं के अद्यतन पर राज्य स्तरीय परामर्श, दिल्ली, 18–20 अप्रैल 2023

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) जोखिम-सूचित नियोजन, सूक्ष्म-क्षेत्रीय अध्ययन और इन –ष्टिकोणों को प्राथमिकता देने के माध्यम से एक ठोस आधार बनाने के लिए भूकंपीय जोखिमों को व्यापक रूप से समझना ताकि हमारे निर्मित पर्यावरण की सुदृढ़ता को बढ़ाया जा सके।

ख) समुत्थानशील कार्यक्रम के लिए भवन विनियमन विनियामक क्षमताओं को बढ़ाने और सुरक्षित, अधिक सुदृढ़ निर्मित वातावरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

ग) औद्योगिक जोखिमों के बारे में जानकारी प्राप्त करना और गहन जोखिम मूल्यांकन अध्ययन करना औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सर्वोपरि है।

घ) प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, अनुदेशात्मक मॉड्यूल और प्रकाशनों के माध्यम से बुनियादी सार्वजनिक जागरूकता पैदा करना अपरिहार्य है। व्यक्तियों को शिक्षित करने और सुरक्षा-उन्मुख संस्कृति विकसित करने के लिए इन पहलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए

च) मजबूती बढ़ाना बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के भीतर कोड को कुशलतापूर्वक लागू करने में सिविल इंजीनियरों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करने पर निर्भर करता है। अपेक्षित प्रशिक्षण प्रदान करने और उनकी क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक केंद्रित प्रयास किया जाना चाहिए।

च) भवन और व्यवसाय परमिट जारी करने की प्रक्रियाओं को कुशलतापूर्वक सुव्यवस्थित और निगरानी करने से परमिट अधिग्रहण प्रक्रिया में काफी तेजी आ सकती है।

3. अग्नि सुरक्षा और भूकंप जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, गोवा, 19–21 अप्रैल 2023

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) अपने आस-पास के क्षेत्र में संभावित आग के खतरों और भूकंप की संवेदनशीलता को पहचानने के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान।

ख) आपात स्थितियों के दौरान प्रभावी संचार के महत्व को रेखांकित करें, जिसमें निर्दिष्ट चैनलों का उपयोग करना और अफवाह फैलाने से बचना शामिल है।

ग) प्रतिभागियों को स्थापित प्रोटोक,ल और प्रक्रियाओं का पालन करके अपनी और दूसरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करें।

घ) स्थानीय कानूनों, बुनियादी ढांचे और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए प्रतिभागियों के आस-पास के अनूठे संदर्भ के अनुसार अग्नि सुरक्षा और भूकंप की तैयारी के दृष्टिकोण को तैयार करने के महत्व पर जोर दें।

च) राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के सहयोग से मॉकड्रिल का व्यावहारिक प्रदर्शन आयोजित करें।

4. घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस) पर प्रशिक्षण कार्यक्रमः बुनियादी और मध्यवर्ती, सिक्किम, 25–27 अप्रैल 2023

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) प्रभावी समन्वय सर्वोपरि हो जाता है क्योंकि कई एजेंसियां आपात स्थितियों के दौरान प्रतिक्रिया देने के लिए अच्छे इरादे से आगे आती हैं। घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस) एक सुसंगत और कुशल प्रतिक्रिया दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए रणनीति स्थापित करती है।

ख) आईआरएस के भीतर विभिन्न प्रशिक्षित हितधारकों द्वारा निभाई जाने वाली विविध भूमिकाएँ बढ़ी हुई प्रतिक्रिया दक्षता में योगदान करती हैं।

ग) आईआरएस की प्रभावशीलता को व्यापक प्रतिक्रिया प्रक्रिया के साथ जोड़ा जाना चाहिए, जिसमें आपदा प्रबंधन योजना, आपातकालीन संचालन केंद्र (ईओसी), घटना डेटा और रिपोर्टिंग नेटवर्क (आईडीआरएन), और आपातकालीन सहायता कार्य (ईएसएफ) जैसे तत्व शामिल हैं।

घ) आपातकालीन संचालन केंद्र (ईओसी) ऑन-साइट संचालन के लिए एक सुविधाकर्ता के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो एक प्रभावी प्रतिक्रिया वातावरण को बढ़ावा देता है।

च) प्रशिक्षण सामग्री में वीडियो संसाधन शामिल होने चाहिए जो सीखने के अनुभव को समृद्ध करने के लिए नियोजन बैठकों, संचालन बैठकों और पूर्व-योजना बैठकों को कवर करते हैं।

छ) व्यापक प्रशिक्षण सत्रों में आईआरएस के क्षेत्र-विशिष्ट अनुप्रयोगों पर भी गहन चर्चा होनी चाहिए ताकि प्रतिभागियों को अच्छी तरह से समझ मिल सके।

5. आपदा प्रबंधन में मनोसामाजिक देखभाल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, ओडिशा, 25–27 अप्रैल 2023

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) आपदा से बचे लोगों की प्रतिक्रियाएँ आपदा जैसी असामान्य स्थितियों के प्रति सामान्य प्रतिक्रियाएँ हैं।

ख) बचे लोगों को देखभाल करने वालों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उन पर कोई निर्णय दिए बिना उन्हें स्वतंत्र बनाने का प्रयास करना चाहिए।

ग) आपदा से बचे लोगों के साथ काम करते समय मनोसामाजिक देखभाल की सात तकनीकों को अन्य सेवाओं के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।

घ) आपदाओं में बच्चे और महिलाएँ अधिक असुरक्षित समूह होते हैं, इसलिए उनके साथ काम करते समय अलग-अलग तकनीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

च) आपदा की स्थिति में काम करते समय देखभाल करने वालों को खुद को बर्नआउट से बचाने के प्रयास करने चाहिए।

6. आपदाओं के प्रति शहरी तन्यकता के लिए शमन उपायों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, दिल्ली, 26–28 अप्रैल 2023

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) केवल उन पर प्रतिक्रिया करने के बजाय जोखिमों को कम करने और संभावित प्रभावों को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। निवारक उपाय करके, हम नुकसान को कम कर सकते हैं और एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित कर सकते हैं।

ख) समुत्थानशीलता बढ़ाने के लिए नीति कार्यान्वयन के महत्व पर जोर दें। आपदा प्रबंधन के लिए नीतिगत उपाय महत्वपूर्ण हैं, और लोगों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त प्रवर्तन आवश्यक है।

ग) प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान को सरकार के आदेश का पालन करते हुए एक आपदा प्रबंधन योजना तैयार करनी चाहिए जो उन्हें आपात स्थितियों के लिए तैयार रहने और छात्रों, कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करने में मदद करेगी।

घ) आपात स्थितियों के लिए तैयार रहने के लिए आपदा प्रबंधन योजना के आधार पर मॉक ड्रिल की जानी चाहिए।

च) वरिष्ठ अधिकारियों और संस्थानों के प्रमुखों को आपदा प्रबंधन के महत्व के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

छ) आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु संरचनात्मक एवं गैर–संरचनात्मक शमन उपायों के कार्यान्वयन के लिए शमन योजना पर पर्याप्त जोर देने की आवश्यकता है।

7. बुनियादी ढांचे की सुदृढ़ता और खाद्य सुरक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, असम, 02–04 मई 2023

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) बुनियादी ढांचे की मजबूती और खाद्य सुरक्षा एक दूसरे से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। सुदृढ़ बुनियादी ढांचा उत्पादन, प्रसंस्करण, वितरण और खाद्य तक पहुंच के लिए महत्वपूर्ण है।

ख) जलवायु परिवर्तन बुनियादी ढांचे और खाद्य सुरक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करता है। चरम मौसम की घटनाएं बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकती हैं और कृषि उत्पादन को बाधित कर सकती हैं, जिससे सुदृढ़ बुनियादी ढांचे और जलवायु–स्मार्ट कृषि पद्धतियों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

ग) ग्रामीण बुनियादी ढांचे, जैसे कि सड़कें, सिंचाई प्रणाली और कटाई के बाद की सुविधाओं में निवेश, किसानों की बाजारों तक पहुंच में सुधार करता है और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करता है, जिससे खाद्य सुरक्षा में वृद्धि होती है।

घ) स्मार्ट ग्रिड और सटीक कृषि तकनीक जैसी तकनीकी प्रगति, बुनियादी ढांचे की मजबूती में सुधार कर सकती है और खाद्य उत्पादन और वितरण प्रणालियों को अनुकूलित कर सकती है।

च) सरकारें नीति निर्माण और योजना के माध्यम से बुनियादी ढांचे की मजबूती और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बुनियादी ढांचे के विकास की योजनाओं में मजबूत उपायों को शामिल करना और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना।

छ) सिंचाई प्रणाली, बांध और जल भंडारण सुविधाओं जैसे सुदृढ़ बुनियादी ढांचे से खेती के लिए पानी तक विश्वसनीय पहुंच सुनिश्चित करने में मदद मिलती है, जिससे खाद्य सुरक्षा बढ़ती है।

ज) सुदृढ़ बुनियादी ढांचे और खाद्य सुरक्षा को सामाजिक समानता को प्राथमिकता देनी चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि कमजोर आबादी के पास आवश्यक सेवाओं और पर्याप्त भोजन तक पहुंच हो।

8. बाढ़ जोखिम प्रबंधन के लिए प्रोंतिक और प्रेंति आधारित विधियों पर राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण, दिल्ली, 09–11 मई 2023

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) बाढ़ जोखिम प्रबंधन परियोजनाओं में समुदाय को शामिल करना और समुदायों के लिए समान परिणाम सुनिश्चित करना।

ख) शहरी बाढ़ों का प्रभावी प्रबंधन करने के लिए शहरी परिवेशों द्वारा उत्पन्न विशिष्ट चुनौतियों को समझना आवश्यक है, जिसमें अभेद्य सतहें, संशोधित जलमार्ग और घनी आबादी शामिल हैं।

ग) बाढ़ जोखिम प्रबंधन परियोजनाओं के भीतर अपरिहार्य भूमिकाओं की निगरानी और मूल्यांकन करना, प्रगति ट्रैकिंग, समस्या की पहचान और परियोजना प्रभावकारिता के आकलन की सुविधा प्रदान करता है।

घ) निगरानी के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाना बाढ़ जोखिम प्रबंधन परियोजनाओं में जवाबदेही, स्वामित्व और लागत–दक्षता को बढ़ावा देता है।

च) निगरानी विधियों और मापदंडों का चयन प्रभावकारिता और लागत विचारों के बीच संतुलन बनाता है।

छ) बाढ़ जोखिम प्रबंधन परियोजनाओं के मूल्यांकन में सहायता और महत्व, व्यक्तिगत विधियों के साथ–साथ समग्र परियोजना को शामिल करना।

9. स्कूल सुरक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, हिमाचल प्रदेश, 22–26 मई 2023

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) स्कूल सुरक्षा के मामले में बड़ी आपदाओं के साथ–साथ छोटी आपदाओं की रोकथाम को भी शामिल करने की आवश्यकता है।

ख) स्कूल पाठ्यक्रम में छात्रों के लिए आपदा जोखिम में कमी लाने के व्यावहारिक तरीकों को शामिल किया जाना चाहिए, न कि स्कूल पाठ्यक्रम को ओवरलोड करना चाहिए।

ग) स्कूल आपदा प्रबंधन योजनाएँ विकसित करने के लिए सभी स्कूलों द्वारा विस्तृत एचआरवीसी विश्लेषण किया जाना चाहिए।

घ) स्कूलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए छात्रों, शिक्षकों और प्रबंधन को खोज और बचाव, प्राथमिक चिकित्सा और अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

ङ) स्कूलों में पिछली आपदाओं से सीखे गए सबक पर स्कूल अधिकारियों द्वारा विचार किया जाना चाहिए और स्कूल सुरक्षा की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें शामिल किया जाना चाहिए।

10. केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर (सीबीआरएन) पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, दिल्ली, 22–26 मई 2023

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) सीबीआरएन गतिविधियों के लिए विशिष्ट जोखिम मूल्यांकन और पहचान नागरिक सुरक्षा के लिए प्रभावी आपदा प्रबंधन विकसित करने में एक महत्वपूर्ण कदम था।

ख) आपदा स्थितियों में विभाग के भीतर विभिन्न लाइन संगठनों/कार्यालयों के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन

ग) स्थानीय आबादी के बीच सहयोग और जागरूकता निर्माण के माध्यम से सीबीआरएन आपदा प्रबंधन में स्थानीय समुदायों और हितधारकों के साथ जुड़ना एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में उजागर किया गया।

घ) प्रतिभागियों को आपात स्थितियों के दौरान संसाधनों को प्रभावी ढंग से आवंटित करने की प्रक्रिया के बारे में शिक्षित

किया गया, जैसे संसाधनों की जरूरतों को समझना, उनके उपयोग को प्राथमिकता देना और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना।

च) कार्यक्रम ने सीबीआरएन आपदाओं के कारण होने वाले व्यवधानों को कम करने के लिए जागरूकता विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

छ) प्रतिक्रिया क्षमताओं में सुधार करने और समग्र तैयारी को बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास और अभ्यास आयोजित करने का महत्व।

11. साइबर आपदा जोखिम न्यूनीकरण और तन्यकता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, दिल्ली, 30 मई– 01 जून 2023

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) साइबर सुरक्षा खतरों को कम करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहने के लिए नवीनतम खतरों और कमजोरियों के बारे में जानकारी रखना महत्वपूर्ण है।

इ) यह सुनिश्चित करना कि कर्मचारी साइबर स्वच्छता के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं से अवगत हैं, जैसे कि मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना, फिशिंग प्रयासों की पहचान करना और सॉफ्टवेयर को अद्यतित रखना, साइबर हमलों को रोकने में एक लंबा रास्ता तय कर सकता है।

ब) जोखिम न्यूनीकरण का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू उचित सुरक्षा उपायों को लागू करना है, जैसे कि फायरवॉल, घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली आदि।

क) महत्वपूर्ण डेटा का नियमित बैकअप भी साइबर हमले के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है, क्योंकि यह खोए या चोरी हुए डेटा को जल्दी से पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देता है।

म) साइबर हमले के मामले में स्पष्ट घटना प्रतिक्रिया योजना मौजूद होनी चाहिए जिसमें रोकथाम, जांच और पुनर्प्राप्ति के साथ-साथ हितधारकों के साथ संचार के लिए कदम शामिल हों।

12. जन स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन (पीएचईडीएम) टियर–III, राजस्थान, 30 मई– 01 जून 2023

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) आपात स्थितियों, आपदाओं, जन स्वास्थ्य आपात स्थितियों और आपातकालीन प्रबंधन के साथ-साथ एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण का बुनियादी विवरण।

ख) तकनीकी सत्रों, समूह गतिविधियों और इन-हाउस मॉक ड्रिल के माध्यम से परिचालन-स्तर के कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाना।

ग) शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाना, प्रतिभागियों को उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम बनाना।

घ) जन स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय रूपरेखाओं पर चर्चा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (आईएचआर) 2005, विश्व

स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दायित्व, सेंडाई फ्रेमवर्क, सतत् विकास लक्ष्य और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधान शामिल हैं।

13. चरम मौसम की घटनाओं के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपाय, बिहार, 30 मई–02 जून 2023

मुख्य बातें धसिफारिशें

क) वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि मौसम के पैटर्न में व्यापक बदलाव से जुड़ी है।

ख) मानव–प्रेरित जलवायु परिवर्तन के साथ गर्मी की लहरों और बड़े तूफानों जैसी चरम मौसम की घटनाओं के अधिक लगातार या तीव्र होने की संभावना है।

ग) जलवायु परिवर्तन से प्रेरित चरम मौसम की घटनाओं का जीवन, संपत्ति और बुनियादी ढांचे पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जिससे मानवीय और आर्थिक नुकसान होता है।

घ) जलवायु परिवर्तन और परिणामी घटनाओं की बेहतर समझ विकसित करने की आवश्यकता है।

च) राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों के लिए व्यापक जलवायु डेटा विकसित करने की आवश्यकता है। साथ ही, वर्तमान जलवायु परिवर्तनशीलता को समझने और भविष्य के जलवायु पैटर्न की भविष्यवाणी करने के लिए बेहतर जलवायु म,डलिंग की आवश्यकता है।

छ) भारत जैसे अत्यधिक संवेदनशील देश के लिए व्यापक बहु–खतरा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करना अनिवार्य है।

ज) चिंता का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र आपदाओं के दौरान संचार है। व्यापक संचार नेटवर्क विकसित करने की आवश्यकता है जो आपदा के दौरान और बाद में मदद कर सके।

14. रासायनिक जैविक रेडियोलॉजिकल और परमाणु (सीबीआरएन) पर टीओटी कार्यक्रम, दिल्ली, 12–16 जून 2023

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) प्रतिभागियों को आपात स्थितियों के दौरान संसाधनों को प्रभावी ढंग से आवंटित करने की प्रक्रिया के बारे में शिक्षित किया गया, जैसे कि संसाधनों की जरूरतों को समझना, उनके उपयोग को प्राथमिकता देना और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना।

ख) आपदा स्थितियों में विभाग के भीतर विभिन्न लाइन संगठनों/कार्यालयों के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन।

ग) सीबीआरएन घटनाओं से जुड़े जोखिमों का आकलन करना, संभावित प्रभावों का मूल्यांकन करना और इन जोखिमों को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए रणनीति विकसित करना सीखना।

घ) सीबीआरएन गतिविधियों के लिए विशिष्ट जोखिम मूल्यांकन और पहचान नागरिक सुरक्षा के लिए प्रभावी आपदा प्रबंधन विकसित करने में एक महत्वपूर्ण कदम था।

ड) कार्यक्रम ने सीबीआरएन आपदाओं के कारण होने वाले व्यवधानों को कम करने के लिए जागरूकता विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

च) प्रतिक्रिया क्षमताओं में सुधार करने और समग्र तैयारी को बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास और अभ्यास आयोजित करने का महत्व।

छ) स्थानीय आबादी के बीच सहयोग और जागरूकता निर्माण के माध्यम से सीबीआरएन आपदा प्रबंधन में स्थानीय समुदायों और हितधारकों के साथ सहभागिता को एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में रेखांकित किया गया।

15. पारंपरिक आवास निर्माण प्रथाओं को आधुनिक तकनीक के साथ सम्मिश्रण करने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 13–15 जून 2023, हिमाचल प्रदेश

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) शहर की क्षमताओं, कमजोरियों और संसाधनों की उपलब्धता का आकलन करने की आवश्यकता है।

ख) राज्य के हितधारकों को इस तरह की प्रशिक्षण कार्यशालाओं के माध्यम से अपडेट किया जाना चाहिए। हालाँकि, यह प्रशिक्षण कार्यशाला एक राज्य स्तरीय कार्यशाला थी जिसे हितधारकों को अधिक शिक्षित करने के लिए जिला और ब्ल,क स्तर पर भी आयोजित किया जाना चाहिए।

ग) यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि संरचना सुरक्षित है या नहीं, इसके अलावा इसकी उपस्थिति और इसके लिए हर संरचना का हर विनाशकारी स्थिति के लिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

घ) सम्मिश्रण तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण कार्यशाला के माध्यम से सभी प्रतिभागियों को एक नया आयाम प्रदान करना क्योंकि वर्तमान स्थिति में ऐसे प्रयास वास्तव में बहुत उपयोगी हैं।

ड) जलवायु परिवर्तन आपदाओं की तीव्रता और आवृत्ति को बढ़ाने के अलावा स्वास्थ्य, परिवहन बुनियादी ढांचे और महत्वपूर्ण प्रणालियों को प्रभावित करता है।

16. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और राष्ट्रीय आपदा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, सिक्किम, 13–15 जून 2023

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) आपदा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण मंच, प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए डेटा को केंद्रीकृत करता है, और तैयारी और पुनर्प्राप्ति प्रयासों को बढ़ाता है।

ख) प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए फाउंडेशन खतरों और कमजोरियों पर प्रासंगिक जानकारी एकत्र करता है।

ग) मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है, साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने की जानकारी देता है।

घ) आपदाओं के दौरान वास्तविक समय समन्वय के लिए पोर्टल दक्षता, समय पर और सटीक अपडेट सुनिश्चित करता है।

ङ) सूक्ष्म से लेकर वृहद स्तर तक विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को एकीकृत करता है।

17. डीआरआर: शासन, योजना और रणनीति, 15–17 जून 2023, लद्दाख

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) प्राकृतिक खतरों और परिणामी आपदाओं के बीच अंतर करने सहित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) के मूल सिद्धांतों की ठोस समझ।

ख) खतरों, कमजोरियों और उपलब्ध संसाधनों के मानचित्रण में भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) और रिमोट सेंसिंग के महत्व को पहचानें।

ग) आपदाओं के प्रभाव को कम करने में प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के महत्व को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

घ) डीआरआर प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करने की महत्वपूर्ण भूमिका को समझना।

ङ) डीआरआर पहलों को सुविधाजनक बनाने में नीतिगत ढांचे और शासन संरचनाओं के महत्व की रणनीति बनाना।

18. विभागीय आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी, 19–21 जून 2023, हिमाचल प्रदेश

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) लाइन विभागों को अपने स्वयं के खतरों, जोखिमों, कमजोरियों और क्षमताओं का आकलन करने के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान प्रदान किया जाना चाहिए।

ख) आपदा और विकास के बीच अंतर्संबंधों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, वे अलग-थलग हैं।

ग) सभी विभागों को सामूहिक रूप से आपदाओं और विकास योजनाओं के बीच संबंधों पर विचार-विमर्श करना चाहिए।

घ) लोगों की जरूरतों के इर्द-गिर्द घूमने वाली योजना विकसित करना जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आवश्यक है।

ङ) आपदा प्रबंधन योजनाओं को विकासात्मक योजना में प्रभावी रूप से एकीकृत करने के लिए विभिन्न हितधारकों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए, जिससे प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सके।

च) सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और सेंडाई फ्रेमवर्क का अभिसरण महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से जिला स्तर पर, प्रभावी आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्राप्त करने के लिए।

19. स्कूल सुरक्षा योजना और ऑडिटिंग पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, 19–23 जून 2023, उत्तराखंड

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें:

क) प्रशिक्षण सत्रों में पूर्व के उत्तराखंड आपदाओं के केस स्टडी दिखाए गए, जिससे विभिन्न खतरों जैसे भूकंप, बाढ़, बादल फटना और जंगल की आग के प्रभाव का पता चला।

ख) स्कूल बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण और शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया जाना चाहिए।

ग) बदलते जलवायु में पहाड़ी शहरों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों की जांच ने तापमान और मौसम पैटर्न में लंबे समय तक बदलाव को उजागर किया।

घ) अव्यवस्थित शहरीकरण समाज की सुरक्षा को कमजोर कर रहा है।

ङ) शहर की धारण क्षमता के साथ मेल खाते हुए योजनाबद्ध नियोजन की आवश्यकता।

च) राज्य स्तर पर निर्माण संहिताओं को एकीकृत करने और स्थानीय, नगरपालिका और पंचायत स्तरों पर विधायी समर्थन सुरक्षित करने के महत्व को मान्यता देना।

20. मंत्रालय खनिज के लाइन संगठनों/कार्यालयों द्वारा आपदा प्रबंधन योजनाओं का विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 19–23 जून 2023, दिल्ली

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें:

क) मंत्रालय खनिज के भीतर आपदा प्रबंधन के महत्व पर जोर देना और संभावित आपदाओं और उनके खनन संचालन पर संभावित प्रभाव के लिए तैयारी की आवश्यकता को रेखांकित करना।

ख) खनन गतिविधियों के लिए विशिष्ट संभावित खतरों की पहचान करना और जोखिमों का आकलन करना।

ग) संचार चौनल, निकासी प्रोटोकॉल और विविध आपात स्थितियों को संबोधित करने के लिए रणनीतियों की स्थापना कर खनन क्षेत्र के लिए अनुकूलित आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएँ बनाना।

घ) आपदाओं के समय मंत्रालय खनिज के विभिन्न विभागों/कार्यालयों के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना।

ङ) खनन कर्मचारियों के आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पहलों के महत्व पर जोर देना।

21. घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस) पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी): मूलभूत, गोवा, 20–22 जून 2023

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें:

क) ऐसे कार्यक्रमों में राजस्व कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है।

ख) योजना और पूर्व-योजना बैठकों से संबंधित पाठ्यक्रम सत्रों के वीडियो का मिश्रण शामिल किया जाना चाहिए।

ग) व्यावहारिक अनुभव वाले पेशेवरों को आपातकालीन प्रबंधन के लिए आईआरएस का उपयोग करते समय उनके अनुभवों और चुनौतियों पर चर्चा करनी चाहिए।

घ) पाठ्यक्रम का एक भाग के रूप में फील्ड विजिट शामिल करने से ठोस अनुभव मिलेगा।

च) आईआरएस को समग्र रूप से एकीकृत करने के लिए मौजूदा आपदा प्रबंधन योजनाओं की समीक्षा की आवश्यकता है।

22. घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस): मूलभूत और मध्यवर्ती, ओडिशा, 03–06 जुलाई 2023

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें:

क) आईआरएस प्रशिक्षण संबंधित राज्य के संदर्भ में परि–श्यों के आधार पर आयोजित किया जा सकता है।

ख) कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी अनिवार्य है।

ग) घटनाओं या घटनाओं के दौरान भूमिका के बारे में अधिक स्पष्टता के लिए कुछ जीवित प्रदर्शनों की आवश्यकता है।

घ) आईआरएस, एक प्रणाली के रूप में, एजेंसियों के बीच प्रभावी और समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियों प्रदान करती है।

ड़) स्पष्ट भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ प्रतिक्रिया गतिविधियों के प्रदर्शन में न्यूनतम भ्रम सुनिश्चित करती हैं।

च) आईआरएस एक बड़े प्रतिक्रिया प्रक्रिया का हिस्सा है और इसलिए इसकी प्रभावशीलता प्रक्रिया के अन्य घटकों जैसे डीएम योजना, ईओसी, आईडीआरएन और ईएसएफएस की प्रभावशीलता में निहित है।

छ) आईआरएस इस तथ्य पर आधारित है कि आईआरएस प्रणाली में उल्लिखित कार्यों को निष्पादित किया जाना चाहिए, चाहे स्थिति सक्रिय हो या न हो।

23. लंबे समय तक पुनर्प्राप्ति के लिए पीडीएनए पर टीओटी/पीडीपी, दिल्ली, 03–07 जुलाई 2023

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें:

क) आपदा पश्चात आवश्यकताओं के आकलन (पीडीएनए) को करने की क्षमता को मजबूत करना पुनर्प्राप्ति योजनाओं की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।

ख) प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम और उन्नत तकनीकों का उपयोग प्रतिभागियों की आपदाओं की समझ को बढ़ा सकता है और उन्हें उच्च स्तर पर व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने में सक्षम बना सकता है।

ग) पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण प्रयासों को सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, भूमि उपयोग के पुर्नस्थापन, सामुदायिक भागीदारी, आपदा जोखिम कमी (डीआरआर) और 'बिल्ड बैक बेटर' (बीबीबी) सिद्धांतों का एकीकरण, रोजगार, आजीविका बहाली और अनुपालन निगरानी पर प्राथमिकता देनी चाहिए।

घ) सूचना प्रबंधन, डेटा विश्लेषण और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने की आपदा प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है।

ङ) आपदाओं के दौरान और बाद में, हिंसा, जिसमें लिंग–आधारित हिंसा भी शामिल है, बढ़ सकती है, और बचाव और राहत केंद्रों में ऐसे मामलों को संबोधित और रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए।

च) आपदाओं का रोजगार और आजीविका पर प्रभाव का आकलन करने में बुनियादी डेटा इकट्ठा करना, क्षति और नुकसान का विश्लेषण करना, आपदा के बाद की रोजगार स्थितियों का आकलन करना और पुनर्प्राप्ति और आजीविका को पुनर्निर्माण के लिए रणनीतियाँ विकसित करना शामिल है।

24. आपदा प्रबंधन में मनोवैज्ञानिक देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम, तेलंगाना, 11–13 जुलाई 2023

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें:

क) आपदा स्थिति में न केवल उससे बचने वाले बल्कि देखभाल करने वालों के साथ भी सहानुभूति रखना महत्वपूर्ण है।

ख) बच्चों को मनोवैज्ञानिक देखभाल देते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए।

ग) आपदा के दौरान बच्चों को हानियों से निपटने में मदद करने के लिए पर्याप्त समय दें और विभिन्न तकनीकों का उपयोग करें।

घ) विकलांगता पुनर्वास पेशेवरों को आपदा जोखिम कमी और प्रबंधन की प्रक्रिया को अधिक समावेशी और उपयुक्त बनाने में योगदान कर सकते हैं।

च) आपदा प्रबंधन में मनोवैज्ञानिक देखभाल देने के दौरान अपनी मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना और बर्नआउट को रोकना बहुत महत्वपूर्ण है।

छ) नियमित व्यायाम, आराम के ब्रेक और साझा करने के लिए स्थान बर्नआउट को रोकने में मदद करता है।

25. आपदाओं और आपातकालीन स्थितियों में मनोवैज्ञानिक–समाज देखभाल (स्फेयर इंडिया) के साथ तकनीकी सहयोग) के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, दिल्ली, 12–14 जुलाई 2023

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें:

क) जमीनी स्तर के सलाहकारों और मनोवैज्ञानिक समर्थन प्रदाताओं के लिए समावेशी प्रशिक्षण पहलों को विकसित किया जाना चाहिए।

ख) मनोवैज्ञानिक चुनौतियों और आपदा परि–श्यों को स्पष्ट रूप से एकीकृत करके भेद्यता मानचित्रण को सुधारना चाहिए।

ग) बढ़ी हुई मनोवैज्ञानिक समस्याओं को संबोधित करने के लिए तैयारी और प्रतिक्रिया रणनीतियों को प्रभावी रूप से मजबूत किया जाना चाहिए।

घ) सभी आपदा चरणों में संवेदनशील आकलनों में मनोवैज्ञानिक पहलुओं को एकीकृत करना, भलाई के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करना चाहिए।

ङ) प्रभावी मनोवैज्ञानिक देखभाल के लिए सांस्कृतिक रूप से अनुकूल उपकरण और दिशानिर्देश विकसित करने के लिए वैश्विक साझेदारियों को बढ़ावा देना चाहिए, जो विभिन्न जनसंख्याओं की अद्वितीय आवश्यकताओं को संबोधित करें।

च) महिलाओं के लिए लिंग–संवेदनशील मनोवैज्ञानिक समर्थन कार्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए, जो आपदा पश्चात भेद्यताओं को संबोधित करें, सशक्तिकरण, भलाई और लचीलापन को बढ़ावा दें।

26. इन्सिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम (आईआरएस): बेसिक एवं इंटरमीडिएट पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, नागालैंड, 25–27 जुलाई 2023

प्रमुख निष्कर्ष/सिफारिशें:

क) कार्यक्रम में कुछ वास्तविक केस स्टडी चर्चा जोड़ने से इसकी मूल्यवृद्धि होगी, साथ ही फील्ड सेशन और व्यावहारिक सत्र भी।

ख) भूमिका स्पष्टता हेतु टीम के सदस्यों को उनके कार्यों के अनुसार विभाजित करके सभी खंडों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए।

ग) लाइव बैठकों, जैसे कि योजना बैठकें, प्री–प्लानिंग की वीडियो भी जोड़ी जानी चाहिए। ऐसे वीडियो एनडीआरएफ या आईआरएस का उपयोग करने वाले राज्यों से प्राप्त किए जा सकते हैं।

घ) आईआरएस के उपयोग पर मॉक ड्रिल को लागू करना अनिवार्य है।

ङ) आईआरएस को लागू करने वाले राज्यों के अनुभव साझा करना महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा।

27. जन स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन–व्यावसायिक विकास कार्यक्रम (पीएचईडीएम–पीडीपी) टियर–III, राजस्थान, 26–28 जुलाई 2023

प्रमुख निष्कर्ष/सिफारिशें:

क) सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन के अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय ढांचे, जैसे कि सेंदाई फ्रेमवर्क, सतत विकास लक्ष्य, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (आईएचआर) 2005 और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की प्रतिबद्धताओं पर चर्चा की गई।

ख) किसी भी आपातकालीन स्थिति को प्रभावी ढंग से संबोधित करने की क्षेत्र की क्षमता और लचीलापन को मजबूत किया गया।

ग) व्यक्तिगत शारीरिक और मानसिक कल्याण में सुधार की आवश्यकता है, ताकि वे अपने कार्यों और दायित्वों को अधिक सफलतापूर्वक निभा सकें।

घ) तकनीकी प्रशिक्षण और टीम बिल्डिंग अभ्यास के माध्यम से ऑपरेशनल–स्तर के कर्मचारियों को सशक्त बनाएं।

ङ) संबंधित हितधारकों की तत्परता और प्रतिक्रिया क्षमताओं को सुदृढ़ करने में योगदान दिया।

च) क्षेत्रीय लचीलापन बढ़ाना और किसी भी संभावित आपातकालीन परि–श्य को प्रभावी ढंग से संबोधित करना।

28. इन्सिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम: बेसिक और इंटरमीडिएट पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, अंडमान और निकोबार, 02–04 अगस्त 2023

प्रमुख निष्कर्ष/सिफारिशें:

क) एक प्रणाली के रूप में आईआरएस ऐसी रणनीतियां प्रदान करता है, जिससे प्रभावी और समन्वित प्रतिक्रिया की जा सके।

ख) प्रतिक्रिया की दक्षता बढ़ जाती है, क्योंकि आईआरएस के तहत पदों को विभिन्न प्रशिक्षित हितधारकों द्वारा निष्पादित किया जाता है।

ग) स्पष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियां प्रतिक्रिया गतिविधियों को निष्पादित करने में नगण्य भ्रम सुनिश्चित करती हैं।

घ) आईआरएस बड़ी प्रतिक्रिया प्रक्रिया के एक भाग के रूप में कार्य करता है और इसलिए इसकी प्रभावशीलता प्रक्रिया

के अन्य घटकों जैसे डीएम प्लान, ईओसी, आईडीआरएन और ईएसएफ की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है।

ङ) आईआरएस हमेशा इस तथ्य पर आधारित होता है कि आईआरएस प्रणाली में उल्लिखित कार्यों को निष्पादित किया जाना चाहिए, भले ही पद सक्रिय हो या न हो।

च) आपदाओं के लिए प्रभावी समन्वय और प्रतिक्रिया के लिए भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की स्पष्टता आवश्यक है।

छ) जवाबदेही तय करने के लिए आईआरएस का अभिन्न अंग बनने वाले फॉर्म जारी रखे जा सकते हैं, लेकिन उन्हें सरल और कम संख्या में बनाया जाना चाहिए। अधिसूचनाएं हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ की जानी चाहिए।

29. शहरी जोखिम शमन: अग्नि और भूकंप पर केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम, दिल्ली, 08–10 अगस्त 2023

प्रमुख निष्कर्ष/सिफारिशें:

क) आपदा न्यूनीकरण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इंजीनियरों, वास्तुकारों, योजनाकारों और राजमिस्त्रियों के लिए क्षमता निर्माण प्रयासों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मजबूत करना।

ख) भूकंप की समस्या के लिए सबसे अच्छा तरीका सभी मोर्चों पर एक साथ काम करना है, यानी इंजीनियरिंग, विज्ञान और उपकरण, जन जागरूकता और सार्वजनिक नीति।

ग) इमारतों के भीतर गैर-संरचनात्मक तत्वों के लिए भूकंपीय सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। क्षति की तीव्रता का आकलन करने और तदनुसार शमन और प्रतिक्रिया उपायों को तैयार करने के लिए वास्तविक पैमाने पर भूकंपीय या अग्नि सुरक्षा परीक्षण आयोजित करें।

घ) क्षति मानचित्रण का उपयोग करके संरचनात्मक स्वास्थ्य निगरानी (एसएचएम) और राजमार्गों, बांधों, रेलवे या पुलों जैसे बड़े पैमाने के बुनियादी ढांचे के लिए सेंसर और गैर-संपर्क तकनीकों को लागू करें।

ङ) केस स्टडी और बाहरी सुदृढ़ीकरण उपायों के माध्यम से मौजूदा संरचनाओं, विशेष रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के रेट्रोफिटिंग को प्राथमिकता दें। शहरी नियोजन में आपदा-प्रतिरोधी आवास प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करें, संधारणीय प्रथाओं और लाइटहाउस परियोजनाओं का लाभ उठाएं।

च) पारंपरिक निर्माण प्रथाओं के साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग करके या स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके निर्माण प्रथाओं को विकसित करने की आवश्यकता है।

30. जल भविष्य पर युवा नेतृत्व सम्मेलन, जल–संबंधित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम, दिल्ली, 21–23 अगस्त 2023

प्रमुख निष्कर्ष/सिफारिशें:

क) जल–जलवायु अंतर्संबंधों की व्यापक समझ हासिल करें, जल विज्ञान, पारिस्थितिकी, अर्थशास्त्र, नीति और सामाजिक विज्ञान का अन्वेषण करें।

ख) जलवायु विज्ञान ज्ञान के महत्व पर जोर दें, जलवायु मॉडलिंग, अनुकूलन रणनीतियों और लचीलापन सीखें।

ग) स्थायी जल प्रथाओं को समझें, संरक्षण, वाटरशेड प्रबंधन, जल गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करें।

घ) भारत में जल और जलवायु नीतियों को समझें, कानूनों, विनियमों, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का अध्ययन करें, विभिन्न स्तरों पर शासन संरचनाओं का अन्वेषण करें।

ङ) जल–जलवायु चुनौतियों के लिए अभिनव समाधान खोजें, स्मार्ट जल निगरानी, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और टिकाऊ कृषि का अध्ययन करें।

च) परिवर्तन के लिए नेतृत्व कौशल विकसित करें, संचार, टीमवर्क, बातचीत, वकालत को बढ़ाएँ।

छ) जल और जलवायु पर स्थानीय दृष्टिकोण को समझें, सामुदायिक जुड़ाव, साझेदारी निर्माण, संदर्भ–विशिष्ट समाधान सीखें।

31. ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) के एकीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश, 21–25 अगस्त 2023

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) विकास योजना में सीसीए और डीआरआर को शामिल करने के तरीकों और दृष्टिकोणों पर चर्चा की गई

ख) आपदा प्रबंधन और जलवायु प्रभार से संबंधित मुद्दों के लिए कानूनी नीति ढांचे का एकीकरण डीआरआर को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य था।

ग) विकास योजनाओं और परियोजनाओं को समग्र जोखिम न्यूनीकरण और कुशल आपातकालीन तैयारी और प्रबंधन के लिए शमन के घटकों को आत्मसात करना चाहिए।

घ) सेंडाई ढांचे और इसके एजेंडे द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को दोहराना महत्वपूर्ण है, जिसे एसडीजी के तहत की गई गतिविधियों के साथ समन्वयित किया जाना चाहिए।

ङ) डीआरआर के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार करने के लिए खतरे, जोखिम, संवेदनशीलता और क्षमता विश्लेषण उपकरणों और तकनीकों को समझना आवश्यक है।

च) बाढ़ न्यूनीकरण और स्थानीय विकास के लिए आर्द्रभूमि की बहाली उत्तर प्रदेश राज्य के लिए महत्वपूर्ण थी।

छ) अधिकांश ग्रामीण विकास राज्य और केंद्रीय योजनाओं में डीआरआर उपायों के एकीकरण की अपार संभावनाएं थीं।

ज) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए एकीत जल संसाधन प्रबंधन को पर्यावरणीय उपकरणों और दृष्टिकोणों के समावेश के साथ जीपीडीपी में स्थान मिलना चाहिए।

32. लैंगिक और आपदा प्रबंधन पर एफडीपी, महाराष्ट्र, 22–24 अगस्त 2023

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) लैंगिकता के आधार पर व्यक्तियों पर आपदाओं के असमान प्रभाव पर प्रकाश डालता है, जिसमें पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा अपनाई गई अनूठी मुकाबला रणनीतियों और पुनर्प्राप्ति दृष्टिकोणों पर जोर दिया जाता है।

ख) कार्यक्रम ने आपदा जोखिम और समुत्थानशीलता के क्षेत्र में लैंगिक गतिशीलता के जटिल आयामों के संबंध में अकादमिक संकाय के ज्ञान के आधार का महत्वपूर्ण रूप से विस्तार किया। इसने इस महत्वपूर्ण विषय की अधिक व्यापक समझ को बढ़ावा देने का काम किया।

ग) कार्यक्रम ने ऐसे नियम और आकस्मिक योजनाएँ विकसित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया जो आपदा के समय में सभी व्यक्तियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, चाहे उनका लैंगिक पहचान कुछ भी हो।

घ) एफडीपी कार्यक्रम ने लैंगिक और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी विचारों और शैक्षणिक दृष्टिकोणों के आदान-प्रदान के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया। यह आदान-प्रदान इस महत्वपूर्ण शैक्षणिक अनुशासन के भीतर शिक्षण और अनुसंधान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

33. पहाड़ी क्षेत्र के लिए सुदृढ़ बुनियादी ढांचा निर्माण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, मेघालय, 22–24 अगस्त 2023

प्रमुख निष्कर्ष/सिफारिशें:

क) पहाड़ी क्षेत्रों में लचीले बुनियादी ढांचे का विकास समय की मांग है।

ख) युवा प्रतिभागियों को बहुत सारे विचारोत्तेजक विचारों और प्रथाओं को उत्पन्न करने में पूरी तरह से शामिल होना चाहिए और उन्हें अपने पेशेवर जीवन में शामिल करना चाहिए।

ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं की गंभीरता के कारण, सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन की आवश्यकता पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

घ) विभिन्न स्तरों पर सहयोगात्मक प्रयास – क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और सामुदायिक बहुत महत्वपूर्ण हैं।

ङ) इन संवेदनशील क्षेत्रों में मानव निर्मित आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए सरकारों, स्थानीय समुदायों और संबंधित हितधारकों के बीच प्रभावी सहयोग महत्वपूर्ण है।

च) पिछली घटनाओं की जांच, कमजोरियों का आकलन और सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करके, आपदा प्रबंधन अधिकारी विभिन्न खतरों और उनके परिणामों के बारे में अपनी समझ बढ़ा सकते हैं।

छ) सतत विकास को प्राप्त करने के लिए पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के लचीलेपन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करें।

ज) कमजोर क्षेत्रों और समुदायों को पहचानना और प्रकृति के साथ प्रयासों को संरेखित करना दीर्घकालिक स्थिरता और आपदा न्यूनीकरण के लिए महत्वपूर्ण है।

34. असम के लुंबडिंग–बदरपुर पहाड़ी क्षेत्र में रेलवे तटबंधों के लिए ढलान स्थिरीकरण उपाय, 22–24 अगस्त 2023

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) पहाड़ी इलाकों में ढलान स्थिरता सिद्धांतों की व्यापक समझ पर चर्चा की।

ख) क्षेत्र में स्थलाकृति, मिट्टी के प्रकार और भूवैज्ञानिक स्थितियों से संबंधित साइट–विशिष्ट चुनौतियों पर चर्चा की।

ग) पहाड़ी इलाकों में ढलान स्थिरीकरण के लिए बहुआयामी तकनीकों पर विस्तार से चर्चा की।

घ) प्रतिभागियों के साथ परामर्श, जिसमें एनएफआर के अधिकारी और रेलवे निर्माण एजेंसियां शामिल थीं, निश्चित साइट–विशिष्ट समाधान लेकर सामने आई

च) सबसे उपयुक्त तकनीक के रूप में बायो–इंजीनियरिंग अनुप्रयोग उपायों की समझ में गहराई से जाना।

This visual narrative effectively communicates the tangible outcomes of the training program, emphasizing the power of informed strategies in transforming landscapes and mitigating environmental challenges. The growth of Vertiver Grasses stands as a testament to the program's efficacy in addressing and remedying the ecological vulnerabilities of the slopes..

छ) ढलान स्थिरीकरण के लिए वेटिवर घास को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया।

ज) लुंबडिंग डिवीजन में पायलट साइट पर वेटिवर घास लगाई गई, जिसके बाद साइट विजिट के दौरान कुछ कमजोर साइटों पर अनुभव साझा किया गया और आगे की कार्रवाई की योजना बनाई गई।

35. इन्सिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम: बेसिक और इंटरमीडिएट पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, कर्नाटक, 28 अगस्त–01 सितम्बर 2023

प्रमुख निष्कर्ष/सिफारिशें:

क) कार्यक्रम के दौरान कुछ लाइव केस स्टडी चर्चाएँ इसके महत्व को बढ़ाएंगी, जैसा कि बालासोर ट्रेन दुर्घटना के लिए किया गया था।

ख) भारतीय रेलवे के परि–श्य पर आधारित एक पूर्ण अभ्यास के बाद रोल प्ले अभ्यास किया जा सकता है।

ग) भारतीय रेलवे को बेहतर समन्वय के लिए किसी भी दुर्घटना का जवाब देने के लिए एक प्रणाली के रूप में आईआरएस को लागू करना चाहिए।

घ) भारतीय रेलवे अपने पूरे नेटवर्क के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण करने की संभावना तलाश सकता है।

ङ) आईआरएस के उपयोग पर मॉक ड्रिल जरूरी है।

च) किसी भी आपात स्थिति के दौरान सभी हितधारकों से संसाधनों को साझा करना प्रतिक्रिया प्रभावशीलता को बढ़ाता है।

छ) रेलवे को राज्य और जिला प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय के तरीके भी तलाशने चाहिए।

36. सुदृढ़ शहरी विकास के लिए जल शहरीकरण: वाराणसी, भारत, उत्तर प्रदेश का केस स्टडी 04–06 सितंबर 2023

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) प्राकृतिक प्रक्रियाओं और पारिस्थितिक सिद्धांतों का उपयोग करने जैसे प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से जल निकायों के कायाकल्प को बढ़ावा देना।

ख) जीआईएस और रिमोट सेंसिंग के उपयोग जैसे तकनीकी व्याख्याओं के माध्यम से नदी स्वास्थ्य कायाकल्प को बढ़ावा देना।

ग) प्रभावी बहाली प्रयासों के लिए सूचित और सहयोगात्मक निर्णय लेना।

घ) स्व–उपचार तंत्र और वैदिक विज्ञान प्रौद्योगिकी के साथ मिलकर परिष्कृत कायाकल्प परिणाम सामने आए।

ड़) जल संवेदनशील योजना और जल स्मार्ट शहरों पर ध्यान केंद्रित करना।

च) शहरी जल प्रबंधन के लिए समग्र, टिकाऊ और समुदाय-उन्मुख दृष्टिकोणों को अपनाना, जो शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के सामने लचीले और पर्यावरण के अनुकूल शहरों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं।

37. ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) के एकीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश, 11–15 सितंबर 2023

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) विकास योजना में सीसीए और डीआरआर को शामिल करने के तरीकों और दृष्टिकोणों पर चर्चा की गई।

ख) आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों के लिए कानूनी नीति ढांचे और दिशा-निर्देशों का एकीकरण डीआरआर को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है।

ग) डीआरआर के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार करने के लिए खतरे, जोखिम, संवेदनशीलता और क्षमता विश्लेषण उपकरणों और तकनीकों की समझ एक आवश्यकता है।

घ) विकास योजनाओं और परियोजनाओं को समग्र जोखिम न्यूनीकरण और कुशल आपातकालीन तैयारी और प्रबंधन के लिए शमन के घटकों को आत्मसात करना चाहिए।

ड़) सेंडाई ढांचे और उसके एजेंडे द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को दोहराना महत्वपूर्ण है ताकि एसडीजी के तहत की जाने वाली गतिविधियों के साथ समन्वय किया जा सके।

च) जलवायु लचीलापन एजेंडा 2030 को ग्रामीण विकास से संबंधित सभी प्रशिक्षणों में अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए।

छ) ग्राम एवं जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन रणनीतियों को शामिल किया जाना चाहिए।

ज) एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए जलवायु अनुकूल कृषि को जीपीडीपी में शामिल किया जाना चाहिए, साथ ही पर्यावरण संबंधी चिंताओं को भी शामिल किया जाना चाहिए।

38. घटना प्रतिक्रिया प्रणाली पर प्रशिक्षण कार्यक्रमः बुनियादी एवं मध्यवर्ती, शिलिंग, 11–15 सितंबर 2023

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) आईआरएस प्रभावी एवं समन्वित प्रतिक्रिया करने के लिए रणनीति प्रदान करता है।

ख) आईआरएस बड़ी प्रतिक्रिया प्रक्रिया के एक भाग के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसकी प्रभावशीलता प्रक्रिया के अन्य घटकों जैसे डीएम योजना, ईओसी, आईडीआरएन एवं ईएसएफ की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है।

ग) भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों की स्पष्टता ने प्रतिक्रिया गतिविधियों को निष्पादित करने में नगण्य भ्रम सुनिश्चित किया।

घ) प्रतिक्रिया की दक्षता बढ़ जाती है, क्योंकि आईआरएस के अंतर्गत पदों का निष्पादन विभिन्न प्रशिक्षित हितधारकों द्वारा किया जाता है।

ङ) ऐसे प्रशिक्षणों के दौरान आईआरएस के क्षेत्रीय अनुप्रयोगों को भी स्पष्ट किया जाना चाहिए।

च) आईआरएस हमेशा इस तथ्य पर आधारित है कि आईआरएस प्रणाली में उल्लिखित कार्यों को निष्पादित किया जाना चाहिए, भले ही स्थिति सक्रिय हो या नहीं।

39. हिमाचल प्रदेश में स्कूल सुरक्षा पर मास्टर ट्रेनर्स कार्यक्रम, 12–14 सितंबर 2023

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) हिमाचल प्रदेश सरकार स्कूल सुरक्षा परियोजना के तहत स्कूल सुरक्षा योजनाएं और आपदाओं के प्रति तैयारियां सुनिश्चित कर रही है।

ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने मजबूत और टिकाऊ बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को रेखांकित किया।

ग) समुदायों को जागरूक किया जाना चाहिए और उन्हें समानता व गुणवत्ता पर आधारित लैंगिक भेदभाव से मुक्त शिक्षा प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

घ) प्रत्येक स्कूल के लिए आपदा प्रबंधन समिति द्वारा स्कूल आपदा प्रबंधन योजना (एसडीएमपी) तैयार करने हेतु स्पष्ट दिशानिर्देश बनाए जाने चाहिए।

ङ) हमारे स्कूलों की क्षमता निर्माण के लिए बहु-जोखिम तैयारियों और शमन –ष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए।

च) भूकंप से प्रभावित पुराने और कमजोर स्कूल भवनों के लिए पुनर्संरचना उपाय अपनाए जाने चाहिए।

छ) राज्य सरकार को स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में सहायता करनी चाहिए ताकि स्वास्थ्य और सुरक्षा उपकरणों को लागू करने के लिए उन्हें पर्याप्त धन उपलब्ध हो सके।

ज) छात्रों को यह जानकारी अपने घर और समुदाय में साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो उन्होंने मॉक ड्रिल या आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रमों से प्राप्त की है।

40. जन स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्र पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (पीएचईडीएम), गुजरात, 13–15 सितंबर 2023

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन और आपदाओं के प्रबंधन के लिए बहु-क्षेत्रीय, बहु-विषयक और बहु-स्तरीय समन्वय को मजबूत करना।

ख) आईएमएस/आईआरएस अनुप्रयोगों का उपयोग करके राज्य की क्षमता में जोखिम मानचित्रण, रोकथाम, तैयारी, शमन, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति में वृद्धि करना।

ग) खतरा और जोखिम पहचान और जोखिम आकलन (टीएचआईआरए)/जोखिम संचार की अवधारणा और विवरण से परिचित होना।

घ) प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्र (पीएचईओसी) के बुनियादी ढांचे और सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं की समझ प्रदान करना।

ङ) पीएचईडीएम के संबंध में प्रवेश बिंदुओं (पीओई) पर तैयारी और प्रतिक्रिया की मूल अवधारणाएं प्रदान करना।

च) मेंटर-मेंट्री तंत्र का विकास करना जिसमें मेंटर को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन और आपदा प्रबंधन के बारे में अवगत कराया गया और प्रभावी मेंटरिंग के लिए रणनीतियों पर चर्चा की गई।

41. व्यापक आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, दिल्ली, 18–22 सितंबर 2023

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) संपूर्ण जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) परिवार में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता। इसलिए, जेएनवी आयुक्तों, उप आयुक्तों, प्रधानाचार्यों और अन्य अधिकारियों के साथ होने वाली हर बैठक में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एक सत्र होना चाहिए।

ख) कार्यक्रम में जेएनवी के विभिन्न स्थानों से अधिक केस स्टडी पर चर्चा की जानी चाहिए।

ग) प्रत्येक जेएनवी में छात्रों के लिए मनो-सामाजिक परामर्श कक्ष बनाने का प्रावधान होना चाहिए।

घ) जेएनवी के विभिन्न हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है, और विधानसभा के दौरान आपदा प्रबंधन पर चर्चा के लिए समय निर्धारित किया जाना चाहिए।

ङ) जिला अधिकारियों और अंतर-विद्यालय की नियमित बैठकों से समन्वय की समस्याओं का समाधान हो सकता है।

च) जेएनवी एक बंद इकाई हैं, क्योंकि ये आवासीय स्कूल हैं जहाँ कर्मचारी, परिवार और छात्र परिसर के भीतर रहते हैं। इस कारण आपदा प्रबंधन और जोखिम न्यूनीकरण जागरूकता की आवश्यकता होती है।

42. बुनियादी ढांचा सुरक्षा ऑडिटिंग सिस्टम, उत्तर प्रदेश, 19–21 सितंबर 2023

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) भूकंप जोखिमों को कम करने, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और टिकाऊ और मजबूत समुदायों को बढ़ावा देने के लिए सु–ढीकरण का आवश्यक है।

ख) आवास और भवन सुरक्षा में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) को मुख्यधारा में लाने के महत्व पर चर्चा की गई, जिसमें डीआरआर सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को संरचनाओं की योजना, निर्माण और रखरखाव की मुख्यधारा प्रक्रियाओं में एकीत करना शामिल है।

ग) संरचनाओं की फोरेंसिक जांच महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो संरचनात्मक विफलताओं या क्षति के कारणों का आकलन करने में सहायक होती है।

घ) संरचनाओं की निगरानी के लिए सेंसर सिस्टम का प्रभाव महत्वपूर्ण है, जिससे संरचनात्मक मुद्दों का प्रारंभिक पता लगाने, प्रदर्शन अनुकूलन, दूरस्थ निगरानी और पहुंच को सक्षम किया जा सकता है।

ड़) पहाड़ी क्षेत्रों में संरचनात्मक विफलताओं को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ की भू–आकृतिक स्थिति और भौगोलिक चुनौतियों के कारण यह अनिवार्य है। इसके अंतर्गत प्रमुख बिंदु हैं– भूवैज्ञानिक कारक, ढलान स्थिरता, सामग्री का चयन और भूकंप गतिविधि के अनुकूलन।

43. आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण, तमिलनाडु, 25–27 सितंबर 2023

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) प्रतिभागियों को आपदा प्रबंधन के सिद्धांतों का व्यापक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिसमें तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्प्राप्ति, और शमन के चरण शामिल हैं।

ख) आपदा के दौरान बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत व्यक्तियों और विभागों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया।

ग) आदेश श्रृंखला और घटना रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं की समझ विकसित की।

घ) आपदा के दौरान, आंतरिक और बाहरी संचार की स्पष्टता और समयबद्धता का महत्व।

ढ़) विभिन्न संचार उपकरणों और तकनीकों (सामुदायिक रेडियो) के उपयोग को रेखांकित किया।

च) प्रतिभागियों को बंदरगाहों, शिपिंग और जलमार्ग सुविधाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएं विकसित करने और लागू करने का ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए।

छ) बाहरी एजेंसियों और अन्य हितधारकों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करने और बनाए रखने के तरीकों से प्रतिभागियों को अवगत कराया।

ज) आपदा प्रबंधन प्रयासों को बेहतर बनाने के लिए नियमित योजना समीक्षा, अभ्यास और सबक सत्रों के महत्व पर प्रकाश डाला।

44. आपदा तैयारी के लिए खरीद अधिकारी: (नए और अनुभवी प्रोफेशनल्स का इंडक्शन और रिफ्रेशर), दिल्ली, 25–28 सितंबर 2023

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) खरीद अधिकारियों को उनके क्रय गतिविधियों से जुड़े संभावित आपदा जोखिमों के बारे में जागरूक होना आवश्यक है।

ख) प्रतिभागियों को आपातकालीन खरीद प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें आपदा के बाद आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए त्वरित खरीद शामिल है।

ग) आपदा तैयारी के लिए आपूर्तिकर्ताओं के साथ मजबूत संबंध बनाना और बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

घ) प्रशिक्षण में आवश्यक वस्तुओं का संग्रहण और कुशलता से इन्वेंट्री प्रबंधन की आवश्यकता पर बल दिया गया।

ड़) प्रतिभागियों को आपदा लचीलापन के लिए बजट आवंटन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई।

च) प्रभावी संचार और समन्वय का महत्व ताकि एकीकृत और कुशल प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सके।

छ) आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया प्रयासों में नेतृत्व और टीम वर्क की भूमिका को रेखांकित किया गया।

45. सीबीआरएन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, दिल्ली, 04–06 अक्टूबर 2023

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) विभिन्न सीबीआरएन एजेंटों की विशेषताओं, मानव और पर्यावरण पर उनके प्रभाव, और पहचान और पता लगाने की तकनीकों की समझ।

ख) सीबीआरएनई घटनाओं से जुड़े जोखिमों का आकलन करने की प्रक्रिया।

ग) तैयारियों, प्रतिक्रिया, और पुनर्प्राप्ति के लिए व्यापक योजनाएं और प्रोटोकॉल बनाना।

घ) सीबीआरएन घटनाओं में शामिल व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पीपीई के महत्व को पहचाना गया।

ङ) विभिन्न इकाइयों जैसे आपातकालीन प्रतिक्रिया दल, कानून प्रवर्तन, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और सरकारी निकायों के बीच समन्वय और सहयोग की भूमिका।

46. ग्रामीण विकास क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) को एकीकृत करने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, केरल, 10–12 अक्टूबर 2023

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) विभिन्न आपदा परिदृश्यों में खतरा–जोखिम–संवेदनशीलता और क्षमता मूल्यांकन किया गया, जो प्रभावी और सुलभ समाधानों को तेजी से तैयार करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ, जिससे आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) पहलुओं के एकीकरण में सुविधा हुई।

ख) कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) ने भविष्य के डीआरआर गतिविधियों के निर्बाध कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

ग) समुदायों को प्राथमिक प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में मान्यता दी गई, जो उनके लिए एक सामुदायिक आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

घ) जोखिम–सूचित सतत विकास के लिए, आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति सुदृढ़ता बढ़ाने की दिशा में नीतियों, संस्थानों और प्रणालियों की स्थापना आवश्यक है।

ङ) व्यापक आपदा प्रबंधन योजनाओं के निर्माण में समन्वय सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन कार्य समूह की स्थापना आवश्यक थी।

च) पंचायत समितियां आपदा प्रबंधन योजना के मसौदे पर चर्चा करेंगी, जिसमें सामुदायिक भागीदारी और तैयारी बढ़ाने के लिए ग्राम सभा के सुझावों को शामिल किया जाएगा।

47. आपदा जोखिम प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, पंजाब, 11–13 अक्टूबर 2023

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) भूकंप और बाढ़ पर विशेष ध्यान देते हुए आपदाओं से जुड़े कारणों, विशेषताओं और खतरों का व्यापक ज्ञान प्राप्त करना।

ख) समुदायों और व्यक्तियों के भीतर समुत्थानशीलता विकसित करने के लिए रणनीति प्रदान करना, प्रतिक्रिया योजनाओं, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, निकासी योजनाओं, खतरों के दौरान संसाधनों के प्रबंधन के महत्व पर जोर देना।

ग) मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर विचार करते हुए सूचना प्रसारित करने, जागरूकता बढ़ाने और आपदाओं के दौरान प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करने के लिए प्रभावी संचार रणनीतियों को सिखाना।

घ) जीवित बचे लोगों के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ने और बिना किसी निर्णय के उनके अनुभवों, भावनाओं और चिंताओं को समझने के लिए सक्रिय सुनने के कौशल और सहानुभूति को बढ़ावा देना।

च) आपदाओं के दौरान संकट में व्यक्तियों का पता लगाने और उनका समर्थन करने में शिक्षकों की सहायता करने के लिए बुनियादी खोज और बचाव विधियों की आवश्यकता को संबोधित करना।

छ) आपदाओं के दौरान वयस्क और बच्चे दोनों पर सीपीआर के व्यावहारिक अनुप्रयोग पर प्रकाश डालना और चोटों को स्थिर करने के लिए पट्टी बांधने और पट्टी बांधने की तकनीकों सहित प्राथमिक चिकित्सा के रूप में तत्काल देखभाल प्रदान करना।

48. शिक्षा क्षेत्र के लिए आपदा के प्रति बुनियादी ढाँचे की सुदृढ़ता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, राजस्थान, 11–13 अक्टूबर 2023

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) स्कूल आपदा प्रबंधन योजनाएँ (एसडीएमपी) विकसित की गई, जिनमें बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। इन योजनाओं में संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक दोनों तरह के खतरों को शामिल किया गया, जिससे शैक्षणिक संस्थानों के भीतर आपदा प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित हुआ।

ख) आपदा जोखिम न्यूनीकरण का एक अनिवार्य पहलू सभी विकासात्मक कार्यों में सुरक्षा संबंधी विचारों को एकीकृत करना था, यहाँ तक कि गैर-आपातकालीन समय में भी। इस दृष्टिकोण ने सुनिश्चित किया कि संरचनाएँ और प्रक्रियाएँ आपात स्थितियों के दौरान प्रभावी ढंग से काम करने के लिए डिजाइन की गई हैं, जिससे आपदा समुत्थानशीलता के प्रति सक्रिय रुख को बढ़ावा मिलता है।

ग) राज्य स्तर पर रणनीतिक ढाँचा प्रस्तावित किया गया, जिसमें एक व्यापक स्कूल सुरक्षा नीति का निर्माण शामिल है। एसडीएमए, शिक्षा विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी और जिला कलेक्टर जैसे संबंधित अधिकारियों के माध्यम से दिशा–निर्देश तुरंत जारी किए जाने चाहिए।

घ) आपात स्थितियों के दौरान प्रभावी संचार महत्वपूर्ण है। इसलिए, स्कूलों और शिक्षा विभाग को महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर प्रसारित करना एक संगठित और उत्तरदायी आपदा प्रबंधन प्रणाली में समय पर योगदान सुनिश्चित करता है।

च) जिला स्तर पर स्कूल सुरक्षा योजनाओं को लागू करने में कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल थे। इसमें बच्चों के अनुकूल स्थान बनाना, नए स्कूलों में सुरक्षा सुविधाएँ सुनिश्चित करना और सुरक्षा सुधार के लिए ब्लॉक–वार सूची तैयार करना शामिल था।

छ) प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए शैक्षणिक समुदाय की क्षमता का निर्माण मौलिक है

49. आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश, 16–18 अक्टूबर 2023,

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) आपदा स्थलों पर एक्सपोजर विजिट जैसे अधिक व्यावहारिक/फील्डवर्क पहलुओं को शामिल करना, ताकि प्रतिभागियों को समस्याओं की पहचान करने और उनका समाधान प्रदान करने का प्रत्यक्ष अनुभव मिल सके।

ख) प्रशिक्षकों को विकसित करने के लिए उन्नत या विशेष प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है, जो क्षमता निर्माण के लिए जमीनी स्तर पर अपने अनुभवों का प्रचार या प्रसार कर सकते हैं।

ग) शारीरिक गतिविधि और विश्राम तकनीकें आपको शांत रहने और अपने स्वास्थ्य की रक्षा जारी रखने में मदद करने के लिए मूल्यवान उपकरण हो सकती हैं।

घ) इस तथ्य के प्रति संवेदनशील होना कि अल्पसंख्यक आबादी या सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित आबादी अक्सर आपदा के समय पीछे छूट जाती है।

ङ) मनोवैज्ञानिक प्रभावों को संबोधित करना आपदा प्रबंधन का एक आवश्यक घटक है और इसे आपदा प्रबंधन के पूरे स्पेक्ट्रम के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए, जिसमें तैयारी, शमन, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति शामिल है।

50. पूर्वोत्तर भारत के शिक्षाविदों के लिए क्षेत्रीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम "आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए लोगों को प्रेरित करना", मेघालय, 30 अक्टूबर–01 नवंबर 2023

क) जोखिम मूल्यांकन और शिक्षा डीआरआर के आवश्यक घटक हैं, जिसका उद्देश्य आर्थिक और पर्यावरणीय नुकसान को कम करते हुए जीवन और आजीविका की रक्षा करना है।

ख) व्यक्ति, समुदाय और राष्ट्र के समुत्थानशीलता में निवेश करके कमजोरियों को कम कर सकते हैं, तैयारियों में सुधार कर सकते हैं और एक सुरक्षित, अधिक टिकाऊ भविष्य बना सकते हैं।

ग) आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भारत विश्वविद्यालय और संस्थान नेटवर्क (आईयूआईएनडीआरआर) में प्रत्येक

विश्वविद्यालय अपने भौगोलिक स्थान या शैक्षणिक शक्तियों के लिए प्रासंगिक आपदा प्रबंधन और जोखिम न्यूनीकरण के विशिष्ट पहलुओं में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकता है।

घ) समुत्थानशीलता केवल जलवायु अनुकूली समाधानों को अपनाने, हरित दृष्टिकोण अपनाने और हितधारकों को शामिल करके और समुदायों को प्रभाव को कम करने के लिए गतिविधियों का नेतृत्व करने और उन्हें शुरू करने के लिए सशक्त बनाकर स्थानीय समुदाय की क्षमता का निर्माण करके प्राप्त किया जा सकता है।

ङ) भूविज्ञान के उपयोग पर समावेशी तरीके से जोर दिया जाना चाहिए ताकि युवाओं को भविष्य के विकासात्मक तरीकों को समुदाय के लिए अधिक टिकाऊ और सुरक्षित बनाने के लिए अस्थिर दृष्टिकोणों पर काम करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस किया जा सके।

51. घटना प्रतिक्रिया प्रणाली पर प्रशिक्षण कार्यक्रमः बुनियादी और मध्यवर्ती, अरुणाचल प्रदेश, 31 अक्टूबर –03 नवंबर 2023

मुख्य बातें/सफारिशें

क) आईआरएस के लिए परिदृश्य-आधारित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाने चाहिए।

ख) इन कार्यक्रमों में वरिष्ठ अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

ग) आईआरएस चिकित्सकों द्वारा लाइव प्रदर्शन शामिल किए गए जो घटनाओं या घटनाओं के दौरान निभाई जाने वाली भूमिकाओं की स्पष्ट समझ प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण थे।

घ) स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ प्रतिक्रिया गतिविधियाँ करते समय भ्रम को कम करती हैं।

ङ) आईआरएस एक व्यापक प्रतिक्रिया प्रक्रिया के भीतर एक घटक के रूप में कार्य करता है, और इसकी प्रभावशीलता आपदा प्रबंधन योजना, आपातकालीन संचालन केंद्र (ईओसी), घटना डेटा और संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन), और आपातकालीन सहायता कार्य (ईएसएफ) जैसे अन्य तत्वों की दक्षता पर निर्भर करती है।

च) आईआरएस एक भूमिका-आधारित प्रणाली पर कार्य करता है, और इन कार्यों को इस बात की परवाह किए बिना निष्पादित किया जाना चाहिए कि पद सक्रिय है या नहीं।

52. ''आपदाओं में मनोसामाजिक देखभाल'' पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम, पुडुचेरी, 06–10 नवंबर 2023

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) आपदा प्रबंधन को व्यापक संदर्भ में समझने और इसके चरणों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। इसमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण, प्रतिक्रिया, पुनर्प्राप्ति और तैयारी की समझ शामिल है।

ख) आपदाओं के दौरान और बाद में मनोसामाजिक देखभाल प्रदान करने के सिद्धांतों और नैतिकता को प्राथमिकता

देना। इसमें सांस्कृतिक संवेदनशीलता और प्रभावित आबादी की विविध आवश्यकताओं को संबोधित करना शामिल है।

ग) आपदाओं के दौरान और बाद में मनोसामाजिक देखभाल के प्राथमिक लक्ष्यों को स्पष्ट करना, जैसे कि तत्काल भावनात्मक आवश्यकताओं को संबोधित करना, समुत्थानशीलता को बढ़ावा देना, पुनर्प्राप्ति को बहाल करना और बढ़ावा देना।

घ) आपदा समुत्थानशीलता और पुनर्प्राप्ति में समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी गई जो प्रभावी मनोसामाजिक देखभाल के लिए सामुदायिक जुड़ाव और समर्थन नेटवर्क को प्रोत्साहित करने के लिए सामाजिक कार्य शिक्षकों को सशक्त बनाने पर जोर देती है।

ङ शिक्षकों की संवेदनशीलता का आकलन करने, हाशिए पर पड़े समूहों की पहचान करने और आपदा के दौरान तथा उसके बाद विशिष्ट मनोसामाजिक आवश्यकताओं का आकलन करने के कौशल प्रदान किए।

53. घटना प्रतिक्रिया प्रणाली– केरल पर बेसिक इंटरमीडिएट, 28 नवंबर से 01 दिसंबर 2023

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) प्रतिक्रिया चरण में आपदा के बाद की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए उठाए जाने वाले उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

ख) समन्वय के महत्व को रेखांकित करते हुए कई एजेंसियां आपात स्थितियों के दौरान प्रतिक्रिया देने के लिए आगे आती हैं। आईआरएस प्रणाली एक समन्वित प्रतिक्रिया की सुविधा प्रदान करती है।

ग) चूंकि आईआरएस के तहत विभिन्न प्रशिक्षित हितधारक पदों पर हैं, इसलिए प्रतिक्रिया दक्षता में सुधार होता है।

घ) तैयारी चरण में, एक व्यापक घटना प्रतिक्रिया योजना (आईआरपी) तैयार करें और घटना प्रतिक्रिया टीमों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण और अभ्यास आयोजित करें।

ङ) स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिकाएं और जिम्मेदारियां प्रतिक्रिया गतिविधियों को निष्पादित करने में भ्रम को कम करती हैं।

च) आईआरएस एक व्यापक प्रतिक्रिया प्रक्रिया के हिस्से के रूप में काम करता है, और इसकी प्रभावशीलता आपदा प्रबंधन योजना (डीएम योजना), आपातकालीन संचालन केंद्र (ईओसी), घटना डेटा और रिपोर्टिंग नेटवर्क (आईडीआरएन), और आपातकालीन सहायता कार्यों (ईएसएफ) जैसे अन्य घटकों की दक्षता पर निर्भर करती है।

छ) प्रतिक्रिया प्रयासों को समन्वित करने और समर्थन देने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी और संसाधनों से लैस एक केंद्रीत आपातकालीन संचालन केंद्र की स्थापना करें, जिससे प्रभावी निर्णय लेने में सुविधा हो।

54. आपातकालीन, सहायता प्रतिक्रिया और संचार केंद्र (खोज) के लिए परिचय प्रणाली पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, कर्नाटक, 05–07 दिसंबर 2023 को

मुख्य बाते/सिफारिशें

क) प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के महत्वपूर्ण महत्व को पहचानना और उनका प्रभावी रखरखाव सुनिश्चित करना संभावित आपदाओं के खिलाफ समुदायों को मजबूत करने में मूलभूत स्तंभ हैं। इसके अलावा, समय पर आपदा अलर्ट के लिए प्रौद्योगिकी और संचार के बीच सहजीवी संबंध की सूक्ष्म समझ अनिवार्य है।

ख) आपदा की तैयारी में सक्रिय होने के लिए समुदायों को सशक्त बनाना। बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा, निकासी प्रक्रियाओं और आपातकालीन प्रतिक्रिया पर व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना।

ग) विभिन्न एजेंसियों और संगठनों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर जोर देना। प्रभावी आपदा प्रतिक्रिया के लिए समन्वय और संचार रणनीतियाँ।

घ) संभावित खतरों की पहचान करने के लिए गहन जोखिम आकलन करना। आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए शमन रणनीतियों को लागू करना।

ङ) आंतरिक और बाहरी दोनों हितधारकों के लिए संचार योजनाएँ विकसित करना। आपात स्थितियों के दौरान कुशल संचार के लिए प्रौद्योगिकी और सूचना केंद्रों का उपयोग करना।

च) आपदा के दौरान और उसके बाद संसाधनों का कुशल आवंटन और प्रबंधन। सहायता, आश्रय और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए रसद की समझ

छ) सामुदायिक लचीलापन बनाने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना। संवेदनशीलता में योगदान देने वाले सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों को संबोधित करना।

ज) आपदा के बाद की रिकवरी के लिए रणनीतियों की योजना बनाना और उन्हें लागू करना। व्यक्तियों और समुदायों के लिए रिकवरी के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक पहलुओं को संबोधित करना।

55. आपदा प्रबंधन में मनोवैज्ञानिक देखभाल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, दिल्ली, 06–08 दिसंबर 2023

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) आपदा प्रबंधन के व्यापक संदर्भ, इसके चरणों को पहचानना। इसमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण, प्रतिक्रिया, रिकवरी और तैयारी को समझना शामिल है।

ख) सांस्कृतिक संवेदनशीलता और प्रभावित आबादी की विविध आवश्यकताओं पर विचार करते हुए आपदाओं के दौरान और बाद में मनोसामाजिक देखभाल प्रदान करने के सिद्धांतों और नैतिकता पर जोर देना।

ग) आपदाओं के दौरान और बाद में मनोसामाजिक देखभाल प्रदान करने के प्राथमिक लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट करना। इसमें तत्काल भावनात्मक जरूरतों को संबोधित करना, लचीलापन को बढ़ावा देना, सामाजिक कामकाज को बहाल करना और रिकवरी को बढ़ावा देना शामिल है।

घ) आपदाओं के दौरान और उसके बाद उपलब्ध सहायता नेटवर्क और संसाधनों को बढ़ाने के लिए स्थानीय समुदायों, गैर सरकारी संगठनों और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ सहयोग को प्रोत्साहित करना।

ङ) अधिकारियों को भेद्यता आकलन करने, हाशिए पर पड़े या कमजोर समूहों की पहचान करने और आपदा के दौरान और उसके बाद उनकी विशिष्ट मनोसामाजिक जरूरतों का आकलन करने के कौशल से लैस करना।

च) वास्तविक जीवन की स्थितियों का अनुकरण करने और मनोसामाजिक देखभाल प्रदान करने में उनके कौशल को बढ़ाने के लिए भूमिका निभाने वाले अभ्यासों और व्यावहारिक परिदृश्यों में अधिकारियों को शामिल करना।

56. दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति के लिए आपदा के बाद की जरूरतों के आकलन (पीडीएनए) पर टीओटी/पीडीपी, उत्तराखंड 11–13 दिसंबर, 2023

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) आपदाओं के मुकाबले खतरों को समझना, संभावित नुकसान को मापना और प्रभावी पुनर्प्राप्ति योजना के लिए व्यापक आकलन का महत्व।

ख) पीडीएनए प्रक्रिया विश्लेषण, क्षति आकलन, दीर्घकालिक प्रभाव मूल्यांकन, पुनर्प्राप्ति आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना और प्रभावी योजना के लिए डेटा सत्यापन में नवाचार और सटीकता के महत्व जैसे चरणों में फैली हुई है।

ग) पीडीएनए में निर्मित पर्यावरण के लिए बहु-विषयक दृष्टिकोण शामिल हैं, जिसमें भू-तकनीकी सर्वेक्षण, बुनियादी ढांचे की लचीलापन और जोखिम संचार जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया जाता है।

घ) बुनियादी ढांचे के पीडीएनए में भूभौतिकीय इलाके, क्षति वर्गीकरण और बहु-आपदा समुत्थानशील योजना जैसे कारकों पर विचार करते हुए क्षति, हानि और पुनर्प्राप्ति आवश्यकताओं का विस्तृत आकलन शामिल है।

ङ) आपदाओं के बाद समन्वित, अभिनव और पारदर्शी पुनर्प्राप्ति योजना की आवश्यकता को समझना महत्वपूर्ण है ताकि सभी क्षेत्रों में दीर्घकालिक सुदृढ़ता सुनिश्चित किया जा सके, सुरक्षित वित्त पोषण किया जा सके और प्रभावी पुनर्वास प्रयासों को अंजाम दिया जा सके।

57. आपदा तैयारी और जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, दिल्ली, 11–15 दिसंबर 2023

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) समुत्थानशीलता बढ़ाने के लिए सक्रिय उपायों की आवश्यकता।

ख) स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संगठनों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों सहित आपदा प्रबंधन के संस्थागत ढांचे से परिचित होना।

ग) आपदा प्रबंधन से संबंधित राष्ट्रीय नीतियों का ज्ञान, आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया में मार्गदर्शक सिद्धांतों और रणनीतिक दृष्टिकोणों को समझना।

घ) सैद्धांतिक समझ और व्यावहारिक प्रदर्शनों के संयोजन के माध्यम से कार्डियो-पल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) सहित बुनियादी जीवन समर्थन में आवश्यक कौशल हासिल करना।

च) भूस्खलन में योगदान करने वाले कारक, और भूस्खलन के खतरे के आकलन और प्रबंधन के लिए प्रभावी रणनीतियों को सीखना।

च) भूकंप के दौरान व्यक्तिगत और सामुदायिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या करें और क्या न करें, इसे समझना और अभ्यास करना।

58. आईआरएस: योजना अनुभाग प्रमुख, दिल्ली, 18–22 दिसंबर 2023,

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) प्रभावशीलता प्राप्त करने में योजना के महत्व को देखते हुए, यह आवश्यक है कि प्रमुख पदों पर बैठे व्यक्तियों को पर्याप्त प्रशिक्षण मिले।

ख) आईआरएस के भीतर नियोजन प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

ग) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) में विशिष्ट पदों के लिए पाठ्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, जिसमें देश भर से प्राप्त अंतर्दृष्टि और अनुभव शामिल हों।

घ) आईआरएस का उपयोग करने वाले राज्यों के विशेषज्ञ, या जिन्होंने इसे आपातकालीन प्रबंधन में प्रभावी रूप से लागू किया है, उन्हें अपने प्रत्यक्ष अनुभव साझा करने के लिए सत्र आयोजित करने चाहिए।

ड़) जबकि आईआरएस प्रणाली में फॉर्म का उपयोग आवश्यक है, उपयोगकर्ताओं के बीच स्वीकृति बढ़ाने के लिए उनकी संख्या में कमी होनी चाहिए।

च) प्रतिभागियों को एक सामान्य आधार पर शुरू करने के लिए सुनिश्चित करने के लिए आईआरएस के सिद्धांतों और विशेषताओं को रेखांकित करने वाले सत्र के साथ प्रत्येक पदीय पाठ्यक्रम की शुरुआत करें।

59. स्कूल सुरक्षा योजना और ऑडिटिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, हैदराबाद, 19–21 दिसंबर 2023,

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) तेलंगाना के स्कूल बाढ़, सूखे, आग और भारी वर्षा की घटनाओं से प्रभावित होते हैं; स्थानीय खतरे जैसे कि बंदरों का आतंक, सांपों का काटना, कुत्तों का काटना और सड़क दुर्घटनाएँ कुछ चिंताएँ थीं जो अक्सर तेलंगाना में स्कूली जीवन को प्रभावित करती हैं।

ख) आग लगने का खतरा सबसे आम है जो आमतौर पर शॉर्ट सर्किट या गैस स्टोव के कारण होता है, इसलिए, स्कूल डीएम योजना में किसी भी ढीले तार, आस-पास के खंभे, स्विच और रसोई का निरीक्षण अच्छी तरह से किया जाना चाहिए।

ग) आवासीय स्कूलों को विशेष रूप से सक्षम बच्चों और चिकित्सा समस्याओं वाले बच्चों की कमजोरियों को समझने की जरूरत है, इसलिए, स्कूल के कर्मचारियों के लिए मनोवैज्ञानिक और जीवन सुरक्षा प्राथमिक चिकित्सा में निवेश करना बहुत महत्वपूर्ण है।

घ) राज्य में आवासीय विद्यालय की अवधारणा के कारण, स्वच्छता बनाए रखना और स्वच्छ और स्वस्थ भोजन प्रदान करना महत्वपूर्ण है। हालांकि, रसोई और गर्म भोजन के आसपास छात्रों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए उचित ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि भोजन के समय बच्चों के घायल होने के मामले सामने आए हैं।

च) पर्यावरण और पारंपरिक मान्यताओं के करीब स्वस्थ और सरल जीवन शैली को अपनाने के लिए छात्रों के बीच प्रधानमंत्री के जीवन मिशन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

छ) संपूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण और शिक्षा क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और तन्यकता के लिए वैश्विक गठबंधन (जीएडीआरआरआरईएस) द्वारा 2022–2030 के लिए विकसित नए व्यापक स्कूल सुरक्षा ढांचे पर विचार करने की आवश्यकता है जो स्कूल सुरक्षा के लिए एक सहभागी जोखिम-सूचित दृष्टिकोण का पालन करता है।

झ) एनईपी 2020 नीति भी लचीले बुनियादी ढांचे के महत्व पर प्रकाश डालती है। धारा 5.9 में कहा गया है कि इस दिशा में सबसे पहली आवश्यकता स्कूल में सभ्य और सुखद सेवा स्थितियों को सुनिश्चित करना होगा।

60. शहरी स्थानीय निकायों के लिए शहरों में आपदा–जोखिम तन्यकता विकसित करना, दिल्ली, 27–29 दिसंबर 2023

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) शहरी तन्यकता के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के महत्व को रेखांकित किया गया। जलवायु परिवर्तन अनुमानों को शहर की योजना में एकीकृत करने और समय के साथ जोखिमों का मूल्यांकन करने पर जोर दिया गया। प्रभावी प्रबंधन के लिए आवश्यक सामूहिक प्रयास पर जोर देते हुए मजबूत आपदा प्रतिक्रिया योजनाएँ विकसित करने के लिए प्रासंगिक निकायों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।

ख) व्यापक जोखिम मूल्यांकन और शमन रणनीतियों को अपनाने की आवश्यकता है। प्रारंभिक चेतावनी और संसाधन आवंटन के लिए स्मार्ट प्रौद्योगिकियों के एकीकरण को बढ़ावा देना। कमजोर क्षेत्रों और संभावित खतरों की पहचान करने के लिए सक्रिय उपाय करना महत्वपूर्ण है।

ग) आपदा–तन्यक बुनियादी ढाँचे के विकास को प्राथमिकता दें। निर्माण प्रथाओं में खामियों और अनियमितताओं को दूर करें जो कमजोरियों को जन्म दे सकती हैं।

घ) संरचनात्मक और गैर–संरचनात्मक दोनों पहलुओं पर विचार करते हुए समग्र आपदा प्रबंधन योजना के विकास की आवश्यकता को प्रोत्साहित किया। इसने आग की घटनाओं से निपटने, अनुभवों को साझा करने और शमन रणनीतियों में दृष्टिकोण के महत्व पर प्रकाश डाला। जोखिम, जोखिम और संवेदनशीलता आकलन (एचआरवीए) के माध्यम से महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को मजबूत बनाना सुनिश्चित करना।

ङ) शहरी चुनौतियों को कम करने में परिसंपत्तियों के रूप में भू–स्थानिक प्रौद्योगिकियों के एकीकरण का पता लगाना और उन्हें लागू करना। प्रभावी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए मार्ग पहचान से लेकर संसाधन जुटाने तक भू–स्थानिक उपकरणों के अनुप्रयोगों को समझना और उनका लाभ उठाना।

च) आपदा प्रबंधन में सहयोगी प्रयासों की आवश्यकता पर जोर देना। शहरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न लाइन विभागों के बीच समन्वय को प्रोत्साहित करना। बचाव और राहत स्थितियों में पेशेवर भूमिकाओं की अधिक प्रभावी समझ के लिए व्यावहारिक प्रदर्शनों और साझा अनुभवों के माध्यम से जागरूकता।

61. आपदा पश्चात आवश्यकताओं का आकलन: आपदा रिकवरी अभ्यास, उत्तराखंड, 28–30 दिसंबर

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) आपदाओं बनाम खतरों को समझना, संभावित क्षति को मापना और प्रभावी रिकवरी योजना के लिए व्यापक आकलन का महत्व।

ख) पीडीएनए प्रक्रिया विश्लेषण, क्षति आकलन, दीर्घकालिक प्रभाव मूल्यांकन, पुनर्प्राप्ति आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना, तथा प्रभावी नियोजन के लिए डेटा सत्यापन में नवाचार और सटीकता के महत्व जैसे चरणों में फैली हुई है।

ग) पीडीएनए में निर्मित वातावरण के लिए बहु-विषयक दृष्टिकोण शामिल हैं, जिसमें भू-तकनीकी सर्वेक्षण, अवसंरचना सुदृढ़ और जोखिम संचार जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया जाता है।

घ) अवसंरचना पीडीएनए में भूभौतिकीय भूभाग, क्षति वर्गीकरण और बहु-आपदा तन्यक नियोजन जैसे कारकों पर विचार करते हुए क्षति, हानि और पुनर्प्राप्ति आवश्यकताओं का विस्तृत आकलन शामिल है।

ङ) आपदाओं के बाद समन्वित, अभिनव और पारदर्शी पुनर्प्राप्ति नियोजन की आवश्यकता को समझना महत्वपूर्ण है, ताकि सभी क्षेत्रों में दीर्घकालिक लचीलापन सुनिश्चित किया जा सके, वित्त पोषण सुरक्षित किया जा सके और प्रभावी पुनर्वास प्रयासों को क्रियान्वित किया जा सके।

62. दूरसंचार क्षेत्र के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण, दिल्ली, 08–12 जनवरी 2024

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपातकालीन नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाने हैं, जिनमें डीओटी एसओपी 2020 के अनुसार अपेक्षित सुविधाएं होंगी।

ख) विभिन्न चैनलों के माध्यम से आपदा चेतावनी प्रसारित करते समय अतिरेक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ चौनल बाकी की तुलना में अधिक प्रभावी हो सकते हैं।

ग) सभी टीएसपी को आपात स्थिति और आपदाओं के समय एक-दूसरे की मदद करने के लिए अपने क्षेत्र में मौजूद निजी भागीदारों के साथ समझौता ज्ञापन के रूप में समझौता करना चाहिए।

घ) तकनीकी प्रगति और नवाचार आपदा लचीलापन और जोखिम न्यूनीकरण कार्यों का समर्थन करने के लिए नई संभावनाएं पैदा करते हैं।

ङ) खतरा प्रतिरोधी भवन उपनियम अधिसूचित किए गए, लेकिन कार्यान्वयन का मानक हर जगह निराशाजनक है।

च) आपदाओं के लिए प्रारंभिक प्रतिक्रिया को अतिरिक्त हस्तक्षेपों द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है जिन्हें दूरसंचार का उपयोग करके आसानी से और प्रभावी ढंग से जुटाया जा सकता है।

छ) सीएपी अलर्ट सिस्टम विभिन्न आईसीटी का उपयोग करके सार्वजनिक चेतावनियों और आपात स्थितियों का आदान-प्रदान करने के लिए बहु-खतरनाक स्थितियों के लिए लागू है, जिसका उपयोग आपदा प्रबंधन के सभी चरणों में किया जा सकता है, जिससे सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित होता है।

ज) मानवीय देरी को कम करके अलर्ट सिस्टम के लिए एंड-टू-एंड प्रसार प्रक्रिया प्रवाह के स्वचालन की आवश्यकता है। पहले, एसएमएस प्रसार में समय लगता था, जिसके लिए भारी मैनुअल प्रयासों और समर्पित जनशक्ति की आवश्यकता होती थी।

63. घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस), आंध्र प्रदेश, 09–11 जनवरी 2024,

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) आईआरएस, एक प्रणाली के रूप में, रणनीतियों के लिए प्रदान करता है ताकि प्रभावी और समन्वित प्रतिक्रिया की जा सके।

ख) प्रतिक्रिया की दक्षता बढ़ जाती है क्योंकि आईआरएस के तहत पदों को विभिन्न प्रशिक्षित हितधारकों द्वारा निष्पादित किया जाता है।

ग) स्पष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियां प्रतिक्रिया गतिविधियों को निष्पादित करने में नगण्य भ्रम सुनिश्चित करती हैं।

घ) आईआरएस हमेशा इस तथ्य पर आधारित है कि आईआरएस प्रणाली में उल्लिखित कार्यों को इस तथ्य के बावजूद निष्पादित किया जाना चाहिए कि पद सक्रिय है या नहीं।

ड़) आपातकालीन परिचालन केंद्र (ईओसी) को एक सुविधा के रूप में कार्य करना चाहिए

64. जनस्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन (पीएचईडीएम), महाराष्ट्र, 17–19 जनवरी 2024

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) प्रासंगिक हितधारकों की तैयारियों और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका को मजबूत करने की आवश्यकता है

ख) आपातकालीन प्रतिक्रिया के दौरान किसी प्रक्रिया या कार्यप्रणाली का पालन करने के महत्व का पालन करने की आवश्यकता है।

ग) योजना के दौरान नेतृत्व के महत्व और आपातकालीन प्रतिक्रिया के प्राथमिक फोकस को समझने की आवश्यकता है।

घ) आपात्कालीन स्थितियों, आपदाओं, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों और आपातकालीन प्रबंधन के साथ-साथ वन हेल्थ दृष्टिकोण की बुनियादी बातों और विवरणों पर जोर देना।

च) शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ाना, प्रतिभागियों को पूरा करने में सक्षम बनाना उनकी भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ अधिक प्रभावी ढंग से।

छ) सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल से संबंधित अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय ढांचे पर चर्चा

ज) और आपदा प्रबंधन, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (आईएचआर) 2005 के प्रावधान, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दायित्व, सेंडाई फ्रेमवर्क, सतत विकास लक्ष्य और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आदि शामिल हैं।

65. जलवायु परिवर्तन में समुत्थानशील ग्रामीण विकास, दिल्ली, 22–26 जनवरी 2024

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) स्थलाकृति, पारिस्थितिकी और संस्कृति के संदर्भ में भारत की विविधता विशिष्ट स्थानों और समुदायों के लिए विशेष समाधान की मांग करती है।

ख) ग्राम विकास प्रबंधन योजना गांवों में समुदायों को समाधान तैयार करने और आपात स्थिति के दौरान उनका पालन करने की सुविधा प्रदान करती है।

ग) जवाबदेह अधिकारियों के साथ सूक्ष्म स्तरीय योजना आपदाओं के संबंध में अत्यधिक महत्व रखती है।

घ) आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) को जीपीडीपी में एकीत करना अब एक अधिदेश है और सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण है।

ड़) प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में समुदाय किसी अन्य की तुलना में अपने संघर्षों और दर्द को अधिक समझते हैं, इसलिए डीआरआर ढांचा हमेशा समुदाय-आधारित स्थिति वाला होना चाहिए।

च) किसी भी आपदा परिदृ६य में खतरा-जोखिम-संवेदनशीलता और क्षमता आकलन, सबसे उपयोगी और सुलभ समाधान तैयार करने में तेजी से मदद करता है और साथ ही डीआरआर पहलुओं के उपयोग को सुविधाजनक बनाता है।

छ) सुदृढ़ बुनियादी ढांचे के निर्माण में न केवल भौतिक विकास शामिल है बल्कि कमजोरियों को कम करने के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों में भी निवेश करना शामिल है।

ज) ग्रामीण क्षेत्र की सुदृढ़ता चुनौतियों का सामना करने और विकास को बनाए रखने के लिए मजबूत प्रणालियों, कुशल संसाधन प्रबंधन और समुत्थानशील बुनियादी ढांचे पर निर्भर करता है।

66. मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण में प्रबंधन योजना और इंजीनियरों की भूमिका, हरियाणा, 22– 24 जनवरी 2024

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) यह सुनिश्चित करने के लिए बिल्डिंग कोड, उपनियमों और मानकों के प्रवर्तन को मजबूत करने की आवश्यकता है कि निर्माण प्रथाओं को संरचनात्मक सुरक्षा के साथ जोड़ा जाए। केवल आपदाओं पर प्रतिक्रिया देने के बजाय जोखिमों को कम करने और संभावित प्रभावों को कम करने को प्राथमिकता देनी चाहिए।

ख) इमारतों के भीतर गैर-संरचनात्मक तत्वों जैसे वास्तुशिल्प

विशेषताओं, यांत्रिक उपकरण और विद्युत फिटिंग पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जो इमारतों को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपदाओं के दौरान जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। फर्निचर, कंप्यूटर जैसी चीजें क्षति को बढ़ा सकती हैं और परिणामस्वरूप चोट लग सकती है या मृत्यु हो सकती है।

ग) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपदा की तैयारी और प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपदा प्रतिरोधी विद्युत बुनियादी ढांचे, मजबूत संचार प्रणालियों की स्थापना और बिजली बहाली तंत्र में तेजी लाकर, विद्युत इंजीनियर आपदा प्रबंधन प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, खासकर आग से संबंधित दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने में।

घ) राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा नीति दिशानिर्देश (2016) के आधार पर विश्वविद्यालयों, क,लेजों और स्कूलों सहित शैक्षणिक संस्थानों के लिए व्यापक आपदा प्रबंधन (डीएम) योजनाएं विकसित करना आवश्यक है। इन योजनाओं पर आधारित नियमित मॉक ड्रिल से निकासी प्रक्रियाओं और प्रतिक्रिया समय में सुधार हो सकता है, जिससे जीवन की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है।

ङ) डीआरआर (आपदा जोखिम न्यूनीकरण) और बुनियादी ढांचे के मजबूती में अपने ज्ञान के आधार को बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों, विशेष रूप से इंजीनियरिंग संकायों और छात्रों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है।

67. शहरों और शहरी स्थानीय निकायों में आपदा जोखिम समुत्थानशीलता, कर्नाटक, 23–25 जनवरी 2024

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) शहरी स्थानीय निकायों को आसन्न आपदाओं से समुदाय और बुनियादी ढांचे के मजबूत निर्माण के प्रति उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है।

ख) आपदा और जलवायु से शहरी बुनियादी ढांचे पर बढ़ता तनाव पारिस्थितिकी तंत्र के साथ सामंजस्य बनाए रखने में मानवीय विफलता को दर्शाता है और इसके सुदृढ़ और टिकाऊ कार्यों को मजबूत करने की आवश्यकता है।

ग) कर्नाटक को लगातार सूखे, शहरी बाढ़, उत्तर कन्नड़ में वन क्षेत्र की हानि, भूमि उपयोग परिवर्तन, आग, साथ ही बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष जैसे खतरों का सामना करना पड़ता है।

घ) विभिन्न आश्रयों का प्रावधान खतरों के प्रभाव के बाद समावेशन की योजना पहले से बनाई जानी चाहिए।

ङ) विकासात्मक लाभ और बुनियादी ढांचे पर किए गए निवेश की रक्षा करने की आवश्यकता।

च) इस पानी का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग करने के लिए वर्षा जल को सीवरेज नाली से अलग करने की आवश्यकता है।

छ) कुछ बफर जोन तैयार करने और इसे जोखिम संवेदनशील योजना बनाने के लिए मास्टर प्लान को विभिन्न खतरों और उजागर क्षेत्रों के जोखिम मानचित्रों के साथ विलय करने की आवश्यकता है।

ज) जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं में जल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अतिक्रमण, शहरी आग, शहरी बाढ़ आदि जैसी मानव निर्मित आपदाओं के संदर्भ में शहरी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है।

68. रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल, परमाणु (सीबीआरएन) और जनस्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन (पीएचईडीएम), दिल्ली, 31 जनवरी–02 फरवरी 2024

मुख्य बाते/सिफारिशें

क) प्रशिक्षण में सीबीआरएन घटनाओं को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए मजबूत प्रतिक्रिया योजना और तैयारी उपायों के महत्व पर जोर दिया गया। इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज (आईएनएमएएस), रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा जांच, रोकथाम, परिशोधन और चिकित्सा उपचार के लिए प्रोटोकॉल तैयार करना शामिल था।

ख) प्रशिक्षण ने सीबीआरएन घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने में विभिन्न एजेंसियों और हितधारकों के बीच सहयोग और समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।

ग) समुदाय को शामिल करने और सीबीआरएन और पीएचईडीएम खतरों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने की रणनीतियों पर चर्चा की गई। प्रतिभागियों ने जोखिम बताने और सामुदायिक सुदृढ़ता को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी संचार तरीके सीखे।

घ) यह स्वीकार करते हुए कि सीबीआरएन की तैयारी एक सतत प्रक्रिया है, प्रतिभागियों को अपने कौशल और ज्ञान को लगातार बढ़ाने के लिए आगे के प्रशिक्षण, अभ्यास में संलग्न होने और मूल्यांकन से गुजरने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

ङ) प्रशिक्षण में हताहतों की संख्या को कम करने, आगे फैलने से रोकने और दीर्घकालिक परिणामों को कम करने के लिए सीबीआरएन और पीएचईडीएम घटनाओं पर त्वरित और समन्वित प्रतिक्रियाओं की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया।

च) प्रतिभागियों को दिल्ली स्वास्थ्य विभाग द्वारा सीबीआरएन और पीएचईडीएम घटनाओं से जुड़ी भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण स्थितियों के दौरान खुद को और दूसरों को समर्थन देने के लिए तनाव प्रबंधन और समुत्थानशीलता–निर्माण जैसी मनोवैज्ञानिक तैयारी रणनीतियों में अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई।

69. भीड़ प्रबंधन और आईआरएस, उत्तर प्रदेश, 31 जनवरी–02 फरवरी 2024

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) किसी भी भीड़ को प्रबंधित करने की कुंजी काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि आयोजक या प्रशासक अपने व्यवहार की प्रवृत्ति को कितनी अच्छी तरह पहचानते हैं।

ख) भीड़ को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए भीड़ के भीतर के नेताओं की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें विश्वास में लिया जाना चाहिए।

ग) अफवाह फैलाने वाले संभावित उपद्रवियों की पहचान की जानी चाहिए और दूसरों को पता चले बिना उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

घ) यदि हितधारकों के बीच समन्वय मजबूत किया जाए तो भीड़ प्रबंधन अधिक प्रभावी हो सकता है।

70. "आपदा प्रबंधन" पर आईएसएस परिवीक्षार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, दिल्ली, 05–09 फरवरी 2024

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) प्रतिभागियों ने तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्प्राप्ति और शमन चरणों को कवर करते हुए आपदा प्रबंधन की समग्र प्रकृति को समझा।

बी) आपदा प्रबंधन रणनीतियों में सांख्यिकीय डेटा को एकीकृत करने के महत्व को पहचाना गया, जिसमें आपदा हानि डेटा एकत्र करना, प्रबंधित करना और विश्लेषण करना शामिल है।

ग) सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने, आपात स्थिति के दौरान समय पर और सटीक अलर्ट प्रसारित करने के लिए सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल को समझने की आवश्यकता है।

घ) आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने, बेहतर प्रतिक्रिया और प्रतिरोध के लिए नवाचार का उपयोग करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग का पता लगाया।

71. जनस्वास्थ्य आपातकाल, आपदा प्रबंधन और संचार, अंडमान और निकोबार, 19–23 फरवरी 2024

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) प्रभावी आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क (एसएफडीआरआर), सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी), और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (सीसीए) जैसे वैश्विक ढांचे पर जोर देने की आवश्यकता है।

बी) आपदाओं के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित करने में दूरस्थ प्रसारण प्रौद्योगिकी की भूमिका को मजबूत करना। आपदा तैयारियों और प्रतिक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रभावी संचार रणनीतियों और सामुदायिक सहभागिता दृष्टिकोण भी सीखा।

ग) आपदा स्थितियों में तत्काल प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा कौशल और जीवन रक्षक तकनीकों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

घ) आपदा प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें निगरानी और प्रतिक्रिया के लिए रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीकों के साथ-साथ आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और तैयारी योजना के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

72. एमएसएमई के लिए जोखिम प्रतिरोध और सुरक्षा का निर्माण – भूकंप और आग पर ध्यान, दिल्ली, 20–22 फरवरी 2024

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) कमजोरियों को समझने और तैयारियों में सुधार करने के लिए औद्योगिक इकाईयों के भीतर और आसपास के क्षेत्रों में जोखिमों का आकलन करें।

ख) भूकंप और आग के खिलाफ प्रतिरोधात्मकता बढ़ाने के लिए संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक शमन उपायों को लागू करने के महत्व के बारे में एमएसएमई की क्षमता निर्माण।

ग) आग, रासायनिक रिसाव और चिकित्सा आपात स्थितियों सहित विभिन्न आपदा परिदृश्यों के अनुरूप स्पष्ट और व्यापक आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएं विकसित की गईं। यह सुनिश्चित किया गया कि इन योजनाओं को सभी प्रासंगिक हितधारकों को प्रभावी ढंग से सूचित किया जाए और प्रासंगिकता और प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए नियमित रूप से समीक्षा और अद्यतन किया जाए।

घ) एमएसएमई पर लागू प्रासंगिक व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों और सुरक्षा नियमों के बारे में सूचित रहें। औद्योगिक इकाइयों के भीतर इन कानूनों और मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू किया।

73. आपात्कालीन स्थितियों में मनोसामाजिक सहायता पर क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, मुंबई, 27–29 फरवरी 2024

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) चयन प्रक्रिया जिसका उद्देश्य मनोसामाजिक समर्थन के प्रति उत्साही विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाना था, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों, आयु समूहों, शैक्षिक, पेशेवर और जीवन के अनुभवों से प्रतिभागियों का एक विविध पूल तैयार हुआ। इसने सामग्री, कार्यप्रणाली और भविष्य की कार्य योजना पर विशेषज्ञ इनपुट द्वारा प्रशिक्षण को समृद्ध किया।

ख) प्रशिक्षण के लिए विकसित की गई सामग्री सिद्धांत और कार्यप्रणाली से समृद्ध थी। प्रतिभागी मनोसामाजिक हस्तक्षेपों पर अधिक गहन जानकारी जानने के लिए उत्सुक और रुचि रखते थे। पूर्व के लिए. पीएसएस प्रदान करने के तरीकों और रणनीतियों के लिए, विषयों के परिचय से परे कवर करने के लिए अतिरिक्त सत्रों और लंबी प्रशिक्षण अवधि की आवश्यकता होगी। प्रतिभागियों को प्रदान की गई संदर्भ सामग्री की भी सराहना की गई और इससे

प्रतिभागियों को अतिरिक्त अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और भविष्य में प्रशिक्षण सामग्री पर विचार करने में मदद मिल सकती है।

ग) 14 प्रतिशत प्रतिभागियों ने माना कि सूचीबद्ध सभी विषयों को कवर करने के लिए प्रशिक्षण की अवधि 5 दिनों तक लंबी होनी चाहिए थी। इससे विशिष्ट विषयों को विस्तार से कवर करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और प्रतिभागियों को पीएसएस प्रदान करने के तरीकों और व्यावहारिक अभ्यासों पर अधिक तकनीकी जानकारी मिलेगी।

घ) प्रतिभागियों ने विभिन्न विषयों पर सामग्री वितरित करने के लिए सुविधाप्रदाताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न विधियों की सराहना की। हालाँकि, प्रतिभागियों ने यह भी संकेत दिया कि अधिक वास्तविक जीवन के उदाहरण और पीएसएस प्रदान करने की भूमिका ने प्रशिक्षण को और समृद्ध किया होगा।

ङ) प्रशिक्षण ने यह सुनिश्चित किया कि सभी प्रतिभागियों ने अपनी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि के बावजूद आपात स्थिति में मनोसामाजिक समर्थन के महत्व को समझा। प्रतिभागी प्रभावित आबादी की मनोसामाजिक आवश्यकताओं और पीएसएस प्रदान करने के लिए हस्तक्षेप के तरीकों का आकलन करने की बढ़ी हुई क्षमता के साथ रवाना हुए।

74. स्वास्थ्य आपातकालीन प्रबंधन और आपदा तैयारी, दिल्ली, 21–23 फरवरी 2024

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) महामारी विज्ञान के पैटर्न और स्वास्थ्य प्रणाली की कमजोरियों सहित समुदायों पर जनस्वास्थ्य आपात स्थितियों और आपदाओं के बहुमुखी प्रभाव को समझना।

ख) प्रभावी आपातकालीन प्रतिक्रिया रणनीति तैयार करना, जिसमें शीघ्र पता लगाना, समय पर हस्तक्षेप और हितधारकों के बीच समन्वित सहयोग शामिल है।

ग) बुनियादी ढांचे, संसाधनों और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए, आपात स्थिति और आपदाओं से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली की सुदृढ़ता को बढ़ाना।

घ) जलवायु परिवर्तन के पारिस्थितिक और स्वास्थ्य परिणामों को पहचानना, और जनस्वास्थ्य पर इसके प्रभावों को कम करने के लिए सक्रिय उपायों की आवश्यकता।

ङ) आपदा प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति में अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की भूमिका पर जोर देना, स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की तैयारी, देखभाल की निरंतरता और सुरक्षा सुनिश्चित करना।

च) जनस्वास्थ्य आपात स्थितियों और आपदाओं के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा सामना किए जाने वाले व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिमों को संबोधित करना और उनकी भलाई की सुरक्षा के लिए उपायों को लागू करना।

छ) आपदा तैयारियों और प्रतिक्रिया प्रयासों में सामुदायिक भागीदारी और भागीदारी को बढ़ावा देना, मजबूत-निर्माण पहल में योगदान करने के लिए व्यक्तियों को सशक्त बनाना।

ज) जनस्वास्थ्य आपातकालीन प्रबंधन और आपदा तैयारी पहल की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए सरकारी, गैर-सरकारी और समुदाय-आधारित संगठनों के बीच अंतर-क्षेत्रीय समन्वय और सहयोग को मजबूत करना।

75. शहरी बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण, दिल्ली, 27–29 फरवरी 2024

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें:

क) दिल्ली के बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में पंपिंग अवसंरचना की व्यापक योजना और रखरखाव विकसित किया गया। संबंधित विभागों और एजेंसियों के साथ मिलकर पंपिंग सिस्टम की खरीदारी की गई, ताकि उनकी रणनीतिक स्थिति और कार्यक्षमता को सुनिश्चित किया जा सके और मानसून के दौरान जल निकासी को बेहतर बनाया जा सके।

ख) भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान और बाढ़ के दौरान आश्रय बिंदुओं को मानचित्रण करने के लिए भूगोल सूचना प्रणाली (जीआईएस) का कार्यान्वयन किया गया। यह जीआईएस सिस्टम न केवल तत्काल आश्रय की पहचान के लिए उपयोगी होगा, बल्कि शहरी योजना में बाढ़-प्रवण क्षेत्रों की सीमांकन करके भविष्य की योजना बनाने में भी मदद करेगा।

ग) समय-समय पर विभागीय समन्वय के लिए प्रोटोक,ल स्थापित करें। यह प्रयास सामूहिक निर्णय-निर्माण और आपातकालीन परिस्थितियों में संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय को बढ़ावा देगा।

घ) बाढ़ आपात स्थितियों के दौरान सूचना के आदान-प्रदान और समन्वय के लिए एक केंद्रीकृत मंच विकसित करें। यह मंच विभिन्न विभागों के बीच वास्तविक-समय संचार को सुगम बनाएगा, ताकि सभी हितधारकों को नवीनतम जानकारी उपलब्ध हो सके।

च) निर्णय-निर्माण और डेटा के प्रभावी आदान-प्रदान के लिए एक समर्पित मोबाइल ऐप या वेब पोर्टल जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को लागू करें।

76. पर्यावरणीय स्थिरता और आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर संकाय विकास कार्यक्रम, दिल्ली, 04–08 मार्च 2024

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें:

क) विश्वविद्यालयों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण–विशिष्ट क्षमता विकास की समझ और सराहना की कमी है।

ख) जागरूकता बढ़ाने के लिए सुविधाओं, कार्यक्रमों या संसाधनों तक पहुंच का अभाव।

ग) आपदा और विकास के बीच कड़ी नहीं बनाई गई है और यह अलग–अलग विचार किए जाते हैं।

घ) डीआरआर के लिए मौजूदा कानूनी उपकरणों की समझ की कमी।

ङ) विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से पहचाना जाना चाहिए ताकि आपदा प्रबंधन योजनाओं को विकासात्मक योजनाओं में शामिल किया जा सके और प्रोंतिक आपदाओं के प्रभावों को कम किया जा सके।

च) एसडीजी और सेन्डाई फ्रेमवर्क का सम्मिलन डीआरआर को सभी स्तरों पर हासिल करने के लिए अनिवार्य हो गया है।

77. आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर फैकल्टी विकास कार्यक्रम, उड़ीसा, 05–07 मार्च 2024

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें:

क) आपदा प्रबंधन के व्यापक संदर्भ को पहचाना गया, इसके चरणों और सामाजिक कार्य प्रथाओं के साथ इसके आपसी संबंधों को समझते हुए जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण, प्रतिक्रिया, पुनर्प्राप्ति और तैयारी से जुड़े हैं।

ख) आपदाओं के दौरान और बाद में सांस्कृतिक संवेदनशीलताओं और प्रभावित जनसंख्या की विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मानसिक–सामाजिक देखभाल के सिद्धांतों और नैतिकताओं पर जोर दिया गया।

ग) आपदा समुत्थानशीलता और पुनर्प्राप्ति में समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया गया, ताकि सामाजिक कार्य के शिक्षक समुदायों को संलग्न करने और प्रभावी मानसिक–सामाजिक देखभाल के लिए समर्थन नेटवर्क का निर्माण कर सकें।

घ) आपदाओं के दौरान कमजोर समूहों जैसे बच्चों, बुजुर्गों, विकलांग व्यक्तियों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की विशेष आवश्यकताओं पर चर्चा की गई और मानसिक–सामाजिक देखभाल को इस प्रकार अनुकूलित किया गया।

ङ) आपदा प्रतिक्रिया में लिंग–समावेशी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना और निर्णय–निर्माण प्रक्रियाओं में लिंग विविध समूहों को सक्रिय रूप से शामिल करना अधिक समावेशी, प्रभावी और सुदृढ़ आपदा प्रबंधन रणनीतियों को बढ़ावा देता है।

ख) सक्रिय सुनने के कौशल और सहानुभूति को बढ़ावा दिया गया ताकि जीवितों के अनुभवों, भावनाओं और चिंताओं को बिना निर्णय किए समझा जा सके।

78. आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर फैकल्टी विकास कार्यक्रम, मणिपुर, 11–13 मार्च 2024

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें:

क) डीआरआर पेडागॉजी में प्रशिक्षित शिक्षक डीआरआर अवधारणाओं को अपने विषयों में प्रभावी ढंग से समाहित कर सकते हैं, छात्रों में सुरक्षा और तैयारी की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए।

ख) कार्यक्रम ने डीआरआर शिक्षा के लिए एक सुसंगत दृष्टिकोण सुनिश्चित किया, जिससे विश्वविद्यालय अनुदेशिक आदेशों का पालन होता है।

ग) विभिन्न विषयों में डीआरआर को समाहित करने से आपदा तैयारी को विशिष्ट पाठ्यक्रमों तक सीमित करने की बजाय उच्च शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बना दिया गया।

घ) कार्यक्रम में आपदाओं, उनके प्रकार, कारणों और प्रभावों की बुनियादी समझ विकसित की गई। प्रतिभागियों ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) और इसके महत्व को समझा।

ङ) कार्यक्रम ने शिक्षकों को डीआरआर को अपने विषयों में प्रभावी रूप से समाहित करने के लिए शैक्षिक उपकरण और तकनीकों से सुसज्जित किया। प्रतिभागियों ने केस स्टडीज विकसित कीं, पाठ्य योजनाएं तैयार कीं, और छात्रों को जोड़ने के लिए इंटरएक्टिव शिक्षण विधियों का उपयोग करना सीखा।

च) कार्यक्रम ने डीआरआर शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधनों से प्रतिभागियों को सुसज्जित किया। उन्होंने ऑनलाइन संसाधन, पाठ्यक्रम सामग्री और राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों का अध्ययन किया।

79. शहरी जोखिम न्यूनीकरण-संरचनाओं की भूकंपीय सुरक्षा पर ध्यान, दिल्ली, 13-15 मार्च 2024

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें:

क) भवनों के निर्माण को सुरक्षित बनाने के लिए निर्माण कोड और मानकों को सख्ती से लागू करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के सभी चरणों में कड़ी निगरानी व्यवस्था स्थापित करना चाहिए।

ख) असुरक्षित भवनों का सामना करना एक प्रमुख समस्या है, और इसका समाधान यह है कि सभी नए निर्माण भूकंप प्रतिरोधी हों और पुराने संरचनाओं को समय-समय पर मजबूत किया जाए।

ग) भूकंप के जोखिम से निपटने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि सभी मोर्चों पर काम किया जाए, जैसे इंजीनियरिंग, विज्ञान, जन जागरूकता और जन नीति।

घ) इंजीनियरों, आर्किटेक्ट्स, योजना निर्माताओं और निर्माण श्रमिकों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना आवश्यक है ताकि आपदा न्यूनीकरण क्षमता में वृद्धि हो सके।

ङ) तेजी से दृश्य सर्वेक्षणों का संचालन करके संरचनात्मक रूप से असुरक्षित महत्वपूर्ण भवनों की पहचान करें। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे राजमार्गों, बांधों, रेलवे और पुलों में संरचनात्मक स्वास्थ्य निगरानी (एसएचएम) के लिए सेंसर और गैर-संपर्क तकनीकों का उपयोग करें।

च) मौजूदा संरचनाओं को पुनर्संरचना करना प्राथमिकता होनी चाहिए, खासकर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए, केस स्टडीज और बाहरी सुदृढीकरण उपायों के माध्यम से।

छ) भूकंप-प्रति रक्षात्मक शहरी योजना को प्राथमिकता दें और भूमि उपयोग आधारित क्षेत्रों और रूप आधारित जोनिंग को समावेशित करें।

ज) बड़े पैमाने पर आवास निर्माण को बढ़ावा देने के लिए निर्माण प्रथाओं में विकास की आवश्यकता है, ताकि आधुनिक तकनीक और पारंपरिक तरीकों का मिश्रण किया जा सके।

80. आपदा पश्चात् आवश्यकताओं का आकलन (पीडीएनए) के लिए राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम (दीर्घकालिक पुनर्वास हेतु), दिल्ली, 18–20 मार्च 2024

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) खतरों और आपदाओं के बीच अंतर को समझना, संभावित नुकसान का मापना, और प्रभावी पुनर्वास योजना के लिए व्यापक आकलन का महत्व।

ख) पीडीएनए प्रक्रिया में विश्लेषण, क्षति आकलन, दीर्घकालिक प्रभाव मूल्यांकन, पुनर्वास की प्राथमिकताएँ तय करना, और योजना के लिए डेटा सत्यापन में नवाचार और सटीकता का महत्व।

ग) आपदा से पहले के संदर्भ पर विचार और पीडीएनए के लिए बुनियादी डेटा स्रोतों की पहचान तथा वैचारिक ढांचे की चर्चा।

घ) स्वास्थ्य क्षेत्र में पीडीएनए ने मानक प्रक्रियाओं, डेटा स्रोतों, क्षति आकलन, पुनर्वास गणना, आपदा प्रभाव, हानि और पुनर्निर्माण उपायों पर जोर दिया।

ङ) शिक्षा क्षेत्र में पीडीएनए प्रक्रिया, कदम, बुनियादी डेटा, क्षति आकलन तालिकाएं, पुनर्वास रणनीतियाँ, अनुमानित आवश्यकताएँ, कार्यान्वयन तंत्र और चुनौतियाँ शामिल हैं।

च) आवास क्षेत्र में पीडीएनए ने निर्मित पर्यावरण के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण, भू-तकनीकी सर्वेक्षण, बुनियादी ढांचे की स्थिरता और जोखिम संचार पर ध्यान केंद्रित किया।

छ) बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में पीडीएनए ने आपदा घटना की विशेषताओं, पीडीएनए आकलन, पुनर्वास रणनीतियों और पुनर्वास एवं शमन परियोजनाओं पर चर्चा की।

ज) डब्ल्यूएएसएच (जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य) क्षेत्र में पीडीएनए ने शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास के साथ अंतर-संबंध को दर्शाया और आपदा पुनर्वास के लिए बहु-आयामी योजना की आवश्यकता को रेखांकित किया।

81. आपदा प्रबंधन के मूल सिद्धांत, आपदा प्रबंधन योजना और व्यापार निरंतरता पर ध्यान केंद्रित, दिल्ली, 18–20 मार्च 2024

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) अन्य सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक कारकों की तरह, पर्यावरणीय कारक भी उद्यमिता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और बाजार अर्थव्यवस्था और व्यापार निरंतरता पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।

ख) स्वदेशी और पारंपरिक ज्ञान का उपयोग हमेशा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक वरदान साबित होता है।

ग) छोटे पैमाने पर व्यापार में भविष्य बनाने के इच्छुक उद्यमियों के लिए सरकारी योजनाओं जैसे बीमा और ड्रोन जैसी तकनीकों के बारे में अच्छी जानकारी होना भविष्य की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

घ) बुनियादी जीवनरक्षक कौशल हमेशा तकनीकी या जटिल नहीं होते। कुछ कौशल ऐसे होते हैं जो तकनीकी ज्ञान न होने पर भी किए जा सकते हैं।

च) किसी दिए गए आपदा परिदृश्य में मानसिक स्वास्थ्य और मनोविज्ञान जैसे विषयों पर ध्यान न देने का कारण असंवेदनशीलता नहीं, बल्कि ऐसे मुद्दों के प्रति जागरूकता की कमी हो सकती है।

82. जनस्वास्थ्य आपातकालीन आपदा स्थितियाँ जैसे भूकंप, भूस्खलन और जलप्रलय पर संकाय विकास कार्यक्रम, सिक्किम, 18–22 मार्च 2024

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) प्रतिभागियों ने आपातकालीन संचालन योजनाओं के विकास और कार्यान्वयन पर विचार किया, ताकि संकट के समय त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया दी जा सके।

ख) प्रतिभागियों ने महामारी के जोखिम को कम करने के लिए निवारक उपायों की खोज की, जिसमें टीकाकरण और सार्वजनिक जागरूकता अभियान की भूमिका पर जोर दिया गया।

ग) पोस्ट–आपदा स्थितियों में रोगियों के सुरक्षित और कुशल रूप से स्थानांतरण की तकनीकों को प्रदर्शित किया गया, ताकि अतिरिक्त चोटों से बचा जा सके और रोगी की देखभाल को सर्वोत्तम बनाया जा सके।

घ) स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को बुनियादी जीवन समर्थन (बीएलएस) तकनीकों में प्रशिक्षण दिया गया, ताकि मरीजों को स्थिर किया जा सके और आपातकालीन स्थितियों में मृत्यु दर को घटाया जा सके।

ङ) प्रतिभागियों ने सामुदायिक तैयारियों को बढ़ाने की रणनीतियों का अन्वेषण किया, जिसमें आपदा योजना, जोखिम मूल्यांकन और मजबूत बुनियादी ढांचा निर्माण शामिल है।

83. आपदा जोखिम प्रबंधन, सामाजिक उद्यमिता और समुत्थानशीलता पर संकाय विकास कार्यक्रम, गुजरात, 26–28 मार्च 2024

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) कार्यक्रम ने आपदा जोखिम प्रबंधन (डीआरएम) में एकीकृत और अंत:विषय दृष्टिकोण अपनाने के महत्व को रेखांकित किया। इसमें विभिन्न क्षेत्रों जैसे कानून, समाजशास्त्र और प्रबंधन से ज्ञान प्राप्त करने के लाभों पर जोर दिया गया, जो अधिक समग्र और सतत प्रतिक्रियाएँ प्रदान कर सकते हैं, समुदाय की भलाई और समुत्थानशीलता को बढ़ावा दे सकते हैं।

ख) प्रतिभागियों ने डीआरएम और सामाजिक उद्यमिता में शिक्षकों और प्रशिक्षकों के रूप में अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए व्यावहारिक कौशल और ज्ञान प्राप्त किया। कार्यक्रम ने उन्हें शिक्षण/प्रशिक्षण कार्यक्रमों को डिजाइन, कार्यान्वित और मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान किए, जिससे वे प्रभावी रूप से ज्ञान का प्रसार कर सकें।

ग) कार्यक्रम ने आपदा प्रबंधन प्रयासों में समावेशिता और लिंग संवेदनशीलता के महत्व पर बल दिया। इसमें जेंडर समानता, सामाजिक समावेशन, और समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने की रणनीतियों पर चर्चा की गई।

घ) प्रतिभागियों ने नीति निर्माताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा सामने आने वाली नैतिक चुनौतियों पर विचार किया और आपदा प्रबंधन के सभी चरणों में मानवीय नैतिकता और सामाजिक न्याय के मूल्यों को बढ़ावा देने के महत्व को उजागर किया।

ङ) प्रतिभागियों को आपदाओं से संबंधित जटिल चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवाचार और सहयोग करने के लिए प्रेरित किया गया, ताकि पार-संवर्गीय साझेदारी और सामाजिक उद्यमिता पहलें सकारात्मक बदलाव ला सकें।

84. संग्रहालयों और दीर्घाओं के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण, दिल्ली, 20–22 मार्च 2024

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) सभी प्रकार की आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए निवारक उपायों और व्यापक आपदा योजनाओं पर जोर दिया गया, जिसमें भौतिक और डिजिटल कलाकृतियों की सुरक्षा भी शामिल है।

ख) आपदा प्रबंधन योजनाओं में संरक्षण रणनीतियों को एकीकृत करने के लिए हस्ताक्षरित कलोंतियों और पांडुलिपियों के डिजिटल संरक्षण की आवश्यकता है।

ग) डिजिटल संग्रहों की संवेदनशीलता को समझने और उनके प्रबंधन को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया गया ताकि दीर्घकालिक पहुंच और संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

घ) बाढ़ के दौरान कलोंतियों को कैसे पुनः प्राप्त किया जाए और किस कलोंति को पहले बचाना चाहिए, यह प्रशिक्षण दिया गया, उनके सामग्री और महत्व के आधार पर।

ङ) आपातकालीन योजनाओं को सक्रिय करने, लोगों को सुरक्षित रूप से निकालने और आपदा प्रबंधन के प्रतिक्रिया और पुनर्वास चरणों में क्षति का आकलन करने के महत्व पर जोर दिया गया।

85. तटीय क्षेत्रों के लिए शहरी जोखिम समुत्थानशीलता, चेन्नई, 26–28 मार्च 2024

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) तमिलनाडु राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के संवेदनशील हिस्से में स्थित है, जो जलवायु और जलवायु-आधारित तथा भौगोलिक आपदाओं जैसे चक्रवात, सुनामी, शहरी बाढ़, समुद्र स्तर में वृद्धि और तटीय क्षरण के प्रति संवेदनशील है।

ख) चौदह तटीय जिले, जैसे चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर, कडलोर, विलुपुरम, तंजावुर, तिरुवरार, नागापट्टिनम, मयिलादुथुरई, पुदुकोट्टई, रामनाथपुरम, थूथुकुड़ी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी आपदाओं के लिए अत्यधिक संवेदनशील हैं।

ग) तमिलनाडु मुख्यभूमि का एकमात्र राज्य है, जहाँ कोरल रीफ्स पाए जाते हैं, जो लहरों, तूफानों और बाढ़ से तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा करते हैं। हालांकि, कोरल रीफ्स बढ़ते हुए पर्यावरणीय खतरों और वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण गंभीर रूप से खतरे में हैं।

घ) सुदृढ़ता निर्माण की अवधारणा में बहु-आपदा परिदृश्यों के लिए आपदा शमन दृष्टिकोणों का उपयोग और आपदा प्रबंधन की योजना का व्यक्तिगत स्तर पर लागू करना आवश्यक है, खासकर शहरी समुदायों के लिए जो विभिन्न आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं।

ङ) चक्रवातों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ने जीवन को बचाने में अत्यधिक प्रभावी साबित हुई है, इसी तरह शहरी बाढ़ से प्रभावित निम्न-भूमि क्षेत्रों के लिए निगरानी स्टेशनों के नेटवर्क को सुदृढ़ करना आवश्यक है।

86. उत्तर-पूर्व भारत के शिक्षाविदों के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर क्षेत्रीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम, मेघालय, 26–28 मार्च 2024

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) भारत की भौगोलिक, पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक विविधता के कारण विशिष्ट स्थानों और समुदायों के लिए कस्टम-निर्मित समाधान की आवश्यकता है।

ख) आपदा प्रबंधन योजना समुदायों को आपातकालीन परिस्थितियों में कस्टम-निर्मित समाधान तैयार करने और उनका पालन करने में मदद करती है।

ग) सीएसआर (कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी) भविष्य में विश्वविद्यालय नेटवर्क के माध्यम से डीआरआर गतिविधियों को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने का एक अच्छा अवसर साबित हो सकता है।

घ) आपदाओं के संदर्भ में, सूक्ष्म-स्तरीय योजना और जिम्मेदार प्राधिकरणों का बड़ा महत्व है।

ड़) आपदाओं को डिकोड करने से पहले उनके विभिन्न पहलुओं को अच्छी तरह से समझना आवश्यक है।

च) किसी भी आपदा परिदृश्य में, जोखिम-हानि-जोखिम क्षमता और आकलन तेजी से सबसे उपयोगी और सुलभ समाधान तैयार करने में मदद करता है और डीआरआर पहलुओं के उपयोग में भी सहायक होता है।

छ) मजबूत बुनियादी ढांचा बनाने में केवल भौतिक विकास नहीं, बल्कि डिजिटल कनेक्टिविटी और सतत् ऊर्जा स्रोतों में निवेश भी महत्वपूर्ण है, ताकि संवेदनशीलताओं को कम किया जा सके।

87. आपदा प्रबंधन पर संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी), उत्तर प्रदेश, 27–31 मार्च 2024

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) पहलों को सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ एकीकृत करना महत्वपूर्ण है, ताकि समुत्थानशीलता बढ़ सके और आपदाओं का प्रभाव समुदायों पर कम हो सके।

ख) आपदा के लिए तैयार रहना और एक समुथानशील समाज होना महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक और मानवजनित आपदाओं के प्रति जागरूकता और सतर्कता की बहुत आवश्यकता है।

ग) आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया में युवाओं को सशक्त बनाना, शिक्षा, प्रशिक्षण, और सामुदायिक पहलों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण है। युवाओं को नेतृत्व भूमिका निभाने, स्वैच्छिक गतिविधियों में शामिल होने और नीति निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए ताकि सुदृढ़ समुदायों का निर्माण किया जा सके।

घ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी और गणितीय मॉडलिंग आपदाओं का आकलन, भविष्यवाणी और शमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उपकरण और विधाएँ प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, क्षति आकलन, संसाधन आवंटन, और आपदाओं के दौरान स्वास्थ्य प्रभावों के शमन में मदद करती हैं।

च) आपदा प्रबंधन में एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना, संवेदनशीलताओं का मूल्यांकन करना, क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना और सामाजिक न्याय और समानता पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन और डीआरआर से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए अकादमिक समुदाय के भीतर समन्वय और सहयोग की बहुत आवश्यकता है और आपदा प्रबंधन में रोकथाम, तैयारी, और पुनर्वास की समझ विकसित करना आवश्यक है।

आमने-सामने प्रशिक्षण कार्यक्रम (दक्षिणी परिसर)

1. युवाओं की गर्मी की लहरों में कार्रवाई: संवेदनशीलता को कम करना, क्षमता को बढ़ाना और सुदृढ़ता का निर्माण, तेलंगाना, 17–21 अप्रैल 2023

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) राज्यों में हीट एक्शन प्लान (एचएपी) का विकास और कार्यान्वयन शुरू किया जाए।

ख) वर्तमान प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) को मजबूत करने के लिए प्रयास किए जाएं।

ग) स्थानीय हीट वेव थ्रेशोल्ड्स (एलटी) के बारे में समुदाय में जागरूकता बढ़ाने के लिए पहल की जाएं।

घ) योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उपयुक्त संस्थागत ढांचे पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।

ङ) राज्यों की क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वे कई खतरों से संबंधित परिस्थितियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर सकें, इसके लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) को सुदृढ़ किया जाए।

2. युवाओं की गर्मी की लहरों में कार्रवाई: संवेदनशीलता को कम करना, क्षमता को बढ़ाना और सुदृढ़ता का निर्माण, तमिलनाडु, 24–28 अप्रैल 2023

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) खूब तरल पदार्थ पिएं, विशेष रूप से पानी, भले ही आपको प्यास न लगे। कैफीन या शराब का अत्यधिक सेवन न करें, क्योंकि यह निर्जलीकरण में योगदान कर सकता है।

ख) हल्के, ढीले और हल्के रंग के कपड़े पहनें ताकि हवा का संचरण बेहतर हो सके और सूरज की रोशनी को परावर्तित किया जा सके।

ग) जब बाहर जाएं, तो कोशिश करें कि आप छायादार स्थानों में रहें, खासकर दिन के सबसे गर्म समय के दौरान।

घ) अत्यधिक गर्म मौसम में विशेष रूप से तापमान के उच्चतम घंटों के दौरान तीव्र शारीरिक श्रम को कम करें।

ङ) हीट वेव प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली मौसम पूर्वानुमान, ऐतिहासिक डेटा और तापमान और आर्द्रता की निगरानी का उपयोग करती है ताकि गर्मी की लहरों के आने से पहले चेतावनियाँ प्रदान की जा सकें। ये चेतावनियाँ अधिकारियों और व्यक्तियों को तैयार होने और आवश्यक सावधानियाँ बरतने में मदद करती हैं।

3. युवाओं की गर्मी की लहरों में कार्रवाई: संवेदनशीलता को कम करना, क्षमता को बढ़ाना और सुदृढ़ता का निर्माण, पंजाब, 01–05 मई 2023

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) भारत के खतरे और संवेदनशीलता प्रोफाइल का समग्र अवलोकन।

ख) विविध प्राकृतिक आपदाओं के उत्पत्ति और परिणामों पर विचार करना चाहिए: उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सुनामी, भूस्खलन, तूफानी लहरें, बाढ़, भूकंप और सूखा।

ग) आपदा प्रतिक्रिया में सरकार की संस्थाओं की भूमिकाएँ: एनडीआरएफ (राष्ट्रीय स्तर पर), एसडीआरएफ (राज्य स्तर पर), और स्थानीय संगठनों को निभानी चाहिए।

घ) तापमान और वर्षा की चरम घटनाओं, सूखा, समुद्र स्तर में वृद्धि, और गंभीर चक्रवातों की बढ़ी हुई गंभीरता को ध्यान में रखते हुए ध्यान दिया जाए।

ङ) उच्च तापमान श्वसन समस्याओं में योगदान करते हैं, और उच्च तापमान और हानिकारक पदार्थों के संचय के बीच एक स्पष्ट संबंध होता है।

4. बच्चों–केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, आंध्र प्रदेश, 10–12 मई 2023

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) बच्चे-केंद्रित आपदा जोखिम और उनके निवारण उपायों को समझने की आवश्यकता है।

ख) सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में निवारक उपायों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

ग) बच्चे-केंद्रित आपदाओं को कम करने के लिए सभी हितधारकों को शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें निजी और सरकारी उपायों का समन्वय हो।

घ) बच्चे-केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (सीसीडीआरआर) और इसके जीवन चक्र पर जोर देना चाहिए।

ङ) सीसीडीआरआर में जोखिम-सूचित कार्यक्रम दृष्टिकोणों को एकीकृत करने की आवश्यकता है।

च) बच्चों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) गतिविधियों में शामिल करने के लिए मॉड्यूल विकसित किए जाने चाहिए।

5. युवाओं और किशोरों को आपदा जोखिम प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन में शामिल करना, हिमाचल प्रदेश, 23–27 मई 2023

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) कोरोना वायरस रोग (कोविड–19) के बारे में बुनियादी जानकारी, इसके लक्षण, जटिलताएँ, प्रसार और इसके प्रसार को रोकने के उपायों को समझने की आवश्यकता है।

ख) आपदा प्रबंधन से संबंधित बुनियादी अवधारणाओं और आपदा जोखिम प्रबंधन के माप को समझें।

ग) यह पहचानें कि युवा जलवायु परिवर्तन और आपदाओं में कौन सी भूमिका निभा सकते हैं और जलवायु क्रियावली के लिए युवाओं के आंदोलन का महत्व क्या है।

घ) आपदा के समय युवाओं और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए रणनीतियाँ तैयार करें।

6. बच्चे–केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षकों क प्रशिक्षण (सीसीडीआरआर), उत्तराखंड, 05–09 जून 2023

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) कोरोना वायरस रोग (कोविड–19) के बारे में बुनियादी जानकारी, इसके लक्षण, जटिलताएँ, प्रसार और इसके प्रसार को रोकने के उपायों को समझना।

ख) आपदा प्रबंधन और आपदा जोखिम प्रबंधन के माप से संबंधित बुनियादी अवधारणाओं को सीखना।

ग) स्वयंसेवकिता और मानसिक तनाव, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और कल्याण के बीच के संबंध को पहचानना।

घ) आपदा के समय बच्चों से संबंधित मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को हल करना। जोखिम–सूचित कार्यक्रम निर्माण, जीवन चक्र दृष्टिकोण, और विद्यालय सुरक्षा तकनीकों पर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।

7. बच्चे–केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (सीसीडीआरआर), छत्तीसगढ़, 19–23 जून 2023

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) जन स्वास्थ्य आपातकालीन परिस्थितियों में आपदाओं की प्रकृति को समझना और बच्चों पर उनके विशेष प्रभाव को पहचानना।

ख) बच्चों के माता–पिता की मानसिक और शारीरिक आवश्यकताओं को समझना।

ग) आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए तनाव प्रबंधन तंत्र और रणनीतियों को सीखना।

घ) बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं और आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाना।

ङ) बच्चों की बढ़ी हुई संवेदनशीलता और उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त तैयारी की आवश्यकता को देखते हुए बच्चों–केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रशिक्षण पर ध्यान देना।

च) विद्यालयों और अन्य संबंधित हितधारकों द्वारा सुरक्षित विद्यालय प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।

8. बच्चों की सुरक्षा और आपातकालीन परिस्थितियों में बच्चों के अधिकारों पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, पंजाब, 03–07 जुलाई 2023

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) आपातकालीन परिस्थितियों में बच्चों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो आपदाओं और संकटों के दौरान बच्चों की भलाई और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

ख) आपातकालीन परिस्थितियों में बच्चों को होने वाली समस्याओं जैसे कि हत्या, शारीरिक विकलांगता, यातना और अपहरण को प्रमुखता से उजागर किया जाना चाहिए।

ग) बच्चों की सुरक्षा प्रणाली का विकास करना और सामाजिक सेवा कार्यबल का समर्थन करना महत्वपूर्ण है, ताकि सरकारों को नीति, कानून, नियामक ढांचे और मानव संसाधनों में सहायता मिल सके।

घ) बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को स्वास्थ्य कार्यक्रमों के मूल्यांकन, डिजाइन, निगरानी और मूल्यांकन में शामिल किया जाना चाहिए।

ङ) शिक्षा और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं के बीच घनिष्ठ सहयोग आवश्यक है, जिसमें बच्चों के लिए अनुकूल स्थान और सुरक्षा उपायों पर काम किया जाए।

च) आपातकालीन परिस्थितियाँ बच्चों को न्यायिक प्रणाली के प्रति अधिक संवेदनशील बना देती हैं, चाहे वे आरोपी, पीड़ित या गवाह के रूप में हों, या इन भूमिकाओं के संयोजन के रूप में।

9. बच्चे–केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ट्रेनिंग कार्यक्रम, लद्दाख, 10–14 जुलाई 2023

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) बच्चों, किशोरों और समुदाय में खतरे और आपदा के बीच मौलिक अंतर को समझना।

ख) आपदा से संबंधित शब्दावली जैसे कि संवेदनशीलता, जोखिम, क्षमता, आपदा का नुकसान, शमन, तैयारी, रोकथाम, पुनर्निर्माण, पुन:प्राप्ति, समुत्थानशीलता और प्रतिक्रिया को समझना।

ग) आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को समझना।

घ) आपदा के संरचनात्मक और गैर–संरचनात्मक आयामों को समझना।

ङ) विद्यालय सुरक्षा के लिए संरचनात्मक उपायों और ऑडिट प्रकारों और दिशा–निर्देशों को समझना।

च) विद्यालयों के लिए स्वास्थ्य दिशा–निर्देशों को समझना।

छ) खतरे, संवेदनशीलता, जोखिम और क्षमता विश्लेषण की अवधारणा को समझना।

ज) सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन स्थितियों की प्रकृति को समझना और बच्चों पर उनके विशेष प्रभाव को पहचानना।

झ) बच्चों के माता–पिता की भावनात्मक और शारीरिक आवश्यकताओं को समझना।

ण) बच्चों से संबंधित चिंताओं को विभिन्न स्तरों पर आपदा प्रबंधन नीतियों, योजनाओं, कानूनों और नियमों के निर्माण और कार्यान्वयन में शामिल किया जाना चाहिए।

10. आपदाओं और आपातकालीन परिस्थितियों में बच्चों की सुरक्षा और बच्चों के अधिकारों पर ट्रेनिंग कार्यक्रम, केरल, 18–22 जुलाई 2023

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) प्रशिक्षण ने प्रतिभागियों के बच्चों की सुरक्षा और आपदा स्थितियों में बच्चों के अधिकारों के बारे में पेशेवर ज्ञान को प्रभावी ढंग से बढ़ाया।

ख) प्रतिभागियों को आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों, जिसमें तैयारी, प्रतिक्रिया और पुन:प्राप्ति शामिल हैं, को बच्चों–केंद्रित दृष्टिकोण के साथ समझाया गया।

ग) आईसीडीएस कार्यकर्ताओं ने आपातकालीन स्थितियों में बच्चों की संवेदनशीलता और विशिष्ट आवश्यकताओं को गहरी समझ प्राप्त की, जिससे वे आपदा के दौरान बच्चों की सुरक्षा और समर्थन करने में सक्षम हुए।

घ) प्रतिभागियों को आपदाओं के दौरान बच्चों की सुरक्षा के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कौशल विकसित किए गए।

ङ) आईसीडीएस कार्यकर्ताओं ने बच्चों की सुरक्षा के सिद्धांतों को राहत प्रयासों में शामिल करने, आयु-उपयुक्त हस्तक्षेपों को डिजाइन करने और आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाओं में बच्चों की भलाई को प्राथमिकता देने का तरीका सीखा।

11. युवाओं और किशोरों को आपदा जोखिम प्रबंधन (डीआरएम) और जलवायु अनुकूलन (सीसीए) में शामिल करने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, आंध्र प्रदेश, 24–28 जुलाई 2023

मुख्य निष्कर्ष /सिफारिशें

क) आपदाओं का जनसंख्या पर प्रभाव और आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) में युवाओं को शामिल करने के तरीके, साधन और महत्व को समझना।

ख) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन में युवाओं की भागीदारी और इसके भूमि स्तर पर प्रभाव को समझना।

ग) युवाओं के बीच डीआरआर और सीसीए को मुख्यधारा में लाने के लिए सतत रणनीतियाँ विकसित करना।

घ) आपदा और आपातकालीन स्थितियों के दौरान और बाद में जन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और संबंधित मुद्दों से निपटने की रणनीतियों पर पाठ लेना।

च) जेंडर और जटिल आपात स्थितियों के बीच सहसंबंध पर सीखना और क्यों आपदाओं के दौरान और बाद में जेंडर संवेदनशीलता महत्वपूर्ण है।

छ) आपदा जोखिम प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन में सरकार, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों की भूमिका और भागीदारी।

ज) डीआरआर और सीसीए में सतत् तरीकों के उपयोग में व्यावहारिक और क्षेत्रीय अनुभव।

12. आपदाओं और आपातकालीन स्थितियों में बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों पर ट्रेनिंग कार्यक्रम, पुडुचेरी, 07–11 अगस्त 2023

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) विभिन्न स्तरों पर बच्चों की संवेदनशीलता को समझने के लिए कार्रवाई की आवश्यकता है, क्योंकि वे वयस्कों से अधिक संवेदनशील होते हैं।

ख) आपदाओं और आपातकालीन स्थितियों में बच्चों के खिलाफ दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण और हिंसा की रोकथाम और प्रतिक्रिया पर अधिक काम करने की आवश्यकता है।

ग) लड़कियों और लड़कों को अपनी सुरक्षा में सक्रिय एजेंट बनने के लिए सशक्त बनाना, उनके बच्चों की सुरक्षा गतिविधियों के मूल्यांकन, डिजाइन, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन में उनकी भागीदारी को शामिल करना।

घ) बच्चों को हिंसा और दबाव के कारण शारीरिक और मानसिक नुकसान से बचाना।

ङ) बच्चों को स्थानीय बच्चों की सुरक्षा तंत्र के बारे में जानकारी प्रदान करना, जिसमें मुख्य संपर्क जानकारी और आवश्यकतानुसार सेवाओं तक पहुँचने का तरीका शामिल हो।

च) बच्चों और वयस्कों को जोखिम, सुरक्षित स्थानों और सुरक्षित मार्गों को मानचित्रित करने में शामिल करना, ताकि वे घर, स्कूल या आपदा में समर्थन तंत्र तक पहुंच सकें।

13. बच्चों–केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, गोवा, 16–18 अगस्त 2023

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) बच्चों–केंद्रित आपदा जोखिमों और उनके निवारण उपायों की बुनियादी समझ।

ख) सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में निवारक उपायों को बढ़ावा देना।

ग) अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करना कि स्कूल परिसरों का उपयोग शरण, उपचार केंद्र आदि के रूप में नहीं किया जाए।

घ) सीसीडीआरआर का अवलोकन प्रदान करना, जिसमें जीवन चक्र दृष्टिकोण और जोखिम–सूचित कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया हो।

ङ) बच्चों को डीआरआर गतिविधियों में शामिल करने के लिए मॉड्यूल और गतिविधियों का विकास करना, ताकि वे सुरक्षा और भलाई के लिए निवारक उपायों के बारे में अपनी जानकारी और कौशल बढ़ा सकें।

14. युवाओं और किशोरों को आपदा जोखिम प्रबंधन (डीआरएम) और जलवायु अनुकूलन (सीसीए) में शामिल करने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, तमिलनाडु, 21–25 अगस्त 2023

मुख्य निष्कर्ष /सिफारिशें

क) कोरोना वायरस रोग (कोविड–19) के बारे में बुनियादी जानकारी, इसके लक्षण, जटिलताएँ, प्रसार और इसके प्रसार को रोकने के उपायों को समझना।

ख) युवाओं में आपदा प्रबंधन और आपदा जोखिम प्रबंधन (डीआरएम) के बुनियादी अवधारणाओं और माप के बारे में बेहतर समझ विकसित करना।

ग) आपदा जोखिम प्रबंधन में युवाओं संगठनों के महत्व को पहचानना, जैसे जागरूकता फैलाना और समुदाय की सहायता करना, ताकि वे एक परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकें।

घ) स्वयंसेवी कार्य और मानसिक कल्याण के बीच संबंध को पहचानना और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए स्वयंसेवी कार्य के महत्व को समझना।

ङ) युवाओं के जलवायु परिवर्तन चुनौतियों या आपदाओं को कम करने में निभाई जा सकने वाली भूमिका और जलवायु कार्रवाई के लिए युवाओं के आंदोलन का महत्व पहचानना।

च) आपदा के समय युवाओं और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए रणनीतियाँ विकसित करने की आवश्यकता है।

15. बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, आंध्र प्रदेश, 28 अगस्त – 01 सितम्बर 2023

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) आपदाओं के शब्दों जैसे कि संवेदनशीलता, जोखिम, क्षमता, क्षति, न्यूनीकरण, रोकथाम, तैयारी, पुनर्निर्माण, समुत्थानशीलता, पुनः प्राप्ति, और प्रतिक्रिया का समझ विकसित करना।

ख) संकट स्थितियों की पहचान और मूल्यांकन करना संभव बनाना।

ग) आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूक होना।

घ) आपदा के संरचनात्मक और असंरचनात्मक पहलुओं का समझ विकसित करना।

ङ) घर–घर और स्कूल सुरक्षा के लिए संरचनात्मक सुरक्षा उपायों और नियमों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और क्षमता बढ़ाना।

च) स्कूल सुरक्षा के लिए विभिन्न सुरक्षा ऑडिट और निगरानी तंत्रों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना।

छ) स्कूलों पर लागू स्वास्थ्य नियमों और स्वच्छता प्रथाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना।

16. बाल–केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम, महाराष्ट्र, 04–08 सितंबर 2023

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) आपदा की शब्दावली को समझना, जैसे कि संवेदनशीलता, एक्सपोजर, क्षमता, आपदा क्षति, शमन, तैयारी, रोकथाम, पुनर्निर्माण, रिकवरी, समुत्थानशीलता और प्रतिक्रिया।

ख) आपदा के संरचनात्मक और गैर–संरचनात्मक आयामों को समझना।

ग) स्कूल सुरक्षा योजना को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के दिशा–निर्देशों के अनुसार सभी शैक्षिक कर्मचारियों को सिखाना चाहिए।

घ) अग्नि सुरक्षा को स्कूल सुरक्षा प्रबंधन की योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आग बुझाने की प्रक्रिया, निकासी प्रक्रिया और अग्निशामक यंत्र का उपयोग कैसे करें जैसे सरल मॉक ड्रिल सभी स्तरों पर छात्रों से लेकर स्कूल कर्मचारियों तक सिखाई जानी चाहिए।

ङ) छात्रों के बीच पहले चिकित्सा सहायता (फर्स्ट एड बॉक्स) के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रदर्शन मॉडल की आवश्यकता है।

च) स्कूल आपदा प्रबंधन और स्कूल सुरक्षा पर एक फाइल बनाकर उसे स्कूल प्रबंधन और शैक्षिक एजेंडे का हिस्सा बनाना चाहिए।

17. आपदा और आपातकालीन परिस्थितियों में बाल संरक्षण और बाल अधिकारों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, आंध्र प्रदेश, 11–15 सितंबर 2023

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) आपातकालीन परिस्थितियों में बाल संरक्षण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो आपातकालीन घटना के पहले, दौरान और बाद की अवधि को कवर करता है।

ख) प्रभावी तंत्र में स्थानीय संरचनाएँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो बच्चों की भलाई को बढ़ावा देती हैं या उसका समर्थन करती हैं।

ग) आपातकालीन स्थितियों में बच्चों को बुनियादी सेवाओं और सुरक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करना चाहिए, और अपवर्जन के कारणों और उपायों की पहचान की जानी चाहिए।

घ) बाल संरक्षण संबंधी चिंताओं को विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन, डिजाइन, निगरानी और मूल्यांकन में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए।

ङ) बाल संरक्षण को मुख्यधारा में लाना, न्यूनतम मानकों को लागू करने का उद्देश्य बच्चों की शारीरिक सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करना है।

च) मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक समर्थन उपायों के लिए विविध और पूरक दृष्टिकोणों को एकजुट करना आवश्यक है।

छ) अस्थिरता और संकट के समय में बच्चों को सभी प्रकार के कुपोषण का खतरा अधिक होता है।

ज) पोषण गतिविधियों में जोखिम-निवारण उपायों को शामिल करना चाहिए।

झ) बाल संरक्षण एजेंसियों, एनजीओ और सरकारों को आपातकालीन स्थितियों में बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए एक साथ काम करना चाहिए। इसमें सुरक्षित स्थानों की स्थापना शामिल है।

ण) बाल संरक्षण से संबंधित मुद्दों के लिए एक प्रचार रणनीति विकसित करनी चाहिए और स्थानीय अधिकारियों और मानवीय कार्यकर्ताओं को संवेदनशील बनाना चाहिए।

18. बाल-केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम, कर्नाटक, 25-29 सितंबर 2023

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) दृष्टिकोण का उद्देश्य बच्चों के आपदाओं और आपातकालीन परिस्थितियों में जोखिमों और संवेदनशीलताओं को कम करना होना चाहिए।

ख) सीसीडीआरआर दृष्टिकोण को अंतरराष्ट्रीय समझौतों, विशेष रूप से बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संधि (सीआरसी) के साथ संरेखित करना चाहिए, ताकि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के सभी चरणों में बच्चों के अधिकारों का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित हो।

ग) आपदा तैयारी, प्रतिक्रिया और रिकवरी से संबंधित निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में बच्चों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए।

घ) बच्चों और समुदायों को आपदा जोखिमों, तैयारी और सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित करने का महत्व पर जोर दिया गया है।

च) समावेशी आपदा योजना को बढ़ावा देना चाहिए, जो सभी बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखे, जिनमें विकलांगता वाले बच्चे, विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चे, और विभिन्न आयु समूहों के बच्चे शामिल हैं।

19. युवा और किशोरों की आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (सीसीए) में भागीदारी प्रशिक्षण कार्यक्रम, दिल्ली, 30 अक्टूबर-3 नवंबर 2023

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) भविष्य को सुदृढ़ और सतत् बनाने के लिए युवा और किशोरों को डीआरआर और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (सीसीए) प्रयासों में शामिल करना।

ख) युवा और किशोरों की क्षमता को परिवर्तन के प्रभावशाली उत्प्रेरक के रूप में पहचाना गया है, और डीआरआरऔर जलवायु अनुकूलन से संबंधित निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में उनका सक्रिय समावेश महत्वपूर्ण है।

ग) साझेदारी दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो युवा लोगों को डीआरआर और जलवायु अनुकूलन रणनीतियों के डिजाइन और कार्यान्वयन में शामिल करता है।

घ) डीआरआर पर केंद्रित युवा नेटवर्कों या संगठनों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, सहयोग और नवाचारी विचारों का आदान-प्रदान बढ़ाने के लिए।

20. आपदा और आपातकालीन परिस्थितियों में बाल संरक्षण और बाल अधिकारों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, विजयवाड़ा, 14–17 नवंबर 2023

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) बच्चों को हानि, हिंसा, शोषण और भेदभाव से सुरक्षा सुनिश्चित करना जो आपदा स्थितियों में विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है।

ख) बाल-केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों को लागू करना ताकि बच्चों की भलाई की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

ग) आपदा स्थितियों में बच्चों का स्वास्थ्य और भलाई बनाए रखने के लिए स्वच्छ पानी, पौष्टिक भोजन और स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच सुनिश्चित करना आवश्यक है।

घ) सभी लड़कों और लड़कियों को उपयुक्त जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य (वाश) सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए, जो शारीरिक और यौन हिंसा के जोखिम को कम कर सके।

21. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन में युवा और किशोरों की भागीदारी प्रशिक्षण कार्यक्रम, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप, 20–24 नवंबर 2023

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (सीसीए) में युवा और किशोरों की भागीदारी की आवश्यकता है, ताकि भविष्य को समुत्थानशील और सतत बनाया जा सके।

ख) युवा और किशोरों को परिवर्तन के प्रभावशाली उत्प्रेरक के रूप में पहचाना गया है और उन्हें डीआरआर और जलवायु अनुकूलन से संबंधित निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

ग) साझेदारी दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो युवा लोगों को डीआरआर और जलवायु अनुकूलन के डिजाइन और कार्यान्वयन में शामिल करता है।

घ) डीआरआर और जलवायु अनुकूलन पर केंद्रित युवा नेटवर्कों या संगठनों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, सहयोग और विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए।

ङ) युवा और किशोरों को डीआरआर और जलवायु मुद्दों के बारे में अपने सहकर्मियों और समुदायों को शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

च) अपने समुदायों में विशिष्ट डीआरआर और जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्याओं को संबोधित करने वाले युवा-नेतृत्व वाले परियोजनाओं का समर्थन करना चाहिए।

22. 'आपदा और आपातकाल में बच्चों के अधिकार और सुरक्षा' पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, एनआईडीएम दक्षिण परिसर, 04–08 दिसंबर 2023

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि (यूएनसीआरसी) के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के अधिकार चार मुख्य श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं: जीवित रहने का अधिकार, विकास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, और भागीदारी का अधिकार।

ख) बच्चों को आपदाओं से असमान रूप से प्रभावित किया जाता है क्योंकि वे वयस्कों पर निर्भर होते हैं और शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और विकासात्मक कमजोरियों का सामना करते हैं। इस कारण बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन आपदाओं के दौरान और बाद में अक्सर होता है।

ग) बच्चों को आपदाओं के दौरान शारीरिक चोटों, मृत्यु, और आघातपूर्ण घटनाओं का सामना करना पड़ता है। माता-पिता या देखभाल करने वालों से अलगाव उन्हें आपातकालीन स्थितियों में शोषण या हिंसा का शिकार बना सकता है।

घ) आपदाओं के परिणामस्वरूप मृत्यु, चोटें, परिवार की हानि, अलगाव, दैनिक जीवन की दिनचर्या में विघटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं का नुकसान और खाद्य, पानी, आश्रय, कपड़े, दवाइयाँ, और टीकाकरण जैसी आवश्यक सेवाओं की कमी हो सकती है। इसके अतिरिक्त, बच्चों को शोषण, हिंसा, मानव तस्करी, बाल विवाह, या बाल श्रम जैसे विभिन्न तनावों का सामना करने का अधिक खतरा रहता है।

ङ) बच्चों के पास विशेष अधिकार होते हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय समझौतों जैसे यूएनसीआरसी में उल्लिखित किया गया है, जिन्हें आपदाओं और आपातकालों के दौरान बनाए रखा जाना चाहिए।

च) हानि, हिंसा, शोषण और भेदभाव से सुरक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार है, जिसे आपदाओं के दौरान विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

छ) बच्चों की भलाई की सुरक्षा के लिए बच्चों-केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (यूएनसीआरसी) की रणनीतियों को लागू करना आवश्यक है। ये रणनीतियाँ आपदाओं के संदर्भ में बच्चों की विशिष्ट जरूरतों और कमजोरियों को प्राथमिकता देने और संबोधित करने के लिए डिजाइन की जाती हैं।

23. 'आपदा और आपातकाल में बच्चों के अधिकार और सुरक्षा' पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, एचपीएसडीएमए के सहयोग से, हिमाचल प्रदेश, 11–14 दिसंबर 2023

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि (यूएनसीआरसी) के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के अधिकार चार मुख्य श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं: जीवित रहने का अधिकार, विकास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, और भागीदारी का अधिकार।

ख) बच्चों को आपदाओं से असमान रूप से प्रभावित किया जाता है क्योंकि वे वयस्कों पर निर्भर होते हैं और शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और विकासात्मक कमजोरियों का सामना करते हैं। इस कारण बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन आपदाओं के दौरान और बाद में अक्सर होता है।

ग) बच्चों को आपदाओं के दौरान शारीरिक चोटों, मृत्यु, और आघातपूर्ण घटनाओं का सामना करना पड़ता है। माता-पिता या देखभाल करने वालों से अलगाव उन्हें आपातकालीन स्थितियों में शोषण या हिंसा का शिकार बना सकता है।

घ) आपदाओं के परिणामस्वरूप मृत्यु, चोटें, परिवार की हानि, अलगाव, दैनिक जीवन की दिनचर्या में विघटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं का नुकसान और खाद्य, पानी, आश्रय, कपड़े, दवाइयाँ, और टीकाकरण जैसी आवश्यक सेवाओं की कमी हो सकती है। इसके अतिरिक्त, बच्चों को शोषण, हिंसा, मानव तस्करी, बाल विवाह, या बाल श्रम जैसे विभिन्न तनावों का सामना करने का अधिक खतरा रहता है।

ङ) बच्चों के पास विशेष अधिकार होते हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय समझौतों जैसे यूएनसीआरसी में उल्लिखित किया गया है, जिन्हें आपदाओं और आपातकालों के दौरान बनाए रखा जाना चाहिए।

च) हानि, हिंसा, शोषण और भेदभाव से सुरक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार है, जिसे आपदाओं के दौरान विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

24. एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी के सहयोग से बच्चे-केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ट्रेनिंग कार्यक्रम, असम, 18–21 दिसंबर 2023

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) बच्चे आपदाओं से सीधे प्रभावित होते हैं और बच्चों के लिए मृत्यु दर वयस्कों की तुलना में अधिक रही है। आपदाएँ बच्चों के जीवित रहने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण संरचनाओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं। यह बच्चों के नियमित जीवन को भी प्रभावित करती है।

बच्चों के लिए आपदाएँ अन्य वयस्कों से अलग होती हैं:

- वे स्थिति को उतनी समझ नहीं पाते
- वे कठिन परिस्थितियों से उबरने का अनुभव नहीं रखते
- वे भावनात्मक रूप से स्थिति को व्यक्त नहीं कर पाते
- उन्हें देखभाल की आवश्यकता होती है, जो उनके माता–पिता या अन्य देखभालकर्ताओं के आसपास होने पर अधिक प्राप्त होती है
- बच्चों में आपदा के आघात से निपटने की शारीरिक और मानसिक क्षमता कम होती है
- आपदाओं के दौरान बच्चों को पर्याप्त संसाधन और सहायता प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि वे वयस्कों से बेहतर ढंग से उबर सकें।

ख) व्यक्तिगत या सामुदायिक स्तर पर जोखिम विभिन्न तत्वों पर निर्भर करता है जैसे जनसंख्या घनत्व, आयु वितरण, आर्थिक विकास, खाद्य उपलब्धता, स्वास्थ्य स्थिति, स्थानीय पर्यावरणीय और भौगोलिक स्थिति, और सामाजिक सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता।

ग) जोखिम का मूल्यांकन एक सापेक्ष स्थिति होती है, जो समुत्थानशीलता से लेकर पूर्ण असहायता तक हो सकता है। कम समुत्थानशीलता, अधिक संपर्क, उच्च संवेदनशीलता, खराब सहनशीलता, अनुकूलन की कमी, समायोजन की कमी, और आगे बढ़ने में असमर्थता।

25. बच्चों के सुरक्षा और अधिकारों पर ओरिएंटेशन कार्यक्रम, चंडीगढ़, 16–18 जनवरी 2024

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) आपदा–प्रवण क्षेत्रों में अस्थायी शिक्षण स्थानों की स्थापना, शैक्षणिक सामग्री का प्रावधान और शिक्षकों का प्रशिक्षण आवश्यक है।

ख) बच्चों को आपदा के मानसिक प्रभाव से निपटने के लिए मानसिक स्वास्थ्य समर्थन सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि एक अनुकूल शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

ग) बच्चों को निर्णय–निर्माण प्रक्रियाओं में शामिल करना आवश्यक है ताकि उनकी दृष्टिकोण और अनुभवों को आपदा योजना और प्रतिक्रिया में शामिल किया जा सके।

घ) समावेशी दृष्टिकोण को अपनाना महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए, ताकि भूमि पर अनुभव आधारित दृष्टिकोण को लागू किया जा सके।

ङ) आपदाओं और आपातकालों के दौरान निरंतर शिक्षा की पहुंच प्रदान करने के लिए शीघ्र कार्य करना आवश्यक है।

26. बच्चों–केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण, उत्तराखंड, 29 जनवरी – 1 फरवरी 2024

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) आपदा जोखिम को उस स्थिति विश्लेषण के आधार पर संबोधित किया जा सकता है जो विकास–कार्यक्रम निर्माण में आयु और लिंग संबंधित आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है।

ख) बच्चों के साथ सहानुभूति पूर्ण संवाद बनाए रखना जरूरी है ताकि वे आपदाओं के दौरान महसूस किए गए तनाव को कम कर सकें।

ग) बच्चों में जीवन कौशल को समग्र समुत्थानशीलता के लिए शामिल करना चाहिए और इसे शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।

घ) विद्यालय स्तर पर आपदा निधियों से सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री का विकास सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि बच्चों के लिए यह जानकारी उपयुक्त और सुलभ हो।

27. बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों पर प्रशिक्षण, आंध्र प्रदेश, 05–08 फरवरी 2024

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) स्कूलों का क्षमता मूल्यांकन (संसाधन और कौशल) और जोखिम मूल्यांकन विभिन्न दृष्टिकोणों से किया जाना चाहिए ताकि समुत्थानशीलता बढ़ाने के लिए योजना तैयार की जा सके।

ख) समुदायों को जोखिम पहचानने, निकासी योजनाएं लागू करने और आपदाओं के दौरान एक–दूसरे का समर्थन करने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए।

ग) निकासी केंद्रों और आश्रयों में बच्चों के लिए बाल–मित्रतापूर्ण स्थान स्थापित किए जाने चाहिए ताकि उन्हें सुरक्षित और खेल–कूद का वातावरण मिल सके।

घ) बच्चों को बुनियादी सेवाओं और सुरक्षा की पहुंच मिलनी चाहिए और भेदभाव और बहिष्कार के कारणों को पहचाना और संबोधित किया जाना चाहिए।

28. एनसीसी अधिकारियों के लिए पायलट प्रशिक्षण ट्रेनिंग कार्यक्रम, दिल्ली, 12–15 फरवरी 2024

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) एनसीसी प्रशिक्षण ने कैडेट्स को आपदा के दौरान एक प्रभावी और कुशल प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए खोज और बचाव संचालन, प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन संचार के लिए आवश्यक कौशल से लैस किया।

ख) सामुदायिक जुड़ाव गतिविधियाँ और आपदा तैयारियों की पहलों ने सुदृढ़ निर्माण में मदद की है, जिससे समुदायों को आपदाओं से प्रभावी रूप से निपटने और ठीक होने में सहायता मिलती है।

ग) खोज और बचाव टीमों की त्वरित और प्रभावी तैनाती महत्वपूर्ण है ताकि प्रभावित क्षेत्रों तक शीघ्र पहुँच सकें और जीवन-रक्षात्मक प्रयासों की शुरुआत कर सकें।

घ) एक सुव्यवस्थित कमांड सेंटर की स्थापना विभिन्न एजेंसियों के बीच निर्बाध संचार और सहयोग को सुविधाजनक बनाती है जो खोज, बचाव और राहत संचालन में शामिल होती हैं।

ङ) उन्नत प्रौद्योगिकियों जैसे ड्रोन, उपग्रह चित्रण, और भूकंपीय संवेदकों का एकीकरण खोज और बचाव प्रयासों की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाता है।

च) रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकियों से वास्तविक समय के डेटा जैसे उपग्रह और ड्रोन, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का व्यापक दृश्य प्रदान करते हैं, जो वास्तविक समय की स्थिति जागरूकता में मदद करते हैं और अधिक सूचित निर्णय लेने में सहायता करते हैं, जिससे संसाधनों और कर्मचारियों की प्रभावी तैनाती संभव होती है।

29. बच्चों-केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, भूमि और आपदा प्रबंधन संस्थान, केरल, 19–24 फरवरी 2024

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) बच्चे आपदाओं से सीधे प्रभावित होते हैं और बच्चों में मृत्यु दर वयस्कों की तुलना में अधिक रही है। आपदाएँ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकती हैं जो बच्चों के जीवित रहने, विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक हैं।

ख) आपदा के दौरान मृत्यु दर को कम करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, कोविड-19 के दौरान हर संस्था ने सरकार की दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी आपदा प्रतिक्रिया की पुनः योजना बनाई थी। इसी तरह, प्रतिक्रिया और पुनर्वास में शामिल सभी हितधारकों को अपनी चुनौतियों और अंतरालों की पहचान करनी चाहिए और अपने मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को अपडेट करना चाहिए।

ग) आपदा जोखिम को सबसे अच्छे तरीके से संबोधित किया जा सकता है यदि कार्यक्रम निर्माण के लिए स्थिति विश्लेषण आयु और लैंगिक संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है। लैंगिक-संवेदनशीलता और विकलांगता समावेशी 'जीवन चक्र दृष्टिकोण' को कार्यक्रम निर्माण में केंद्रीय स्थान देना चाहिए।

घ) आपदाओं के दौरान सामाजिक मानदंडों/प्रथाओं जैसे लैंगिक भेदभाव, बाल विवाह, बाल श्रम आदि को बढ़ावा मिलता है और यह विभिन्न बच्चों को प्रभावित करता है। संबंधित संस्थान को इन सामाजिक दोषों को रोकने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करनी चाहिए।

ङ) बच्चों के साथ सहानुभूतिपूर्वक संवाद सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि वे आपदाओं के दौरान महसूस की गई मानसिक पीड़ा को कम कर सकें। उन बच्चों को मानसिक–आध्यात्मिक सहायता प्रदान करनी चाहिए जिन्होंने अपने माता–पिता खो दिए हैं, या जो परिवार से अलग हो गए हैं।

30. युवाओं और किशोरों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु अनुकूलन में शामिल करना, तमिलनाडु, 18–22 मार्च 2024

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

क) सामुदायिक, विशेष रूप से युवाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण की आवश्यकता है, ताकि आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) और जलवायु अनुकूलन (सीसीए) से संबंधित निर्णय–निर्माण प्रक्रियाओं में उनका योगदान हो सके।

ख) युवाओं और किशोरों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (सीसीए) में शामिल करना एक अधिक लचीला और सतत भविष्य के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है।

ग) युवाओं और किशोरों में परिवर्तन लाने की ताकत होती है और उन्हें डीआरआर और जलवायु अनुकूलन से संबंधित निर्णय–निर्माण प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

घ) ऐसे सहभागी दृष्टिकोणों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो युवाओं को डीआरआर और जलवायु अनुकूलन की डिजाइन और कार्यान्वयन में शामिल करें।

ङ) युवाओं के नेटवर्क या संगठनों की स्थापना को बढ़ावा देना चाहिए जो डीआरआर और जलवायु अनुकूलन पर केंद्रित हो, ताकि सहयोग और विचारों का आदान–प्रदान संभव हो सके।

च) सहकर्मी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए और युवाओं को अपने साथियों और समुदायों को डीआरआर और जलवायु मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

*****

अध्याय 7
अन्य पहलकदमियां

अन्य पहलकदमियां

1. श्री राजेंद्र रत्नू (आईएएस), कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम ने 29 मार्च–01 अप्रैल 2023 तक गांधी नगर, गुजरात में आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक में भाग लिया। उन्होंने 23–25 मई 2023 तक मुंबई में आयोजित की गई जी–20 की आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी बैठक में भी हिस्सा लिया। इसके अलावा, उन्होंने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के वित्तपोषण पर जी–20 के आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह के उप–विषय "बीमा संबंधित तंत्र" में भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्री रत्नू मुंबई में डीआरआर की जी–20 द्वितीय कार्य समूह की बैठक में निजी क्षेत्र और बुनियादी ढांचे की समुत्थानशीलता पर एक और सत्र को संबोधित किया, जहां उन्होंने मल्टी–मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति एनएमपी के परिवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डाला।

2. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यकारी निदेशक श्री राजेंद्र रत्नू (आईएएस) ने आईसीएलईआई (इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लोकल एन्वायर्नमेंटल इनिशिएटिव्स) के साथ 06 अप्रैल 2023 को एक सार्थक बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य आईसीएलईआई, एनआईडीएम, जलवायु और विकास ज्ञान नेटवर्क (सीडीकेएन), और स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन (एसडीसी) को शामिल करते हुए सिटी रेजिलिएंस एंड सस्टेनेबिलिटी–प्लानिंग एंड कैपेसिटी प्रमोशन नामक संयुक्त कार्यक्रम पर संभावित भविष्य के सहयोग पर चर्चा करना था। बैठक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के रोहिणी परिसर में आयोजित की गई।

3. इस बैठक का एजेंडा मजबूत बुनियादी ढांचे और क्षमता निर्माण के साथ शीर्ष से जमीनी स्तर तक आपदा जोखिम में कमी के लिए दोनों संस्थानों के बीच सहयोग पर चर्चा करना था। बैठक की अध्यक्षता श्री राजेंद्र रत्नू, आईएएस, ईडी, एनआईडीएम ने की, जिसमें आईसीई (आई) के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह एवं दोनों संस्थानों के अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।

4. नई दिल्ली में एनआईडीएम रोहिणी परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई; इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) और चाइल्ड राइट्स एंड यू (सीआरवाई) शामिल हुए। इस बैठक का प्राथमिक बिंदु व्यापक बाल-केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (सीसीडीआरआर) प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीसीडीआरआर, एनआईडीएम और सीआरवाई के बीच एक सहयोगी साझेदारी पर विचार-विमर्श करना था। इस बैठक के दौरान, एक सहयोगात्मक कार्य योजना को औपचारिक रूप दिया गया, और इस महत्वपूर्ण क्षण के गवाह श्री राजेंद्र रत्नू (आईएएस), ईडी, एनआईडीएम सहित कई गणमान्य शख्सियत रहे जिनमें प्रोफेसर संतोष कुमार, परियोजना निदेशक, सीसीडीआरआर, और श्री सुभेंदु भट्टाचार्य, निदेशक, नीति, अनुसंधान एवं एडवोकेसी चाइल्ड राइट्स एंड यू (सीआरवाई) शामिल हैं। इस अवसर पर दोनों संस्थाओं के अधिकारियों की उपस्थिति भी देखी गई। यह आयोजन बाल-केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पहल की बेहतरी के लिए इन संगठनों के बीच साझेदारी को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

5. आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) पर प्रधानमंत्री के 10-सूत्रीय एजेंडा के बिंदु 3 पर एक प्रेरक वार्ता का आयोजन किया गया, जो विशेष रूप से महिला नेतृत्व और सशक्तिकरण पर केंद्रित था। इस अवसर पर राज्यसभा की सम्मानित सदस्य और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉ. सोनल मानसिंह ने एनआईडीएम के संकाय प्रमुखों, कर्मचारियों और आमंत्रित सदस्यों के सामने एक आकर्षक भाषण दिया, जिसमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

स्वागत भाषण के दौरान, श्री राजेंद्र रत्नू, आईएएस, कार्यकारी निदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने महिलाओं की असुरक्षा पर विभिन्न कार्यक्रम संचालित करने के लिए संस्थान की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और दृढ़ता से विश्वास व्यक्त किया कि महिलाएं आपदाओं में परिवर्तन का प्रतीक और परिवर्तन की वाहक दोनों हो

सकती हैं। उन्होंने आपदाओं से प्रभावित महिलाओं के सामने आने वाली गंभीर चुनौतियों का समाधान करने के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण में महिलाओं की अधिक भागीदारी और नेतृत्व को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

6. गिज_इंडिया द्वारा आयोजित शहरी सम्मेलन और कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस के शुभारंभ के अवसर पर श्री राजेंद्र रत्नू, कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने मुख्य भाषण दिया और शहरी नियोजन में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण सिद्धांतों के एकीकरण पर जोर दिया। इस कार्यक्रम का तीसरा सत्र महत्वपूर्ण था जो जलवायुरोधी बुनियादी ढांचे पर प्रस्तुत किया गया, जिसका संचालन सीसीडीआरआर के वरिष्ठ प्रोफेसर और परियोजना निदेशक प्रोफेसर संतोष कुमार ने किया। समापन भाषण समुत्थानशील अवसंरचना की वरिष्ठ सलाहकार (रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर) डॉ. गरिमा अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत किया गया।

7. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) भारत ने स्वास्थ्य, जलवायु और आपदा आपात स्थितियों के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से एक सहयोगात्मक बैठक के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को आमंत्रित किया। सुश्री पेडेन ने डब्ल्यूएचओ भारत की ओर से बैठक की अध्यक्षता की, जिससे इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दोनों संस्थाओं के बीच संबंधों को मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई।

8. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने मंत्रालय की आपदा प्रबंधन योजना विकसित करने के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (एमओसीएएफपीडी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जिसमें मजबूत बुनियादी ढांचे, अनुकूलन और डीआरआर को मुख्यधारा में शामिल करना शामिल है। भारतीय खाद्य निगम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के साथ समन्वय करने के लिए एमओसीएएफपीडी की नोडल एजेंसी होगी। एमओयू हस्ताक्षर समारोह में सचिव, एमओसीएएफपीडी, सीएमडी, भारतीय खाद्य निगम और श्री राजेन्द्र रत्नू, ईडी, एनआईडीएम मौजूद रहे।

9. भारत सरकार के गृह मंत्रालय की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के पांच सदस्यों की एक टीम ने रेल हादसे के कारणों को जानने के लिए बालासोर ट्रेन दुर्घटना के दस्तावेजीकरण के उद्देश्य से बालासोर, ओडिशा का दौरा किया। टीम ने स्थिति का आकलन किया और बेहतर तैयारी और दुर्घटना की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण उपायों का सुझाव देने का लक्ष्य रखा है।

10. पर्यावरण संरक्षण और प्रभावी आपदा प्रबंधन के बीच आंतरिक संबंध को स्वीकार करते हुए, एनआईडीएम समुत्थानशीलता बढ़ाने और भविष्य की आपदाओं को कम करने के लिए पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करता है। यह अवसर हमें पर्यावरण के प्रति अपनी साझा जिम्मेदारी और इसके निहितार्थों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या में सरल समायोजन पर्याप्त सकारात्मक परिणाम देने की क्षमता रखते हैं। संयुक्त प्रयासों के माध्यम से, हम सभी के लिए एक हरित, अधिक टिकाऊ भविष्य की शुरुआत कर सकते हैं।

11. एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, श्री राजेंद्र रत्नू, ईडी, एनआईडीएम ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय अंतर्गत उच्च विभाग के सचिव श्री के. संजय मूर्ति के साथ एक सार्थक बैठक की।

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन शिक्षा। इस बैठक का केंद्रीय विषय उच्च शिक्षा के भीतर एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में आपदा प्रबंधन का एकीकरण था। एनआईडीएम के वरिष्ठ सलाहकार प्रोफेसर संतोष कुमार और एनआईडीएम की वरिष्ठ कार्यक्रम सलाहकार डॉ. प्रीति सोनी की भागीदारी ने चर्चाओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि जोड़ी। उच्च शिक्षा में आपदा प्रबंधन का एकीकरण भविष्य के पेशेवरों और नेताओं को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने और आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए है। इस विषय को उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करके, यह पहल छात्रों के बीच तत्परता, समुत्थानशीलता और सतत् प्रगति की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहती है।

12. आईयूआईएनडीआरआर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स (इंडिया) के साथ 11 जुलाई 2023 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस रणनीतिक साझेदारी ने आपदा प्रबंधन और सिविल इंजीनियरिंग में अभूतपूर्व सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया।

13. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) और एशिया और प्रशांत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र (एपीसीटीटी), एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी) 17 जुलाई 2023 को अपनी महत्वपूर्ण बैठक के दौरान आपदा प्रबंधन समाधान तलाशने की कोशिश की।

14. भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के सहयोग से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने 18 जुलाई 2023 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में 'जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए **'अनुकूलन, समुत्थानशीलता और स्थिरता ज्ञान नेटवर्क'** पर एक उच्च स्तरीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया । बैठक की अध्यक्षता एसईआरबी सचिव डॉ. अखिलेश गुप्ता ने की। कार्यशाला में समुत्थानशीलता और स्थिरता के निर्माण में प्रकृति–आधारित समाधान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और निजी क्षेत्र की भागीदारी की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। इसने राष्ट्रीय स्तर के ज्ञान नेटवर्क के माध्यम से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन का समर्थन करने के लिए एक भविष्यवादी रोडमैप और दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस आयोजन का उद्देश्य प्रासंगिक जानकारी के समय पर प्रसार के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने, सामुदायिक समुत्थानशीलता और अनुकूलन रणनीतियों को बढ़ावा देने के लिए एक ज्ञान नेटवर्क के निर्माण की सुविधा के लिए ज्ञान और विशेषज्ञता को एक साथ लाना था।

15. श्री राजेन्द्र रत्नू, आईएएस ईडी, एनआईडीएम ने आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर सीवीआर मूर्ति और पूर्व ईडी एनआईडीएम, श्री अनिल के. सिन्हा, मेजर जनरल एम.के. बिंदल, श्री. ताज हसन आईपीएस, प्रोफेसर संतोष कुमार को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के पुनर्गठन पर उनकी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि के लिए के प्रति 20 जुलाई 2023 को अपना हार्दिक आभार व्यक्त किया।

16. एनआईडीएम ने 24–26 जुलाई 2023 को चेन्नई में तीसरी जी20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक के दौरान आयोजित साइड इवेंट में भाग लिया। इस कार्यक्रम में उल्लेखनीय गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, जिनमें जी20 शेरपा राजदूत श्री अमिताभ कांत, प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा; और अन्य लोगों के अलावा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष प्रतिनिधि सुश्री ममी मिजुटोरी भी शामिल थीं। डॉ. मिश्रा ने जलवायु परिवर्तन से प्रेरित आपदाओं की भयावहता और अंतर्संबंध और दुनिया भर में उनके पहले से ही देखे जा सकने वाले प्रभावों पर जोर दिया। उन्होंने स्थानीय से वैश्विक स्तर तक फैले आपदा जोखिमों के प्रबंधन में वृद्धिशील परिवर्तनों से परिवर्तनकारी दृष्टिकोण में परिवर्तन की तात्कालिकता पर जोर दिया। इस कार्यक्रम ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों को सक्रिय रूप से संबोधित करने और आपदा रोधी और बुनियादी ढांचे के प्रशासन को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की अनिवार्यता पर वैश्विक सहमति पर प्रकाश डाला। यह दिन वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन से प्रेरित आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए व्यापक और परिवर्तनकारी कार्यों की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करता है।

17. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (यूनिसेफ) ने भूकंप, चक्रवात, बाढ़ और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए एक अभिनव सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार (एसबीसीसी) टूलकिट बनाने के लिए 08 अगस्त 2023 को मिलकर काम करने का निर्णय किया है।

18. प्राधिकरण के सहयोग से बाढ़ से उबरने और पुनर्निर्माण योजना के लिए आपदा के बाद की जरूरतों का आकलन (पीडीएनए) आयोजित किया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम), केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सीडीआरआई), संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों सहित 22 सदस्यीय टीम द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (यूनिसेफ), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), जेपी विश्वविद्यालय और 60 से ज्यादा समर्पित अधिकारियों ने 07–08 अगस्त 2023 को कार्यक्रम में भाग लिया।

19. भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के महानिदेशक श्री ललित गभाने ने 10 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का दौरा किया। इस दौरान हुई एक अहम बैठक में सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में नवीन साझेदारी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया ।

20. श्री राजेंद्र रत्नू, आईएएस ईडी, एनआईडीएम ने ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टीईआरआई) की महानिदेशक डॉ. विभा धवन के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में जलवायु समाधान और स्थिरता पर चर्चा की। 14 अगस्त 2023 को हुई बैठक में निदेशक सुश्री सुचिता भडवाल, और रिसर्च फेलो डॉ. श्रीजा एस.नायर भी शामिल थे।

21. श्री राजेंद्र रत्नू, आईएएस, ईडी, एनआईडीएम ने 17 अगस्त 2023 को विश्व बैंक के आपदा जोखिम प्रबंधन के वरिष्ठ विशेषज्ञ श्री अनूप कारंथ के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एक सार्थक चर्चा के दौरान अमूल्य अंतदृष्टि व्यक्त की ।

22. श्री राजेंद्र रत्नू, आईएएस, ईडी, एनआईडीएम ने 'आपदाओं के दौरान मानवीय संकट की उभरती चुनौतियां' नामक कार्यशाला की अध्यक्षता की। यह कार्यक्रम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट आफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च, नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया था जो 19 अगस्त 2023 को हुआ था।

23. आईयूआईएनडीआरआर और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के बीच 25 अगस्त 2023 को एक उत्कृष्ट समन्वेशी बैठक हुई ।

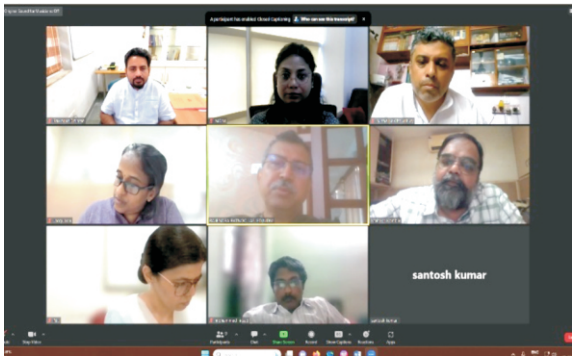

24. आईयूआईएएनडीआरआर–एनआईडीएम को 25 अगस्त 2023 को एनआईडीएम, दिल्ली परिसर में सहयोगात्मक पहल पर सार्थक चर्चा के लिए प्रोफेसर डॉ. विनीता सहाय (आईआईएम बोधगया की निदेशक) की मेजबानी करने का सौभाग्य मिला।

25. भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) ने मैथिली ठाकुर को अपना पहला ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है। मैथिली पहले से ही न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में एक युवा और सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपने लोक और भक्ति गायन के माध्यम से महत्वपूर्ण ख्याति अर्जित की है। बहुत कम उम्र में अपने पिता रमेश ठाकुर के मार्गदर्शन में अपना गायन करियर शुरू करने वाली मैथिली ने विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों पर प्रदर्शन

किया है। 30 अगस्त 2023 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यकारी निदेशक श्री राजेंद्र रत्नू, आईएएस, ने कहा कि मैथिली अपनी आवाज और संगीत के माध्यम से न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करती हैं बल्कि लाखों लोगों को खुशी भी देती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हालांकि प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है और एनआईडीएम इस दिशा में काम कर रहा है।

26. एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक आईएएस श्री राजेंद्र रत्नू एवं डेनमार्क के राजदूत के बीच 14–15 सितंबर 2023 को जयपुर में बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में महत्वपूर्ण चर्चा हुई ।

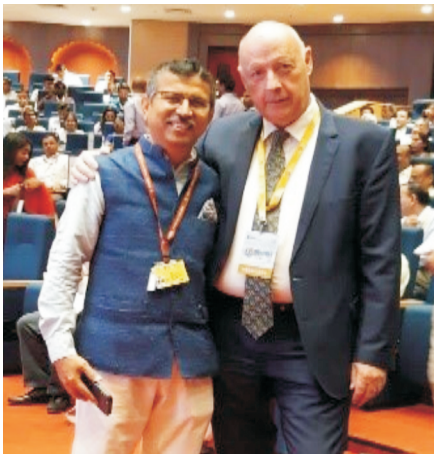

27. व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा ने एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक आईएएस श्री राजेंद्र रत्नू का 21–22 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के ओएसएच गुरुकुल सम्मेलन में सम्मानित अतिथि के रूप में स्वागत किया।

28. डॉ. कृष्णाकांत पाठक, वित्त सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 26 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में हिन्दी पखवाड़ा–2023 का सफलता पूर्वक समापन समारोह आयोजित किया गया। कार्यकारी निदेशक, राजेन्द्र रत्नू (भा.प्र.से.) के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में संस्थान के समस्त अधिकारी, कर्मचारी एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय के छात्रों एवं शिक्षकों ने शिरकत की।

29. आईआईटी रुड़की में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन उत्कृष्टता केंद्र (सीओईडीएमएम) द्वारा आयोजित एकीकृत आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सोसायटी (आईडीआरआईएम 2023) का 13वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, समावेशी सतत् विकास के लिए एकीकृत डीआरआर विषय पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। इसमें विज्ञान, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क, सतत् विकास लक्ष्य और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता, नीतिगत सुसंगतता और 2030 तक स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को आगे बढ़ाने के लिए उनकी क्षमता पर जोर दिया गया।

एकीकृत आपदा जोखिम न्यूनीकरण (आईडीआरआर) एक समग्र दृष्टिकोण के रूप में है, जो समावेशिता पर एक मजबूत फोकस के साथ आपदा जोखिम में कमी, सतत् विकास और सामाजिक समावेशन को संरेखित करता है। इस सम्मेलन में वैश्विक आपदा प्रबंधन पहल में भारत की भूमिका पर प्रकाश डाला गया, दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए रोकथाम, तैयारी और शमन–केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बदलाव को बढ़ावा दिया गया और भविष्य की चुनौतियों से निपटने में नवाचार, प्रौद्योगिकी और स्थिरता के महत्व पर जोर दिया गया।

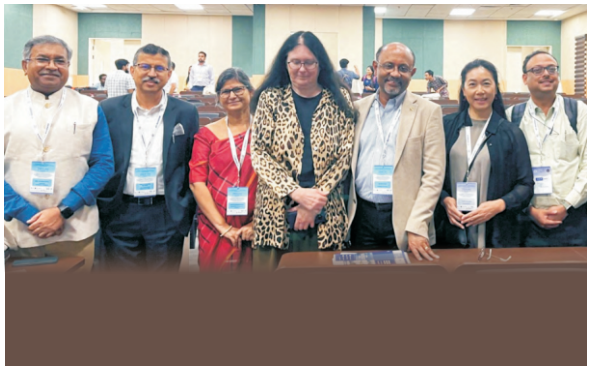

30. एनआईडीएम ने, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश (दक्षिणी परिसर) और रोहिणी, दिल्ली (उत्तरी परिसर) दोनों में अपने परिसरों के साथ, 02 अक्टूबर 2023 को स्वच्छता ही सेवा अभियान में सराहनीय योगदान दिया। उनके संबंधित परिवेश, और अभियान के उद्देश्यों को बढ़ावा दिया यह अभियान भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान (स्वच्छ भारत मिशन) के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था, जो 2019 तक भारत को स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त बनाने के उद्देश्य से 2014 में शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान था।

''स्वच्छता ही सेवा'' सिर्फ एक सरकारी पहल नहीं है बल्कि भारत में एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाने का एक सामूहिक प्रयास है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि स्वच्छता सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि एक कर्तव्य भी है जिसमें प्रत्येक नागरिक को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।

31. 12 अक्टूबर 2023 को, गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (जीबीयू) ने व्यापक प्रशिक्षण गतिविधियों की एक श्रृंखला के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) को सहयोगात्मक रूप से संबोधित करने के लिए एनआईडीएम (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान) के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की। इस संयुक्त पहल का उद्देश्य दोनों संगठनों की विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाते हुए संभावित आपदाओं की स्थिति में तैयारियों और प्रतिक्रिया उपायों को बढ़ाना है। प्रशिक्षण गतिविधियों में एक सुरक्षित और अधिक समुत्थानशील समुदाय को बढ़ावा देने के साझा लक्ष्य के साथ आपदा प्रबंधन, जोखिम मूल्यांकन और समुत्थानशीलता निर्माण सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। इस सहयोग के माध्यम से, जीबीयू और एनआईडीएम आपदा जोखिम कम करने की प्रथाओं और कमजोर आबादी की समग्र सुरक्षा और कल्याण की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते हैं।

32. एनआईडीएम कैंपस में 25 अक्टूबर 2023 को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम, श्री राजेंद्र रत्नू (आईएएस), सुश्री नोजोमी हाशिमोटो, भारत में विश्व खाद्य कार्यक्रम की उपनिदेशक के नेतृत्व में उनकी टीम और विश्व खाद्य कार्यक्रम की सुश्री प्रदन्या पैठनकर ने हिस्सा लिया। बैठक का एजेंडा 'आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया में खाद्य सुरक्षा और पोषण' पर एक महत्वपूर्ण मॉड्यूल को अंतिम रूप देना और नीतिगत सहयोग करना था।

33. एनआईडीएम में 31 अक्टूबर, 2023 को सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्थान के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण के लिए अखंडता प्रतिज्ञा ग्रहण की। यह प्रतिबद्धता पारदर्शिता और सार्वजनिक अखंडता के प्रति समर्पण का संकेत देती है, जो हमारे देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण शक्तियां हैं।

यह कदम एक साथ खड़े होकर, नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ सामूहिक संकल्प को बढ़ावा देते हैं, एक समृद्ध और न्यायपूर्ण समाज को आकार देने में नैतिक आचरण के महत्व पर जोर देते हैं। यह अभियान भारत के सतत विकास और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण, पारदर्शी और जवाबदेह शासन प्रणाली की खोज में अहम भूमिका निभाता है।

34. सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर 2023 को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस पर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यकारी निदेशक, श्री राजेंद्र रत्नू, आईएएस ने एक महत्वपूर्ण पहल की। एनआईडीएम, रोहिणी परिसर में आयोजित एक समारोह में, श्री राजेंद्र रत्नू ने राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई। यह कार्यक्रम सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया गया था, जिन्होंने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देकर आजादी के बाद भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

35. एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक, श्री राजेंद्र रत्नू, आईएएस, ने 01 नवंबर 2023 को माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, श्री पीयूष गोयल के साथ बैठक की। उनकी चर्चा का मुख्य बिंदु वाणिज्य और उद्योग पर विशेष जोर देने के साथ विभिन्न क्षेत्रों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) में एनआईडीएम की सक्रिय भूमिका पर केंद्रित था।

36. सुरक्षित और अधिक समुत्थानशील भविष्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रणनीतियों पर व्यावहारिक चर्चा के संबंध में 02 नवंबर 2023 को एनआईडीएम रोहिणी परिसर में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें आपदा तैयारियों और शमन के

विशेषज्ञ डॉ. इंद्रजीत पाल ने भाग लिया, जो थाईलैंड के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपदा तैयारी और शमन के एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हैं। एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक के साथ हुई चर्चा में डॉ. इंद्रजीत पाल ने बहुमूल्य अंतदृष्टि प्रदान की।

37. 08 नवंबर 2023 को, सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की संयुक्त संचालन समिति की बैठक बहुत ही उत्पादक सिद्ध हुई क्योंकि परिवहन में आपदा जोखिम प्रबंधन को बढ़ाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण रणनीतियों पर व्यापक चर्चा में हितधारकों ने भी भाग लिया। समिति के सदस्यों, जिसमें संबंधित सरकारी निकायों के प्रमुख प्रतिनिधि, क्षेत्र के विशेषज्ञ और उद्योग से जुड़े हितधारक शामिल थे, ने परिवहन के क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं और आपात स्थितियों से उत्पन्न चुनौतियों पर सहयोगात्मक रूप से विचार किया।

बैठक का उद्देश्य परिवहन के बुनियादी ढांचे पर आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए मजबूत और सक्रिय उपाय विकसित करना था। प्रतिभागियों ने एक अच्छी तरह से समन्वित और मजबूत प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया जो अप्रत्याशित घटनाओं का प्रभावी ढंग से जवाब दे सके और उनसे उबर सके। चर्चा की गई रणनीतियों में प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का कार्यान्वयन, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल की स्थापना, और स्मार्ट बुनियादी ढांचे के डिजाइनों का एकीकरण शामिल है जो आपदाओं का सामना कर सकते हैं और उनसे उबर सकते हैं।

38. इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑन लैंडस्लाइड्स (आईसीएल) ने फ्लोरेंस, इटली में आयोजित छठे विश्व भूस्खलन फोरम में इस क्षेत्र में अपने महान प्रयासों और महत्वपूर्ण परिणामों के कारण राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) को भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण पर विश्व उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दी है। यह आयोजन 14–17 नवंबर 2023 को हुआ। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यकारी निदेशक आईएएस श्री राजेंद्र रत्नू, ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि संस्थान देश को आपदा प्रतिरोधी बनाने की दिशा में अपनी यात्रा जारी रखने के लिए तैयार है।

39. अमेरिकी वन सेवा की एशिया प्रशांत कार्यक्रम प्रबंधक सुश्री केटी मैकएंड्र्यू और यूएसएफएस श्री बालाजी चौहान ने 14 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, दिल्ली में भारत में घटना प्रतिक्रिया प्रणाली कार्यक्रम को आगे बढ़ाने को लेकर एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक आईएएस श्री राजेन्द्र रत्नू के साथ एक महत्वपूर्ण चर्चा की ।

40. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यकारी निदेशक श्री राजेंद्र रत्नू (आईएएस) ने 24 नवंबर 2023 को संस्थान के रोहिणी परिसर में अन्ना प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, चेन्नई के महानिदेशक श्री विक्रम कपूर, आईएएस के साथ बैठक की।

41. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यकारी निदेशक श्री राजेंद्र रत्नू (आईएएस) ने 24 नवंबर 2023 को इंडिया इंटरनेशनल हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ लेख और सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफ के लिए (प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया) पीआईआई–आईसीआरसी (रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति) को वार्षिक पुरस्कार प्रदान किए।

42. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने रणनीतिक योजना के समन्वय के लिए 25 नवंबर 2023 को एनआईडीएम रोहिणी परिसर में इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स (आईसीई), भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

43. ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने 25 नवंबर, 2023 को टेरी मुख्यालय में डॉ. विभा धवन, महानिदेशक, टेरी और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यकारी निदेशक श्री राजेंद्र रत्नू (आईएएस) की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर दोनों संगठनों के अन्य वरिष्ठ सहयोगी भी उपस्थित रहे।

44. 28 नवंबर 2023 को देहरादून में आपदा प्रबंधन पर एक वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यकारी निदेशक श्री राजेंद्र रत्नू (आईएएस), ने आपदा प्रबंधन (डब्ल्यूसीडीएम) पर छठे विश्व सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के 10 सूत्री एजेंडे के अनुरूप आपदा जोखिम में कमी के लिए राष्ट्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। इसके अलावा, उन्होंने कार्य बिंदुओं को लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार के साथ एनआईडीएम के सहयोग और राज्य में हिमालयी आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रयासों को केंद्रीकृत करने के प्रस्ताव के बारे में भी बात की।

45. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के कार्यकारी निदेशक श्री राजेंद्र रत्नू (आईएएस) ने जमीनी स्तर के नेताओं को एकजुट करने के लिए कैरिटास इंडिया की सराहना की और प्रभावी प्रशिक्षण के माध्यम से सामुदायिक सशक्तिकरण के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सक्रिय उपायों का आह्वान किया, आपदा जोखिम प्रबंधन में समुदायों को शामिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला और आपदा के दौरान कोई हताहत न हो इसके प्रयास में सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों (जीओ-एनजीओ) के बीच सहयोग के महत्व को दोहराया। एनआईडीएम में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अमीर अली खान ने (जीओ-एनजीओ) रोडमैप की रूपरेखा बताते हुए एक सत्र को संबोधित किए।

46. 1 दिसंबर 2023 को, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के कार्यकारी निदेशक श्री राजेंद्र रत्नू (आईएएस), वरिष्ठ सलाहकार श्री संतोष कुमार एवं वरिष्ठ कार्यक्रम परामर्शदाता डॉ. प्रीति सोनी के संयोजन में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। अखिल भारतीय तकनीकी

शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के अध्यक्ष प्रो. सीताराम टी.जी. के साथ बैठक बुलाई गई थी। विचार-विमर्श का केंद्र बिंदु तकनीकी शिक्षा में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) सिद्धांतों का एकीकरण था। विशेषत: चर्चा के दौरान आईयूआईएनडीआरआर की असीमित क्षमताओं का उपयोग करने की जरूरत को महसूस किया गया, जिससे संकायों की क्षमता में वृद्धि, सहयोगी शोध परियोजनाओं, और प्रौद्योगिकी-केंद्रित पहलों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। आसन्न प्रक्षेप पथ में आपदा प्रतिरोध में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक प्रतिबद्धताओं की एक व्यापक समीक्षा की गयी, जिसमें दोनों टीमें आगे बढ़ने के संभावित रास्ते पर रणनीतिक चर्चा करने के लिए तैयार हैं।

47. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के कार्यकारी निदेशक श्री राजेंद्र रत्नू (आईएएस) ने भारतीय संदर्भ में आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में राज्यों की नीति कॉन्क्लेव-2023 द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, मेक इन इंडिया और सुदृढ़ आपदा प्रबंधन जैसे स्तंभों की परिवर्तनकारी क्षमता पर जोर देते हुए, उन्होंने कहा कि इनकी कहानी व्यापक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों पर इन क्षेत्रों के उत्प्रेरक प्रभावों पर प्रकाश डालती है। अपने संबोधन में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप व्यापार करने में आसानी के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने में प्रतिस्पर्धी संघवाद की भूमिका को रेखांकित किया, जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) की आर्थिक मजबूती महत्वपूर्ण एजेंट के रूप में उभरे हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का क्रॉस-कटिंग दृष्टिकोण और राज्यों के साथ सहयोगात्मक प्रयास आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों को बढ़ाने की प्रदर्शित सफलता में अभिव्यक्ति पाते हैं। इसका उदाहरण केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर शमन निधि, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) के लिए सामूहिक जोखिम वित्तपोषण को लागू करने की भारत की प्रतिबद्धता के माध्यम से किया गया था।

48. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 19 दिसंबर 2023 को रोहिणी परिसर, दिल्ली में आयोजित की गई। श्री राजेन्द्र रत्नू, कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में हिन्दी के उत्थान के लिए संस्थान में उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की गई और कई अहम निर्णय लिए गए। संस्थान द्वारा आयोजित किए जाने वाले सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशाला के बैनर तथा पोस्टर हिन्दी एवं अंग्रेजी में छपवाए जाने का निर्णय लिया गया। समिति की बैठक में पुस्तकालय में हिन्दी के संबंध में महापुरुषों के कथन को हिन्दी एवं अंग्रेजी में लगाने का फैसला किया गया। साथ ही संस्थान के सभी विभागों के नाम पट्ट द्विभाषी किए जाने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में संयुक्त निदेशक सुरेन्द्र ठाकुर, लेखाधिकारी सुरेन्द्र सिंह बिष्ट, कम्प्यूटर प्रोग्रामर हेमंत कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष संतोष कुमार तिवारी, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के उप निरीक्षक मुकेश कुमार मीणा एवं राजभाषा परामर्शदाता संजय कुमार शामिल हुए।

*****

अध्याय 8
वित्त और लेखा

GKSureka & Co.
Chartered Accountants

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
कार्यकारी निदेशक
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
नई दिल्ली

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा संबंधी रिपोर्ट

अभिमत

हमने **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान** (''संस्था'') की 31 मार्च 2024 तक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें इस तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष का तुलन-पत्र, आय और व्यय खाते, प्राप्ति और भुगतान खाता तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का एक सारांश और अन्य स्पष्टीकरण जानकारी शामिल है। हमारे विचार में और हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण अपेक्षित तरीके से जानकारी प्रदान करते हैं तथा संलग्नक 'क' में दी गई टिप्पणियों को छोड़कर, सही और निष्पक्ष मत परिलक्षित करते हैं।

अभिमत का आधार

हमने लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के आधार पर हमारे उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट के ''वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व'' खण्ड में भी स्पष्ट किए गए हैं। वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा से सम्बद्ध नैतिक अपेक्षाओं के अनुरूप हम संस्था से स्वतंत्र हैं, और हमने अपने अन्य उत्तरदायित्वों का निर्वहन इन नैतिक अपेक्षाओं के अनुरूप किया है। हमारा विश्वास है कि जो लेखा परीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं, वे हमें हमारा अभिमत व्यक्त करने के आधार के रूप में पर्याप्त और समुचित हैं।

प्रबंधन एवं वित्तीय विवरण के उत्तरदायित्व: वित्तीय विवरण तैयार करने और ऐसे आंतरिक नियंत्रण सृजित करने का उत्तरदायित्व प्रबंधन पर होगा, जो कि उसके अनुसार ऐसा वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आवश्यक है जिसमें कोई मिथ्या कथन न हो, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण से हो। वित्तीय विवरण तैयार करने में, यथा प्रयोज्य, चालू व्यापार लेखांकन आधार और चालू व्यापार से सम्बद्ध मुद्दों को उद्घाटित करते हुए यह प्रबंधन का उत्तदायित्व होगा कि वह संस्था की क्षमता का आकलन करे कि वह अपना व्यापार (गतिविधियां) चालू रखने में सक्षम है; बशर्ते प्रबंधन का इरादा संस्था के परिसमापन, अथवा संचालन बंद करने, अथवा ऐसा करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प न हो। संस्था के संचालकों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे संस्था की वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की निगरानी करें।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के सम्बंध में लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व: हमारे उद्देश्य ये हैं कि हम एक उचित आश्वासन प्राप्त करें कि वित्तीय विवरण में कोई मिथ्या कथन नहीं है चाहे यह किसी धोखाधड़ी के कारण हो अथवा किसी त्रुटि के कारण, और तद्नुसार एक लेखा परीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिसमें हमारा अभिमत शामिल हों, उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन होता है, परन्तु यह इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की गई लेखा परीक्षा सदैव वित्तीय विवरण में दिए गए

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

किसी मिथ्या कथन को ढूंढ ही लेगी। मिथ्या कथन किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो सकते हैं; और इन्हें तब तथ्यात्मक माना जाता है, जब व्यक्तिगत रूप से अथवा समग्र रूप से प्रयोक्ता द्वारा इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए निर्णयों को इनके द्वारा काफी हद तक प्रभावित करने की संभावना हो।

लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर लेखा परीक्षा प्रक्रिया के दौरान हमने व्यवसायिक तर्कशीलता का उपयोग करते हुए और व्यवसायिक संशय बनाए रखते हुए लेखा परीक्षा निष्पादित की।

हमने यह कार्य भी किए:–

- वित्तीय विवरणों से सम्बद्ध मिथ्या कथन को चिह्नित करना तथा उसका आकलन करना, चाहे यह किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण से हो, इन जोखिमों के अनुरूप लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना तथा ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारे अभिमत के प्रकटीकरण के लिए पर्याप्त और समुचित आधार प्रदान करते हों। तथ्यात्मक मिथ्या कथन की अपेक्षा किसी धोखाधड़ी के कारण किए गए तथ्यात्मक मिथ्या कथन को न ढूंढ पाने का जोखिम अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, आन्तरिक चूक, गलत प्रस्तुतिकरण अथवा आन्तरिक नियन्त्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- अपनी लेखा परीक्षा को डिजाइन करने के लिए सुसंगत ऐसी आन्तरिक नियन्त्रण सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की गई जो कि इन परिस्थितियों के अनुरूप है, परन्तु जिसका उद्देश्य संस्था के आन्तरिक नियन्त्रण की प्रभावशीलता पर मत व्यक्त करना नहीं था;
- प्रबंधन द्वारा उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन, प्राक्कलनों की व्यवहारिकता और सम्बद्ध प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना;
- प्रबंधन द्वारा चालू व्यापार लेखांकन आधार के प्रयोग की उपयुक्तता तथा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि क्या कोई ठोस अनिश्चितता ऐसी घटनाओं और परिस्थितियों के सम्बंध में विद्यमान है जो संस्था की चालू व्यापार क्षमता पर उल्लेखनीय शंका पैदा कर सकती है। अगर हम ऐसे किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ठोस अनिश्चितता वास्तव में विद्यमान हैय तो हमें अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में दिए गए ऐसे प्रासंगिक प्रकटीकरण की ओर ध्यान आकृष्ट करवाना आवश्यक है; और अगर यह प्रकटीकरण अपर्याप्त है; तो अपने अभिमत को तदनुसार संशोधित करेंगे। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार होने तक प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भविष्य में व्याप्त होने वाली घटनाओं और परिस्थितियां संस्था के चालू व्यापार अस्तित्व को समाप्त कर सकती है।

अन्य मुद्दों के अतिरिक्त, नियोजन दायरे, लेखा परीक्षा के समय तथा लेखा परीक्षा प्रक्रिया के दौरान हमारे द्वारा चिह्नित आन्तरिक नियन्त्रण से सम्बन्धित किसी विशिष्ट त्रुटि के साथ-साथ महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के सम्बंध में हम संस्था के संचालकों के साथ निरंतर सम्पर्क में रहे ।

कृते जी. के. सुरेका एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि. सं. 513018C

सी. ए. खुर्रम जावेद
पार्टनर
सदस्यता संख्या– 539535
यूडीआईएन: 24539535BJZZE05635

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30.10.2024

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का संलग्नक 'क'

लेखा परीक्षा टिप्पणियां/अर्हतायें/अन्य मामले

1. भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप संस्थान के प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए अपनाई जाने वाली लेखांकन नीतियों का अनुपालन नहीं किया गया है। प्रबंधन ने वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्राप्ति आधार अपनाया है (स्थापना व्यय, किराया, दर तथा कर, सहायता अनुदान के अतिरिक्त जिनका लेखा-जोखा नकदी के आधार पर रखा जाता है) जिसके कारण प्राप्ति संकल्पना नीति और टीडीएस प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है।

2. स्रोत पर कर के रूप में काटी गई 3,40,047.65 रुपए की राशि लम्बे समय से बही में दर्ज है और वसूली योग्य नहीं है। पीएलए में, वित्तीय वर्ष 2023–24 में भारतीय खाद्य निगम से स्रोत पर 113,160/- रुपये की राशि की कर कटौती की गई।

3. पीएलए में, पिछले वित्तीय वर्षों में 5,52,454 रुपये की राशि वाली अचल संपत्तियों की पहचान की गई, जिन पर राजस्व व्यय का भार डाला गया था, जिसे चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में सुधार लिया गया है।

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय)
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और खातों पर टिप्पणियाँ

अनुसूची 1

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क) वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार किए जाते हैं (स्थापना व्यय, किराया, दर और कर, अनुदान सहायता को छोड़कर, जिनका हिसाब नकद आधार पर किया जाता है) और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन प्रथाओं के अनुसार होते हैं।

ख) भौतिक सत्यापन के लिए अचल संपत्तियों का रजिस्टर बनाए रखा जाता है और परियोजना के तहत अर्जित सभी अचल संपत्तियों को संबंधित वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की खाता पुस्तकों में पूंजीकृत किया जाता है, जिसमें ऐसी संपत्ति अर्जित की गई थी। अचल संपत्तियों को अधिग्रहण की लागत पर बताया जाता है, जिसमें स्थापना की लागत शामिल है, यदि कोई हो, तो वर्ष तक लगाए गए मूल्यह्रास को घटाकर। आयकर अधिनियम के तहत निर्दिष्ट दरों के अनुसार अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास प्रदान किया जा रहा है।

ग) एनआईडीएम के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना के कार्यान्वयन के संबंध में गृह मंत्रालय के 24 मार्च, 2017 के पत्र संख्या एफ.सं.45–16/2012–एनडीएम–।। के अनुसार, एनआईडीएम ने 3 कर्मचारियों (जिनमें से एक दिसंबर, 2019 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं) को छोड़कर, जिन्होंने एनपीएस में निधि जमा करने का विकल्प नहीं चुना है, निधि को एनपीएस खाते में जमा कर दिया है। 27 कर्मचारियों में से केवल 24 कर्मचारियों की निधि एनपीएस खाते में जमा की गई है। हालांकि, जिन कर्मचारियों ने सेवाएं छोड़ दी हैं, अदालत और मृत्यु के मामले हैं, उनका फंड (कर्मचारी और नियोक्ता योगदान) अभी भी एनआईडीएम के बैंक खाते में पड़ा हुआ है।

घ) जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुर्नव्यवस्थित/पुनर्गठित किया गया है।

च) संस्थान ने बैंक में 1 चालू खाता और 2 बचत खाते और पीएलए में 2 पीएफएमएस से जुड़े बचत खाते और 2 बचत खाते बनाए रखे हैं।

छ) जिन लेखांकन नीतियों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, वे अन्यथा सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन प्रथाओं के अनुरूप हैं।

2. आकस्मिक देयताएं

संस्थान के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया – शून्य

3. प्रबंधन की राय में, व्यवसाय के सामान्य क्रम में चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों की वसूली का मूल्य उस राशि से कम नहीं होगा, जिस पर उन्हें बैलेंस शीट में बताया गया है। खातों में सभी ज्ञात देयताओं के लिए आगे प्रावधान किए गए हैं।

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

4. गृह मंत्रालय (डीएम डिवीजन) के निर्देशानुसार पत्र संख्या 45–5/2008– एनडीएम–IV/II दिनांक 23 मार्च, 2010 के अनुसार एक अलग सार्वजनिक खाता बही (पीएलए) बनाए रखा गया है और जमा से अर्जित ब्याज सहित परियोजनाओं से उत्पन्न शुद्ध बचत को भारत की समेकित निधि में जमा किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए पीएलए का वित्तीय विवरण अलग से तैयार किया गया है।

जी.के. सुरेका एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजिस्टर नं. 513018सी

कृते राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

खुर्रम जावेद	(रीतू सूद)	(राजेंद्र रत्नू)
(साझेदार)	लेखा अधिकारी (प्रभारी)	कार्यकारी निदेशक
सदस्य संख्या 539535		

दिनांक:
स्थान: नई दिल्ली

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय)

31 मार्च, 2024 का बैलेंस शीट

(राशि रुपये में)

विवरण	अनुसूची	31.03.2024	31.03.2023
संचित निधि/पूंजी कोष और देयताएं			
आरक्षिती और अधिशेष	2	1,04,44,82,485.76	1,16,97,76,006.65
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	3	2,07,69,711.15	7,48,30,594.15
कुल		**1,06,52,52,196.91**	**1,24,46,06,600.80**
आस्तियां			
स्थिर आस्तियां	4	96,96,72,082.14	1,05,85,44,974.14
निवेश	5	9,15,57,681.00	14,75,60,298.99
अन्य आस्तियां, ऋण और अग्रिम	6	40,22,433.77	3,85,01,327.67
कुल		**1,06,52,52,196.91**	**1,24,46,06,600.80**

महत्वपूर्ण लेखांकन और नीतियां एवं लेखा टिप्पणियां

जी.के. सुरेका एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजिस्टर नं. 513018सी

कृते राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

हस्त/–
खुर्रम जावेद
(साझेदार)
सदस्य संख्या 539535
यूडीआईएन: 24539535BJZZE05635

हस्ता/–
(रीतू सूद)
लेखा अधिकारी (प्रभारी)

हस्ता/–
(राजेंद्र रत्नू)
कार्यकारी निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30.10.2024

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय)
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान आय और व्यय का लेखा

(राशि रुपये में)

विवरण	अनुसूची	31.03.2024	31.03.2023
आय/अनुदान (गृह मंत्रालय से)			
गृह मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	7	19,64,81,368.00	32,00,00,000.00
कुल क		**19,64,81,368.00**	**32,00,00,000.00**
व्यय (गृह मंत्रालय अनुदान)			
स्थापना व्यय	8	7,21,60,127.00	8,04,98,835.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	9	9,24,16,552.95	15,73,08,494.76
प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं पर व्यय	10	5,25,74,058.94	8,71,44,605.00
अवमूल्यन	4	10,46,24,150.00	61,94,769.00
कुल ख		**32,17,74,888.89**	**33,11,46,703.76**
पूर्व अवधि और असाधारण मदों से पहले गृह मंत्रालय कोष से घाटा होने के कारण शेष राशि		**(12,52,93,520.89)**	**(1,11,46,703.76)**
घाटा: पूर्व अवधि व्यय		–	–
गृह मंत्रालय कोष से घाटा होने पर शेष		**(12,52,93,520.89)**	**(1,11,46,703.76)**

महत्वपूर्ण लेखांकन और नीतियां एवं लेखा टिप्पणियां

जी.के. सुरेका एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजिस्टर नं. 513018सी

कृते राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

हस्त/–
खुर्रम जावेद
(साझेदार)
सदस्य संख्या 539535
यूडीआईएन: 24539535BJZZE05635

हस्ता/–
(रीतू सूद)
लेखा अधिकारी (प्रभारी)

हस्ता/–
(राजेंद्र रत्नू)
कार्यकारी निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30.10.2024

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय)
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान लेखा

(राशि रुपये में)

विवरण	31.03.2024 तक		31.03.2023 तक	
प्राप्तियां				
अथशेष				
यूको बैंक खाता संख्या 18200200000924	--	1,45,00,000.00		
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता संख्या 40256508810	(5,49,437.00)		86,09,854.76	
यूको बैंक खाता संख्या 182001100067819	3,85,25,756.02	**3,79,76,319.02**	(3,63,78,127.14)	**(1,32,68,272.38)**
प्राप्त अनुदान				
गृह मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	20,50,00,000.00		32,00,00,000.00	
31.03.24 तक पीएफएमएस के माध्यम से प्रेषित अव्ययित शेष राशि	(85,18,632.00)			
दक्षिणी परिसर के निर्माण के लिए प्राप्त अनुदान	--	**19,64,81,368.00**	3,85,00,000.00	**35,85,00,000.00**
बैंक ब्याज अन्य	14,960.00		773.00	
ब्याज (पूंजी शीर्ष)	4,20,011.00		30,56,421.00	
एफडी ऑटो स्वीप	17,87,16,200.59		--	
एफडी पूंजी शीर्ष ऑटो स्वीप	21,87,77,653.00		--	
आकस्मिक अग्रिम	--		63,039.00	
अग्रिम एलटीसी	--		80220.00	
सीजीएचएस खाते	59,250.00		--	
प्राप्त सुरक्षा राशि	10,000.00		--	
विविध प्राप्तियां	1,55,621.00	**39,81,53,695.59**	15,85,312.15	**47,85,765.15**
एनपीएस के लिए कर्मचारी अंशदान	4,12,510.00	**4,12,510.00**	2,56,166.00	**2,56,166.00**
कुल		**63,30,23,892.61**		**35,02,73,658.77**
भुगतान				
पूंजी व्यय/अन्य देयताएं				
कार्यालय उपकरण	49,650.00		19,88,740.00	
निर्माणाधीन भवन (दक्षिणी परिसर)	1,61,40,847.00		10,56,789.00	
निर्माणाधीन भवन (रोहिणी परिसर)	--		48,93,708.00	
पुस्तकें	3,89,657.00		4,44,393.00	
लेनदार	(7,44,878.00)		(45,778.00)	
कम्प्यूटर	71,103.00	**1,59,06,379.00**	5,265.00	**83,43,117.00**
राजस्व व्यय				
प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं	4,65,12,398.00		4,66,53,502.00	
एलटीसी अग्रिम	3,19,596.00		3,28,000.00	
टीडीएस खाता	(1,16,444.00)		--	
स्थायी जमा ऑटो स्वीप	11,59,10,000.00		65,64,026.99	
स्थायी जमा (पूंजीगत निधि)	21,89,49,000.00		--	

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

विवरण	31.03.2024 तक		31.03.2023 तक	
आकस्मिक व्यय के लिए अग्रिम	1,43,944.00		2,29,020.00	
ईएमडी धन वापसी	--	**38,17,18,494.00**	25,000.00	**5,37,99,548.99**
स्थापना व्यय				
वेतन और भत्ते	5,50,92,610.00		7,05,00,262.00	
यात्रा रियायत भत्ता/एलटीए	--		5,43,988.00	
मेडिकल	8,43,567.00		5,00,352.00	
पेंशन अंशदान	1,35,40,154.00	**6,94,76,331.00**	6,44,965.00	**7,21,89,567.00**
अन्य प्रशासनिक व्यय				
मरम्मत और रखरखाव	1,70,05,927.00		1,11,98,589.00	
विद्युत व्यय	51,57,869.00		51,40,138.00	
डाक	62,777.00		1,97,591.00	
हॉस्टल संचालन/रखरखाव व्यय	53,01,214.00		40,48,641.00	
मुद्रण और स्टेशनरी	10,10,340.00		10,68,078.00	
किराया, दर और कर	16,32,659.00		11,28,74,208.00	
विविध व्यय	13,21,938.00		8,12,632.00	
समाचार-पत्र और पत्रिकाएं	2,17,563.00		1,57,325.00	
टेलीफोन व्यय	33,90,833.00		30,73,127.00	
जल शुल्क	1,31,355.00		58,595.00	
घरेलू यात्रा	21,65,325.00		27,16,353.00	
एनपीडीआरआर व्यय	74,26,120.00		1,04,96,549.00	
व्यवसायिक शुल्क	75,94,395.00		58,85,746.00	
पुस्तकालय/प्रकाशन	35,46,047.00		16,98,678.00	
बैंक शुल्क	7,448.75		3105.76	
विदेश यात्रा	4,68,027.00		--	
दक्षिणी परिसर व्यय	1,53,96,703.00		--	
अनुसंधान और विकास	--		14,55,000.00	
सलाहकार की नियुक्ति	2,62,55,258.00		--	
कार्यालय वाहन मरम्मत व्यय	2,81,490.00		1,19,445.00	
देय खर्चे (पूंजी शीर्ष)	1,94,36,717.00		--	
देय खर्चे	3,70,76,281.00	**15,48,86,286.75**	1,11,98,576.00	**17,22,02,376.76**
सरकार को भुगतान				
देय एनपीएस में नियोक्ता का अंशदान	21,66,295.00		39,15,048.00	
सरकार को अतिरिक्त आय का भुगतान	66,37,277.00	**88,03,572.00**	18,47,682.00	**57,62,730.00**
अंतिम शेष				
यूको बैंक खाता संख्या 182001100067819	30,560.02		3,85,25,756.02	
केनरा बैंक खाता संख्या 120026243646	7,09,395.51			
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता संख्या 40256508810	8,54,341.33		(5,49,437.00)	
केनरा बैंक खाता संख्या 110150354860	6,38,533.00	**22,32,829.86**	--	**3,79,76,319.02**
कुल		**63,30,23,892.61**		**35,02,73,658.77**

संलग्न सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

जी.के. सुरेका एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजिस्टर नं. 513018सी

कृते राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

हस्ता/–
खुर्रम जावेद
(साझेदार)
सदस्य संख्या 539535
यूडीआईएन: 24539535BJZZE05635

हस्ता/–
(रीतू सूद)
लेखा अधिकारी (प्रभारी)

हस्ता/–
(राजेंद्र रत्नू)
कार्यकारी निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30.10.2024

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय)
अनुसूची 4, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्थिर आस्तियों और अवमूल्यन का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दर	01.04.2023 को डब्ल्यूडीवी	परिवर्धन		कटौती	कुल	वर्ष के लिए अवमूल्यन	31.03.2024 को डब्ल्यूडीवी
				180 दिन से अधिक	180 दिन से कम				
	राजस्व शीर्ष से		रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
1	पुस्तकें4	0%	18,11,974.00	79,660.00	3,09,997.00	--	22,01,631.00	8,18,653.00	13,82,978.00
2	कार्यालय उपकरण	15%	94,35,785.00	--	49,650.00	--	94,85,435.00	14,19,092.00	80,66,343.00
3	फर्नीचर और उपस्कर	10%	77,68,169.00	--	--	--	77,68,169.00	7,76,817.00	69,91,352.00
	संयंत्र और मशीनरी								
4	संयत्र और मशीनरी	15%	2,00,308.00	--	--	--	2,00,308.00	30,046.00	1,70,262.00
5	वाहन (मारूति सियाज)	15%	3,59,570.00	--	--	--	3,59,570.00	53,936.00	3,05,634.00
	कंप्यूटर								
6	कंप्यूटर एवं सहायक उपकरण	40%	38,46,607.00	--	71,103.00	--	39,17,710.00	15,52,863.00	23,64,847.00
7	सॉफ्टवेयर	40%	5.00	--	--	--	5.00	2.00	3.00
	पूंजी शीर्ष से								
1	भूमि (रोहिणी परिसर)	0%	5,54,17,002.00	--	--	--	5,54,17,002.00	--	5,54,17,002.00
2	भूमि ((दक्षिणी परिसर)	0%	--	1.00	--	--	1.00	--	1.00
3	भवन (दक्षिणी परिसर)*	10%	41,29,81,813.30	--	--	-	41,29,81,813.30	4,12,98,181.00	37,16,83,632.30
	(अ) संयंत्र और मशीनरी	15%	--		1,61,40,847.00		1,61,40,847.00	12,10,564.00	1,49,30,283.00
4	भवन (रोहिणी परिसर)	10%	56,67,23,740.84	--	--	5,05,20,638.00	51,62,03,102.84	5,16,20,310.00	46,45,82,792.84
	(अ) फर्नीचर और उपस्कर	10%	--	3,19,88,207.00	--		3,19,88,207.00	31,98,821.00	2,87,89,386.00
	(ब) संयंत्र और मशीनरी	15%	--	1,76,32,431.00	--		1,76,32,431.00	26,44,865.00	1,49,87,566.00
	कुल		**1,05,85,44,974.14**	**4,97,00,299.00**	**1,65,71,597.00**	**5,05,20,638.00**	**1,07,42,96,232.14**	**10,46,24,150.00**	**96,96,72,082.14**

*वित्तीय वर्ष 2023-24 से मूल्यह्रास लगाया जाएगा

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय)
31 मार्च, 2024 को बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 2: आरक्षितियां और अधिशेष (राशि रुपये में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
आरक्षितियां और अधिशेष		
अथशेष	1,16,97,76,006.65	1,14,24,22,710.41
जोड़: वर्ष के दौरान आंतरिक आय पर व्यय के आधिक्य का अंतरण	(12,52,93,520.89)	(1,11,46,703.76)
पूंजी शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त अनुदान		
– साउथ कैंपस	--	3,85,00,000.00
कुल	**1,04,44,82,485.76**	**1,16,97,76,006.65**

अनुसूची 3: वर्तमान देयताएं और प्रावधान

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
स्टाफ अंशदान भविष्य निधि		
अथशेष	72,72,641.00	72,72,641.00
जोड़: – नियोक्ता अंशदान	--	--
– कर्मचारी अंशदान	--	--
भविष्य निधि पर ब्याज	--	--
	72,72,641.00	**72,72,641.00**
घटा: कर्मचारी को अदायगी	--	--
	72,72,641.00	**72,72,641.00**
सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज (बीजी) सरकार को देय	6,38,434.00	5,11,844.00
सरकार को देय अन्य आय*	65,73,959.15	66,37,277.15
बयाना जमा राशि	2,71,298.00	2,71,298.00
देय व्यय	2,01,570.00	3,71,16,305.00

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
प्राप्य सुरक्षा राशि	81,809.00	71,809.00
अर्जित ब्याज (सीपीएफ फंड)	11,19,129.00	5,96,850.00
सीजीएचएस	96,950.00	37,700.00
एनपीएस/निधि में कर्मचारी का अंशदान	16,59,966.00	12,47,456.00
एनपीएस में नियोक्ता का देय अंशदान	22,08,218.00	16,30,697.00
देय शुल्क और कर	6,45,737.00	--
देय व्यय (पूंजी शीर्ष)	--	1,94,36,717.00
कुल	**2,07,69,711.15**	**7,48,30,594.15**

*इस राशि में सावधि जमा में निवेश किए गए पूंजी अनुदानों पर अर्जित ब्याज शामिल हैं।

अनुसूची 5: निवेश

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
सावधि जमा (ऑटो-स्वीप एफएफडी)	--	6,11,52,717.99
सावधि जमा (पूंजी शीर्ष खाता)	8,08,61,935.00	7,52,50,775.00
प्राप्त ब्याज (ऑटो-स्वीप एफएफडी-एसबीआई)	--	11,09,929.00
सावधि जमा (निधि)	86,19,129.00	80,96,850.00
सावधि जमा (दक्षिणी परिसर-बीजी)	20,76,617.00	19,50,027.00
कुल	**9,15,57,681.00**	**14,75,60,298.99**

अनुसूची 6: चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
	रुपये	रुपये
<u>क. चालू आस्तियां</u>		
बैंक बकाया:		
यूको बैंक खाता संख्या 18200200000924	--	--
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता संख्या 40256508810	8,54,341.33	(5,49,437.00)

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
	रुपये	रुपये
केनरा बैंक खाता संख्या 120026243646	13,47,928.51	
केनरा बैंक खाता संख्या 110150354860	--	
यूको बैंक खाता संख्या 18200110067819	30,560.02	3,85,25,756.02
बैंक बकाया	**22,32,829.86**	**3,79,76,319.02**
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य आस्तियां		
सुरक्षा जमा	9,50,999.00	50,999.00
स्रोत पर वसूली योग्य काटा गया टैक्स	3,40,047.65	3,40,047.65
आकस्मिक व्यय के लिए अग्रिम	82,302.00	59,100.00
परिवहन अग्रिम	29,781.00	29,781.00
पीएलए (विविध प्राप्ति खाते)	76,858.00	45,081.00
अग्रिम एलटीसी	3,09,616.00	--
कुल	**40,22,433.77**	**3,85,01,327.67**

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय)

31 मार्च, 2024 की तिथि के अनुसार आय-व्यय खाता संबंधी अनुसूची

(राशि रुपये में)

अनुसूची 7: गृह मंत्रालय से प्राप्त अनुदान (डीएम-डिवीजन)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
केन्द्र के अधीन गृह मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	20,50,00,000.00	32,00,00,000.00
वापस गया गृह मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	(85,18,632.00)	--
कुल	**19,64,81,368.00**	**32,00,00,000.00**

अनुसूची 8: संस्थापना व्यय (गृह मंत्रालय-अनुदान)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
वेतन और भत्ते	5,47,19,200.00	7,42,81,486.00
पेंशन अंशदान	1,62,84,206.00	49,25,229.00
यात्रा रियायत भत्ता/एलटीए	3,13,154.00	7,91,768.00
मेडिकल	8,43,567.00	5,00,352.00
कुल	**7,21,60,127.00**	**8,04,98,835.00**

अनुसूची 9: अन्य प्रशासनिक व्यय (गृह मंत्रालय-अनुदान)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
मरम्मत और रखरखाव	1,70,11,617.40	1,33,88,921.00
डाक	62,777.00	2,27,615.00
मुद्रण और स्टेशनरी	10,10,340.00	10,68,078.00
विद्युत एवं जल प्रभार	52,89,224.00	51,98,733.00
विविध व्यय	14,37,154.00	9,72,598.00
समाचार-पत्र और पत्रिकाएं	2,17,563.00	1,63,983.00
हॉस्टल संचालन एवं रखरखाव	53,16,214.00	40,48,641.00
टेलीफोन व्यय	64,05,594.00	66,11,920.00
घरेलू यात्रा	21,65,325.00	28,61,493.00
विदेश यात्रा	4,68,027.00	--

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
दक्षिणी परिसर (कार्यालय व्यय)	1,23,81,277.00	--
व्यवसायिक प्रभार	75,27,407.00	65,81,756.00
किराया, दर और कर	16,32,659.00	11,28,74,208.00
बैंक प्रभार	7,448.75	3,105.76
प्रकाशन	35,46,047.00	17,18,678.00
अनुसंधान और प्रलेखन	13,81,130.00	14,55,000.00
सलाहकार की नियुक्ति	2,62,55,258.00	--
वाहन चलाने का खर्च	3,01,490.00	--
कार्यालय संचालन एवं रखरखाव	--	1,33,765.00
कुल	**9,24,16,552.95**	**15,73,08,494.76**

अनुसूची 10: प्रशिक्षण कार्यक्रम पर व्यय (गृह मंत्रालय-अनुदान)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला व्यय	4,51,47,938.94	6,14,53,721.00
एनपीडीआरआर व्यय	74,26,120.00	2,56,90,884.00
कुल	**5,25,74,058.94**	**8,71,44,605.00**

जी.के. सुरेका एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजिस्टर नं. 513018सी

कृते राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

हस्ता/-
खुर्रम जावेद
(साझेदार)
सदस्य संख्या 539535
यूडीआईएन: 24539535BJZZE05635

हस्ता/-
(रीतू सूद)
लेखा अधिकारी (प्रभारी)

हस्ता/-
(राजेंद्र रत्नू)
कार्यकारी निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30.10.2024

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय)
पब्लिक लेजर अकांउट (पीएलए)
31 मार्च, 2024 तक पीएलए बैलेंस शीट

(राशि रुपये में)

विवरण	अनुसूची	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
संचित निधि और देयताएं			
पूंजी और आरक्षितियां तथा अधिशेष	1	7,31,560	7,31,560
निर्धारित राशि	2	67,34,661	51,09,803
चालू देयताएं और प्रावधान	3	13,27,913	10,32,456
कुल		**87,94,134**	**68,73,818**
आस्तियां			
अचल आस्तियां	4	--	--
चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम	5	87,94,134	68,73,818
कुल		**87,94,134**	**68,73,818**

सम तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

जी.के. सुरेका एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजिस्टर नं. 513018सी

कृते राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

हस्ता/–
खुर्रम जावेद
(साझेदार)
सदस्य संख्या 539535
यूडीआईएन: 24539535BJZZE05635

हस्ता/–
(रीतू सूद)
लेखा अधिकारी (प्रभारी)

हस्ता/–
(राजेंद्र रत्नू)
कार्यकारी निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30.10.2024

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय)
पब्लिक लेजर अकांउट (पीएलए)
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(राशि रुपये में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
आय		
ब्याज आय	1,42,172.00	1,41,878.00
विविध प्राप्ति	10,24,755.00	1,03,228.00
सावधि जमा पर ब्याज	--	--
ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्राप्ति	--	6,01,205.00
परियोजनाओं से संस्थागत अतिरिक्त आय	--	82984.00
कुल (क)	**11,66,927.00**	**9,29,295.00**
व्यय		
बैंक प्रभार	1525.30	88.50
कार्यालय खर्चे	19,942.00	11,682.00
प्रशिक्षण कार्यक्रम	--	--
कुल (ख)	**21,467.30**	**11,770.50**
अधिशेष होने के कारण बकाया (क–ख)	**11,45,459.70**	**9,17,524.50**
घटाएं: पीएओ, गृह मंत्रालय को अंतरित बचत	11,45,459.70	9,17,524.50
अधिशेष/कम होने के कारण बैलेंश शीट में ले जाया गया बकाया	--	--

सम तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

जी.के. सुरेका एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजिस्टर नं. 513018सी

कृते राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

हस्ता/–
खुर्रम जावेद
(साझेदार)
सदस्य संख्या 539535
यूडीआईएन: 24539535BJZZE05635

हस्ता/–
(रीतू सूद)
लेखा अधिकारी (प्रभारी)

हस्ता/–
(राजेंद्र रत्नू)
कार्यकारी निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30.10.2024

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय)
पब्लिक लेजर अकांउट (पीएलए)
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा

(राशि रुपये में)

विवरण	31.03.2024 तक		31.03.2023 तक	
प्राप्तियां				
अथशेष				
बैंक ऑफ महाराष्ट्र (सीएपी-आरईएस परियोजना)	32,07,061.00		--	
एसबीआई बैंक खाता संख्या 5043	36,65,128.09	68,72,189.09	66,60,159.59	66,60,159.59
वर्ष के दौरान प्राप्तियां				
1 ऑनलाइन पाठ्यक्रम से प्राप्ति	1,59,600.00		6,01,205.00	
2 एफसीआई परियोजना से प्राप्त राशि	12,22,128.00		1,00,000.00	
3 बाल केंद्रित डीआरआर-यूनीसेफ परियोजना से प्राप्त राशि	72,85,830.00		75,95,400.00	
4 जीआईजेड परियोजना से प्राप्त राशि	27,68,728.00		--	
5 एपी औषधीय बोर्ड से प्राप्त राशि	3,12,500.00		--	
6 विज्ञान और प्रौद्यौगिकी मंत्रालय से प्राप्तियां (सीएपी-आरईएस परियोजना)	--		34,53,088.00	
7 एनसीपीसी-डीएमपी परियोजना (पेट्रो-रसायन विभाग) से प्राप्त राशि	7,88,000.00		--	
8 प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्राप्त राशि	2,45,000.00		--	
9 आयुष मंत्रालय से प्राप्त राशि	5,19,400.00		--	
10 एनआईडीएम (मुख्य खाता) से प्राप्त राशि	--		30,00,000.00	
12 एनईएफसी-डीएमपीपरियोजना (पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)	18,40,000.00	1,51,41,186.00	--	1,47,49,693.00
अन्य प्राप्तियां				
1 अन्य विविध प्राप्तियां	13,084.00		29,894.00	
2 टीडीएस	1,22,840.00		--	
3 प्राप्त ब्याज (अन्य)	1,47,028.00	2,82,952.00	143,192.00	1,73,086.00
कुल		**2,22,96,327.09**		**2,15,82,938.59**
भुगतान				
परियोजना व्यय				
1 बाल केंद्रित डीआरआर-यूनीसेफ परियोजना से प्राप्त राशि	68,71,290.00		66,13,901.00	
2 आयुष परियोजना	3,64,783.00		7,00,748.00	

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

विवरण	31.03.2024 तक		31.03.2023 तक	
3 एपी औषधीय बोर्ड	3,12,500.00		--	
4 जीआईजेड परियोजना	16,27,933.00		--	
5 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय परियोजना	1,10,000.00		5,00,000.00	
6 सीएपी-आरईएस परियोजना व्यय	13,11,611.00		14,70,970.00	
7 सीपीसीबी परियोजना व्यय	--		1,15,900.00	
8 एमओईएफएंडसी-एनईएफसी-डीएमपी परियोजना	12,28,400.00		3,35,849.00	
9 एनसीपीसी-डीएमपी परियोजना (पेट्रो-रसायन मंत्रालय)	5,87,611.00		5,900.00	
10 बाल केंद्रित डीआरआर-यूनीसेफ परियोजना	--		--	
11 ऑनलाइन पाठ्यक्रम व्यय	--	1,24,14,128.00	15,282.00	97,58,550.00
अन्य व्यय/भुगतान				
1 सरकार को देयता	9,17,524.00		12,24,108.00	
2 एनआईडीएम (मुख्य खाता)	--		30,00,000.00	
3 परियोजना कर्मचारी (यूनिसेफ)	--		10,401.00	
4 जीएसटी देनदारी	1,92,384.00		--	
5 विविध खर्च	19,942.00		--	
6 बैंक प्रभार	1,525.30		88.50	
7 देय खर्चे	69,850.00	12,01,255.30	7,17,602.00	49,52,199.50
अंतिम शेष				
बैंक ऑफ महाराष्ट्र (सीएपी-आरईएस परियोजना)	18,95,450.00		32,07,061.00	
एसबीआई बैंक खाता संख्या 4332	7,37,294.00		--	
एसबीआई बैंक खाता संख्या 5043	60,48,229.79	86,80,973.79	36,65,128.09	68,72,189.09
कुल		**2,22,96,327.09**		**2,15,82,938.59**

सम तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

जी.के. सुरेका एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजिस्टर नं. 513018सी

कृते राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

हस्ता/-
खुर्रम जावेद
(साझेदार)
सदस्य संख्या 539535
यूडीआईएन: 24539535BJZZE05635

हस्ता/-
(रीतू सूद)
लेखा अधिकारी (प्रभारी)

हस्ता/-
(राजेंद्र रत्नू)
कार्यकारी निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30.10.2024

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय)
पब्लिक लेजर अकांउट (पीएलए)
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (पीएलए)

अनुसूची 1: संचित/पूंजीनिधि

(राशि रुपये में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
अथशेष	731,560.00	731,560.00
वर्ष के दौरान परिवर्तन	--	--
समापन	7,31,560.00	7,31,560.00
कुल	**731,560.00**	**731,560.00**

अनुसूची 2: निर्धारित निधि

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
1. ऑनलाइन पाठ्यक्रमों से प्राप्त राशि		
अथशेष	--	--
वर्ष के दौरान प्राप्ति	1,59,600.00	6,01,205.00
	1,59,600.00	**6,01,205.00**
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	--	11,682.00
घटा: सरकारी कोष में देय बचत	1,59,600.00	5,89,523.00
	--	--
2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से प्राप्त राशि (सीएपी–आरईएस परियोजना)		
अथशेष	30,70,531.97	10,88,413.97
वर्ष के दौरान प्राप्ति	--	34,53,088.00
	30,70,531.97	**45,41,501.97**
घटा: सरकारी कोष में देय बचत	--	--
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय की गई राशि	13,11,611.00	14,70,970.00
	17,58,919.97	**30,70,531.97**

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
3. यूनिसेफ/सीआरवाई/बीआरबी से प्राप्त राशि (सीसीडीआरआर परियोजना)		
अथशेष	11,47,262.00	2,42,697.00
वर्ष के दौरान प्राप्ति	72,85,830.00	75,95,400.00
	84,33,092.00	**78,38,097.00**
घटा: यूनिसेफ को लौटाई गई अव्ययित राशि	1,91,732.00	9,23,814.00
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय की गई राशि	66,79,558.00	57,67,021.00
	15,61,802.00	**11,47,262.00**
4. एमओसीएंडएफ से प्राप्त राशि (सीपीसीबी-सीएमपी परियोजना)		
अथशेष	1,13,854.00	1,29,754.00
वर्ष के दौरान प्राप्ति	--	1,00,000.00
	1,13,854.00	**2,29,754.00**
	--	**2,29,754.00**
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय की गई राशि	1,13,854.00	1,15,900.00
	1,13,854.00	**1,13,854.00**
5. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से प्राप्त राशि (जीआईजेड परियोजना)		
अथशेष	--	--
वर्ष के दौरान प्राप्ति	27,68,728.00	--
	27,68,728.00	--
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय की गई राशि	18,23,285.00	--
	9,45,443.00	--
6. एमओसीएंडएफ से प्राप्त राशि (एनसीपीसी-डीएमपी परियोजना)		
अथशेष	40,305.00	46,505.00
वर्ष के दौरान प्राप्ति	7,88,000.00	--
	8,28,605.00	**46,505.00**

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय की गई राशि	7,27,611.00	5,900.00
	1,00,994.00	**40,605.00**
7. एमओईएफएंडसीसी से प्राप्त राशि (एनईएफसी–डीएमपी परियोजना)		
अथशेष	7,743.00	3,68,781.00
वर्ष के दौरान प्राप्ति	18,40,000.00	--
	18,47,743.00	**3,68,781.00**
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय की गई राशि	13,20,530.00	3,61,038.00
	5,27,213.00	**7,743.00**
8. एमओएचएंडएफडब्ल्यू से प्राप्त राशि (एमएचएफडब्ल्यू परियोजना)		
अथशेष	--	--
वर्ष के दौरान प्राप्ति	1,40,000.00	--
	1,40,000.00	--
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय की गई राशि	1,40,000.00	--
	--	--
9. आयुष मंत्रालय से प्राप्त राशि (एनडीएमपी–आयुष)		
अथशेष	7,29,807.00	15,58,200.00
वर्ष के दौरान प्राप्ति	5,19,400.00	--
	12,49,207.00	**15,58,200.00**
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय की गई राशि	6,54,372.00	8,28,393.00
	5,94,835.00	**7,29,807.00**
10. भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त धनराशि		
अथशेष	11,31,600.00	--
वर्ष के दौरान प्राप्ति	--	--
	11,31,600.00	--

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय की गई राशि	--	--
	11,31,600.00	--
11.टाटा संस से प्राप्त धनराशि (प्रशिक्षण कार्यक्रम)		
अथशेष	--	--
वर्ष के दौरान प्राप्ति	2,45,000.00	--
	2,45,000.00	--
घटा: सरकारी खजाने में देय बचत	2,45,000.00	--
	--	--
कुल	**67,34,660.97**	**51,09,802.97**

अनुसूची 3: चालू देयताएं और प्रावधान

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
सरकारी खाते में देय परियोजना बचत	11,45,459.82	9,17,524.50
देय शुल्क और कर	(20,473.00)	--
टीडीएस	1,22,840.00	--
देय व्यय	--	69,850.00
ब्याज	3,228.00	--
एनआईडीएम (मुख्य खाता)	76,858.26	45,081.00
कुल	**13,27,913.08**	**10,32,455.00**

अनुसूची: 5 चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
(क) चालू आस्तियां		
बैंक शेष:		
बैंक ऑफ महाराष्ट्र (पीएफएमएस)	18,95,450.00	32,07,061.00
एसबीआई बैंक खाता संख्या 5043	60,48,229.79	36,65,128.09
एसबीआई बैंक खाता संख्या 4332	7,37,294.00	--
अर्जित ब्याज	--	1,628.00
प्राप्य टीडीएस	1,13,160.00	--
कुल	**87,94,133.79**	**68,73,817.09**

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय)
पब्लिक लेजर अकांउट (पीएलए)

अनुसूची: 4, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अचल आस्तियों और अवमूल्यन का विवरण

क्र. सं.	विवरण	दर	01.04.2023* को डब्ल्यूडीवी	परिवर्धन		कटौती	कुल	वर्ष के लिए अवमूल्यन	31.03.2024 को डब्ल्यूडीवी
				180 दिन से अधिक	180 दिन से कम				
			रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
6.	कंप्यूटर एवं सहायक उपकरण	100%	5,52,454.00	--	2,22,594.00	--	7,75,048.00	7,75,048.00	--
कुल			**5,52,454.00**	--	**2,22,594.00**	--	**7,75,048.00**	**7,75,048.00**	--

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

अध्याय 9
अनुलग्नक

अनुलग्नक

अनुबंध की सूची		
9.1	अनुबंध–I	संस्थान के सदस्य
9.2	अनुबंध–II	संस्थान के शासी निकाय के सदस्य
9.3	अनुबंध–III	आमने–सामने प्रशिक्षण कार्यक्रम
9.4	अनुबंध–IV	कार्यशाला
9.5	अनुबंध–V	ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम
9.6	अनुबंध–VI	वेबिनार

अनुबंध–I: संस्थान के सदस्यों की सूची

क्र.सं	सदस्य
1.	आपदा प्रबंधन पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी मंत्री, जो पदेन अध्यक्ष होगा;
2.	राष्ट्रीय प्राधिकरण का उपाध्यक्ष जो पदेन उपाध्यक्ष होगा
3.	राष्ट्रीय प्राधिकरण का एक सदस्य;
4.	राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का अध्यक्ष, अर्थात भारत सरकार का सचिव जो आपदा प्रबंधन का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी हो, पदेन अध्यक्ष होगा;
5.	भारत सरकार का सचिव, जो व्यय पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय विभाग का प्रभारी हो, पदेन;
6.	भारत सरकार का सचिव जो कृषि पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी हो, पदेन;
7.	भारत सरकार का सचिव जो केन्द्रीय सरकार के उस मंत्रालय या विभाग का प्रभारी हो जिसके पास विदेशी मामलों का प्रशासनिक नियंत्रण हो, पदेन;
8.	भारत सरकार का सचिव जो स्वास्थ्य पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी हो, पदेन;
9.	भारत सरकार का सचिव जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी हो, पदेन;
10.	भारत सरकार का सचिव, जो परमाणु ऊर्जा पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी हो, पदेन;
11.	भारत सरकार का सचिव जो केन्द्रीय सरकार के उस मंत्रालय या विभाग का प्रभारी हो जिसके पास स्थान का प्रशासनिक नियंत्रण हो, पदेन;
12.	महासागर विकास पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी भारत सरकार का सचिव, पदेन;
13.	आपदा प्रबंधन पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग में आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्य करने वाला भारत सरकार का सचिव या विशेष सचिव या अपर सचिव या संयुक्त सचिव, जैसा भी मामला हो, पदेन;

क्र.सं	सदस्य
14.	आपदा प्रबंधन का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग के वित्त से संबंधित कार्य करने वाले भारत सरकार के अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार या संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, जैसा भी मामला हो, पदेन;
15.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सचिव या अपर सचिव, जैसा भी मामला हो, पदेन;
16.	राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक, पदेन;
17.	एकीत रक्षा स्टाफ के उप प्रमुख, सिद्धांत संगठन और प्रशिक्षण (डीओटी), एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय, पदेन;
18.	आपदा प्रबंधन के प्रभारी राज्य सरकारों के दो सचिव;
19.	विश्वविद्यालयों से एक कुलपति;
20.	निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी;
21.	निदेशक, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद;
22.	महानिदेशक, मौसम विभाग, भारत, पदेन;
23.	दो निदेशक, किसी भी भारतीय प्रबंधन संस्थान और किसी भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से एक-एक;
24.	केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष, पदेन;
25.	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के निदेशक, पदेन;
26.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, पदेन;
27.	प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों या राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों से एक महानिदेशक;
28.	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, पदेन;
29.	आपदा प्रबंधन, लोक प्रशासन, सूचना प्रौद्योगिकी, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में दो प्रतिष्ठित व्यक्ति;
30.	दो विशेषज्ञ, बैंकिंग और बीमा क्षेत्र से एक-एक;
31.	अखिल भारतीय स्तर के उद्योग संघों या महासंघों से दो अध्यक्ष या प्रमुख, चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, जो केन्द्रीय सरकार की राय में उद्योग, व्यापार या वाणिज्य का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हैं;
32.	गैर-सरकारी संगठनों के दो अध्यक्ष या प्रमुख, चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, जो केंद्रीय सरकार की राय में आपदा प्रबंधन गतिविधियों में सक्रिय और प्रभावी हैं, या ऐसी गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हैं;
33.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों से एक प्रमुख;
34.	चिकित्सा या स्वास्थ्य संस्थानों से एक प्रमुख;
35.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के एक प्रोफेसर;
36.	संस्थान के कार्यकारी निदेशक, पदेन;

अनुबंध–II: संस्थान के शासी निकाय के सदस्य

क्र.सं	सदस्य
1	राष्ट्रीय प्राधिकरण का उपाध्यक्ष, जो पदेन अध्यक्ष होगा;
2	भारत सरकार का सचिव, जो आपदा प्रबंधन पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी हो, पदेन उपाध्यक्ष होगा;
3	आपदा प्रबंधन से संबंधित मामलों को देखने वाला भारत सरकार का सचिव या विशेष सचिव या अपर सचिव या संयुक्त सचिव, जो आपदा प्रबंधन पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग में जैसा भी मामला हो, पदेन;
4	भारत सरकार का सचिव जो व्यय पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी हो, पदेन;
5	राष्ट्रीय प्राधिकरण का सचिव या अपर सचिव, जैसा भी मामला हो, पदेन;
6	आपदा प्रबंधन का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग के वित्त से संबंधित कार्य करने वाले भारत सरकार के अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार या संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, जैसा भी मामला हो, पदेन;
7	राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले संस्थान के सदस्यों में से एक सदस्य;
8	विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले संस्थान का एक सदस्य;
9	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले संस्थान के दो सदस्य;
10	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाला संस्थान का एक सदस्य;
11	अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, केंद्रीय जल आयोग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रतिनिधित्व करने वाले संस्थान के सदस्यों में से दो सदस्य; तथा
12	संस्थान के कार्यकारी निदेशक, पदेन;

परिशिष्ट III: 1.4.2023 से 31.3.2024 तक एनआईडीएम दिल्ली और दक्षिणी परिसर द्वारा आयोजित-आमने-सामने प्रशिक्षण कार्यक्रम

एनआईडीएम द्वारा अप्रैल, 2023 के दौरान आयोजित फेस-टू-फेस प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र. सं.	पाठयक्रम का नाम	सहयोगी एजेंसी	राज्य	कार्यक्रम प्रारंभ तिथि	कार्यक्रम समापन तिथि	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
			आन्ध्र प्रदेश				
1	शहरों में प्रशिक्षण सह संगोष्ठी आपदा और जलवायु समुत्थानशीलता: एसडीजीएस का स्थानीयकरण	एसपीए, भोपाल	मध्य प्रदेश	17-04-2023	19-04-2023	प्रो अनिल कुमार गुप्ता	42
2	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम-क्रर्मी की लहरों में युवाओं की भूमिका संवेदनशीलता घटाना, क्षमता बढ़ाना और समुत्थानशीलता बनाना	एमसीआरएच आरडीआई, तेलंगाना	तेलंगाना	17-04-2023	21-04-2023	डॉ कुमार राका व श्री रंजन कुमार	35
3	राज्य स्तरीय परामर्श- ''दिल्ली की आपदा प्रबंधन योजनाओं का अद्यतन: भूकंप और शहरी एवं औद्योगिक आग पर केंद्रित''	डीडीएमए, दिल्ली	दिल्ली	18-04-2023	20-04-2023	डॉ गरिमा अग्रवाल	100
4	अग्नि सुरक्षा एवं भूकंप जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	आईपीएसएचईएम -ओएनजीसी, गोवा	गोवा	19-04-2023	21-04-2023	प्रो. सूर्य प्रकाश	23
5	गर्मी की लहरों में युवाओं की भूमिका: असुरक्षा में कमी, क्षमता निर्माण और समुत्थानशीलता पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय	तमिलनाडु	24-04-2023	28-04-2023	डॉ. कुमार राका एवं डॉ. बालू।	60
6	घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस): आधारभूत एवं मध्यम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसएसडीएमए)	सिक्किम	25-04-2023	27-04-2023	श्री शेखर चतुर्वेदी	151
7	आपदा प्रबंधन में मनो-सामाजिक देखभाल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	ओएसडीएमए, ओडिशा	ओडिशा	25-04-2023	27-04-2023	डॉ. अजींदर वालिया	37
8	आपदा से शहरी समुत्थानशीलता के लिए न्यूनीकरण उपाय, भूकंप और आग पर केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम	शिवाजी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय	दिल्ली	26.04.2023	28.04.2023	डॉ. गरिमा अग्रवाल	94
	कुल						**542**

क्र. सं.	पाठयक्रम का नाम	सहयोगी एजेंसी	राज्य	कार्यक्रम प्रारंभ तिथि	कार्यक्रम समापन तिथि	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
एनआईडीएम द्वारा मई, 2023 के दौरान आयोजित फेस-टू-फेस प्रशिक्षण कार्यक्रम							
9	गर्मी की लहरों में युवाओं की भूमिका: संवेदनशीलता में कमी, क्षमता निर्माण और समुत्थानशीलता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एमजीएस आईपीए)	पंजाब	01-05-2023	05-05-2023	डॉ. कुमार राका, डॉ. बालू एवं श्री रंजन कुमार	68
10	आधारभूत अवसंरचना और खाद्य सुरक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	असम विश्वविद्यालय, सिलचर	असम	02.05.2023	04.05.2023	प्रो. अनिल कुमार गुप्ता	90
11	बाल-केन्द्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम दक्षिण परिसर, कोंडपावुलुरु	आंध्र प्रदेश	10.05.2023	12.05.2023	डॉ. कुमार राका और डॉ. बालू	52
12	बाढ़ जोखिम प्रबंधन के लिए प्राकृतिक और प्रकृति-आधारित तरीके	एनआईडीएम, रोहिणी परिसर	दिल्ली	09.05.2023	11.05.2023	डॉ. सुषमा गुलेरिया	37
13	स्कूल सुरक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	विज्ञान प्रसार, हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	22.05.2023	26.05.2023	डॉ. अजींदर वालिया	43
14	रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर (सीबीआरएन) आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षकों प्रशिक्षण कार्यक्रम''	एनआईडीएम, रोहिणी परिसर	दिल्ली	22.05.2023	26.05.2023	प्रो. सूर्य प्रकाश	45
15	आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन में युवाओं और किशोरों को शामिल करने पर प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम	हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (एचआईपीए), शिमला	हिमाचल प्रदेश	23.05.2023	27.05.2023	डॉ. कुमार राका और श्री रंजन कुमार	55
16	साइबर आपदा जोखिम न्यूनीकरण और समुत्थानशीलता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम, रोहिणी परिसर	दिल्ली	30.05.2023	01.06.2023	प्रो. सूर्य प्रकाश	65
17	''जन स्वास्थ्य आपातकालीन और आपदा प्रबंधन पेशेवर विकास कार्यक्रम (पीएचईडीएमपीडीपी)-टियर III प्रशिक्षण, राजस्थान (बैच 1)''	जयपुर, राजस्थान	राजस्थान	30.05.2023	01.06.2023	प्रो. सूर्य प्रकाश	61
18	चरम मौसम घटनाओं के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपाय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	केंद्रीय विश्वविद्यालय, दक्षिण बिहार	बिहार	30.05.2023	02.06.2023	डॉ. गरिमा अग्रवाल	104
	कुल						**620**

क्र. सं.	पाठयक्रम का नाम	सहयोगी एजेंसी	राज्य	कार्यक्रम प्रारंभ तिथि	कार्यक्रम समापन तिथि	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
एनआईडीएम द्वारा जून, 2023 में आयोजित फेस-टू-फेस प्रशिक्षण कार्यक्रम							
19	बाल-केन्द्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	डॉ. आर. एस. तोलिया, उत्तराखंड प्रशासन अकादमी	उत्तराखंड	05.06.2023	09.06.2023	डॉ. कुमार राका, डॉ. बालू एवं श्री रंजन कुमार	46
20	रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर (सीबीआरएन) आपदा प्रबंधन	एनआईडीएम, रोहिणी परिसर	दिल्ली	12.06.2023	16.06.2023	प्रो. सूर्य प्रकाश	55
21	पारंपरिक आवास निर्माण पद्धतियों को आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ समायोजन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एचआईएमसीओ एसटीई एवं एचपीएसडीएमए	हिमाचल प्रदेश	13.06.2023	15.06.2023	डॉ. अमीर अली खान	39
22	आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसएसडीएमए)	सिक्किम	13.06.2023	15.06.2023	डॉ. गरिमा अग्रवाल	34
23	डीआरआर उपकरण योजना और रणनीतियों पर कारगिल विश्वविद्यालय परिसर में क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	करगिल, लद्दाख (लद्दाख विश्वविद्यालय)	लद्दाख	15.06.2023	17.06.2023	प्रो. अनिल कुमार गुप्ता	74
24	विभागीय आपदा प्रबंधन योजना की प्रशिक्षण रिपोर्ट तैयार करने को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम	जिला मुख्यालय, धर्मशाला, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	19.06.2023	21.06.2023	डॉ. सुषमा गुलेरिया	61
25	स्कूल सुरक्षा योजना और ऑडिटिंग पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	डॉ. आरएसटी उत्तराखंड प्रशासन अकादमी, नैनीताल (डीआर एसटीयूएओए)	उत्तराखंड	19.06.2023	23.06.2023	डॉ. अमीर अली खान	60
26	बाल-केन्द्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (सीसीडीआरआर) पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर	छत्तीसगढ़	19.06.2023	23.06.2023	डॉ. कुमार राका, डॉ. बालू एवं श्री रंजन कुमार	28
27	खनिज मंत्रालय की लाइन संगठनों/ कार्यालयों के लिए आपदा प्रबंधन योजनाएँ विकसित करने पर संवेदीकरण कार्यक्रम	एनआईडीएम, रोहिणी परिसर	दिल्ली	19.06.2023	23.06.2023	प्रो. सूर्य प्रकाश	26

क्र. सं.	पाठयक्रम का नाम	सहयोगी एजेंसी	राज्य	कार्यक्रम प्रारंभ तिथि	कार्यक्रम समापन तिथि	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
28	घटनास्थल प्रतिक्रिया प्रणाली: बुनियादी और मध्यवर्ती	लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान, गोवा	गोवा	20.06.2023	22.06.2023	श्री शेखर चतुर्वेदी	48
	कुल						**471**
एनआईडीएम द्वारा जुलाई, 2023 में आयोजित फेस-टू-फेस प्रशिक्षण कार्यक्रम							
29	घटनास्थल प्रतिक्रिया प्रणाली: बुनियादी और मध्यवर्ती पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	ओएसडीएमए, ओडिशा	उड़ीसा	03.07.2023	06.07.2023	श्री शेखर चतुर्वेदी	36
30	आपदा पश्चात आवश्यकताओं का आकलन एवं दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	एनआईडीएम, रोहिणी परिसर, दिल्ली	दिल्ली	03.07.2023	07.07.2023	डॉ. अजिन्दर वालिया	40
31	आपदा एवं आपातकाल में बच्चों की सुरक्षा एवं बच्चों के अधिकार पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासनिक संस्थान	पंजाब	03.07.2023	07.07.2023	डॉ. कुमार राका, डॉ. बालू एवं श्री रंजन कुमार	74
32	बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	लद्दाख विश्वविद्यालय, लद्दाख	लद्दाख	10.07.2023	14.07.2023	डॉ. कुमार राका और श्री रंजन कुमार	60
33	आपदा प्रबंधन में मानसिक और सामाजिक देखभाल पर प्रशिक्षण	एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद	तेलंगाना	11.07.2023	13.07.2023	डॉ. अजींदर वालिया	28
34	आपातकालीन स्थितियों में मानसिक सामाजिक उत्थान पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम, रोहिणी परिसर, दिल्ली	दिल्ली	12.07.2023	14.07.2023	प्रो. अनिल कुमार गुप्ता	29
35	आपदा और आपातकालीन स्थितियों में बाल संरक्षण और बाल अधिकार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	आपदा प्रबंधन एवं भूमि संस्थान, केरल	केरल	18.07.2023	22.07.2023	डॉ. कुमार राका और डॉ. बालु	63
36	डीआरएम और सीसीए में युवाओं और किशोरों को शामिल करने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एआईडीएम, दक्षिण परिसर, दिल्ली	आंध्र प्रदेश	24.07.2023	28.07.2023	डॉ. कुमार राका और डॉ. बालु	50
37	घटनास्थल प्रतिक्रिया प्रणाली: बुनियादी और मध्यवर्ती पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	नागालैंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NSDMA)	नागालैंड	25.07.2023	27.07.2023	श्री शेखर चतुर्वेदी	107

क्र. सं.	पाठयक्रम का नाम	सहयोगी एजेंसी	राज्य	कार्यक्रम प्रारंभ तिथि	कार्यक्रम समापन तिथि	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
38	जन स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनसीडीसी, डीजीएसएस और सीडीसी-इंडिया, राजस्थान	राजस्थान	26.07.2023	28.07.2023	प्रो. सूर्य प्रकाश	42
	कुल						**529**
	एनआईडीएम द्वारा अगस्त, 2023 में आयोजित फेस-टू-फेस प्रशिक्षण कार्यक्रम						
39	घटनाक्रम प्रतिक्रिया प्रणाली: बुनियादी और मध्यवर्ती पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	अंडमान और निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर	अंडमान और निकोबार	02.08.2023	04.08.2023	श्री शेखर चतुर्वेदी	178
40	आपदाओं और आपातकालीन परिस्थितियों में बच्चों की सुरक्षा और अधिकार पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	पुदुचेरी	07.08.2023	11.08.2023	डॉ. कुमार राका एवं श्री रंजन कुमार	74
41	शहरी जोखिम न्यूनीकरण: भूकंपीय और अग्नि सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम, रोहिणी परिसर	दिल्ली	08.08.2023	10.08.2023	डॉ. गरिमा अग्रवाल	48
42	बच्चों के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	जीआईपीएआरडी गोवा	गोवा	16.08.2023	18.08.2023	डॉ. कुमार राका, डॉ. बालू	55
43	जल और जलवायु अकादमी: युवा नेतृत्व कार्यक्रम भारत के भविष्य के जल और जलवायु नेताओं के निर्माण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम, रोहिणी परिसर	दिल्ली	21.08.2023	23.08.2023	प्रो. अनिल कुमार गुप्ता	40
44	ग्राम विकास योजनाओं के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण का एकीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	डीडीयूएसआई आरडी, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	21.08.2023	25.08.2023	डॉ. सुषमा गुलेरिया	41
45	आपदाओं और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन में युवा और किशोरों को शामिल करने पर प्रशिक्षकों का कार्यक्रम	मनोन्मनियाम सुंदरनार विश्वविद्यालय	तमिलनाडु	21.08.2023	25.08.2023	डॉ. कुमार राका, डॉ. बालू	60
46	लैंगिक और आपदा प्रबंधन पर फैकल्टी विकास कार्यक्रम	केईएसएससी, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	22.08.2023	24.08.2023	डॉ. अजिंदर वालिया	55
47	पर्वतीय क्षेत्रों के लिए सुदृढ़ आधारभूत संरचना के निर्माण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनईएचयू, शिलांग	मेघालय	22.08.2023	24.08.2023	डॉ. अमीर अली खान	64
48	लंबदिंग-बदरपुर हिल सेक्शन पर रेलव एम्बैंकमेंट्स के लिए ढलान स्थिरीकरण	डीआरएमे कार्यालय, उत्तर	असम	22.08.2023	24.08.2023	प्रो. चंदन घोष	24

क्र. सं.	पाठयक्रम का नाम	सहयोगी एजेंसी	राज्य	कार्यक्रम प्रारंभ तिथि	कार्यक्रम समापन तिथि	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
	उपायों पर क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	पूर्वी सीमा रेलवे, असम					
49	बच्चों के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षकों का कार्यक्रम	एनआईडीएम, दक्षिण परिसर, विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	28.08.2023	01.09.2023	डॉ. कुमार राका, श्री रंजन कुमार	56
50	घटनाक्रम प्रतिक्रिया प्रणाली: बुनियादी और मध्यवर्ती पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	आईआरआईडीएम, बैंगलोर	कर्नाटक	28.08.2023	01.09.2023	श्री शेखर चतुर्वेदी	30
	कुल						**725**
	एनआईडीएम द्वारा सितम्बर, 2023 में आयोजित फेस-टू-फेस प्रशिक्षण कार्यक्रम						
51	जल शहरीकरण के लिए समुत्थानशील विकास: वाराणसी, भारत के केस अध्ययन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	आईआईटी, बीएचयू वाराणसी	उत्तर प्रदेश	04.09.2023	06.09.2023	प्रो. चंदन घोष	60
52	बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षकों प्रशिक्षण कार्यक्रम	वाईएएसएचएडीए, पुणे	महाराष्ट्र	04.09.2023	08.09.2023	डॉ. कुमार राका एवं श्री रंजन कुमार	46
53	घटनाक्रम प्रतिक्रिया प्रणाली: बुनियादी और मध्यवर्ती पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए), मेघालय	मेघालय	11.09.2023	15.09.2023	श्री शेखर चतुर्वेदी	57
54	ग्राम विकास योजनाओं के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण का एकीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	डीडीयूएसआई आरडी, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	11.09.2022	15.09.2023	डॉ. सुषमा गुलेरिया	34
55	आपदाओं और आपात स्थितियों में बाल अधिकार और बाल संरक्षण पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम, दक्षिण परिसर, विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	11.09.2022	15.09.2023	डॉ. कुमार राका	47
56	स्कूल सुरक्षा पर मास्टर ट्रेनर्स	एचपीएसडीएमए, (एसएएमईटीआई), हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	12.09.2023	14.09.2023	डॉ. अमीर अली खान	27
57	जन स्वास्थ्य आपातकालीन और आपदा प्रबंधन पेशेवर विकास कार्यक्रम (पीएचईडीएम-पीडीपी) टियर-III गुजरात (पहला बैच) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	जीएसडीएमए, एनसीडीसी, सीडीसी- इंडिया	गुजरात	13.09.2023	15.09.2023	प्रो. सूर्य प्रकाश	41
58	सम्पूर्ण आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	नवोदय विद्यालय समिति	दिल्ली	18.09.2023	22.09.2023	श्री शेखर चतुर्वेदी, डॉ.	39

क्र. सं.	पाठयक्रम का नाम	सहयोगी एजेंसी	राज्य	कार्यक्रम प्रारंभ तिथि	कार्यक्रम समापन तिथि	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
						सुषमा गुलेरिया डॉ. अमीर अली खान	
59	सुरक्षा अवलोकन प्रणाली पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	उत्तर प्रदेश	19.09.2023	21.09.2023	प्रो. चंदन घोष	98
60	पोर्ट्स शिपिंग एवं जलमार्ग मंत्रालय और इसकी संबंधित विभागों/संस्थाओं के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने पर संवेदनशीलता प्रशिक्षण कार्यक्रम	भारतीय मरीन विश्वविद्यालय, चेन्नई	तमिल नाडु	25.09.2023	27.09.2023	प्रो. सूर्य प्रकाश	20
61	टाटा आपदा प्रतिक्रिया कैडर के लिए आपूर्ति श्रृंखला अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	स्फेयर इंडिया, दिल्ली	दिल्ली	25.09.2023	28.09.2023	प्रो. अनिल कुमार गुप्ता	20
62	बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	निम्हान्स, कर्नाटक	कर्नाटक	25.09.2023	29.09.2023	डॉ. कुमार राका, डॉ. बालु	55
	कुल						**544**
	एनआईडीएम द्वारा अक्टूबर, 2023 में आयोजित फेस-टू-फेस प्रशिक्षण कार्यक्रम						
63	रासायनिक, जैविक, रेडियोलॅजिकल, परमाणु और विस्फोटक (सीबीआरएनई) आपदा जोखिम न्यूनीकरण और राहत प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम, रोहिणी परिसर	दिल्ली	04.10.2023	06.10.2023	प्रो. सूर्य प्रकाश	44
64	ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) का एकीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम	केआईएलए, केरल	केरल	10.10.2023	12.10.2023	डॉ. सुषमा गुलेरिया	71
65	शिक्षा क्षेत्र के लिए आपदाओं में अवसंरचना समुत्थानशीलता प्रशिक्षण कार्यक्रम	एचसीएम-आर आईपीए, राजस्थान	राजस्थान	11.10.2023	13.10.2023	डॉ. गरिमा अग्रवाल	60
66	आपदा जोखिम प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एमजीएसआईपीए, चंडीगढ़	पंजाब	11.10.2023	13.10.2023	डॉ. अजींदर वालिया	67
67	आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम, रोहिणी परिसर	उत्तर प्रदेश	16.10.2023	18.10.2023	प्रो. सूर्य प्रकाश	19

क्र. सं.	पाठयक्रम का नाम	सहयोगी एजेंसी	राज्य	कार्यक्रम प्रारंभ तिथि	कार्यक्रम समापन तिथि	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
68	पूर्वोत्तर भारत के शिक्षाविदों के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए मानसिक प्रेरणा पर क्षेत्रीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनईएचयू, शिलांग	मेघालय	30.10.2023	01.11.2023	डॉ. प्रीति सोनी	60
69	घटनाक्रम प्रतिक्रिया प्रणाली: बुनियादी और मध्यवर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम	शिलांग आपदा प्रबंधन विभाग, अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	31.10.2023	03.11.2023	श्री शेखर चतुर्वेदी	57
70	डीआरएम और सीसीए से युवाओं एवं किशोरों को जोड़ने पर प्रशिक्षकों का कार्यक्रम	एनआईडीएम, रोहिणी परिसर	दिल्ली	30.10.2023	03.11.2023	डॉ. कुमार राका, श्री रंजन कुमार	66
	कुल						**444**
एनआईडीएम द्वारा नवंबर, 2023 में आयोजित फेस-टू-फेस प्रशिक्षण कार्यक्रम							
71	आपदा प्रबंधन में मानसिक-सामाजिक देखभाल पर फैकल्टी विकास कार्यक्रम	पुदुच्चेरी विश्वविद्यालय	पुदुच्चेरी	06.11.2023	10.11.2023	डॉ. अजिंदर वालिया	31
72	आपदा और आपातकालीन स्थितियों में बाल संरक्षण और बाल अधिकारों पर प्रशिक्षकों का कार्यक्रम	एनआईडीएम दक्षिण परिसर, विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	14.11.2023	17.11.2023	डॉ. कुमार राका, डॉ. बालू	52
73	युवाओं और किशोरों को डीआरएम एवं सीसीए में संलग्न करने पर प्रशिक्षकों का कार्यक्रम	पुदुच्चेरी विश्वविद्यालय, पोर्ट ब्लेयर परिसर	पुदुच्चेरी	20.11.2023	24.11.2023	डॉ. कुमार राका, श्री रंजन कुमार	58
74	घटनाक्रम प्रतिक्रिया प्रणाली: बुनियादी और मध्यवर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम	भूमि और आपदा प्रबंधन संस्थान, केरल	केरल	28.11.2023	01.12.2023	श्री शेखर चतुर्वेदी	56
	कुल						**197**
एनआईडीएम द्वारा दिसंबर, 2023 में आयोजित फेस-टू-फेस प्रशिक्षण कार्यक्रम							
75	आपदा और आपातकालीन स्थितियों में बाल संरक्षण और बाल अधिकारों पर प्रशिक्षकों का कार्यक्रम	एनआईडीएम दक्षिण परिसर	आंध्र प्रदेश	04.12.2023	08.12.2023	डॉ. कुमार राका, डॉ. बालू	50
76	आपदा समुत्थानशीलता के लिए खोज (आपातकालीन सहायता प्रतिक्रिया और संचार हब प्रणाली) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईटीके, सुरथकल, कर्नाटक	कर्नाटक	05.12.2023	07.12.2023	प्रो. चंदन घोष	62

क्र. सं.	पाठयक्रम का नाम	सहयोगी एजेंसी	राज्य	कार्यक्रम प्रारंभ तिथि	कार्यक्रम समापन तिथि	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
77	आपदा प्रबंधन में मानसिक-सामाजिक देखभाल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम, रोहिणी परिसर	दिल्ली	06.12.2023	08.12.2023	डॉ. अजिंदर वालिया, डॉ. अमीर अली खान	20
78	दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति के लिए पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट (पीडीएनए) पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम/ पीडीपी	डॉ. आरएसटी उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल (डीआरएसटीयूए ओए)	उत्तराखंड	11.12.2023	13.12.2023	डॉ. अजिंदर वालिया	71
79	आपदा और आपातकालीन स्थितियों में बाल संरक्षण और बाल अधिकारों पर प्रशिक्षकों का कार्यक्रम	हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	हिमाचल प्रदेश	11.12.2023	14.12.2023	डॉ. कुमार राका, श्री रंजन कुमार	45
80	आपदा तैयारी एवं जोखिम न्यूनीकरण पर संकाय विकाय कार्यक्रम	दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय, दिल्ली	दिल्ली	11.12.2023	15.12.2023	प्रोफेसर सूर्य प्रकाश	66
81	बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	एएसडीएमए, असम	असम	18.12.2023	21.12.2023	डॉ. कुमार राका एवं श्री रंजन कुमार	30
82	आईआरएस पर प्रशिक्षण कार्यक्रम: योजना अनुभाग प्रमुख	एनआईडीएम, रोहिणी कैंपस	दिल्ली	18.12.2023	22.12.2023	श्री शेखर चतुर्वेदी एवं डॉ. सुषमा गुलेरिया	14
83	स्कूल सुरक्षा योजना और ऑडिटिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एमसीएचआरडी आई, तेलंगाना	तेलंगाना	19.12.2023	21.12.2023	डॉ. अमीर अली खान	51
84	शहरी स्थानीय निकायों के लिए आपद जोखिम प्रतिरोधी शहर विकसित करने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम रोहिणी कैंपस	दिल्ली	27.12.2023	29.12.2023	डा. गरिमा अग्रवाल	79
85	आपदा पश्चात् आवश्यकताओं का आकलन: आपदा पुनर्प्राप्ति प्रथाओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	डॉ. आरएसटी उत्तराखंड प्रशासन अकादमी, नैनीताल, उत्तराखंड	उत्तराखंड	28.12.2023	30.12.2023	डॉ. अजींदर वालिया	62
	कुल						**550**

क्र. सं.	पाठयक्रम का नाम	सहयोगी एजेंसी	राज्य	कार्यक्रम प्रारंभ तिथि	कार्यक्रम समापन तिथि	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
एनआईडीएम द्वारा जनवरी, 2024 में आयोजित फेस-टू-फेस प्रशिक्षण कार्यक्रम							
86	दूरसंचार क्षेत्र के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम, रोहिणी परिसर	दिल्ली	08.01.2024	12.01.2024	डॉ. अमीर अली खान	20
87	आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली: बेसिक और इंटरमीडिएट पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम दक्षिण परिसर	आंध्र प्रदेश	09.01.2024	11.01.2024	श्री शेखर चतुर्वेदी	23
88	आपदा और आपातकालीन स्थितियों में बाल संरक्षण और बाल अधिकारों पर अभिविन्यास कार्यक्रम	एनआईटीटीटीआर चंडीगढ़	चंडीगढ़	16.01.2024	18.01.2024	डॉ. कुमार राका, डॉ. बालू	68
89	जन स्वास्थ्य आपातकालीन और आपदा प्रबंधन: प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम (पीएचईडीएम-पीडीपी)-टियर III प्रशिक्षण	एनसीडीसी, सीडीसी, इंडिया, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	17.01.2024	19.01.2024	प्रो. सूर्य प्रकाश	71
90	परिवर्तित जलवायु में समुत्थानशील ग्रामीण विकास पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम, रोहिणी परिसर	दिल्ली	22.01.2024	26.01.2024	डॉ. सुषमा गुलेरिया, डॉ. प्रीति सोनी	28
91	आपदा प्रबंधन योजना और बुनियादी ढांचे में इंजीनियरों की भूमिका पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा	हरियाणा	23.01.2024	25.01.2024	डॉ. गरिमा अग्रवाल	60
92	शहरों और शहरी स्थानीय निकायों में आपदा जोखिम समुत्थानशीलता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एटीआई, मैसूर	कर्नाटक	23.01.2024	25.01.2024	डॉ. अमीर अली खान	39
93	बाल-केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षकों का कार्यक्रम	डॉ. आरएसटी यूएए, उत्तराखंड	उत्तराखंड	29.01.2024	01.02.2024	डॉ. कुमार राका	35
94	रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (सीबीआरएन डीआरआर एंड पीएचईडीएम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम, रोहिणी परिसर	दिल्ली	31.01.2024	02.02.2024	प्रो. सूर्य प्रकाश	66
95	आईआरएस: बड़े सम्मेलन में भीड़ प्रबंधन के लिए एक उपकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	डीडीयूएसआई आरडी, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	31.01.2024	02.02.2024	श्री शेखर चतुर्वेदी	36
	कुल						**446**
एनआईडीएम द्वारा फरवरी, 2024 में आयोजित फेस-टू-फेस प्रशिक्षण कार्यक्रम							
96	आपदा और आपातकालीन स्थितियों में बाल संरक्षण और बाल अधिकारों पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम दक्षिण परिसर	आंध्र प्रदेश	05.02.2024	08.02.2024	डॉ. कुमार राका, डॉ. बालू	45

क्र. सं.	पाठयक्रम का नाम	सहयोगी एजेंसी	राज्य	कार्यक्रम प्रारंभ तिथि	कार्यक्रम समापन तिथि	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
97	आईएसएस प्रशिक्षणार्थियों के लिए आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम, रोहिणी परिसर	दिल्ली	05.02.2024	09.02.2024	प्रो. सूर्य प्रकाश	27
98	आपदा प्रबंधन में एनसीसी की भूमिका पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम दक्षिण परिसर, विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	12.02.2024	15.02.2024	डॉ. कुमार राका, श्री रंजन कुमार	48
99	बाल-केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षकों का कार्यक्रम	इंस्टीट्यूट ऑफ लैंड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट (आईएलडीएम)	केरल	19.02.2024	23.02.2024	डॉ. कुमार बालू	57
100	जन स्वास्थ्य आपातकाल, आपदा प्रबंधन और संचार (पीएचईडीएम एवं सी) पर एफडीपी/पीडीपी/टीओटी कार्यक्रम	पुदुचेरी विश्वविद्यालय, पोर्ट ब्लेयर परिसर, दक्षिण अंडमान और राष्ट्रीय प्रसारण और मल्टीमीडिया अकादमी	अंडमान और निकोबार	19.02.2024	23.02.2024	प्रो. सूर्य प्रकाश	60
101	एमएसएमई के लिए समुत्थानशीलता और सुरक्षा: भूकंप और आग पर ध्यान केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम रोहिणी परिसर, दिल्ली	दिल्ली	20.02.2024	22.02.2024	डॉ. गरिमा अग्रवाल	30
102	जन स्वास्थ्य आपातकाल प्रबंधन और आपदा तत्परता, महामारी विज्ञान, आपातकालीन प्रतिक्रिया, स्वास्थ्य प्रणाली समुत्थानशीलता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	वीएमसीसी और एसजेएच, नई दिल्ली	दिल्ली	21.02.2024	23.02.2024	प्रो. अनिल कुमार गुप्ता	68
103	आपातकालीन स्थितियों में मानसिक सहायता पर क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	युवा केंद्र, खारघर, मुंबई	मुंबई	27.02.2024	29.02.2024	प्रो. अनिल कुमार गुप्ता	23
104	शहरी बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	डीडीएमए, दिल्ली	दिल्ली	27.02.2024	29.02.2024	डॉ. गरिमा अग्रवाल	69
	कुल						**427**
एनआईडीएम द्वारा मार्च, 2024 में आयोजित फेस-टू-फेस प्रशिक्षण कार्यक्रम							
105	पर्यावरणीय स्थिरता और आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर फैकल्टी विकास कार्यक्रम (एफडीपी)	स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय	दिल्ली	04.03.2024	08.03.2024	डॉ. सुषमा गुलेरिया और श्री शेखर चतुर्वेदी	60

क्र. सं.	पाठयक्रम का नाम	सहयोगी एजेंसी	राज्य	कार्यक्रम प्रारंभ तिथि	कार्यक्रम समापन तिथि	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
106	आपदा प्रबंधन में मानसिक देखभाल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	ओडिशा	05.03.2024	07.03.2024	डॉ. अजींदर वालिया	32
107	आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर फैकल्टी विकास कार्यक्रम	मणिपुर तकनीकी विश्वविद्यालय	मणिपुर	11.03.2024	13.03.2024	डॉ. प्रीति सोनी	57
108	शहरी जोखिम न्यूनीकरण पर राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम-संरचनाओं की भूकंपीय सुरक्षा पर केन्द्रित	डीडीएमए (एचक्यू)/दिल्ली नागरिक रक्षा	दिल्ली	13.03.2024	15.03.2024	डॉ. गरिमा अग्रवाल	51
109	दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति के लिए पीडीएनए पर क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम, रोहिणी परिसर	दिल्ली	18.03.2024	20.03.2024	डॉ. अजींदर वालिया	70
110	आपदा जोखिम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन में युवाओं और किशोरों को जोड़ने पर प्रशिक्षकों का कार्यक्रम	एमएस विश्वविद्यालय	तमिलनाडु	18.03.2024	22.03.2024	डॉ. कुमार राका, डॉ. बालू	60
111	सिक्किम में भूकंप, भूस्खलन और अचानक बाढ़ जैसी आपदा स्थितियों के दौरान जन स्वास्थ्य आपातकाल का सामना करने के लिए मानव क्षमता निर्माण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनवीटीआई, दक्षता विकास मंत्रालय एवं इंटरप्रोन्योरशिप, नोएडा	उत्तर प्रदेश	18.03.2024	20.03.2024	डॉ. सुषमा गुलेरिया	65
112	सिक्किम में बाढ़, भूस्खलन, भूकंप जैसे आपदा की स्थितियों के दौरान जन स्वास्थ्य आपातकाल के समाधान हेतु क्षमता निर्माण में वृद्धि पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	सिक्किम प्रोफेशनल विश्वविद्यालय	सिक्किम	18.03.2024	22.03.2024	प्रो. सूर्य प्रकाश	60
113	आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए संग्रहालयों और कला दीर्घाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र	दिल्ली	20.03.2024	22.03.2024	डॉ. अजिंदर वालिया	27
114	पूर्वोत्तर भारत के शिक्षाविदों के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए मानसिक प्रेरणा पर क्षेत्रीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनईएचयू, शिलांग	मेघालय	26.03.2024	28.03.2024	डॉ. सुषमा गुलेरिया, डॉ. प्रीति सोनी	60
115	आपदा जोखिम प्रबंधन, सामाजिक उद्यमिता और समुत्थानशीलता पर फैकल्टी विकास (एफडीपी) और प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी)	गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (जीएनएलयू)	गुजरात	26.03.2024	28.03.2024	डॉ. प्रीति सोनी	27

क्र. सं.	पाठयक्रम का नाम	सहयोगी एजेंसी	राज्य	कार्यक्रम प्रारंभ तिथि	कार्यक्रम समापन तिथि	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
116	तटीय क्षेत्र के लिए शहरी जोखिम समुत्थानशीलता	हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, चेन्नई	तमिलनाडु	26.03.2024	28.03.2024	डॉ. अमीर अली खान	60
117	आपदा प्रबंधन के सामान्य सिद्धांतों पर फैकल्टी विकास कार्यक्रम (एफडीपी)	डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	उत्तर प्रदेश	27.03.2024	31.03.2024	डॉ. अमीर अली खान एवं डॉ. सुषमा गुलेरिया	80
	कुल						**709**
	कुल योग						**6204**

परिशिष्ट IV: एनआईडीएम दिल्ली और दक्षिणी परिसर द्वारा 01.04.2023 से 31.03.2024 तक आयोजित कार्यशालाएँ

क्र. सं.	पाठयक्रम का नाम	सहयोगी एजेंसी	राज्य	कार्यक्रम प्रारंभ तिथि	कार्यक्रम समापन तिथि	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
एनआईडीएम द्वारा अप्रैल 2023 में आयोजित कार्यशालाएं							
1	जन स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन (पीएचईडीएम) टियर-III क्षमता संवर्धन के लिए हितधारक परामर्श कार्यशाला	एनसीडीसी, डीजीएचएस एंड यूएस सीडीसी-इंडिया	दिल्ली	24.04.2023	25.04.2023	प्रो. सूर्य प्रकाश	103
2	शहरी क्षमता बढ़ाने के लिए ऊर्जा दक्षता पर राष्ट्रीय सम्मेलन	एसपीए, विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	26.04.2023	27.04.2023	डॉ. अमीर अली खान	86
3	आपदा और जलवायु परिवर्तन पर संवेदनशीलता कार्यक्रम	शिवाजी कॉलेज, दिल्ली	दिल्ली	29.04.2023	29.04.2023	डॉ. गरिमा अग्रवाल	93
	कुल						**282**
एनआईडीएम द्वारा मई 2023 में आयोजित कार्यशालाएं							
4.	साइबर आपदा के खिलाफ समुत्थानशीलता निर्माण पर कार्यशाला	एनआईडीएम, रोहिणी परिसर	दिल्ली	02.05.2023	02.05.2023	प्रो. सूर्य प्रकाश	0
5	वन अग्नि: रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया की वर्तमान स्थिति पर मंथन कार्यशाला	एनआईडीएम, रोहिणी परिसर	दिल्ली	10.05.2023	10.05.2023	प्रो. अनिल कुमार गुप्ता	53
6	आपदा और जलवायु परिवर्तन पर संवेदनशीलता कार्यक्रम	हंसराज कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय	दिल्ली	16.05.2023	16.05.2023	डॉ. प्रीति सोनी	150
7	आपदा समुत्थानशील इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए युवा कार्यशाला	सीडीआरआई सचिवालय, भारतीय कला	दिल्ली	17.05.2023	17.05.2023	डॉ. सुषमा गुलरिया	0
8	आपदा प्रबंधन और जोखिम पर कार्यशाला	आरएकेएएनपीए, गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश	18.05.2022	18.05.2023	प्रो. सूर्य प्रकाश	29
	कुल						**232**
एनआईडीएम द्वारा जून 2023 में आयोजित कार्यशालाएं							
9	पंजाब में असुरक्षा और जोखिमों पर कार्यशाला: आपदा जोखिम न्यूनीकरण की दिशा में अग्रसर	एमजीएसआईपीए	पंजाब	15.06.2023	16.06.2023	डॉ. अजिंदर वालिया	70
	कुल						**70**

क्र. सं.	पाठयक्रम का नाम	सहयोगी एजेंसी	राज्य	कार्यक्रम प्रारंभ तिथि	कार्यक्रम समापन तिथि	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
एनआईडीएम द्वारा अगस्त 2023 में आयोजित कार्यशालाएं							
10	आपदा प्रबंधन संचार प्रणाली (एनडीएमआईएस) पर कार्यशाला	डीडीएमए दिल्ली	दिल्ली	24.08.2023	25.08.2023	डॉ. गरिमा अग्रवाल	50
	कुल						**50**
एनआईडीएम द्वारा सितंबर 2023 में आयोजित कार्यशालाएं							
11	हिमालयी पर्यावरण में बदलते जलवायु परिदृश्य एचईसीसीएस–2023	लद्दाख विश्वविद्यालय, लद्दाख	लद्दाख	19.09.2023	21.09.2023	प्रो. अनिल कुमार गुप्ता	146
12	कार्यस्थल पर पीओएसएच (यौन उत्पीड़न के खिलाफ नीति) पर संवेदनशीलता कार्यशाला	एनआईडीएम, रोहिणी परिसर	दिल्ली	25.09.2023	25.09.2023	डॉ. अर्जीदर वालिया	92
13	राष्ट्रीय कार्यशाला: आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य आपातकालीन परिस्थितियों के लिए तैयारी और समुत्थानशीलता (भविष्य के स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को सशक्त बनाना: कक्षा से संकट तक)	पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़	चंडीगढ़	27.09.2023	27.09.2023	डॉ. प्रीति सोनी	185
	कुल						**423**
एनआईडीएम द्वारा अक्टूबर 2023 में आयोजित कार्यशालाएं							
14	आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस: असमानता से सशक्तिकरण तक आपदा समुत्थानशीलता	एनआईडीएम, रोहिणी परिसर	दिल्ली	13.10.2023	13.10.2023	श्री शेखर चतुर्वेदी, डॉ. सुषमा गुलेरिया	113
15	आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए स्वास्थ्य प्रणाली समुत्थानशीलता का सुदृढ़ीकरण	बीपीएस सरकारी मेडिकल कॉलेज फॉर वुमन, खानपुर कलां, हरियाणा	हरियाणा	27.10.2023	27.10.2023	प्रो. अनिल कुमार गुप्ता	116
	कुल						**229**
एनआईडीएम द्वारा नवंबर 2023 में आयोजित कार्यशालाएं							
16	जलवायु क्रिया और समुत्थानशीलता के क्षेत्र में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का बढ़ावा देने पर उच्च स्तरीय परामर्श बैठक: आईपीआरएस को तीव्रता	द ललित होटल, नई दिल्ली	दिल्ली	03.11.2023	03.11.2023	प्रो. अनिल कुमार गुप्ता	49

क्र. सं.	पाठयक्रम का नाम	सहयोगी एजेंसी	राज्य	कार्यक्रम प्रारंभ तिथि	कार्यक्रम समापन तिथि	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
17	जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सुदृढ़ भविष्य हेतु कार्यशाला	उत्तराखंड प्रशासन अकादमी, नैनीताल	उत्तराखंड	06.11.2023	07.11.2023	डॉ. संतोष कुमार	140
18	डीआरआर डिवीजन स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर कार्यशाला	डीडीएमए, हापुड़	उत्तर प्रदेश	08.11.2023	08.11.2023	डॉ. अमीर अली खान	120
19	आपदा प्रबंधन पर कार्यशाला	आरएकेएएनपीए, गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश	09.11.2023	09.11.2023	प्रो. सूर्य प्रकाश	25
20	विशेष तकनीकी सत्र आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर कार्यशाला	डब्ल्यूएफपी, उत्तराखंड	उत्तराखंड	28.11.2023	28.11.2023	डॉ. सुषमा गुलेरिया	0
	कुल						**334**
	एनआईडीएम द्वारा दिसंबर 2023 में आयोजित कार्यशालाएं						
21	आपदा जोखिम प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर कार्यशाला	एनआईडीएम, रोहिणी परिसर	तेलंगाना	04.12.2023	05.12.2023	प्रो. सूर्य प्रकाश	54
22	आपदा निवारण, न्यूनीकरण और जोखिम घटाने में अग्नि सेवाओं को सशक्त बनाने पर राष्ट्रीय कार्यशाला	एनआईडीएम, रोहिणी परिसर	दिल्ली	06.12.2023	06.12.2023	डॉ. गरिमा अग्रवाल	46
23	कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम सप्ताह: संवेदनशीलता कार्यशाला	एनआईडीएम, रोहिणी परिसर	दिल्ली	07.12.2023	07.12.2024	डॉ. सुषमा गुलेरिया	0
24	यमुना शहरी बाढ़ों पर स्टेकहोल्डर परामर्श कार्यशाला	एनआईडीएम, रोहिणी परिसर	दिल्ली	12.12.2023	12.12.2023	श्री मंजीत सिंह ढिल्लों	80
25	स्वास्थ्य, पोषण और वाश को आपदाओं और आपात स्थितियों में एकीकृत करने पर राज्य स्तरीय नीति कैफे पर कार्यशाला	हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन	हिमाचल प्रदेश	15.12.2023	15.12.2023	डॉ. कुमार राका और श्री रंजन कुमार	70
26	भारत में आपदा प्रबंधन, व्यापार निरंतरता और लागत प्रभावशीलता पर कार्यकारी कार्यशाला	यूएनडीआरआर-जीईटीआई, तुलालिप होटल, गुरुग्राम	हरियाणा	19.12.2023	20.12.2023	डॉ. प्रीति सोनी	105
27	सीसीडीआरआर (पूर्वी राज्य) पर एकदिवसीय क्षेत्रीय स्तर का परामर्शी कार्यशाला	एएसडीएमए, असम	असम	22.12.2023	22.12.2023	डॉ. कुमार राका और श्री रंजन कुमार	65
	कुल						**420**

क्र. सं.	पाठयक्रम का नाम	सहयोगी एजेंसी	राज्य	कार्यक्रम प्रारंभ तिथि	कार्यक्रम समापन तिथि	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
एनआईडीएम द्वारा जनवरी 2024 में आयोजित कार्यशालाएं							
28	तीसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन–आपदा प्रबंधन का नियंत्रण अभियान: सरकारी एवं गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका (आईसीसीएमईडीएम 2023)	डॉ. भीमराव अम्बेकर विश्वविद्यालय, आगरा (यूपी) एवं पालीवाल पी.जी. कॉलेज शिकोहाबाद	उत्तर प्रदेश	23.12.2023	23.12.2023	डॉ. प्रीति सोनी	55
29	जन स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन कार्यशाला (पीएचईडीएम–पीडीपी) – टियर III	एनसीडीसी और सीडीसी, पुणे	महाराष्ट्र	16.01.2024	16.01.2024	प्रो. सूर्य प्रकाश	12
30	आपदा समुत्थानशीलता और सांस्कृतिक धरोहर पर कार्यशाला	आईजीएनसीए, आईआईटी जोधपुर और मेहरानगढ़ संग्रहालय ट्रस्ट, राजस्थान	राजस्थान	17.01.2024	18.01.2024	डॉ. अजींदर वालिया	79
31	अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन: ''सुरक्षा स्वास्थ्य विश्लेषण–समर्थित शासन: सतत विकास की दिशा में''	आईआईटी खड़गपुर	पश्चिम बंगाल	29.01.2024	30.01.2024	डॉ. प्रीति सोनी	241
32	व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षा और आपातकालीन तैयारी कार्यशाला	एनआईडीएम, रोहिणी परिसर	दिल्ली	30.01.2024	30.01.2024	डॉ. सुषमा गुलेरिया और प्रो. अनिल कुमार गुप्ता	150
	कुल						**537**
एनआईडीएम द्वारा फरवरी 2024 में आयोजित कार्यशालाएं							
33	बच्चों की सुरक्षा आपदा एवं आपातकाल में बच्चों की शिक्षा एवं सुरक्षा पर एक दिवसीय कार्यशाला	डॉ. आर. एस टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल एवं बाल रक्षा भारत	उत्तराखंड	02.02.2024	02.02.2024	डॉ. राका	60
34	जलवायु एवं आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना: सड़क सुरक्षा एवं राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला	अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	दिल्ली	06.02.2024	06.02.2024	प्रो. अनिल कुमार गुप्ता	28

क्र. सं.	पाठयक्रम का नाम	सहयोगी एजेंसी	राज्य	कार्यक्रम प्रारंभ तिथि	कार्यक्रम समापन तिथि	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
35	राष्ट्रीय कार्यशाला: सीसीडीआरआर और रोकथाम	एनआईडीएम, दक्षिण परिसर, विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	09.02.2024	09.02.2024	डॉ. कुमार राका और डॉ. बालू	60
36	एक दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला: सीसीडीआरआर (दक्षिणी राज्य)	एनआईडीएम, दक्षिण परिसर, विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	16.02.2024	16.02.2024	डॉ. कुमार राका और श्री रंजन कुमार	62
37	अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन: युवा सशक्तिकरण और महामारी एवं प्राकृतिक आपदा प्रबंधन	मद्रास विश्वविद्यालय	तमिलनाडु	21.02.2024	23.02.2024	डॉ. प्रीति सोनी	150
38	राष्ट्रीय वार्षिक प्रशिक्षण सम्मेलन (एनएटीसी), 2024	एनआईडीएम, रोहिणी परिसर	दिल्ली	26.02.2024	26.02.2024	श्री शेखर चतुर्वेदी	84
39	जन स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन पर उच्च स्तरीय शासन और नेतृत्व शिखर सम्मेलन (पीएचईडीएम)	रोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय केन्द्र, स्वास्थ्य मंत्रालय एवं परिवार कल्याण, भारत सरकार एवं यूएस की रोक नियंत्रण एवं रोकथाम केन्द्र	दिल्ली	29.02.2024	29.02.2024	प्रोफेसर सूर्य प्रकाश	30
	कुल						**474**
	कुल योग						**3051**
			अन्य गतिविधियां				
1	आपदा प्रबंधन संचार प्रणाली पर प्रशिक्षण	आपदा प्रबंधन राहत नागरिक रक्षा विभाग, जयपुर	राजस्थान	14.02.2024	15.02.2024	डॉ. गरिमा अग्रवाल	–
2	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस'' के पालन पर सर्वोत्तम प्रथाओं का संकलन जारी करना और राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण अनुसंधान संकाय का शुभारंभ	डॉ. आंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र	नई दिल्ली	08.03.2024	08.03.2024	डॉ. प्रीति सोनी	
	कुल						**3051**

अनुबंध–V: 01.04.2023 से 31.03.2024 तक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा आयोजित ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.सं	पाठयक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
			अप्रैल 2023		
1	आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं समुत्थानशीलता के लिए प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	दिल्ली	26–28 अप्रैल 2023	श्री गौथम कृष्णा	78
	कुल				**78**
			मई 2023		
2	आपदा एवं जोखिम न्यूनीकरण के लिए जीआईएस मानचित्रण में परिवर्तन पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	दिल्ली	09–11 मई 2023	श्री श्रेया द्विवेदी	314
3	विकास योजनाओं को एकीकृत करने की आवश्यकता पर प्रकृति आधारित समाधान पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	अंडमान और निकोबार	22–24 मई 2023	श्री श्रेया द्विवेदी	300
	कुल				**614**
			जून 2023		
4	आपातकाल और आपदाओं में बाल संरक्षण और अधिकार पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	जम्मू और कश्मीर	19–21 जून 2023	सुश्री नाजिया शेख	266
	कुल				**266**
			जुलाई 2023		
5	डीआरएम और सीसीए में युवाओं और किशोरों को शामिल करने पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	दिल्ली	26–28 जुलाई 2023	सुश्री नाजिया शेख	154
6	आपदा प्रबंधन योजना की भूमिका पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	दिल्ली	26–28 जुलाई 2023	सुश्री नाजिया शेख	159
	कुल				**313**
			अगस्त 2023		
7	बाल संरक्षण पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	तमिल नाडू	16–18 अगस्त 2023	सुश्री नाजिया शेख	557
	कुल				**557**

क्र.सं	पाठयक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
अक्टूबर 2023					
8	"निर्मित अवसंरचना का आकलन" पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	दिल्ली	03–05 अक्टूबर 2023	श्री श्रेया द्विवेदी	26
कुल					**26**
मार्च 2024					
9	सीसीए और डीआरआर में युवाओं और किशोरों को शामिल करने पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	पंजाब	19–21 मार्च 2024	श्री रंजन कुमार एवं सुश्री नाजिया शेख	133
कुल					**133**

अनुबंध–VI: 01.04.2023 से 31.03.2024 तक एनआईडीएम द्वारा आयोजित वेबिनार

क्र.सं	पाठयक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
			अप्रैल 2023		
1	आपातकालीन स्थितियों में बाल स्वास्थ्य और पोषण	आंध्र प्रदेश	06 अप्रैल 2023	डॉ. कुमार राका	168
2	आपातकालीन स्थितियों में स्वास्थ्य अवसंरचना (एनआईडीएम द्वारा आयोजित)	दिल्ली	13 अप्रैल 2023	श्री श्रेया द्विवेदी	133
3	आपदाओं के दौरान बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक देखभाल (एनआईडीएम साउथ कैंपस द्वारा आयोजित)	आंध्र प्रदेश	13 अप्रैल 2023	डॉ. कुमार राका	143
4	आपदाओं और आपातकालीन स्थितियों में बाल संरक्षण	आंध्र प्रदेश	20 अप्रैल 2023	डॉ. कुमार राका	150
5	आपदा प्रबंधन में भू-विज्ञान की भूमिका	दिल्ली	22 अप्रैल 2023	प्रोफेसर सूर्य प्रकाश	42
6	साइबर खतरों और आपदा न्यूनीकरण	दिल्ली	26 अप्रैल 2023	प्रोफेसर सूर्य प्रकाश	89
7	हीटवेव प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग की भूमिका (एनआईडीएम द्वारा आयोजित)	दिल्ली	27 अप्रैल 2023	श्री गौथम कृष्णा	102
8	बच्चों, किशोरों और जलवायु परिवर्तन	आंध्र प्रदेश	27 अप्रैल 2023	डॉ. कुमार राका	98
9	जीएलओएफएस में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का उपयोग (एनआईडीएम द्वारा आयोजित)	दिल्ली	28 अप्रैल 2023	श्री गौथम कृष्णा	92
10	ऐतिहासिक घरों के लिए जोखिम प्रबंधन: आगंतुक और साइट प्रबंधन में समुत्थानशीलता	दिल्ली	28 अप्रैल 2023	श्री अली हैदर	120
	कुल				**1137**
			मई 2023		
11	मजबूत भवनों और अवसंरचनाओं के लिए भूकंपीय रेट्रोफिटिंग	दिल्ली	12 मई 2023	श्री श्रेया द्विवेदी	196
12	बच्चों और किशोरों में पर्यावरणीय जागरूकता निर्माण (पंजाब विश्वविद्यालय के सहयोग से)	चंडीगढ़	16 मई 2023	डॉ. कुमार राका	212
13	साइबर आपदा रिकवरी और तैयारी	दिल्ली	18 मई 2023	प्रोफेसर सूर्य प्रकाश	160

क्र.सं	पाठयक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
14	आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग	दिल्ली	19 मई 2023	प्रोफेसर सूर्य प्रकाश	199
15	छत पर हल्के निर्माण कैसे काम करते हैं	दिल्ली	19 मई 2023	प्रोफेसर चंदन घोष	100
16	प्रभावी आपातकालीन प्रबंधन के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियाँ	दिल्ली	19 मई 2023	प्रोफेसर सूर्य प्रकाश	197
17	ग्राउंड पेनिट्रेटिंग थंडरबोल्ट (बिजली) अरेस्टर कैसे काम करता है?	दिल्ली	26 मई 2023	प्रोफेसर चंदन घोष	206
18	भूस्खलन आपदा जोखिम न्यूनीकरण और समुत्थानशीलता को समझने का प्रयास	दिल्ली	30 मई 2023	प्रोफेसर सूर्य प्रकाश	249
	कुल				**1519**
			जून 2023		
19	जलाशयों के पुनर्जीवित करने के लिए प्राकृतिक निकासी कैसे काम करती है	दिल्ली	02 जून 2023	प्रोफेसर चंदन घोष	164
20	पर्यावरणीय और औद्योगिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण	दिल्ली	05 जून 2023	प्रोफेसर सूर्य प्रकाश	148
21	पर्यावरणीय लचीलापन: एक स्थायी भविष्य के लिए आपदा प्रबंधन को एकीकृत करना	दिल्ली	05 जून 2023	प्रोफेसर सूर्य प्रकाश	172
22	भूकंप द्वारा प्रेरित द्रवण न्यूनीकरण उपाय कैसे काम करते हैं?	दिल्ली	09 जून 2023	प्रोफेसर चंदन घोष	147
23	आपदाओं के दौरान बच्चों और जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य (WASH) की चिंताएँ और प्रथाएँ	आंध्र प्रदेश	14 जून 2023	डॉ. कुमार राका	218
24	पुल निगरानी और निरीक्षण कैसे काम करता है?	दिल्ली	16 जून 2023	प्रोफेसर चंदन घोष	170
25	आपदा में स्वत। आधारित संचार कैसे काम करता है	दिल्ली	23 जून 2023	प्रोफेसर चंदन घोष	193
26	शहरी बाढ़ दीवार बैरियर प्रणाली कैसे काम करती है?	दिल्ली	30 जून 2023	प्रोफेसर चंदन घोष	173
	कुल				**1385**

क्र.सं	पाठयक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
			जुलाई 2023		
27	आपदा के बाद संचार नेटवर्क कैसे काम करता है?	दिल्ली	07 जुलाई 2023	प्रोफेसर चंदन घोष	73
28	शून्य गंध मूत्र प्रणाली कैसे काम करती है?	दिल्ली	07 जुलाई 2023	प्रोफेसर चंदन घोष	118
29	पीएमएवाई-यू के तहत लाइट हाउस परियोजनाओं के माध्यम से प्रौद्योगिकी परिवर्तन कैसे काम करता है?	दिल्ली	07 जुलाई 2023	प्रोफेसर चंदन घोष	104
30	बाढ़ के बाद कचरा प्रबंधन	दिल्ली	07 जुलाई 2023	श्री श्रेया द्विवेदी	181
31	एचएएम रेडियो आधारित आपदा संचार कैसे काम करता है?	दिल्ली	07 जुलाई 2023	प्रोफेसर चंदन घोष	123
	कुल				**599**
			अगस्त 2023		
32	मानसून और बाढ़ के दौरान विद्यालय की सुरक्षा	आंध्र प्रदेश	03 अगस्त 2023	डॉ. कुमार राका	145
33	आपदा के बाद संचार नेटवर्क कैसे काम करता है - भाग II?	दिल्ली	04 अगस्त 2023	प्रोफेसर चंदन घोष	94
34	स्कूल के लिए ऐप आधारित आपदा प्रबंधन (डीएम) कैसे काम करता है?	दिल्ली	11 अगस्त 2023	प्रोफेसर चंदन घोष	82
35	औद्योगिक आपदा के लिए तैयारी	दिल्ली	14 अगस्त 2023	प्रोफेसर सूर्य प्रकाश	125
36	आपदा सुरक्षित निर्माण के लिए एएसी ब्लॉक्स कैसे काम करते हैं?	दिल्ली	18 अगस्त 2023	प्रोफेसर चंदन घोष	67
37	बीमार भवन सिंड्रोम कैसे काम करता है?	दिल्ली	25 अगस्त 2023	प्रोफेसर चंदन घोष	57
	कुल				**570**
			सितंबर 2023		
38	बीमार भवन सिंड्रोम कैसे काम करता है?	दिल्ली	01 सितंबर 2023	प्रोफेसर चंदन घोष	122
39	चंद्रयान-3 प्रज्ञान लैंडिंग साइट चयन कैसे काम करता है?	दिल्ली	15 सितंबर 2023	प्रोफेसर चंदन घोष	78
40	महामारी और महामारी की रोकथाम के लिए समुदायों को मजबूत करना	दिल्ली	29 सितंबर 2023	प्रोफेसर सूर्य प्रकाश	129
	कुल				**329**

क्र.सं	पाठयक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
			अक्टूबर 2023		
41	भूकंप प्रतिरोधी भवनों का प्रदर्शन कैसे काम करता है	दिल्ली	06 अक्टूबर 2023	प्रोफेसर चंदन घोष	88
42	विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस का उत्सव	आंध्र प्रदेश	10 अक्टूबर 2023	डॉ. कुमार राका	291
43	सामुदायिक आधारित ड्रोन अनुप्रयोग कैसे काम करता है?	दिल्ली	12 अक्टूर 2023	प्रोफेसर चंदन घोष	95
44	अंतर्राष्ट्रीय जियोएथिक्स दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार: ''भू-नैतिकता, भू-विरासत, भू-पर्यटन और भू-संरक्षण पर केन्द्रित''	दिल्ली	14 अक्टूबर 2023	प्रोफेसर सूर्य प्रकाश	159
45	ग्लेशियल झील के विस्फोट से आने वाले बाढ़ (जीएलओएफ) और भूस्खलन झील के विस्फोट से आने वाले बाढ़ (जीएलओएफ) की निगरानी प्रणाली कैसे काम करती है?	दिल्ली	20 अक्टूबर 2023	प्रोफेसर चंदन घोष	104
46	स्थायी सड़कें और परिवहन नेटवर्क प्रणाली कैसे काम करती है?	दिल्ली	27 अक्टूबर 2023	प्रोफेसर चंदन घोष	90
	कुल				**827**
			नवंबर 2023		
47	भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कैसे काम करता है?	दिल्ली	03 नवंबर 2023	प्रोफेसर चंदन घोष	52
48	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय कैसे काम करते हैं?	दिल्ली	10 नवंबर 2023	प्रोफेसर चंदन घोष	42
49	ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है?	दिल्ली	17 नवंबर 2023	प्रोफेसर चंदन घोष	46
	कुल				**140**
			दिसंबर 2023		
50	भूकंप पूर्व चेतावनी और पूर्व संकेत कैसे काम करते हैं?	दिल्ली	01 दिसंबर 2023	प्रोफेसर चंदन घोष	96

क्र.सं	पाठयक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
51	संरचनात्मक स्वास्थ्य निगरानी कैसे काम करती है?	दिल्ली	13 दिसंबर 2023	प्रोफेसर चंदन घोष	144
52	आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना कैसे काम करती है?	दिल्ली	22 दिसंबर 2023	प्रोफेसर चंदन घोष	47
	कुल				**287**
			जनवरी 2024		
53	डीआरआर में युवा चौम्पियंस की जमीनी आवाजें	आंध्र प्रदेश	12 जनवरी 2023	डॉ. कुमार राका	135
54	नेतृत्व की अगली लहर: दक्षिण एशिया में आपदा जोखिम और जल शासन को बदलते युवा	दिल्ली	29 जनवरी 2023	डॉ. सुषमा गुलेरिया	68
	कुल				**203**
			मार्च 2024		
55	आपदाओं और आपातकालीन स्थितियों में बच्चों के लिए सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा	आंध्र प्रदेश	14 मार्च 2023	डॉ. कुमार राका	105
	कुल				**105**
	कुल योग				**7101**

समुत्थानशील भारत, आपदा मुक्त भारत

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार)

प्लॉट नं. 15, पॉकेट 3, ब्लॉक–बी, सेक्टर–29, रोहिणी, दिल्ली–110042
ईमेलः ed.nidm@nic.in | वेबसाईटः https://nidm.gov.in